IAS BABA

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

December 2021
Baba's Monthly
CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

हिंदी

IN NEW AVATAR

Revamped With Revolutionary Aspects

- Easy To Remember Tabular Format
- Practice Mcq's At The End
- Top Editorial Summaries Of The Month
- A Comprehensive Compendium Of News Sourced From More Than 5 Reputed Sources

IAS BABA

ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES 2022 (AIPTS)

- 34 UPSC Level Mocks - 24 GS, 10 CSAT
- 15-20% Questions framed to help you in Intelligent Guessing
- 10 Exclusive Current Affairs Tests
- 10 Exclusive CSAT Tests
- Subject wise Analytics & Time Analytics helps you understand your Strengths & Weakness with Data Visualization.
- Flexible Tests & Doubt Resolution Page.

Online & Offline

Available in English & हिन्दी

Starting from Feb 14th

REGISTER NOW

Scan here to know more

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888

विषय वस्तु

राज्यव्यवस्था एवं शासन

- HC और SC न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021
- 6 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ दी
- सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020
- प्रज्ञाता दिशानिर्देश (प्रज्ञाता दिशानिर्देश)
- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम
- निजी सदस्य का विधेयक (Private Member's Bill)
- 80 गांवों की संस्कृति मानचित्रण
- डिफॉल्ट बेल
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) विधेयक, 2021
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA)
- संपन्न परियोजना
- मॉडल टेनेंसी एक्ट
- 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' (BBBP) योजना
- धारा 124ए का दुरुपयोग
- अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन (NHAA)
- लोकपाल ऑनलाइन
- पोर्टल 'बाल स्वराज'
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)
- छठी अनुसूची (Sixth Schedule)
- वन्नियार कोटा कानून (Vanniyar quota law)
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर JCP
- चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021
- स्थाई समिति (Standing committee)
- स्थगन अनिश्चित काल के लिए (Adjournment sine die)
- कर्नाटक विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2021
- भूल जाने का अधिकार (Right to Be Forgotten)
- सुशासन सूचकांक (Good Governance Index) 2021
- वर्ष के अंत की समीक्षा -2021: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग (ARIIA)
- शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक
- वार्षिक समीक्षा: न्याय विभाग (Year End Review: Department of Justice)
- वार्षिक समीक्षा: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अर्थव्यवस्था

- Q2 में 8.4% की जीडीपी वृद्धि
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)

- वैश्विक ईंधन अर्थव्यवस्था पहल (GEFI)
- ग्रामीण युवाओं का रोजगार
- बांध सुरक्षा विधेयक (2019)
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021
- देश में महिला किसान
- शहरी सहकारी बैंक
- विश्व की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजनाएँ:
- 2021-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- CCI ने Amazon पर Rs. 200 करोड़ का जुर्माना लगाया
- अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)
- सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम
- भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम
- वनधन क्रॉनिकल (VanDhan Chronicle)
- एंटी-डंपिंग ड्यूटी
- फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स (FFV)
- ई-श्रम पोर्टल
- 2021: कपड़ा मंत्रालय के लिए खेल बदलने वाले सुधारों का साल

पर्यावरण

- गैर-जीवाश्म ईंधन से विद्युत क्षमता
- हॉर्नबिल महोत्सव
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
- प्रोजेक्ट री-हब (Project Re-Hab)
- 2030 में सरकार ने ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा
- जलवायु न्याय का अधिकार
- जैव ईंधन के रूप में पराली (Stubble as biofuel)
- वैश्विक मिथेन पहल की संचालन समिति का उपाध्यक्ष बना भारत
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा: संयुक्त राष्ट्र
- काज़ुवेली आर्द्रभूमि ((Kazhuveli wetlands)) को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया
- बक्सा टाइगर रिजर्व
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002
- वर्षा जल संचयन (Rain Water Harvesting)
- अल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल कछुआ (Albino Indian Flapshell Turtle)
- बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर (BRT) टाइगर रिजर्व
- ओलिव रिडले
- वार्षिक समीक्षा: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- भारतीय पैंगोलिन

भूगोल और समाचारों में स्थान

- चक्रवात जवाद (Cyclone Jawad)
- लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना
- अरब सागर में अधिक चक्रवात
- सुपर टाइफून राय (Super Typhoon Rai)
- समुद्रयान परियोजना
- 'काला नामक' चावल
- चिल्लाई कलां (Chillai Kalan)
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (NMEO-OP)

इतिहास और संस्कृति

- ओडिशा का पाइका विद्रोह
- महापरिनिर्वाण दिवस
- डॉ राजेंद्र प्रसाद
- चेंदमंगलम हैंडलूम
- महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग मंदिर
- दुर्गा पूजा
- मध्य भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति
- ऑपरेशन विजय
- श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती
- साहित्य अकादमी

विज्ञान प्रौद्योगिकी

- सेना के ऑफलोडिंग मॉडल में देरी
- भारत-आईटीयू संयुक्त साइबरड्रिल 2021
- जायकोव-डी टीका (ZyCoV-D VACCINE)
- S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम
- एस-जीन ड्रॉप आउट (S-Gene Drop Out)
- फूड फोर्टिफिकेशन (Rice Fortification)
- नई खाद्य प्रसंस्करण नीति
- विश्व स्वास्थ संगठन और ओमिक्रॉन
- स्टैंड-ऑफ एंटी टैंक (SANT) मिसाइल का सफल परीक्षण प्रक्षेपण
- सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो सिस्टम का सफल प्रक्षेपण
- सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (AFSPA)
- फेफड़ों को संक्रमित करने के लिए ओमाइक्रोन धीमा: हांगकांग द्वारा अध्ययन
- कोवोवैक्स (Covovax)
- बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव (BFHI)
- भारतीय नौसेना का स्टील्थ विध्वंसक पोत मोरमुगाओ
- 'प्रलय' मिसाइल
- आर्मी सिक्योर इंडिजेनस मैसेजिंग एप्लिकेशन (ASIGMA)

- चिकित्सा की सिद्ध प्रणाली (Siddha system of medicine)
- मैग्नेटर (magnetar)
- पैक्सलोविड (Paxlovid)
- DNA का उपयोग करके बनाया गया दुनिया का सबसे पुराना वंश ट्री
- राज्य स्वास्थ्य सूचकांक
- वार्षिक समीक्षा-2021- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- वार्षिक समीक्षा-2021- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- G20 'ट्रोइका' (G20's TROIKA)
- G7 (सात आर्थिक शक्तियों के समूह)
- बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार
- पांच मध्य एशियाई नेताओं को आर-डे के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया
- पैनेक्स-21 (PANEX-21)
- UNSC ने अफगान सहायता को आसान बनाने के लिए संकल्प अपनाया
- मिशन सागर
- UNSC की आतंकवाद निरोधी समिति
- भारत, ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम मुक्त व्यापार समझौता

विविध

- विश्व एड्स दिवस
- लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन (Summit for Democracy)
- आत्मानिर्भर हस्तशिल्पकार योजना का शुभारंभ
- सी. राजगोपालाचारी (1878-1972)
- स्वर्णिम विजय पर्व
- घरेलू पीएनजी के लिए नया गैस स्टोव
- फिन का बुनकर पक्षी (Finn's weaver bird)
- श्री रमना काली मंदिर
- संभावित सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल
- ड्रुक ग्यालपो (Druk Gyalpo) का आदेश
- तमिल थाई वज्थु (Tamil Thai Vaazhthu)
- बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान 'कपिला
- नई मंजिल योजना (Nai Manzil Scheme)
- भारत में डिजिटल लेनदेन
- डेसमंड टूटू (Desmond Tutu)
- ईरान का नया अंतरिक्ष प्रक्षेपण

मुख्य फोकस (MAINS)

राज्यव्यवस्था और शासन

- सहकारी क्षेत्र सुधार
- आंगनबाड़ियों को फिर से खोलने की जरूरत

- AFSPA और पूर्वोत्तर
- संविधान सभा में नागरिकता पर बहस
- ईडब्ल्यूएस को परिभाषित करना
- जॉन रॉल के न्याय के दो सिद्धांत
- लिंगानुपात
- कानूनी आयु विवाह (Legal Age of Marriage)
- स्व-सहायता समूहों को पुनः प्राप्त करना (SHGS)
- चुनाव आयोग की निष्पक्षता
- बेलागवी सीमा विवाद

अर्थव्यवस्था

- मल्टिमीलिओनाइरेस (Multimillionaires) पर वैश्विक संपत्ति कर
- एक मिश्रित मोड दृष्टिकोण के साथ जनगणना 2021
- बहुआयामी गरीबी
- कनेक्टेड लेंडिंग
- 9.5 फीसदी विकास दर हासिल करने की चुनौती
- भारत में जैव ईंधन उद्योग
- वाणिज्य विभाग , वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की वर्षांत समीक्षा

पर्यावरण

- पश्चिमी घाट में कस्तूरीरंगन समिति
- जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (ZBNF) पर जोर
- भारत ने जलवायु कार्रवाई से जुड़े UNSC के प्रस्ताव के खिलाफ किया

भूगोल

- बांध सुरक्षा विधेयक और तमिलनाडु की आपत्ति

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- हाइपरसोनिक हथियारों की नवीन दौड़
- सेमीकंडक्टर्स और उद्योग 4.0
- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- परमाणु क्षमता पर ईरान-अमेरिका गतिरोध
- बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की स्वर्ण जयंती "ऑपरेशन सर्चलाइट - द अनटोल्ड स्टोरी"
- भारत-रूस सैन्य गठबंधन
- विश्व असमानता रिपोर्ट: भारत में अमीर-गरीब की खाई
- यूरोप का ग्लोबल गेटवे
- रूस-यूक्रेन तनाव
- डेयरी क्षेत्र और मुक्त व्यापार का विरोध

प्रैक्टिस MCQs

उत्तर कुंजी

HC और SC न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021

ख़बरों में: सरकार ने एक विधेयक पेश किया है जो "उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय (वेतन एवं सेवा शर्त) अधिनियम 2009 की 17ख एवं 16ख में क्रमश: अंत: स्थापित किया गया था जिसमें प्रत्येक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उनकी मृत्यु के पश्चात उसका कुटुंब उसमें निर्दिष्ट मान के अनुरूप पेंशन या कुटुंब पेंशन की अतिरिक्त मात्रा का हकदार होगा
- इसी के अनुसार, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन की अतिरिक्त मात्रा को यथास्थिति 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष और 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर मंजूर किया जा रहा है।
- यह विधेयक उस समय से स्पष्टता लाने का प्रयास करता है जब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर अतिरिक्त पेंशन या पारिवारिक पेंशन के हकदार होते हैं।
- दरअसल, हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेन्द्र दत्त ज्ञानी द्वारा दायर रिट याचिका में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 15 मार्च 2018 के अपने आदेश में कहा कि पूर्वोत्तर उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 17ख के अनुसार पहली श्रेणी में अतिरिक्त पेंशन की मात्रा का फायदा किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उनकी 80/90/95/100 वर्ष की आयु पूरी होने के पहले दिन से उपलब्ध होगा।
- मामले को स्पष्ट करने और कानून के प्रावधानों को उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप बनाने के लिए सरकार यह संशोधन विधेयक लायी है।

6 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ दी

ख़बरों में: पिछले पांच वर्षों में छह लाख से अधिक भारतीयों ने नागरिकता छोड़ दी है इसको गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs-MHA) ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या थी

वर्ष	**नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या**
2017	1,33,049
2018	1,34,561
2019	1,44,017
2020	85,248
2021 (30 सितंबर तक)	1,11,287

- बड़ी संख्या में भारतीयों द्वारा अपनी नागरिकता आत्मसमर्पण करने का कारण गृह मंत्री द्वारा उत्तर में नहीं बताया गया था।
- वर्ष 2018 में गृह मंत्रालय ने आवेदन फॉर्म में 'परिस्थितियों/कारणों' का भी एक कॉलम शामिल किया था, जिसके तहत आवेदकों को विदेशी नागरिकता प्राप्त करने और भारतीय नागरिकता त्यागने के कारणों का भी उल्लेख करना था।
- हाल ही में, गृह मंत्रालय ने प्रक्रिया को सरल बनाया था और आवेदकों के लिए ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने के प्रावधान किए गए थे और साथ ही इस समस्त प्रकिया को 60 दिनों के भीतर पूरा करने का प्रावधान है।
- ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में, भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आया जब देश छोड़ने वाले उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (high net worth individuals-HNIs) की बात आई। 2019 में 7,000 HNI ने भारत छोड़ दिया।
- सरकार ने कहा कि 2016-20 की अवधि में, 10,645 विदेशियों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया, जिनमें से 7,782 से अधिक पाकिस्तान और 452 स्टेटलेस थे।

	• इसी अवधि के दौरान, 4,177 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई, लेकिन देश-वार विवरण प्रदान नहीं किया गया। • जबाब में कहा गया है कि कुल 1,33,83,718 भारतीय नागरिक विदेशों में रह रहे थे। • मंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act-CAA), 2019 के तहत आने वाले व्यक्ति नियम अधिसूचित होने के बाद आवेदन कर सकते हैं। • सरकार ने यह भी दोहराया कि उसने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (National Register of Indian Citizens-NRIC) तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।
सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020	**ख़बरों में:** लोकसभा ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020 पारित किया, जो क्षेत्र में सेवारत/कार्यरत सभी क्लीनिकों और चिकित्सा पेशेवरों के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री और पंजीकरण प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव करता है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • एआरटी विधेयक फर्टिलिटी क्लीनिक और एग या स्पर्म बैंकों के लिए न्यूनतम मानक और आचार संहिता निर्धारित करने का प्रयास करता है। • यह विधेयक सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (Assisted Reproductive Technology: ART) में उन सभी तकनीकों को शामिल करता है, जो मानव शरीर के बाहर शुक्राणु (Sperm) या भ्रूण (Embryo) को महिला प्रजनन प्रणाली में स्थानांतरित कर गर्भधारण करना चाहते हैं। इसमें शुक्राणु या युग्मक (Gamete) का दान, इन-विट्रो निषेचन तथा गर्भकालीन सेरोगेसी शामिल है। • विधेयक का उद्देश्य ART सेवाओं के माध्यम से गर्भ धारण करने वाले अंडा दाताओं, गर्भकालीन सरोगेट और बच्चों के लिए सुरक्षा शुरू करना भी है। • बिल के अंतर्गत अपराधों में शामिल हैं- ○ लिंग-चयन की पेशकश करने वाले क्लीनिक ○ ए.आर.टी. के माध्यम से पैदा हुए बच्चे के त्याग या उनके शोषण पर रोक। ○ मानव भ्रूण या युग्मक को खरीदने, बेचने या आयात करने पर प्रतिबंध। ○ दलालों के माध्यम से दाताओं से संपर्क करने पर रोक। • उपरोक्त अपराधों में दोषी पाए जाने पर 5 -12 साल तक कारावास, और 5 -25 लाख रुपये तक का जुर्माना है।
प्रज्ञाता दिशानिर्देश (प्रज्ञाता दिशानिर्देश)	**ख़बरों में:** डिजिटल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता (Pragyata) दिशानिर्देश सभी राज्य सरकारों के साथ-साथ सीधे केंद्र सरकार के तहत स्कूलों को सलाह के रूप में जारी किए गए थे। • दिशानिर्देश ऑनलाइन मोड सहित डिजिटल शिक्षा के विभिन्न तरीकों पर संक्षिप्त हैं, जो इंटरनेट की उपलब्धता पर अधिक निर्भर करता है, और ऑफ़लाइन मोड जो टेलीविजन और रेडियो को शिक्षा के निर्देश के एक प्रमुख माध्यम के रूप में उपयोग करता है । • यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम	**ख़बरों में:** गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति को लंबे समय तक सलाखों के पीछे रखना, जिसमें मुकदमे या अपील की प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं हुई है, यह उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, इस तथ्य को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में फैसला सुनाया है। **इस फैसले की मुख्य बातें:** • हालांकि कुछ अवधि के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित होने से बचा नहीं जा सकता है, लंबित मुकदमे/अपील की अवधि अनावश्यक रूप से लंबी नहीं हो सकती है। • साथ ही, समय पर न्याय प्रदान करना मानवाधिकारों का हिस्सा है और जल्द न्याय से इनकार न्याय प्रशासन में जनता के विश्वास के लिए एक खतरा है। • एक बार जब यह ज्ञात हो जाता है कि समय पर सुनवाई संभव नहीं है और आरोपी को पहले ही एक महत्वपूर्ण अवधि की कैद का सामना करना पड़ा है, तो अदालतें जमानत पर एक विचाराधीन कैदी को बड़ा करने के लिए "बाध्य" हैं। • अदालत ने नोट किया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच किए गए मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई की जानी चाहिए और अन्य मामलों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
निजी सदस्य का	**ख़बरों में:** वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया, जिसमें राज्यों की राजधानियों में

विधेयक (Private Member's Bill)	उच्च न्यायालयों की स्थायी बेंच स्थापित करने की मांग की गई थी। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • लगभग दो वर्षों के अंतराल के बाद निजी सदस्य का विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। • "राज्यों की राजधानियों में उच्च न्यायालयों की स्थायी पीठों की स्थापना विधेयक" 2019 से लंबित था। • शुक्रवार को लोकसभा में कम से कम 153 निजी सदस्यों के विधेयक पेश किए गए, जिनमें से एक शैक्षणिक संस्थानों में भगवद गीता के अनिवार्य शिक्षण की मांग की गई थी। **निजी सदस्य का विधेयक** • कोई भी संसद सदस्य (सांसद) जो मंत्री नहीं है उसे एक निजी सदस्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। • निजी सदस्य के विधेयक का उद्देश्य सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना है जिसे व्यक्तिगत सांसद मौजूदा कानूनी ढांचे में मुद्दों और अंतराल के रूप में देखते हैं, जिसके लिए विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। • इसका प्रारूप तैयार करना संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी है। • इसे सदन में पुरःस्थापित करने के लिए एक माह का नोटिस आवश्यक है। • सरकारी विधेयकों को किसी भी दिन पेश कर उन पर चर्चा की जा सकती है, निजी सदस्य के विधेयकों को केवल शुक्रवार को पेश किया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। • सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति का सरकार में संसदीय विश्वास या उसके इस्तीफे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। • चर्चा के समापन पर, विधेयक का संचालन करने वाला सदस्य या तो संबंधित मंत्री के अनुरोध पर इसे वापस ले सकता है, या वह इसके पारित होने के साथ आगे बढ़ने का विकल्प चुन सकता है। ▪ पिछली बार दोनों सदनों द्वारा एक निजी सदस्य का विधेयक 1970 में पारित किया गया था। यह सर्वोच्च न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) विधेयक, 1968 था।
80 गांवों की संस्कृति मानचित्रण	**ख़बरों में:** केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध हस्तियों से जुड़े 80 गांवों की संस्कृति मानचित्रण, विशेष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन, अद्वितीय शिल्प और त्योहारों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) द्वारा संचालित परियोजना के लिए कश्मीर के सेम्पोर (Sempore) से लेकर केरल के कांजीरापल्ली तक, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े गांवों के साथ-साथ अपनी कला प्रथाओं वाले गांवों का चयन किया गया था। • यह परियोजना "भारत के गांवों के कलाकारों और कला प्रथाओं के राष्ट्रीय रजिस्टर और इंटरैक्टिव डेटाबेस" की ओर ले जाएगी। प्रत्येक कलाकार को एक विशिष्ट आईडी और एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। • आईजीएनसीए, जो संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन है, को राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसका उद्देश्य हमारे गांवों और वहां की संस्कृति, रीति-रिवाजों और परंपराओं से संबंधित एक विशाल डेटाबेस तैयार करना है। **सूची में कुछ गांव** • लद्दाख से, पायलट प्रोजेक्ट में लकड़ी की नक्काशी के लिए चोगलमसर और वानला गांव शामिल थे। • जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले में सेम्पोर या पंड्रेंथन जो 14वीं सदी के रहस्यवादी लाल डेड या लल्लेश्वरी से जुड़ा है। • पंजाब में खटकर कलां गांव, जिसमें भगत सिंह का स्मारक है। • उत्तराखंड का रेनी गांव, जहां से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। • "प्रवासी कठपुतली कलाकारों" के लिए मशहूर दिल्ली की कठपुतली कॉलोनी भी सूची में है। • तमिलनाडु में दो गांव - एट्टायपुरम (कवि सुब्रमण्यम भारती का जन्मस्थान) और थिरुचिगडी ("महिला कुम्हारों" का एक गांव) भी सूची में हैं।
डिफॉल्ट बेल	**ख़बरों में:** राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भीमा कोरेगांव मामले में वकील-एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट बेल देने

	के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की। • अदालत ने निर्देश दिया कि जमानत की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए भारद्वाज को 8 दिसंबर को निचली अदालत में पेश किया जाए। • जबकि उसे ' डिफॉल्ट बेल' दी गई थी, उसी मामले में 8 अन्य लोगों को लाभ से वंचित कर दिया गया था। • अंतर्निहित सिद्धांत: सामान्य तौर पर, जांँच एजेंसी की चूक पर जमानत के अधिकार को 'अपरिहार्य अधिकार' माना जाता है, लेकिन उचित समय पर इसका लाभ उठाया जाना चाहिये। **वैधानिक जमानत क्या है?** • **कानूनी स्रोत:** यह ज़मानत का अधिकार है जो तब प्राप्त होता है जब पुलिस न्यायिक हिरासत में लिये किसी व्यक्ति के संबंध में एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर जांँच पूरी करने में विफल रहती है। इसे वैधानिक जमानत के रूप में भी जाना जाता है। • यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) में निहित है जहां पुलिस के लिए 24 घंटे में जांच पूरी करना संभव नहीं है, पुलिस संदिग्ध को अदालत में पेश करती है और पुलिस या न्यायिक हिरासत के लिए आदेश मांगती है। • यह धारा उस कुल अवधि से संबंधित है जिस तक आरोप पत्र दाखिल करने से पहले किसी व्यक्ति को हिरासत में भेजा जा सकता है। • अधिकांश अपराधों के लिये, पुलिस के पास जांँच पूरी करने और न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने हेतु 60 दिनों का समय होता है। हालांँकि जहांँ अपराध में मौत की सजा या आजीवन कारावास, या कम से कम 10 साल की जेल की सजा होती है, वहांँ यह अवधि 90 दिन है। • दूसरे शब्दों में एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति की न्यायिक रिमांड के लिये 60-या 90-दिन की सीमा से अधिक अधिकृत नहीं कर सकता है। इस अवधि के अंत में, यदि जांँच पूरी नहीं होती है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को रिहा कर देगी "यदि वह जमानत देने के लिय तैयार है और स्वयं को प्रस्तुत करता है"।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) विधेयक, 2021	**अन्य सम्बंधित तथ्य** • नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) बिल, 2021 में 1998 के एक्ट में संशोधन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पंजाब की स्थापना की गई और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। • यह विधेयक राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में छह अतिरिक्त राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को अनुदान देता है। ये संस्थान हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, रायबरेली, अहमदाबाद और हाजीपुर में स्थित हैं। • विधेयक में फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान के छह और संस्थानों को विशेष दर्जा देने के साथ-साथ इन संस्थानों के लिए एक परिषद की स्थापना करने का प्रावधान है। • विधेयक संस्थानों के बीच गतिविधियों का समन्वय करने और फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान और मानकों के रखरखाव के विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक परिषद प्रदान करता है। • परिषद में अन्य सदस्यों के अलावा, फार्मास्युटिकल विभाग के प्रभारी मंत्री (पदेन) अध्यक्ष के रूप में और राज्यमंत्री उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे। • NIPER देश में फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान को मजबूत बनाने और बढ़ाने के लिए हैं। **राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का क्या अर्थ है?** • केंद्र सरकार संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत में प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों को 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' का दर्जा देती है। • ऐसा संस्थान "देश/राज्य के निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर अत्यधिक कुशल कर्मियों को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण प्लेयर्स के रूप में कार्य करता है"। • ऐसे संस्थानों को भारत सरकार से विशेष वित्त पोषण और मान्यता प्राप्त होती है। • आम तौर पर यह देखा गया है कि ऐसे INIs विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दायरे से बाहर काम करते हैं और करों से संबंधित कुछ लाभों का रूचि लेते हैं। • **मंत्रालय:** शिक्षा मंत्रालय • INIs को मिलने वाले कुछ लाभ नीचे सूचीबद्ध हैं: ○ कार्यात्मक स्वायत्तता।

	○ बढ़ी हुई फंडिंग। ○ शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता। ○ तेजी से निर्णय लेने की क्षमता। ○ राजनीतिक कार्यपालिका का न्यूनतम हस्तक्षेप।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA)	**संदर्भ:** नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) को संसद द्वारा पारित किए जाने के दो साल बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी तक अधिनियम को नियंत्रित करने वाले नियमों को अधिसूचित नहीं किया है। • इस नियम को अधिसूचित किए बिना कानून को लागू नहीं किया जा सकता है। **नागरिकता (संशोधन) अधिनियम क्या है?** • नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 भारत की संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। • इस विधेयक में बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख) से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है। • मौजूदा क़ानून के मुताबिक़ किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य है। • इस विधेयक में पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए यह समयावधि 11 से घटाकर छह साल कर दी गई है। • इसके लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में कुछ संशोधन किए जाएंगे ताकि लोगों को नागरिकता देने के लिए उनकी क़ानूनी मदद की जा सके। • यह अधिनियम पहली बार था कि भारतीय कानून के तहत नागरिकता के मानदंड के रूप में धर्म का खुले तौर पर इस्तेमाल किया गया और वैश्विक आलोचना को आकर्षित किया।
संपन्न परियोजना	**ख़बरों में:** SAMPANN (सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन) परियोजना के माध्यम से एक लाख से अधिक लोगों को सीधे उनके बैंक खातों में पेंशन दी जा रही है। • संपन्न ('पेंशन के लेखा और प्रबंधन के लिए प्रणाली'– एसएएमपीएएनएन) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे संचार लेखा महानियंत्रक, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। • यह दूरसंचार विभाग के पेंशनभोगियों के लिए एक सहज ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली है। • इससे पेंशनभोगियों के बैंक खातों में पेंशन सीधे ही जमा की जाती है। • इस प्रणाली ने विभाग को पेंशन मामलों के तेज़ी से निपटान, बेहतर समाधान/लेखापरीक्षा और लेखांकन को आसान बनाने में मदद की है। • इसके द्वारा 6 महीने की अल्प अवधि में ही भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2019 के करीब 76,000 मामलों को निपटाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। • यह एक लचीली डिज़ाइन वाली प्रणाली है जो इसे लगातार बढ़ती आवश्यकताओं को समायोजित करने में सक्षम बनाती है। • निम्नलिखित लाभों को सुनिश्चित करते हुए सिंगल विंडो सेटअप प्रदान करके पेंशनभोगियों को सेवा वितरण में सुधार किया है : ○ पेंशन मामलों का समय पर निपटारा ○ ई-पेंशन भुगतान आदेश का प्रावधान ○ प्रत्येक पेंशनभोगी के लिए लॉग इन भुगतान इतिहास जैसी महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच को सक्षम बनाता है ○ शिकायतों का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण और समय पर SMS अलर्ट
मॉडल टेनेंसी एक्ट	• मॉडल टेनेंसी एक्ट के लागू होने से कोई भी किसी मकान पर कब्जा नहीं कर सकता है। मकान मालिक भी किरायेदार से जबर्दस्ती घर खाली करने के लिए नहीं कह सकता। • मॉडल टेनेन्सी एक्ट का उद्देश्य देश में मकान-किरायेदारी के हवाले से एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी ढांचा तैयार करना है। इससे हर आय समूह के लोगों के लिये किराये पर मकान उपलब्ध होंगे और बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा। • मॉडल टेनेन्सी एक्ट से मकान को किराये पर देने की प्रक्रिया को धीरे-धीरे औपचारिक बाजार में बदलकर उसे संस्थागत रूप दिया जायेगा। **यह अधिनियम क्यों?**

- **प्रतिबंधात्मक कानून:** वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में लगभग 1.1 करोड़ घर खाली पड़े थे और इन घरों को किराये पर उपलब्ध कराकर वर्ष 2022 तक 'सभी के लिये आवास' के विज़न को पूरा किया जाएगा।
- **क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनौपचारिकीकरण:** खाली घर को अनलॉक करने के संभावित उपायों में से एक है परिसर को किराए पर देने की मौजूदा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना और संपत्ति के मालिक तथा किरायेदार दोनों के हितों को विवेकपूर्ण तरीके से संतुलित करना।
- **एकरूपता का अभाव:** चूंकि यह राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों ने अपने कानून बनाए हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है।
- **हाउसिंग पॉवर्टी:** रेंटल हाउसिंग के लिए एक टास्क फोर्स द्वारा 2013 की रिपोर्ट में कहा गया है कि किफायती रेंटल हाउसिंग "किफायती स्वामित्व वाले आवास की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष तरीके से वंचितों और समावेशी विकास के मुद्दों को संबोधित करता है"। मॉडल टेनेंसी एक्ट इस क्षेत्र में निवेश लाने में मदद करता है क्योंकि यह क्षेत्र बेहतर सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।

यह कहाँ लागू होता है।

- इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति लिखित अनुबंध के अलावा किसी भी परिसर को किराए पर नहीं ले सकता है।
- नया अधिनियम संभावित रूप से लागू होगा और मौजूदा किरायेदारी को प्रभावित नहीं करेगा।
- यह अधिनियम शहरी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास करता है।

मॉडल टेनेंसी एक्ट में नया क्या है?

- **समर्पित संस्थान:** विवादों के त्वरित समाधान के लिए राज्य एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेंगे जिसमें रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल शामिल होंगे।
- **समयबद्ध समाधान:** रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा शिकायत/अपील का निपटारा 60 दिनों के भीतर अनिवार्य होगा।
- **किराए पर कोई मौद्रिक सीमा नहीं:** वर्तमान में, पुरातन किराया-नियंत्रण अधिनियमों के तहत कई पुरानी संपत्तियों में, इस तरह की उच्चतम सीमा के कारण मकान मालिक पुराने किराए की राशि के साथ फंस गए हैं। नए मॉडल एक्ट में इसे खत्म कर दिया गया।
- किरायेदारी समझौता और अन्य दस्तावेज जमा करने के लिए स्थानीय भाषा या राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की भाषा में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा। और रेंट अथॉरिटी इन समझौतों पर नजर रखेगी।
- **उचित दस्तावेज़ीकरण:** मौखिक समझौते तस्वीर से बाहर होंगे, क्योंकि MTA सभी नए किरायेदारी (संभावित) के लिए लिखित समझौता अनिवार्य करता है जिसे किराया प्राधिकरण को जमा किया जाना है।
- **सबलेटिंग पर स्पष्टता (Clarity on Subletting):** परिसर का सबलेटिंग केवल मकान मालिक की पूर्व सहमति से किया जा सकता है, और लिखित सहमति के बिना किरायेदार द्वारा कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
- **सुरक्षा जमा पर दिशानिर्देश:** किरायेदार द्वारा भुगतान की जाने वाली सुरक्षा जमा आवासीय संपत्ति के लिए दो महीने के किराए से अधिक नहीं होनी चाहिए (गैर-आवासीय संपत्ति के मामले में छह महीने का किराया)।
- **बेदखली का प्रावधान (Provision for eviction):** रेंट कोर्ट मकान मालिक द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद, यदि किरायेदार परिसर का दुरुपयोग करता है, तो मकान मालिक को फिर से कब्जा करने की अनुमति दे सकता है। परिसर के दुरुपयोग, जैसा कि सार्वजनिक उपद्रव, क्षति, या "अनैतिक या अवैध उद्देश्यों" के लिए इसका उपयोग शामिल है।

एमटीए के गुण

- किराये के आवास के छाया बाजार (shadow market) को औपचारिक बनाना।
- किरायेदार और मालिक दोनों के हितों की रक्षा करना।
- विवादों का तेजी से समाधान करना।
- खाली संपत्तियों को अनलॉक करना।
- किराये बढ़ाना।
- शोषणकारी प्रथाओं को निकालना।
- पंजीकरण में प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को कम करना।
- पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ाना।
- इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करता है।

	नोट: भूमि और औपनिवेशीकरण राज्य के विषय हैं।
'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' (BBBP) योजना	**संदर्भ:** महिला अधिकारिता संबंधी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' (Beti Bachao, Beti Padhao-BBBP) योजना के तहत मीडिया अभियानों पर 80% धनराशि खर्च की है। • इसने सिफारिश की है कि इसे अब इस रणनीति पर फिर से विचार करना चाहिए और लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा में औसत दर्जे के परिणामों में निवेश करना चाहिए। • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर योजना के क्रियान्वयन के दिशानिर्देशों के मुताबिक, इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं: ○ पहला है मीडिया प्रचार, इसके तहत हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो स्पॉट या जिंगल, टेलीविजन प्रचार, आउटडोर और प्रिंट मीडिया, मोबाइल एग्जिबिश वैन के जरिये सामुदायिक जुड़ाव, SMS कैंपेन, ब्रोशर आदि के जरिये प्रचार किया जाता है। ○ और दूसरा है बाल लैंगिक अनुपात में खराब प्रदर्शन कर रहे जिलों में बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेप करना। **'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' (बीबीबीपी) योजना क्या है?** • यह योजना जनवरी 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। • **उद्देश्य:** इसे जनवरी 2015 में लिंग चयनात्मक गर्भपात (Sex Selective Abortion) और गिरते बाल लिंग अनुपात (Declining Child Sex Ratio) को संबोधित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जो 2011 में प्रति 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियों पर था। • यह कार्यक्रम देश के 405 ज़िलों में लागू किया जा रहा है। • इस योजना के तहत प्रत्येक ज़िले के लिये छः विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिवर्ष 50 लाख रुपए के व्यय की व्यवस्था की गई। ○ इसमें से 16% फंड अंतर-क्षेत्रीय परामर्श या क्षमता निर्माण के लिये है ○ 50% नवाचार या जागरूकता पैदा करने की गतिविधियों के लिये ○ 6% निगरानी और मूल्यांकन के लिये ○ 10% स्वास्थ्य में क्षेत्रीय हस्तक्षेप के लिये ○ 10% शिक्षा में क्षेत्रीय हस्तक्षेप के लिये एवं ○ 8% फ्लेक्सी फंड के रूप में
धारा 124ए का दुरुपयोग	**प्रसंग:** हाल ही में, केंद्रीय कानून मंत्री ने संसद में जवाब दिया कि भारतीय दंड संहिता से देशद्रोह के आरोप को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। • लगभग 60 वर्ष पुराने फैसले ने भारतीय दंड संहिता में देशद्रोह कानून को बनाए रखने में मदद की। **धारा 124ए आईपीसी क्या है?** • यह कानून राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसमें 'किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित (शब्दों द्वारा), संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है। • विद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता की सभी भावनाएँ शामिल होती हैं। हालाँकि इस खंड के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशिश किये बिना की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। **राजद्रोह कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि** • राजद्रोह संबंधी कानून प्रायः 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में बनाए गए थे, जब सांसदों का यह मानना था कि सरकार के प्रति केवल अच्छी राय को ही बढ़ावा दिया जाना चाहिये, क्योंकि सरकार के प्रति नकारात्मक राय सरकार और राजशाही के लिये हानिकारक हो सकती थी। • यह कानून मूल रूप से 1837 में थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था। • हालाँकि वर्ष 1870 में जब इस प्रकार के अपराधों से निपटने के लिये एक कानून की आवश्यकता महसूस हुई तब सर जेम्स स्टीफन द्वारा एक संशोधन प्रस्तुत किया गया और इसके माध्यम से भारतीय दंड संहिता में धारा 124A को शामिल किया गया।

	• यह उस समय असंतोष की किसी भी आवाज़ को दबाने के लिये बनाए गए कई कठोर कानूनों में से एक था।
अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन (NHAA)	**खबरों में:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अत्याचार के खिलाफ एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन (NHAA) की शुरुआत की है। • यह अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में सूचित करता है, जागरूकता उत्पन्न करना है,जिनका उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना और सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। • यह हेल्पलाइन हिंदी, अंग्रेजी और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में पूरे देश में टोल-फ्री नंबर "14566" पर 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। • इस हेल्पलाइन तक पूरे देश में किसी भी दूरसंचार ऑपरेटर के मोबाइल या लैंड लाइन नंबर के माध्यम से वॉयस कॉल/ वीओआइपी द्वारा पहुंचा जा सकता है। यह वेब आधारित सेल्फ सर्विस पोर्टल के रूप में भी उपलब्ध होगा। • यह हेल्पलाइन यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक शिकायत को प्रॉयोरिटी के रूप में रजिस्टर्ड किया जाए और पीड़ितों को राहत प्रदान की जाए। • **जागरुकता निर्माण:** किसी भी पूछताछ का जवाब आईवीआर या ऑपरेटरों द्वारा हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में दिया जायेगा है। • **शिकायत निवारण और ट्रैकिंग प्रणाली:** पीओए अधिनियम, 1989 और पीसीआर अधिनियम, 1955 का अनुपालन न करने के संबंध में पीड़ित/शिकायतकर्ता/गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रत्येक शिकायत के लिए एक कार्य-सूची नंबर प्रदान किया जायेगा है। शिकायतकर्ता/एनजीओ अपनी शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन भी देख सकेंगे।
लोकपाल ऑनलाइन	**संदर्भ:** हाल ही में लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चन्द्र घोष ने 'लोकपाल ऑनलाइन ' नामक शिकायतों के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। • खास बात ये है कि ये शिकायत कहीं से भी देशवासी कर सकते हैं, शिकायत करने के लिए lokpalonline.gov.in पर जाकर क्लिक करना होगा। **इसकी प्रमुख विशेषताऐं** • लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट, 2013 के तहत इस सुविधा से सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत की जा सकेगी। लोकपाल ऑनलाइन से वेबसाइट के माध्यम से सीधे शिकायत कर सकते हैं। • लोकपाल ऑनलाइन में यूजर को एक डैशबोर्ड मिलेगा। जिसके तहत वह अपनी शिकायत का स्टेटस भी देख सकते हैं। • इसके अलावा शिकायतकर्ता को हर स्टेज पर प्रगति से संबंधित ईमेल अलर्ट और एसएमएस भी मिलेगा। वहीं जो भी शिकायतकर्ता होगा, उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। • सीवीसी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट सीधे 'लोकपाल ऑनलाइन' प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकती हैं। • सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) भी लोकपाल ऑनलाइन पर अपनी रिपोर्ट सीधे अपलोड दर्ज कर करेंगे, जहां कार्रवाई और शिकायतों जुड़ा ब्योरा मौजूद होगा। **क्या आप जानते हैं?** • लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत भारत के लोकपाल की स्थापना इस अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए की गई है। • वर्तमान में डाक, ई-मेल या हाथ से भेजी गई शिकायतों पर भारत के लोकपाल द्वारा विचार किया जाता है।
पोर्टल 'बाल स्वराज'	**संदर्भ:** सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे COVID-19 महामारी की चपेट में आए निराश्रित बच्चों की पहचान करने और उन्हें बचाने के लिए तत्काल कदम उठाएं। • कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (बाल स्वराज) के वेब पोर्टल पर सभी चरणों की सूचनाएं अपलोड करने का भी निर्देश दिया। • कोर्ट ने कहा कि बाल कल्याण समिति द्वारा किशोर न्याय कानून के अंतर्गत बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि और

	व्यक्तिगत देखभाल योजना की जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया का संचालन किया जाना था। **बाल स्वराज पोर्टल क्या है?** • **द्वारा निर्मित:** राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights-NCPCR) • **महत्व:** राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 109 के अंतर्गत एक निगरानी प्राधिकरण के रूप में अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए और कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित बढ़ती समस्या को देखते हुए देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल "Bal Swaraj (Covid-Care Link) तैयार किया है। • **उद्देश्य:** ○ आयोग का यह पोर्टल देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऑन लाइन ट्रैकिंग तथा डिजिटल रियल टाइम व्यवस्था के उद्देश्य से बनाया गया है। ○ आयोग ने इस पोर्टल के उपयोग को कोविड-19 के दौरान माता-पिता या उनमें से किसी एक को खो देने वाले बच्चों की ट्रैकंग के लिए बढ़ाया है। • "Bal Swaraj-COVID-Care" पोर्टल का उद्देश्य बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष बच्चों को पेश किए जाने से लेकर उनके माता-पिता/अभिभावक/रिश्तेदारों को सौंपने और उसके बाद की कार्रवाई तक कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की ट्रैकिंग करना है। • इस पोर्टल में प्रत्येक बच्चे के लिए जिला अधिकारी एवं राज्य अधिकारी द्वारा डाटा भरा जायेगा।
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)	**इसके बारे में:** • अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत संचालित बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP) का पुनर्गठन कर इसे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के रूप में पुनर्नामित किया गया है। • प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में मजबूत बनाना है और उनको बेहतर सामाजिक-आर्थिक संरचना सुविधाएं उपलब्ध कराना है। • प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच के गैप को कम करना है। • अल्पसंख्यक समुदाय वाले शहरों तथा गांवों के क्लस्टरों को अलग करने के मानक को अल्पसंख्यक समुदायों के जनसंख्या प्रतिशत मानक घटा कर विवेकसंगत बनाना। • कार्यक्रम में पेश किया गया लचीलापन महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में सक्षम होगा जिसके परिणामस्वरूप तेजी से कार्यान्वयन होगा जिससे अल्पसंख्यक समुदायों को अधिक समावेशी बनाया जा सकेगा। • बहुसंख्यक समुदाय में विकास कार्यक्रम में देश के 196 जिले कवर किये गये थे, जबकि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में देश के 308 जिले कवर किये जाएंगे। • अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक, कस्बों तथा गाँवों के संकुल के अतिरिक्त अल्पसंख्यक बहुल जिला मुख्यालयों को शामिल करते हुए क्रियान्वयन की क्षेत्रीय इकाई का और अधिक विस्तार किया गया है- ○ इससे पहले, केवल आधारभूत जरूरतों तथा सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के संदर्भ में पिछड़े कस्बों को ही MCTs के रूप में पहचान किया जाता था। पर अब वे कस्बे जो किसी एक अथवा दोनों मापदंडों में पिछड़े पाए जाते हैं, MCTs के अन्दर सम्मिलित किए गये हैं। ○ अब गाँवों के संकुल के चयन के लिए जनसंख्या मापदंड को कम कर अल्पसंख्यक समुदाय की 25% जनसंख्या तक कर दिया गया है (जो पूर्व में न्यूनतम 50% था)।
छठी अनुसूची (Sixth Schedule)	**संदर्भ:** भाजपा पार्टी से संबंधित लद्दाख के एक सांसद ने मांग की है कि स्थानीय आबादी की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए इस क्षेत्र को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। **छठी अनुसूची क्या है?** • संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था करती

	है। अनुच्छेद 244A को 22वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1969 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। • यह संसद को असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों और स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों के लिए एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने का अधिकार देता है। • इसे सबसे पहले 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। • यह जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) को अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। • एडीसी वे निकाय हैं जो जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन निकायों को राज्य विधानसभा के भीतर स्वायत्तता दी गई है। • एडीसी में पांच साल की अवधि के लिए 30 सदस्य होते हैं, और वे भूमि, जंगल, जल, कृषि, सामाजिक रीति-रिवाजों और खनन आदि के संबंध में कानून, नियम और कानून बना सकते हैं। • असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद 40 से अधिक सदस्यों के साथ एक अपवाद है और 39 मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार है। • छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम (प्रत्येक में तीन परिषद) और त्रिपुरा (एक परिषद) पर लागू होती है। **लद्दाख छठी अनुसूची का हिस्सा क्यों बनना चाहता है?** • केंद्र शासित प्रदेश के लेह और कारगिल में दो हिल काउंसिल हैं, लेकिन कोई भी छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं है। • उनकी शक्तियां कुछ स्थानीय करों जैसे पार्किंग शुल्क, आवंटन और केंद्र द्वारा निहित भूमि के उपयोग तक सीमित हैं।
वन्नियार कोटा कानून (Vanniyar quota law)	**संदर्भ:** सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस साल वन्नियार कोटे के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और तमिलनाडु की सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों को बाधित नहीं किया जाएगा। • हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अगले साल 15 फरवरी तक नई नियुक्तियों और दाखिले पर रोक लगा दी है। **वन्नियार आंदोलन क्या है?** • वन्नियार तमिलनाडु में सबसे बड़े और सबसे समेकित पिछड़े समुदायों में से एक है। • यह समुदाय ने 1980 के दशक में राज्य में 20% और केंद्रीय सेवाओं में 2% आरक्षण की मांग करते हुए आंदोलन किया था। • 17 से 23 सितंबर, 1987 तक आंदोलन के दौरान कई प्रदर्शनकारी मारे गए। • OBC कोटा का विभाजन: 1989 में, OBC कोटा दो में विभाजित किया गया था: पिछड़ी जाति और सबसे पिछड़ी जाति। • इस विभाजन के तहत सरकार ने वन्नियारों को 107 अन्य समुदायों के साथ सबसे पिछड़ी जातियों में शामिल करते हुए 20% आरक्षण का प्रावधान कर दिया । • तीन दशक बाद, राज्य सरकार ने एक विधेयक पारित किया और वर्तमान सरकार ने इसे 20% सबसे पिछड़ी जातियों के आरक्षण में 10.5% आरक्षण वन्नियारों के लिए लागू कर दिया।
व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर JCP	**संदर्भ:** व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति (JCP) ने दोनों सदनों में अपनी रिपोर्ट पेश की। **प्रमुख सिफारिशें** • **गैर-व्यक्तिगत भी:** विधेयक की प्रकृति स्वयं गैर-व्यक्तिगत डेटा को व्यापक दायरे में शामिल करने के लिए है। नए कानून के अंतर्गत सभी मुद्दों को व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत के लिए अलग-अलग के बजाय एकल डेटा संरक्षण प्राधिकरण (Data Protection Authority-DPA) द्वारा निपटाया जाये। • **संक्रमण काल (Transition Period):** यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे सभी डेटा एग्रीगेटर्स को नए विधेयक के तहत नियमों का पालन करने के लिए पर्याप्त समय मिले, जेसीपी ने सुझाव दिया कि अधिनियम की अधिसूचना की तारीख से 24 महीने तक का समय दिया जाए। • **सोशल मीडिया दायित्व:** एक अन्य प्रमुख सिफारिश यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बिचौलियों के रूप में कार्य नहीं करते हैं उन्हें प्रकाशकों के रूप में माना जाना चाहिए, और इसलिए उनके द्वारा होस्ट की जाने वाली सामग्री

	के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। • **जुर्माना:** समिति ने डेटा उल्लंघनों के लिए फर्म के कुल वैश्विक कारोबार का 15 करोड़ रुपये या 4% तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल की सजा की सिफारिश की है, अगर डी-आइडेंटेड डेटा की फिर से पहचान की जाती है। • **टाइमली-अलर्ट:** किसी भी डेटा उल्लंघन के मामले में, डेटा एग्रीगेटर या प्रत्ययी को इसकी जानकारी होने के 72 घंटों के भीतर डीपीए को सूचित करना चाहिए।
चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021	**संदर्भ :** हाल ही में लोकसभा में चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया। यह विधेयक मतदाता सूची डेटा और मतदाता पहचान पत्र को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने का प्रयास करता है। **विधेयक के बारे में** • चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 एक बार पारित होने के बाद चुनाव अधिकारियों को मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के इच्छुक लोगों की आधार संख्या पूछने की अनुमति देगा। • इस विधेयक में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को उन व्यक्तियों से आधार संख्या मांगने की अनुमति देने का भी प्रयास किया गया है। • जो लोग अपना आधार नंबर प्रस्तुत नहीं कर सकते, उन्हें पहचान स्थापित करने के लिए अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में विभिन्न संशोधन** • मतदाता सूची डेटा को आधार से जोड़ने की अनुमति देने के लिए अधिनियम 1950 की धारा 23 में संशोधन किया जाएगा। • आरपी अधिनियम, 1950 की धारा 14 में संशोधन से पात्र लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए चार "अर्हतापूर्ण" तिथियां रखने की अनुमति मिल जाएगी। अब तक, प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी एकमात्र योग्यता तिथि है। • आरपी अधिनियम, 1950 की धारा 20 और आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 60 में संशोधन से सेवा मतदाताओं के लिए चुनाव लिंग-तटस्थ हो जाएगा।
स्थाई समिति (Standing committee)	**संदर्भ:** लोकसभा ने एक विधेयक भेजा है जिसमें महिलाओं के लिए शादी की उम्र को बढ़ाकर 21 करने का प्रावधान स्थायी समिति को भेजा गया है। **संसदीय समितियां क्या हैं?** • संसदीय समिति एक समिति होती है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित या अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। • यह अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करता है और अपनी रिपोर्ट सदन या अध्यक्ष और सचिवालय को प्रस्तुत करता है। **विभिन्न प्रकार की समितियाँ:** • **'स्थायी' समितियाँ:** इनका पुनर्गठन आमतौर पर वार्षिक आधार पर किया जाता है। ○ यह एक स्थायी और नियमित समिति है जिसका गठन समय-समय पर संसद के एक अधिनियम या प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। ○ उन्हें आगे वित्तीय समितियों और विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समितियों (DRSCs) में विभाजित किया गया है। ○ तीन वित्तीय समितियां लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति हैं। • 'चयन' समितियाँ एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं। विधेयक के निपटारे के बाद उस चयन समिति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
स्थगन अनिश्चित काल के लिए (Adjournment sine die)	**संदर्भ :** संसद का मानसून सत्र हाल ही में, विपक्ष के निरंतर विरोध एवं सदनों में हंगामे के कारण समाप्ति के दो दिन पूर्व अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। • सत्र के दौरान, 13 विधेयक पेश किए गए, जबकि 11 विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए **एडजर्नमेंट साइन डाई क्या है?** • जब सदन को पुनः प्रारंभ करने के लिए किसी एक तिथि का निर्धारण किए बिना स्थगित कर दिया जाता है, तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन के रूप में जाना जाता है। • अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी में निहित होती है। यह सत्रावसान के विपरीत

	है जहां सत्रावसान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ● किसी सदन का पीठासीन अधिकारी उस तिथि या समय से पहले या सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद किसी भी समय सदन की बैठक बुला सकता है।
कर्नाटक विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2021	**संदर्भ:** कर्नाटक विधान सभा ने "कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2021" पारित किया। इस बिल को धर्मांतरण विरोधी बिल (anti-conversion bill) के नाम से जाना जाता है। ● यह विधेयक अब कर्नाटक विधान परिषद के पास जाएगा। **इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं** ● यह विधेयक गलत बयानी, ज़बरदस्ती, धोखाधड़ी, लालच या शादी के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण पर रोक लगाता है। ● विधेयक उस व्यक्ति के मामले में जो कि "तत्काल अपने पूर्व धर्म में पुन: धर्मांतरित हो जाता है", छूट प्रदान करता है क्योंकि उसे "इस अधिनियम के तहत धर्मांतरण नहीं माना जाएगा"। ● प्रस्तावित कानून के अनुसार, धर्मांतरण की शिकायत परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों या संबंधित संस्था में किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज की जा सकती है। ● सामान्य वर्ग के लोगों के मामले में कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए तीन से पांच साल की जेल और 25,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। ● वहीं नाबालिगों, महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों को ज़बरन धर्म परिवर्तित करने हेतु बाध्य करने पर 3 से 10 साल तक की जेल तथा 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। ● इस बिल के अनुसार, अभियुक्तों (accused) को उन लोगों को मुआवजे के रूप में पांच लाख रुपये तक का भुगतान करना पड़ेगा, जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया था। ● सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में एक लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ-साथ 3-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
भूल जाने का अधिकार (Right to Be Forgotten)	**संदर्भ:** हाल ही में केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि "भूलने का अधिकार" निजता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है, लेकिन साथ ही कहा कि इस मामले में इसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। **अन्य संबंधित तथ्य** ● भूल जाने का अधिकार किसी व्यक्ति को इंटरनेट से निजी जानकारी को हटाने की अनुमति देता है। ● इस अवधारणा को विदेशों में कुछ न्यायालयों, विशेष रूप से यूरोपीय संघ में मान्यता मिली है। ● वर्ष 2018 में EU ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) को अपनाया, जिसका अनुच्छेद 17 व्यक्तिगत डेटा की कुछ श्रेणियों को हटाने का अधिकार प्रदान करता है। ● जबकि भारत में कानून द्वारा अधिकार को मान्यता नहीं दी गई है, हाल के महीनों में अदालतों ने इसे निजता के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा माना है। ● अदालतों में याचिकाएं इसे लागू करने की मांग करती रही हैं। ● मई 2019 में, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि "भूल जाने का अधिकार" और "अकेले रहने का अधिकार" निजता के अधिकार के अंतर्निहित पहलू हैं, और इन समाचार रिपोर्टों के पुनर्प्रकाशन पर रोक है।
सुशासन सूचकांक (Good Governance Index) 2021	● सुशासन सूचकांक 2021 में 58 संकेतकों के सूचकांक में गुजरात सम्मिलित रैंकिंग में सबसे शीर्ष पर है, उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा का स्थान है। ● केंद्र शासित प्रदेशों की सम्मिलित रैंकिंग में दिल्ली शीर्ष पर है। ● उत्तर प्रदेश ने GGI 2019 के प्रदर्शन की तुलना में 8.9% की वृद्धिशील वृद्धि दिखाई है। ● उत्तर प्रदेश ने जन शिकायत निवारण सहित नागरिक केंद्रित शासन में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। ● जम्मू और कश्मीर ने 2019 से 2021 की अवधि में GGI संकेतकों में 3.7 प्रतिशत सुधार दर्ज किया। ● बयान के अनुसार, गुजरात ने आर्थिक शासन, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और

	उपयोगिताओं, सामाजिक कल्याण और विकास, न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा सहित 10 में से 5 क्षेत्रों में जोरदार प्रदर्शन किया है। • महाराष्ट्र ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं, सामाजिक कल्याण तथा विकास में अच्छा प्रदर्शन किया है। • गोवा ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण और विकास और पर्यावरण में अच्छा प्रदर्शन किया है। • 20 राज्यों ने 2021 में अपने समग्र GGI स्कोर में सुधार किया है। **सुशासन सूचकांक:** • सुशासन सूचकांक एक कार्यान्वयन योग्य और व्यापक ढांचा है जो राज्यों और जिलों की रैंकिंग को सक्षम करने वाले भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करता है। • GGI को शासन के विभिन्न मापदंडों को प्रतिबिंबित करने के लिए "वैज्ञानिक रूप से डिजाइन" किया गया। • सुशासन सूचकांक का उद्देश्य: ○ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति की तुलना करने के लिए मात्रात्मक डेटा प्रदान करने के लिए, ○ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शासन में सुधार, बदलाव और उपयुक्त रणनीति तैयार तथा लागू करके सक्षम बनाने के लिए।
वर्ष के अंत की समीक्षा -2021: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	• महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए बाल विवाह निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2021 विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया है। • यह राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) में 19 अंकों के सुधार में परिलक्षित होता है। • **बेटी बचाओ बेटी पढाओ:** यह योजना पूरे भारत में लागू की जा रही है और देश भर में 640 जिलों (जनगणना 2011 के अनुसार) को इसमें शामिल किया जा रहा है। • **पोषण ट्रैकर:** महिलाओं और बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी और सक्षम वातावरण बनाया जा रहा है जिससे स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा का पोषण हो सकेगा। पूरक पोषण की वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित करने और सेवाओं के त्वरित पर्यवेक्षण और प्रबंधन पर जानकारी प्रदान करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन बनाया गया है। • इस योजना में गर्भावस्था और स्तनपान कराने के दौरान डीबीटी मोड में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्लू एंड एलएम) के बैंक/डाकघर खाते में सीधे तीन किस्तों में 5,000/- रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह वेतन मुआवजे और स्वास्थ्य चाहने वाले व्यवहार को बढ़ावा देने के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का एक उपाय है। • कोविड-19 के कारण संकट में पड़े बच्चों के लिए पीएम केयर्स फंड – पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के लिए एक वेब पोर्टल 15.07.2021 को लॉन्च किया गया है जिसका नाम पीएमकेयर्सफॉरचिल्ड्रन.इन (pmcaresforchildren.in) है। • वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत 54 लाख से अधिक महिलाओं ने सहायता प्रदान की की जा रही हैं। • रेलवे स्टेशनों के अलावा बस स्टैंडों पर चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) सेवाएं शुरू की। • महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% फोर्टिफाइड चावल वितरित करने का निर्णय लिया। • सरकार ने 9 अगस्त, 2021 को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए अधिसूचित किया है। • इसके अलावा, जेजे संशोधन अधिनियम, 2021 अपर जिला मजिस्ट्रेट सहित जिला मजिस्ट्रेट को जेजे अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के कार्यों का प्रभावी ढंग से समन्वय और निगरानी करने और अधिनियम के प्रावधानों के तहत गोद लेने के मामलों का फैसला करने का अधिकार देता है।

	• भारत के पंजीकृत विदेशी नागरिकों ने गोद लेने के मामले में अनिवासी भारतीयों के साथ समानता प्रदान की।
नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग (ARIIA)	**संदर्भ:** नवाचार और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले शीर्ष 10 केंद्रीय संस्थानों में सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements-ARIIA) और भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु शामिल हैं। **अन्य संबंधित तथ्य** • सूची में आइआइटी मद्रास को शीर्ष स्थान मिला है और उसके बाद आइआइटी बांबे, आइआइटी दिल्ली, आइआइटी कानपुर और आइआइटी रुड़की जैसे संस्थान हैं। • भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु को रैंकिंग में छठा स्थान मिला है। • अटल रैंकिंग आफ इंस्टीट्यूशंस आन इनोवेशन एचीवमेंट्स (एआरआइआइए) भारत में सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग के लिए शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है जो नवाचार, स्टार्ट-अप और छात्रों और संकायों के बीच उद्यमिता विकास से संबंधित संकेतकों पर आधारित है।
शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक	**संदर्भ:** महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक पारित किया, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध पर मौत की सजा सहित कड़ी सजा के प्रावधान हैं। • विधेयक को अब विधान परिषद के समक्ष पेश किया जाएगा। **अन्य संबंधित तथ्य** • महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के बाद बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड को मंजूरी देने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। • विधेयक में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा बलात्कार, नाबालिगों के यौन उत्पीड़न और एसिड हमले द्वारा गंभीर रूप से घायल करने संबंधी मामलों में मौत की सजा का प्रस्ताव किया गया है। • पोक्सो अधिनियम के तहत भी, जघन्य मामलों में प्रवेश करने वाले यौन हमले की सजा को मौत की सजा तक बढ़ा दिया गया है। • अधिनियम के अनुसार इन मामलों में दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई की जानी चाहिए और चार्जशीट दाखिल करने की तारीख से 30 कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। • झूठा मामला दर्ज करने या किसी व्यक्ति को झूठी सूचना देने के मामले में कम से कम तीन साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। • एफआईआर के एक महीने के भीतर जांच पूरी करने की भी आवश्यकता है। • तेजाब से हमला के मामलों में कम से कम 15 साल की कैद की सजा है जो एक दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन तक बढ़ सकती है और पीड़िता को मुआवजा दिया जाएगा।
वार्षिक समीक्षा: न्याय विभाग (Year End Review: Department of Justice)	• उच्च न्यायालयों में 120 न्यायाधीश और 63 अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किये गए। • ग्रामीण निवासियों को वकीलों के एक पैनल से पूर्व-मुकदमा कानूनी सलाह प्राप्त करने में मदद करने के लिए कानून मंत्रालय द्वारा शुरू की गई टेली-लॉ सर्विस ने कुल 12,70,135 मामलों का पंजीकरण प्रदान किया है, जिनमें से इस साल 30 नवंबर तक 12,50,911 लाभार्थियों को सलाह दी गई है। • टेली-लॉ सेवा देश भर में नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार 112 आकांक्षी जिलों सहित 669 जिलों में 75,000 ग्राम पंचायतों में उपलब्ध है। • प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से ई-कोर्ट एकीकृत मिशन मोड परियोजना शुरू की गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करते हुए, जिला और उच्च न्यायालय ने लगभग 1.65 करोड़ मामलों की जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग 1.5 लाख सुनवाई की है जिससे यह विश्व नेता बन गया। • वकीलों/वादियों को मामले की वर्त्तमान स्थिति, वाद सूची, फैसला आदि के बारे में वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफार्मों या सेवा प्रदाता चैनलों के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। • 683 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (Fast Track Special Courts -FTSCs) ने 383 एक्सक्लूसिव पॉक्सो (e-POCSO) कोर्ट्स सहित 68120 मामलों का 2021 में इससे संबंधित मामलों के जल्द निपटान के माध्यम से

	बलात्कार और पोक्सो एक्ट के पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए निपटारा किया है। • न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme-CSS) 2025-26 तक बढ़ा दी गई है। • राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority -NALSA) ने एक कानूनी सेवा मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया, जिसे एंड्रॉइड मोबाइल फोन पर डाउनलोड किया जा सकता है। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं का लाभ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। • एक ग्राम न्यायालय ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है, जिसमें राज्य/उच्च न्यायालय मासिक आधार पर मामलों के निपटान सहित ग्राम न्यायालयों से संबंधित आंकड़े अपलोड करते हैं। ○ न्याय प्रदान करने और कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में किया गया था। ○ न्याय प्रदान करने और कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन पूरे देश में न्याय प्रशासन और न्याय प्रक्रिया तथा कानूनी सुधार एवं सभी वर्गों के हितधारकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है। इसके उद्देश्य दो प्रकार के हैं: (i) प्रणाली में विलम्ब और पहले के बकाया को कम करके पहुंच बढ़ाना, और (ii) संरचनात्मक परिवर्तनों तथा प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करने के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाना • विधि का शासन सूचकांक (आरओएलआई, रोली) को विश्व न्याय परियोजना (डब्ल्यूजेपी) द्वारा विकसित और प्रकाशित किया गया है। • रोली 2021; 139 देशों को कवर करता है और देश विशेष से प्राप्त डेटा एवं 8 कारकों और 44 उप-कारकों के आधार पर उन्हें रैंक करता है। • नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, डब्ल्यूजेपी द्वारा मूल्यांकन किए गए 139 देशों में, रोली में भारत की वर्तमान रैंक 79 है। • इस उद्देश्य के लिए न्याय विभाग 08 प्रमुख संकेतकों/कारकों और 44 उप-कारकों में भारत के प्रदर्शन में सुधार के लिए 29 हितधारक मंत्रालय/विभागों के साथ काम कर रहा है।
वार्षिक समीक्षा: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	**नशामुक्त भारत अभियान (NashaMukt Bharat Abhiyaan-NMBA)** • भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 में 272 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगी और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से नारकोटिक्स ब्यूरो, सामाजिक न्याय एवं उपचार द्वारा आउटरीच/जागरूकता के प्रयासों को मिलाकर त्रिआयामी हमला शुरू करेगी। • यह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा चिन्हित जिलों में संस्थागत समर्थन और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। • नशीली दवाओं के विरुद्ध रणनीति में बदलाव - संस्थागत स्तर से समाज के स्तर तक। यह युवाओं के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में अभियान शुरू करेगा। • इस अभियान के लिए की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अब तक इन पहचान किए जिलों में 1.4 करोड़ से अधिक लोगों के साथ संपर्क किया गया है। **आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए 'स्माइल' योजना** • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक प्रमुख योजना 'स्माइल-सपोर्ट फॉर मार्जिनेलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइव्लीहुड एंड इंटरप्राइज' योजना तैयार की है, जिसमें दो उप योजनाएं- 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना' और दूसरी भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए' केंद्रीय क्षेत्र योजना शामिल हैं। • इस अम्ब्रेला योजना में कई व्यापक उपाय शामिल हैं, जिनमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने के काम में लगे व्यक्तियों के लिए कल्याण उपायों सहित अनेक व्यापक उपाय शामिल हैं, जिनमें राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों, स्थानीय शहरी निकायों, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) और अन्य संस्थानों की सहायता से पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक संबंधों के बारे में व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना के जल्दी ही शुरू होने की उम्मीद है। **स्वच्छ उद्यमी योजना (SwachhtaUdyamiYojna-SUY)**

- नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएसकेएफडीसी) ने 2 अक्टूबर, 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई) की शुरुआत की थी।
- इस योजना को स्वच्छता और सफाई कर्मचारियों व उनके आश्रितों को आजीविका प्रदान करने व मैनुअल स्कैवेंजर्स से मुक्त करने के दोहरे उद्देश्य को साथ शुरू किया गया है।
- एनएसकेएफडीसी स्वच्छता संबंधी मशीनीकृत उपकरणों के संचालन और वाहनों की खरीद के लिए अपने लक्षित समूह को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (प्रधानमंत्री-दक्ष) योजना की उपलब्धियां

- 2020-21 में विभाग ने कचरा उठाने वालों के साथ अनुसूचित जाति (एससी) और सफाई कर्मचारियों को शामिल करते हुए ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी के लिए कौशल से संबंधित सहायता की मौजूदा योजना में संशोधन किया था। इस संशोधन के बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री-दक्ष योजना कर दिया गया।
- इसका उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाले संस्थानों और प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों/साझेदारों (टीआई/टीपी) के जरिए उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रदान करना है, जिससे लक्षित समूह के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।
- इसके अलावा वैसे ग्रामीण शिल्पकार जो बाजार में नई तकनीकों के आने की वजह से हाशिए पर चले गए हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे नई प्रक्रियाओं को अपना सकें और अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकें।
- इसके तहत 450.25 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ अगले पांच वर्षों (2021-22 से 2025-26) की अवधि में कचरा उठाने वालों के साथ-साथ लगभग 2,71,000 एससी/ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी/सफाई कर्मचारियों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

वरिष्ठ नागरिक के लिए

- राष्ट्रपति ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डरलाइन-14567 नामक एक टोल फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन समर्पित की। यह हेल्पलाइन शिकायत निवारण के लिए वरिष्ठ नागरिकों को एक मंच उपलब्ध कराती है। यह हेल्पलाइन माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख एवं कल्याण (एमडब्ल्यूपीएससी), 2007 तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए निमित्त केंद्रीय सरकार की स्कीमों के संबंध में जागरूकता निर्माण के क्षेत्र में भी योगदान देती है।
- सीनियर एबल सिटीजन फार री-एंप्लायमेंट इन डिगनिटी (SACRED) नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया। यह पोर्टल ऐसी कंपनियों की प्राथमिकताओं को जो ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को नियुक्त करने के लिए तैयारी है, इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों की प्राथमिकताओं के साथ वर्चुअल रूप से मिलान करने के द्वारा उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया।
- **सेज पोर्टल:** अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत देश में रजत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका उद्देश्य वृद्धजन कल्याण (रजत अर्थव्यवस्था) के क्षेत्र में स्टार्टअप्स की सहायता करना है। इन स्टार्टअप्स की भारत सरकार की इक्विटी भागीदारी के तहत सहायता की जानी है जो अधिकतम 49 प्रतिशत इक्विटी के अधीन तथा अधिकतम प्रति स्टार्टअप 1 करोड़ रुपये के अधीन होगी।

डीएनटी समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्कीम (सीड)

- मंत्रालय ने डीएनटी समुदायों के कल्याण के लिए अगले पांच वर्षों के लिए कुल 200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'डीएनटी समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्कीम (सीड)' नामक एक स्कीम का निर्माण किया है जिसके निम्नलिखित चार घटक हैं: -

  (i) डीएनटी प्रत्याशियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना,

  (ii) उन्हें स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना,

  (iii) सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल को सुगम बनाना और

  (iv) इन समुदाय के सदस्यों के लिए घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

Q2 में 8.4% की जीडीपी वृद्धि	**ख़बरों में:** इस वित्त वर्ष में जुलाई से सितंबर के बीच दूसरी तिमाही (2nd Quarter) में देश की आर्थिक वृद्धि दर (GDP) 8.4 फीसदी रही, जबकि पहली तिमाही में जीडीपी 20.1 फीसदी रही थी। वहीं बीते वर्ष 2020-21 की इसी दूसरी तिमाही में जीडीपी - 7.5 फीसदी (नेगेटिव 7.5%) रहा था। सांख्यिकी कार्यालय ने ये आंकड़े जारी किये हैं। • पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद में 20.1% की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष की पहली छमाही में 13.7% की वृद्धि दर्ज की गई है और भारत में समग्र रूप से 2021-22 के लिए दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज करने की संभावना है। • यह दर्शाता है कि पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया जारी है। • हालांकि, अर्थशास्त्री इस सुधार की सीमा और स्थायित्व के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे और सावधानी के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। • हालांकि दूसरी तिमाही (Q2) में पूर्ण सकल घरेलू उत्पाद महामारी पूर्व स्तरों की तुलना में 0.3% अधिक था, फिर भी कई चिंताजनक क्षेत्र थे। • विशेष रूप से, निजी उपभोग खर्च जो अभी भी पूर्व-सीओवीआईडी स्तरों से नीचे है, साथ ही निर्माण और संपर्क-गहन क्षेत्रों जैसे खुदरा और होटलों रोजगार-गहन क्षेत्रों में गतिविधि के साथ। • पिछले साल नकारात्मक वृद्धि के प्रभाव ने भी सकल घरेलू उत्पाद की संख्या को कम करने में मदद की। • बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से निवेश, विकास के प्रमुख कारक बने रहे जबकि निजी खपत में अभी निर्णायक सुधार होना शेष है। • घरेलू मांग पक्ष पर, 2019-20 के स्तर की तुलना में दूसरी तिमाही में केवल सकल स्थिर पूंजी निर्माण सकारात्मक रूप से उभरा है। • भले ही वसूली की गति अगली दो तिमाहियों में बनी रहे, वर्ष 2019-20 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद (लगभग 2%) की तुलना में केवल मामूली रूप से अधिक होने की उम्मीद है। • मांग और निवेश में सुधार सीमित और धीरे-धीरे होने की उम्मीद है, क्योंकि महामारी से पहले भी घरेलू अर्थव्यवस्था मंदी से जूझ रही थी।
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम	**संदर्भ:** वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत ने 133.5 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया, जिसमें से पाम ऑयल की हिस्सेदारी लगभग 56% थी। **खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन** - पाम तेल (NMEO-OP) के आयात बोझ को कम करने के लिए क्षेत्र का विस्तार करना, कच्चे पाम तेल उत्पादन में वृद्धि करके देश में खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। • **उद्देश्य:** खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना। • **लक्ष्य:** एनएमईओ के प्रस्ताव का लक्ष्य घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को 10.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 18 मिलियन करके 2024-25 तक आयात निर्भरता को 60% से घटाकर 45% करना होगा, जो 70% वृद्धि लक्ष्य है। • किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज से लेकर प्रौद्योगिकी तक सभी आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी। • पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह मिशन हमारी अन्य पारंपरिक तिलहन फसलों की खेती का भी विस्तार करेगा। **ऐसी योजनाओं की क्या आवश्कता है?** • भारत विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। • भारत का पाम तेल आयात इसके कुल वनस्पति तेल आयात का लगभग 60% है। • हाल ही में, महंगे आयात पर भारत की निर्भरता ने खुदरा तेल की कीमतों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। • भारत में, 94.1% पाम ऑयल का उपयोग खाद्य उत्पादों में किया जाता है, विशेष रूप से खाना पकाने के लिए। इस प्रकार, पाम तेल भारत की खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। • **शीर्ष उपभोक्ता:** भारत, चीन और यूरोपीय संघ (ईयू)। • वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं के लिए कुल 10422.69 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)	**संदर्भ:** भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना योजना शुरू की गई। PMMSY दो अलग-अलग घटकों के साथ एक छत्र योजना है: (a) केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme -CS) और (b) केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme-CSS)। **अन्य संबंधित तथ्य** • PMMSY मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत् विकास योजना है, जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक (5 वर्ष की अवधि के दौरान) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाना है। • इस योजना पर अनुमानत: 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा • लक्ष्य: अगले 3 से 4 वर्षों में अर्थात 2024-25 तक मछली निर्यात को दोगुना करना। • उद्देश्य: (1) पीएमएमएसवाई का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र का सतत और जिम्मेदार विकास करना है जिसमें बुनियादी ढांचे, प्रजातियों के विविधीकरण, स्थायी आजीविका, जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन, मजबूत डेटाबेस, नवाचारों, सामूहिकता, वैल्यू चेन के आधुनिकीकरण, निर्यात को बढ़ावा, एक मजबूत मत्स्य पालन प्रबंधन ढांचे की स्थापना पर ध्यान देने के साथ ही ऐसी प्रौद्योगिकियों को लागू करना है जो निवास स्थानों और मछलियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना । (2) एक स्थायी, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से मत्स्य पालन क्षमता का दोहन; (3) कृषि GVA और निर्यात में योगदान बढ़ाना; (4) मछुआरों और मछली किसानों के लिए सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा; (5) मजबूत मात्स्यिकी प्रबंधन और नियामक ढांचा।
वैश्विक ईंधन अर्थव्यवस्था पहल (GEFI)	**ख़बरों में:** GFEI 2021 के अनुसार, 2005 से 2030 के बीच नए हलके वाहनों की ईंधन खपत को आधा करने का वैश्विक लक्ष्य रुका हुआ है। • 2017 से 2019 के बीच नए हलके वाहनों की औसत ईंधन खपत में केवल 0.9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। • दुनिया के तीन प्रमुख कार बाजारों में चीन, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका मुख्य हैं। जिन्होंने वैश्विक स्तर पर 2019 में हलके वाहनों की बिक्री में 60 फीसदी का योगदान दिया था। जिसका मतलब है कि इन देशों में 2019 में करीब 9 करोड़ हलके वाहन खरीदे और बेचे गए थे। हालांकि 2017 की तुलना में देखें तो यह 7 फीसदी कम है। • 2017 और 2019 के बीच सुधार की धीमी गति के लिए कई कारक जिम्मेदार थे। इनमें शामिल थे- ○ 2019 तक अमेरिका और यूरोपीय संघ में ईंधन अर्थव्यवस्था मानकों को स्थिर करना ○ एसयूवी की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है और ये कारें मध्यम आकार की कार की तुलना में लगभग एक तिहाई अधिक ईंधन का उपयोग करती हैं ○ बड़े वाहनों की भरपाई के लिए इलेक्ट्रिक कारों को धीरे-धीरे अपनाना। **GFEI के बारे में** • ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव (GFEI) UNEP, IEA, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, स्वच्छ परिवहन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम और FIA फाउंडेशन के बीच सहयोग है। • GFEI लागत प्रभावी ईंधन दक्षता प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से कारों और लाइट ड्यूटी वैन में ईंधन दक्षता को बढ़ावा देता है। • GFEI का उद्देश्य 2050 तक दुनिया भर में वाहन ईंधन दक्षता में 50% सुधार के माध्यम से वैश्विक लाइट ड्यूटी वाहन बेड़े से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को स्थिर करने में मदद करना। • GFEI विकासशील और संक्रमणकालीन देशों में स्वच्छ, अधिक ऊर्जा कुशल वाहनों की शुरूआत को बढ़ावा देता है। • यह ईंधन मितव्ययिता नीतियों को विकसित करने के लिए सरकारों को सहायता प्रदान करता है।
ग्रामीण युवाओं का रोजगार	**A. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS):** यह भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 2 oct 2009 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-सम्बंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। मनरेगा का एक अन्य उद्देश्य है टिकाऊ संपत्तियां बनाना (जैसे सड़कों, नहरों, तालाबों और कुएं)।

	B. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY): यह वेतन रोजगार के लिए एक प्लेसमेंट लिंक्ड कौशल विकास कार्यक्रम है। **C. ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (RSETIs) के माध्यम से कौशल विकास:** यह एक प्रशिक्षु को बैंक ऋण लेने और अपना खुद का सूक्ष्म उद्यम शुरू करने में सक्षम बनाता है। ऐसे कुछ प्रशिक्षु नियमित वेतनभोगी नौकरी की तलाश भी कर सकते हैं। **D. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग (Short Term Training-STT) पाठ्यक्रमों के तहत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं सहित देश भर के युवाओं के कौशल आधारित प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षा की मान्यता (Recognition of Prior Learning (RPL) के लिए हैं। **E. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) को लागू कर रहा है, जो कि सूक्ष्म की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। पीएमईजीपी योजना पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की सुविधा प्रदान करती है।
बांध सुरक्षा विधेयक (2019)	**ख़बरों में:** राज्यसभा ने देश में बांध सुरक्षा अधिनियम को लागू करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए ऐतिहासिक बांध सुरक्षा विधेयक (2019) पारित किया। • बांध सुरक्षा विधेयक (2019) को लोकसभा में 2 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। **विधेयक की मुख्य विशेषताएं** • **विशिष्ट बांधों का विनियमन:** बांध सुरक्षा विधेयक देश के सभी बड़े बांधों की निगरानी, निरीक्षण, परिचालन और रखरखाव संबंधी पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा, ताकि बांध के फेल होने की स्थिति में होने वाली आपदा को रोका जा सके। ये 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले बांध हैं, या कुछ डिजाइन और संरचनात्मक स्थितियों के साथ 10 मीटर से 15 मीटर के बीच की ऊंचाई वाले बांध हैं। • संस्थागत तंत्र: यह दो राष्ट्रीय निकायों का गठन करता है: o राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण के मुख्य कार्य में राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समिति द्वारा निर्मित नीतियों को लागू करना शामिल है। राज्य बाँध सुरक्षा संगठनों (SDSOs) के बीच और SDSOs एवं उस राज्य के किसी बाँध मालिक के बीच विवादों को सुलझाना, बाँधों के निरीक्षण और जाँच के लिये विनियम को निर्दिष्ट करना। o NDSA बाँधों के निर्माण, डिज़ाइन तथा उनमें परिवर्तन पर काम करने वाली एजेंसियों को मान्यता (Accreditation) देगी। • **राज्य निकाय:** प्रस्तावित कानून में राज्य सरकारों द्वारा राज्य बाँध सुरक्षा संगठनों (State Dam Safety Organisation- SDSOs) की स्थापना की जाएगी जिसका कार्य बाँधों की निरंतर चौकसी एवं निरीक्षण करना तथा उनके परिचालन एवं रखरखाव पर निगरानी रखना, सभी बाँधों का डेटाबेस रखना और बाँध मालिकों को सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना होगा। • **दंडात्मक प्रावधान:** बिल के तहत अपराध करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021	**ख़बरों में :** ग्लोबल हंगर इंडेक्स (Global Hunger Index - GHI) 2021 में 116 देशों में भारत का स्थान गिरकर 101वें स्थान पर आ गया है। वर्ष 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। • भारत का 2021 जीएचआई स्कोर 50 में से 27.5 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। **ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है?** • सूचकांक को वेल्टहुंगरहिल्फ़ा (WHH) और कंसर्न वर्ल्डवाइड द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। • ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को मापता है और ट्रैक करता है। • यह अपने स्कोर की गणना के लिए चार मापदंडों का उपयोग करता है - o अल्पपोषण o बाल बर्बादी

	o बाल बौनापन और o बाल मृत्यु दर • इन मापदंडों की गणना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र से जानकारी ली जाती है। • ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय डेटा से प्राप्त करते हैं, जिसमें भारत के मामले में, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Surveys-NFHS) शामिल है। **ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) भारत की वास्तविक तस्वीर को नहीं दर्शाता है क्योंकि यह 'भूख' का एक त्रुटिपूर्ण उपाय है।** इसे अंकित मूल्य पर नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि यह न तो उचित है और न ही किसी देश में प्रचलित भूख का प्रतिनिधि है। इसके चार संकेतकों में से केवल एक संकेतक यानी अल्पपोषण का भूख से सीधा संबंध है। • दो संकेतक, अर्थात् स्टंटिंग और वेस्टिंग, भूख के अलावा स्वच्छता, आनुवंशिकी, पर्यावरण और भोजन के सेवन जैसे विभिन्न अन्य कारकों की जटिल बातचीत के परिणाम हैं, जिसे GHI में स्टंटिंग और वेस्टिंग के लिए कारक/परिणाम कारक के रूप में लिया जाता है। • इसके अलावा, शायद ही कोई सबूत है कि चौथा संकेतक, बाल मृत्यु दर, भूख का परिणाम है।
देश में महिला किसान	**ख़बरों में:** कृषि जनगणना 2015-16 में एकत्र की गई जानकारी के अनुसार, देश में कुल संचालित क्षेत्र का लगभग 11.72% महिला परिचालन धारकों द्वारा संचालित किया गया था। • गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau-NCRB) 'भारत में दुर्घटना से होने वाली मौतों और आत्महत्याओं' शीर्षक से अपने प्रकाशन में आत्महत्याओं पर जानकारी का संकलन और प्रसार करता है। • प्रकाशन के अनुसार, 'किसान' शब्द को "उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका पेशा खेती है और इसमें वे लोग शामिल हैं जो अपनी जमीन पर खेती करते हैं और साथ ही कृषि मजदूरों की सहायता के साथ या बिना पट्टे की भूमि / अन्य की भूमि पर खेती करते हैं। "
शहरी सहकारी बैंक	**संदर्भ :** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने संकेत दिया है कि RBI शहरी सहकारी बैंकों (UCB) में सुधार के लिए नियामक परिवर्तन लाएगा। • शहरी सहकारी बैंक कई विफलताओं से ग्रस्त हैं। • RBI ने लोगों को उच्च रिटर्न देने वाले बैंकों में अपनी बचत जमा करने के विरुद्ध चेतावनी भी दी है। **अर्बन को-ऑप बैंक क्या है?** • शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) शब्द का तात्पर्य शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंकों से है। • ये बैंक परंपरागत रूप से समुदायों, इलाकों और कार्यस्थल समूहों के आसपास केंद्रित थे। ये अनिवार्य रूप से छोटे उधारकर्ताओं और व्यवसायों को उधार देते थे। आज, उनके संचालन का दायरा काफी बढ़ गया है। **यूसीबी और वाणिज्यिक बैंकों के बीच अंतर** • **विनियमन:** वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत, शहरी सहकारी बैंक केवल आंशिक रूप से आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं। ○ यूसीबी के बैंकिंग संचालन को आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लेकिन संकट के समय में उनका प्रबंधन और समाधान राज्य या केंद्र सरकार के तहत सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। • उधारकर्ता एक शेयरधारक होता है: एक वाणिज्यिक बैंक में, उसके शेयरधारकों और उधारकर्ताओं के बीच एक स्पष्ट अंतर होता है जबकि एक यूसीबी में, उधारकर्ता शेयरधारकों के रूप में दोगुना भी करते हैं।
विश्व की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजनाएँ:	• यह सिम्हाद्री में स्थापित किया जाएगा। • यह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं का अग्रदूत होगा और देश के विभिन्न ऑफ ग्रिड और रणनीतिक स्थानों में कई माइक्रोग्रिड के अध्ययन और तैनाती के लिए उपयोगी होगा। • यह देश के दूर-दराज के क्षेत्रों जैसे- लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, आदि जो डीजल जनरेटर पर निर्भर है में डीकार्बोनाइज (Decarbonizing) की संभावनाओं को खोलेगा हैं।

	• यह अनूठी परियोजना के प्रारूप को NTPC द्वारा इन-हाउस डिज़ाइन किया गया है। यह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं का अग्रदूत होगा। यह वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
2021-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	**संदर्भ:** त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (Accelerated Irrigation Benefit Programme-AIBP), हर खेत को पानी (Har Khet ko Paani-HKKP) और भूमि, जल व अन्य विकास घटकों को 2021-26 में जारी रखने को भी मंजूरी दी गई। • त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। एआईबीपी के अंतर्गत 2021-26 के दौरान कुल अतिरिक्त सिंचाई क्षमता को 13.88 लाख हेक्टेयर तक करना है। चालू 60 परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान देने के अलावा, जिसमें उनसे सम्बंधित 30.23 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र विकास भी शामिल है, अतिरिक्त परियोजनाओं को भी शुरू किया जा सकता है। • हर खेत को पानी (HKKP) का उद्देश्य सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेत पर भौतिक पहुंच और खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना है। एचकेकेपी के तहत, पीएमकेएसवाई के जल निकायों घटक की सतही लघु सिंचाई और मरम्मत-नवीनीकरण-पुनर्स्थापना का लक्ष्य अतिरिक्त 4.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई प्रदान करना है। जल निकायों के कायाकल्प के महत्व को ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उनके कायाकल्प के वित्तपोषण में एक आदर्श बदलाव को मंजूरी दे दी है, जिसमें उनके समावेश मानदंड का महत्वपूर्ण विस्तार और केंद्रीय सहायता को सामान्य रूप से 25% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। क्षेत्र। • हर खेत को पानी (एचकेकेपी) का उद्देश्य है कि खेतों तक पहुंच में इजाफा हो और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य भूमि का विस्तार हो। एचकेकेपी के तहत लघु सिंचाई और जल स्रोतों के उद्धार-सुधार-बहाली, पीएमकेएसवाई के घटक हैं तथा इनका उद्देश्य है कि अतिरिक्त 4.5 लाख हेक्टेयर रकबे को सिंचाई के दायरे में लाना। जल स्रोतों के उद्धार के महत्त्व के मद्देनजर, मंत्रिमंडल ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में जल स्रोतों को दोबारा जीवित करने के लिये वित्तपोषण को मंजूरी दी है। इस योजना में उन्हें शामिल करने के मानदंडों का विस्तार किया गया है तथा केंद्रीय सहायता को आम क्षेत्रों के हवाले से 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया है। • इसके अलावा एचकेकेपी के भूजल घटक को भी 2021-22 के लिये अस्थायी रूप से मंजूर किया गया। इसका लक्ष्य है 1.52 लाख हेक्टेयर भूमि के लिये सिंचाई क्षमता विकसित करना। • वॉटरशेड विकास घटक का लक्ष्य है वर्षा जल द्वारा सिंचित इलाकों का विकास करना। इसके लिये मिट्टी और जल संरक्षण, भूजल की भरपाई, मिट्टी बहने को रोकना तथा जल संरक्षण व प्रबंधन सम्बंधी विस्तार गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। भूमि संसाधन विकास के स्वीकृत वॉटरशेड विकास घटक में 2021-26के दौरानसंरक्षित सिंचाई के तहत, अतिरिक्त 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि शामिल करने के लिए 49.5 लाख हेक्टेयर वर्षा सिंचित/अनुपजाऊ भूमि को कवर करने वाली स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने की परिकल्पना की गई है। कार्यक्रम में स्प्रिंगशेड के विकास के लिए विशेष प्रावधान शामिल किया गया है। **पृष्ठभूमि:** • पीएमकेएसवाई को 2015 में शुरू किया गया था और यह एक प्रमुख योजना है। इसके तहत यहां उल्लिखित विशेष गतिविधियों के लिये राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। • इसमें जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण के दो प्रमुख घटक शामिल हैं: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और हर खेत को पानी। एचकेकेपी, में चार उप-घटक हैं – कमान क्षेत्र विकास (सीएडी), सतह लघु सिंचाई (एसएमआई), जलस्रोतों का उद्धार, सुधार और बहाली (आरआरआर) तथा भूजल विकास। इसके अलावा भूमि-जल विकास वाले हिस्से को भूमि संसाधन विकास द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
CCI ने Amazon पर Rs. 200 करोड़ का जुर्माना लगाया	**संदर्भ:** नवंबर 2019 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India -CCI) ने Amazon के फ्यूचर ग्रुप यूनिट में निवेश के लिए दी गई अपनी मंजूरी को इस आधार पर रोक दिया कि Amazon ने विनियामक अनुमोदन की मांग करते हुए अपने निवेश के दायरे और पूर्ण विवरण को छुपाई थी। **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India -CCI) के बारे में** • यह 2003 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है और 2009 में पूरी तरह कार्यात्मक हो गया। • यह पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ○ यह अधिनियम प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों, उद्यमों द्वारा प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करता है।

	○ अधिनियम संयोजनों (अधिग्रहण, नियंत्रण का अधिग्रहण और विलय तथा अधिग्रहण) को नियंत्रित करता है, जो भारत के अंदर प्रतिस्पर्धा पर एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का कारण बनता है या होने की संभावना है। • **संरचना:** प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। • **सदस्यों की पात्रता:** अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कारोबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकार्य, प्रबंधन, उद्योग, लोक कार्य या प्रतिस्पर्द्धा संबंधी विषयों में कम-से-कम पंद्रह वर्ष का ऐसा विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव हो जो केंद्र सरकार की राय में आयोग के लिये उपयोगी हो। • **कर्तव्य:** o प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना o प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना। o उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। o भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)	**संदर्भ :** हाल ही में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (International Development Association-IDA) ने दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद के लिए 93 बिलियन डॉलर नकद प्रदान किए हैं जो महामारी से उबरने और अन्य कार्यक्रमों के लिए सहायता बढ़ाने में मदद करेंगे। **अन्य सम्बंधित तथ्य** • यह अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) के लिए अब तक की सबसे बड़ी पुनःपूर्ति थी, जो 74 देशों को अनुदान प्रदान करता है, जिनमें से अधिकांश अफ्रीका में हैं। • इस पैकेज में उच्च और मध्यम आय वाले देशों के 23.5 अरब डॉलर के योगदान के साथ-साथ पूंजी बाजार में जुटाई गई वित्त पोषण और विश्व बैंक के स्वयं के योगदान शामिल हैं। • इस फंड से देशों को भविष्य के संकटों के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी। **अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) क्या है?** • यह एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को रियायती ऋण और अनुदान प्रदान करता है। • आईडीए विश्व बैंक समूह का सदस्य है। • **मुख्यालय:** वाशिंगटन, डी.सी. • यह पुनर्निर्माण और विकास के लिए मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय बैंक के पूरक के लिए 1960 में स्थापित किया गया था।
सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम	**संदर्भ:** भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank -ADB) ने सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। **अन्य संबंधित तथ्य** • **मंत्रालय:** आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय • यह भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए $350 मिलियन का नीति-आधारित ऋण है। • सेवा वितरण को बढ़ाने और शहरी स्थानीय निकायों (urban local bodies -ULB) को प्रदर्शन-आधारित केंद्रीय वित्तीय हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत कार्रवाइयों और सुधारों को तेज किया जाएगा। • एडीबी निगरानी और मूल्यांकन सहित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ज्ञान और सलाहकार सहायता प्रदान करेगा। **एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank -ADB)** • एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर, 1966 को हुई थी। • ADB में कुल 68 सदस्य शामिल हैंI भारत ADB का एक संस्थापक सदस्य है। • **मुख्यालय:** मनीला, फिलीपींस।

	• एडीबी का लक्ष्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। • एडीबी एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक है। • भारत 1966 में एशियाई विकास बैंक (ADB) का संस्थापक सदस्य था और अब बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक और शीर्ष उधारकर्ता है।
भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम	**संदर्भ:** केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा को बताया कि देश के बैंकों से हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करके विदेश भागने वाले हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi), मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) और शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) जैसे डिफाल्टरों से 13,109.17 करोड़ रुपये की रिकवरी की जा चुकी है। • तीनों को मुंबई में PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) न्यायालय द्वारा 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित किया गया है। **भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के बारे में** • भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA) 31 जुलाई, 2018 को एक कानून बन गया। **उद्देश्य:** ○ आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकना। • यह सुनिश्चित करने के लिए कि भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून के अनुसार कार्रवाई का सामना करने के लिए भारत लौट आएं। • भगोड़े आर्थिक अपराधी (FEO) को परिभाषित करना: FEO को एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है ○ जिसने 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि के अपराध किए हैं और ○ आपराधिक अभियोजन से बचने के लिए भारत से भाग गया है। • **विशेष न्यायालय:** किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत एक विशेष अदालत की स्थापना की जाएगी। • **संपत्ति की कुर्की:** विशेष अदालतें केंद्र सरकार को भगोड़े आर्थिक अपराधी की संपत्ति को जब्त करने का निर्देश दे सकती हैं, जिसमें अपराध की आय भी शामिल है। • **अपील:** विशेष अदालत के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।
वनधन क्रॉनिकल (VanDhan Chronicle)	**संदर्भ:** जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 23 दिसंबर, 2021 को ट्राइफेड 'वनधन क्रॉनिकल' (Vandhan Chronicle) का शुभारंभ किया। **अन्य संबंधित तथ्य** • ट्राइफेड 'वनधन क्रॉनिकल' वन धन योजना और इस महत्वपूर्ण योजना में ट्राइफेड की गतिविधियों को लेकर एक पूर्ण संसाधन है। • पिछले दो वर्षों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वनोपज (Minor Forest Produce) के विपणन के लिए व्यवस्था और मूल्य शृंखला के विकास ने जनजातीय इकोसिस्टम को व्यापक ढंग से प्रभावित किया है। • इसी योजना का एक घटक 'वनधन आदिवासी स्टार्ट-अप' आदिवासी संग्रहकर्ताओं और वनवासियों और घर में रहने वाले आदिवासी कारीगरों के लिए रोजगार सृजन के स्रोत के रूप में उभरा है। **भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED) के बारे में** • बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत 1987 में स्थापित, यह वैधानिक निकाय देश के आदिवासी लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम करता है और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। • इसे देश की सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया है। • यह जनजातीय लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए स्थायी आधार पर उत्पादों का निर्माण करने में मदद करता है और स्वयं सहायता समूहों के गठन और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने में भी सहायता करता है।
एंटी-डंपिंग ड्यूटी	**संदर्भ:** व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) की सिफारिशों के अनुसार, भारत ने कुछ एल्युमीनियम वस्तुओं और रसायनों सहित पाँच चीनी उत्पादों पर पाँच वर्ष के लिये एंटी डंपिंग ड्यूटी Anti-Dumping Duty- ADD लगाई है।

	डंपिंग रोधी शुल्क के बारे में • यह एक संरक्षणवादी टैरिफ है जो एक घरेलू सरकार विदेशी आयातों पर इस विश्वास के साथ लगाती है कि इसकी कीमत उचित बाज़ार मूल्य से कम है। • विश्व व्यापार संगठन द्वारा उचित प्रतिस्पर्द्धा के साधन के रूप में डंपिंग-रोधी उपायों को अपनाने की अनुमति दी गई है। • एंटी-डंपिंग शुल्क डंपिंग को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में समानता स्थापित करने हेतु लगाया जाता है। लंबी अवधि में एंटी-डंपिंग ड्यूटी समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली घरेलू कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा को कम कर सकती है • इन शुल्कों के कारण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कीमतें अधिक हो जाती हैं।
फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स (FFV)	**संदर्भ:** केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने भारत में ऑटोमोबाइल निर्माताओं को समयबद्ध तरीके से बीएस-6 मानदंडों का अनुपालन करने वाले फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल (Flex Fuel Vehicles- FFV) और फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Flex Fuel Strong Hybrid Electric Vehicles-FFV-SHEV) का निर्माण शुरू करने का आह्वान किया है। **अन्य संबंधित तथ्य** • **फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल (FFV):** इनमें ऐसे इंजन लगे होते हैं जो फ्लेक्सिबल फ्यूल (पेट्रोल और इथेनॉल का संयोजन, जिसमें 100% तक इथेनॉल शामिल हो सकता है।) पर चलने में सक्षम होते हैं। • **महत्व:** इस कदम से वाहनों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारी कमी आएगी, जिससे भारत को वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन टन कम करने के लिये COP26 में की गई अपनी प्रतिबद्धता का पालन करने में भारत की मदद करना। • FFVs की शुरुआत में तेज़ी लाने हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) में फ्लेक्स ईंधन के ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों को शामिल किया गया है। **फ्लेक्स-फ्यूल इंजन क्या हैं?** • 'फ्लेक्स-फ्यूल इंजन' एक आंतरिक दहन इंजन है जो एक से अधिक प्रकार के ईंधन और मिश्रण पर भी चलता है। • आमतौर पर, पेट्रोल और इथेनॉल या मेथनॉल के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, और इंजन किसी भी अनुपात के लिए स्वचालित रूप से समायोजित करने में सक्षम होता है। • फ्लेक्स-फ्यूल इंजन 100 प्रतिशत पेट्रोल या इथेनॉल पर चलने में सक्षम हैं और ब्राजील, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में पहले से ही उपलब्ध हैं।
ई-श्रम पोर्टल	**प्रसंग :** हाल ही में केंद्र सर्कार के ई-श्रम पोर्टल ने 15 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। • यह उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 31.6 लाख नामांकन हुए हैं। **ई-श्रम पोर्टल के बारें में** • यह एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से सरकार का लक्ष्य 38 करोड़ असंगठित कामगारों, जैसे निर्माण मजदूर, प्रवासी कार्यबल, रेहड़ी-पटरी वालों और घरेलू कामगारों को पंजीकृत करना है। • **मंत्रालय:** श्रम और रोजगार मंत्रालय। • श्रमिकों को 12 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, जो आगे चलकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करने में मदद करेगा। • ई-श्रम में पंजीकरण से असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और रोजगार आधारित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी।
2021: कपड़ा मंत्रालय के लिए खेल बदलने वाले सुधारों का साल	भारत को अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में देश के भीतर मौजूद कपड़ा उत्पादन के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का अनूठा लाभ है, जिन्हें परिधान उत्पादन के लिए अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए फाइबर, यार्न और कपड़े का आयात करना पड़ता है। इसका एक बड़ा बाजार है, जो किफायती जनशक्ति के साथ तेजी से बढ़ रहा है। • घरेलू कपड़ा और परिधान उत्पादन लगभग US$ 140 Bn है जिसमें US$ 40 Bn कपड़ा और परिधान निर्यात शामिल है।

- वर्ष 2019 में कपड़ा और परिधान उद्योग ने भारत के समग्र सकल घरेलू उत्पाद में 2% और GVA में कुल विनिर्माण में 11% का योगदान दिया।
- अपनी परिवर्तनकारी शक्तियों के कारण व्यापक रूप से एक परिवर्तन एजेंट के रूप में जाना जाता है, इस उद्योग में अकेले परिधान में लगभग 70 नौकरियां पैदा करने की क्षमता है और 12 नौकरियों की तुलना में निवेश किए गए प्रत्येक INR 1 करोड़ (USD 132,426) के लिए कुल मिलाकर औसतन 30 नौकरियां हैं।
- करीब 105 मिलियन लोगों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के साथ, यह उद्योग देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता है।
- अधिक महत्वपूर्ण रूप से, महिलाएं परिधान निर्माण में 70% कार्यबल और हथकरघा में लगभग 73% हैं।

सहायक कारक

- लगभग सभी प्रकार के कच्चे माल की उपलब्धता
- कुल मूल्य श्रृंखला का अस्तित्व
- भारत की युवा जनसांख्यिकी
- उद्योग के नेताओं की उद्यमी मानसिकता
- सरकार का सतत समर्थन
- प्रौद्योगिकी उन्नयन
- नवोन्मेष पर ध्यान देना
- समर्थन उद्योगों की मजबूत उपस्थिति आने वाले दशक में इस क्षेत्र को स्वस्थ गति से बढ़ने में मदद करना।

गेम चेंजिंग रिफॉर्म्स

- सरकार ने 7 प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अपैरल (मित्रा) पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसके कुल परिव्यय में रु. 5 साल की अवधि में 4445 करोड़।
    - PM MITRA पार्क में सभी '5F' घटक शामिल होंगे: फ़ार्म टू फ़ाइबर; कारखाने के लिए फाइबर; फैशन के लिए फैक्टरी; फैशन टू फॉरेन।
    - PM MITRA पार्क को उन स्थलों पर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जिनमें कपड़ा उद्योग के फलने-फूलने के लिए अंतर्निहित ताकत है।
    - PM MITRA पार्क एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण / रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण आदि तक एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर प्रदान करेगा और उद्योग की रसद लागत को कम करेगा।
    - इसका उद्देश्य प्रति पार्क लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना है।
- **कपड़ा के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** टेक्सटाइल्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (Production Linked Incentive-PLI) योजना विशेष रूप से उच्च मूल्य और टेक्सटाइल वैल्यू चेन के MMF और तकनीकी टेक्सटाइल सेगमेंट के विस्तार पर केंद्रित है।
- **RoSCTL योजना और शुल्क संरचना:** सरकार ने भारतीय परिधान और मेड-अप की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2024 तक RoSCTL योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। सरकार ने MMF, MMF यार्न, MMF फैब्रिक और परिधान पर 12% पर एक समान वस्तु और सेवा कर की दर अधिसूचित की है, जिसने MMF कपड़ा मूल्य श्रृंखला में उल्टे कर ढांचे को संबोधित किया है।
- समर्थ संगठित क्षेत्र में लाभकारी रोजगार और पारंपरिक क्षेत्र में बुनकरों और कारीगरों के कौशल उन्नयन के लिए वस्त्रों की मूल्य श्रृंखला में बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास को लक्षित करने वाला एक प्लेसमेंट उन्मुख कार्यक्रम

	है। अभी तक कुल 71 कपड़ा विनिर्माताओं, 10 उद्योग संघों, 13 राज्य सरकार की एजेंसियों और four क्षेत्रीय संगठनों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है, जिसमें 3.45 लाख लाभार्थियों के आवंटित लक्ष्य को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया के बाद शामिल किया गया है। ● कपड़ा मंत्रालय ने कुल वित्तीय आवंटन 126 करोड़ रुपए के साथ 2021-22 से 2025-26 तक एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (IWDP) के युक्तिकरण और निरंतरता को मंजूरी दी। ● जूट: कच्चे जूट उत्पादन की गुणवत्ता और उपज में सुधार के लिए जूट-आईसीएआरई (उन्नत खेती और उन्नत रेटिंग अभ्यास) योजना लागू की गई है। ● भारत सरकार के 14 मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से भारतीय टॉय स्टोरी के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है।

पर्यावरण

गैर-जीवाश्म ईंधन से विद्युत क्षमता	**ख़बरों में:** भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित बिजली क्षमता का 40 प्रतिशत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर लिया है। **अन्य संबंधित तथ्य** • नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि देश में कुल स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता 156.83 गीगा वाट है। • भारत ने गैर-नवीकरणीय स्रोतों से कुल विद्युत ऊर्जा का 40% स्थापित करने का वचन दिया था। भारत ने इस लक्ष्य को 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन अब इसने नवंबर 2021 में तक यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। • मंत्रालय ने कहा, देश की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता आज 150.05 गीगा वाट है, जबकि इसकी परमाणु ऊर्जा आधारित स्थापित बिजली क्षमता 6.78 गीगा वाट है। • इसने कहा, यह कुल गैर-जीवाश्म आधारित स्थापित ऊर्जा क्षमता को 156.83 गीगा वाट तक लाता है जो कि 390 गीगा वाट से अधिक की कुल स्थापित बिजली क्षमता का 40.1 प्रतिशत है। • सरकार ने कहा कि वह हाल ही में संपन्न CoP-26 में प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगा वाट स्थापित बिजली क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
हॉर्नबिल महोत्सव	• हर साल हॉर्नबिल उत्सव 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र और नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। पहला उत्सव 2000 में आयोजित किया गया था और तब से यह नागालैंड में एक नियमित कार्यक्रम है। • यह वार्षिक उत्सव नागालैंड के राज्य पर्यटन और कला एंव संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। • इसका उद्देश्य अंतर-जनजातीय संपर्क को प्रोत्साहित करना और नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। • हॉर्नबिल महोत्सव के मुख्य आकर्षण में नागालैंड और पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न जनजातियों के सांस्कृतिक प्रदर्शन, स्वदेशी खेल, शहर का दौरा, नाइट कार्निवल, कला प्रदर्शनी, फोटो-उत्सव और कई अन्य शामिल हैं। • हॉर्नबिल इंटरनेशनल रॉक फेस्टिवल इस त्योहार का एक प्रमुख आकर्षण है जहां स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय रॉक बैंड प्रदर्शन करते हैं। **हॉर्नबिल्स:** • भारत हॉर्नबिल की नौ प्रजातियों का घर है: उनमें से तीन, पुष्पांजलि हॉर्नबिल (एसरोस अंडुलैटस), ब्राउन हॉर्नबिल (एनोरहिनस ऑस्टेनी) और रूफस-नेक्ड हॉर्नबिल (एसरोस निपलेंसिस) ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और केरल का राज्य पक्षी है। भारत में नारकोंडम हॉर्नबिल भी है, जो केवल नारकोंडम द्वीप पर पाया जाता है। • इस त्योहार का नाम भारतीय हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। यह एक बड़ा और रंगीन वन पक्षी है। इस त्योहार का नाम इस पक्षी के नाम पर रखा गया है क्योंकि यह नागालैंड राज्य के अधिकांश आदिवासियों की लोककथाओं में प्रदर्शित होता है। **क्या आप जानते हैं?** • पूर्वोत्तर में कुछ जातीय समुदायों, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के न्याशी के सांस्कृतिक प्रतीक होने के बावजूद हॉर्नबिल का शिकार उनके कास्क - ऊपरी चोंच - और सिर के लिए पंखों के लिए किया जाता था। • लेकिन 20 साल पुराने संरक्षण कार्यक्रम में फाइबर ग्लास की चोंच के इस्तेमाल से पक्षियों के लिए खतरा काफी हद तक कम हो गया।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग	**ख़बरों में:** केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के अपने निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा गठित उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। • टास्क फोर्स का गठन 2 दिसंबर को किया गया था। टास्क फोर्स में दो स्वतंत्र सदस्य हैं। प्रत्येक दिन शाम छह बजे बैठक होगी। टास्क फोर्स उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आयोग की ओर से कार्रवाई करेगी। • इसके अलावा, औचक जांच करने के लिए 17 उड़न दस्ते (जो बढ़कर 40 हो जाएंगे) का गठन किया गया था जो सीधे टास्क फोर्स को रिपोर्ट करेंगे। **केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के बारे में** • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 ने उक्त

	आयोग की स्थापना की। • आयोग का उद्देश्य एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए है। • आसपास के क्षेत्रों को एनसीआर से नजदीक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है जहां प्रदूषण का कोई भी स्रोत एनसीआर में वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। • यह विधेयक वर्ष 1998 में राजधानी दिल्ली के लिये स्थापित 'पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण' को भी भंग करता है। **आयोग के कार्य:** • संबंधित राज्य सरकारों (दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) द्वारा कार्यों का समन्वय करना • एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए योजनाओं की योजना बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना • वायु प्रदूषकों की पहचान के लिए एक ढांचा प्रदान करना • तकनीकी संस्थानों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से अनुसंधान और विकास का संचालन करना • वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए प्रशिक्षण और विशेष कार्यबल तैयार करना • विभिन्न कार्य योजनाएँ तैयार करना जैसे वृक्षारोपण बढ़ाना और पराली जलाने को संबोधित करना। **आयोग की शक्तियां:** • वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को प्रतिबंधित करना • वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जांच और अनुसंधान करना • वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए कोड और दिशानिर्देश तैयार करना • निरीक्षण, या विनियमन सहित मामलों पर निर्देश जारी करना जो संबंधित व्यक्ति या प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी होगा। • यह पराली जलाने से प्रदूषण फैलाने वाले किसानों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगा सकता है और मुआवजा वसूल सकता है। यह मुआवजा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
प्रोजेक्ट री-हब (Project Re-Hab)	**ख़बरों में:** कर्नाटक में अपनी प्रगतिशील परियोजना RE-HAB (मधुमक्खियों का उपयोग करके हाथी-मानव संघर्ष को कम करना) की सफलता से उत्साहित होकर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission - KVIC) ने अब इस परियोजना को असम में दोहराया है। • घने जंगलों से घिरा, असम का एक बड़ा हिस्सा हाथियों से प्रभावित है, 2014 से 2019 के बीच हाथियों के हमलों के कारण 332 लोगों की मौत हुई है। **प्रोजेक्ट RE-HAB क्या है?** • प्रोजेक्ट री-हब (मधुमक्खियों का उपयोग करके हाथी-मानव हमलों को कम करना) • **उद्देश्य:** मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों को रोकना। • इस प्रोजेक्ट के तहत मधुमक्खी के बक्सों को मानव आवास के परिसर में रखा गया है। • प्रोजेक्ट RE-HAB के तहत, मानव क्षेत्रों में उनके प्रवेश को अवरुद्ध करने के लिए हाथियों के मार्ग में मधुमक्खी बक्से स्थापित करके "मधुमक्खी-बाड़" बनाई जाती हैं। • बक्सों को एक डोरी से जोड़ा जाता है ताकि जब हाथी वहां से गुजरने का प्रयास करें, तो एक टग (tug) या पुल के कारण मधुमक्खियां हाथियों के झुंडों को झुंड में ले आती हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। • धुमक्खियों की भिनभिनाहट हाथियों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। उन्हें डर होता है कि मधुमक्खियां उन्हें उनकी सूंड और आंखों में डंक मार सकती हैं। और इसलिए, वे बक्सों के आगे नहीं जाते। • ऐसा माना जाता है कि हाथियों का मधुमक्खियों का डर उन्हें मानव परिदृश्य में प्रवेश करने से रोकेगा। • प्रोजेक्ट RE-HAB केवीआईसी के राष्ट्रीय हनी मिशन का एक उप-मिशन है।

	• प्रोजेक्ट RE-HAB कर्नाटक के कोडागु जिले में 11 स्थानों पर 15 मार्च, 2021 को शुरू किया गया था। केवल 6 महीनों में, इस परियोजना ने हाथियों के हमलों को 70% से अधिक कम कर दिया।
2030 में सरकार ने ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा	**ख़बरों में:** वर्ष 2030 में सरकार ने ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को लगभग 6.7% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा। **इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पहल की गई है: -** ▪ राष्ट्रीय गैस ग्रिड का वर्तमान में 20,000 किलोमीटर से लगभग 35,000 किलोमीटर तक विस्तार। ▪ CGD नेटवर्क का विस्तार -11वां CGD दौर 17.09.2021 को शुरू किया गया। 11वें शहर गैस वितरण (city gas distribution-CGD) दौर के पूरा होने के बाद, भारत की आबादी का 96% और इसके भौगोलिक क्षेत्र का 86% CGD नेटवर्क के तहत कवर किया जाएगा। ▪ LNG टर्मिनलों की स्थापना। ▪ CNG (T)/PNG (D) को घरेलू गैस का बिना कट श्रेणी में आवंटन। ▪ उच्च दबाव/उच्च तापमान वाले क्षेत्रों, गहरे पानी और कोयले की परतों से उत्पादित गैस के विपणन तथा मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता की अनुमति देना। ▪ बायो-सीएनजी को बढ़ावा देने के लिए SATAT की पहल। सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की मांग और भविष्य में LNG की कीमत में कमी की संभावना को देखते हुए, मौजूदा उच्च कीमतें भारत के ऊर्जा मिश्रण में गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लक्ष्य को खतरे में नहीं डालती हैं।
जलवायु न्याय का अधिकार	**संदर्भ :** हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने 'जलवायु न्याय के अधिकार' का आह्वान किया। भविष्य की पीढ़ियों के लिये प्रकृति का संरक्षण आवश्यक है। इस समय पर्यावरण संरक्षण के लिये नीतियों में निर्णायक बदलाव की आवश्यकता है। **जलवायु न्याय क्या है?** • 'जलवायु न्याय' शब्द का प्रयोग वैश्विक तापन को पूर्ण रूप से पर्यावरणीय या भौतिक दृष्टि से परिभाषित करने की बजाय नैतिक व राजनीतिक मुद्दे के रूप परिभाषित करने के लिये किया जाता है। • **वर्तमान समय में जलवायु न्याय की प्रासंगिकता** ○ **विकास बनाम पर्यावरण क्षरण:** विकास कार्यों से पर्यावरण पर काफी हद तक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ऐसे में विकसित देशों की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। IPCC की रिपोर्ट में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ते वैश्विक तापमान के विनाशकारी प्रभावों के बारे में सख्त चेतावनी दी गई है। ○ **निवेश को प्राथमिकता देना:** जलवायु परिवर्तन कार्रवाईयों को लागू करने के लिये विशेष रूप से विकासशील देशों में कम निवेश किया जाता है। जलवायु न्याय, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों के लिये निवेश को प्राथमिकता देने में मदद करता है। ○ **व्यवसायों और औद्योगिक समूहों द्वारा पैरवी करना:** जीवाश्म ईंधन आधारित व्यवसायों में संलग्न उद्योगपति सरकारों पर यह दबाव डालते हैं कि वे नवीकरणीय ऊर्जा आधारित समाधानों के संबंध में त्वरित निर्णय न लें। जलवायु न्याय ने नीति-नियोजन का ध्यान पीड़ित समुदायों पर केंद्रित कर दिया है। ○ **विकसित देशों द्वारा दिखाया गया प्रतिरोध:** जलवायु न्याय, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की असमान प्रकृति पर केंद्रित है और इसके लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी देशों को अधिक जवाबदेह बनाने पर ज़ोर देता है।
जैव ईंधन के रूप में पराली (Stubble as biofuel)	**संदर्भ :** केंद्र सरकार पराली जलाने से निपटने के प्रयास के रूप में जैव ईंधन और खाद के रूप में पराली का उपयोग करने की योजना पर काम कर रही है जिसे अधिकतर उत्तरी भारत में प्रदूषण के स्रोत के रूप में उद्धृत किया जाता था। **पराली जलाना क्या है?** • जब भी धान जैसी कोई फसल कटती है तो उसे जड़ से नहीं उखाड़ा जाता है, बल्कि जड़ के ऊपर का कुछ इंच का हिस्सा छोड़ कर काटा जाता है ऐसा मशीन की कटाई में ज्यादा होता है। • यह छूटा हुआ हिस्सा खेतों हटाना आसान नहीं होता, इसके लिए सबसे सरल यही उपाय होता है कि इस बचे हुए हिस्से को जला दिया जाए। जिससे खेत रबी, विशेष कर गेंहू की फसल की बुआई के लिए तुरंत तैयार हो सके। • पंजाब और हरियाणा में सर्दियों की बुवाई के लिए खेतों को तैयार करने के लिए चावल की भूसी को साफ करना एक पारंपरिक प्रथा है।

	• यह अक्टूबर के आसपास शुरू होता है और नवंबर में अधिक होता है। • 10 दिसंबर, 2015 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal -NGT) ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। **जैव ईंधन क्या हैं?** • जैव ईंधन तरल या गैसीय ईंधन हैं जो मुख्यता बायोमास से उत्पन्न होते हैं। • परिवहन, स्थिर, पोर्टेबल और अन्य अनुप्रयोगों के लिए डीजल, पेट्रोल या अन्य जीवाश्म ईंधन के अलावा बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
वैश्विक मिथेन पहल की संचालन समिति का उपाध्यक्ष बना भारत	**संदर्भ:** ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव (Global Methane Initiative-GMI) एक स्वैच्छिक सरकार और अनौपचारिक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा सहित 45 देशों के सदस्य हैं। • भारत वर्ष 2021-2023 के लिए ग्लोबल मिथेन इनिशिएटिव (GMI) की संचालन समिति का उपाध्यक्ष बना। • जीएमआई एक अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक-निजी भागीदारी है, जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में मिथेन के दोहन और उपयोग के लिए बाधाओं को कम करने पर केंद्रित है। • यह फोरम 2004 में बनाया गया था और भारत अपनी स्थापना के बाद से सदस्यों में से एक है और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ स्टीयरिंग लीडरशिप में पहली बार वाइस-चेयरमैनशिप ग्रहण की है। संचालन नेतृत्व के अध्यक्ष कनाडा से हैं। • मीथेन का उत्सर्जन एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25-28 गुना हानिकारक प्रभाव वाली ग्रीनहाउस गैस है। **मीथेन के बारे में** • मीथेन एक ग्रीनहाउस गैस है। • यह ज्वलनशील है और इसका उपयोग विश्व में ईंधन के रूप में किया जाता है। • यह अपनी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना अधिक शक्तिशाली है। • मीथेन का लगभग 40% प्राकृतिक स्रोतों से और लगभग 60% मानव-प्रभावित स्रोतों से उत्सर्जित होता है, जिसमें पशुधन खेती, चावल कृषि, बायोमास जलाना आदि शामिल हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा: संयुक्त राष्ट्र	**ख़बरों में:** हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया। • यह " 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' (One Sun One World One Grid - OSOWOG) को बढ़ावा देने जा रहा है। • इससे विश्व में समान ऊर्जा समाधान लाने में मदद मिलेगी। • वैश्विक सहयोग के माध्यम से शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना। • **सदस्य:** अमेरिका के शामिल होने के बाद कुल 101 सदस्य। **ISA क्या है?** • यह एक भारतीय पहल है जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्राँस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर, 2015 को फ्राँस (पेरिस) में यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन (COP-21) में 121 सौर संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया था जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। • इस गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा की कुशल खपत के लिए काम करना है। • 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' संधि-आधारित एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका प्राथमिक कार्य वित्तपोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करना है। • अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ढांचा समझौता नवंबर 2016 में माराकेच, मोरक्को में हस्ताक्षर के लिए खुला गया था जिसमें 200 देश शामिल हुए। • इसका मुख्यालय भारत में स्थित है और इसका अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। • भारत द्वारा प्रस्तावित 'वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड' (OSOWOG) पहल।

	• भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने हेतु देश भर में सौर ऊर्जा के प्रसार की लिये पारिस्थितिक तंत्र का विकास करना। • **INDC लक्ष्य:** इसके तहत वर्ष 2022 तक 100 GW ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की अभिकल्पना की गई है। • यह गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने और वर्ष 2005 के स्तर से अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33% से 35% तक कम करने हेतु भारत के 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (INDCs) लक्ष्य के अनुरूप है। • भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विश्व बैंक और ISA द्वारा OSOWOG पर त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ, यह पहल दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय उत्प्रेरक हो सकता है। यह ऊर्जा उत्पादन और संचरण में पैमाने की अभूतपूर्व अर्थव्यवस्थाओं को अनलॉक कर सकता है। • पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट: 'नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड- रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (NTPC-REL) ने देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतु केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। • ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण अक्षय ऊर्जा (जैसे सौर, पवन) का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा होता है और इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। • विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा इसकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता को और बढ़ाया गया है, जो सौर ऊर्जा की लागत को कम करके बाजार बनाने में मदद कर रहे हैं।
काज़ुवेली आर्द्रभूमि ((Kazhuveli wetlands)) को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया	**संदर्भ :** तमिलनाडु में विल्लुपुरम के पास स्थित काज़ुवेली आर्द्रभूमि को हाल ही में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग द्वारा 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। **इसके बारें में** • काज़ुवेली आर्द्रभूमि को पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कहा जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। • इसमें वनूर तालुक (Vanur taluk) में 5,151.60 हेक्टेयर और मरक्कनम तालुक (Marakkanam taluks) में 3,027.25 हेक्टेयर भूमि शामिल है। • अभयारण्य तमिलनाडु के पूर्वी तट के साथ बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। • **महत्व:** अभयारण्य के निर्माण से अब आर्द्रभूमि की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ○ वन्यजीवों और उसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसार और विकास के उद्देश्य से इस क्षेत्र का पर्याप्त पारिस्थितिक महत्व है। • यह स्थान वनस्पतियों और जीवों की विविध प्रजातियों का घर है। • अभयारण्य विल्लुपुरम जिले के 13 गांवों को कवर करता है। • यह स्थान वनस्पतियों और जीवों की विविध प्रजातियों का घर है, जो मध्य एशिया और साइबेरिया से लंबी दूरी के प्रवासी पक्षियों को आवास प्रदान करता है।
बक्सा टाइगर रिजर्व	**संदर्भ :** हाल ही में बुक्सा टाइगर रिज़र्व में 23 वर्षों में पहली बार एक रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया। आखिरी ज्ञात बाघ की तस्वीर 1998 में ली गई थी। **बक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में** • बुक्सा टाइगर रिज़र्व पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले के अलीपुरद्वार उप-मंडल में स्थित है। • बक्सा टाइगर रिजर्व की स्थापना 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के रूप में की गई थी। • बुक्सा टाइगर रिज़र्व की उत्तरी सीमा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है। • सिंचुला पहाड़ी शृंखला बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी किनारे पर स्थित है तथा पूर्वी सीमा असम राज्य को स्पर्श करती है। • यह अत्यधिक स्थानिक इंडो-मलय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

	• मोटे तौर पर रिज़र्व के वनों को 'आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। • बुक्सा टाइगर रिज़र्व की कॉरिडोर कनेक्टिविटी की सीमाएँ उत्तर में भूटान के जंगलों को, पूर्व में कोचुगाँव के जंगलों और मानस टाइगर रिज़र्व तथा पश्चिम में जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान को स्पर्श करती है। • इस प्रकार, बीटीआर भारत और भूटान के बीच एशियाई हाथियों के प्रवास के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गलियारे के रूप में कार्य करता है। • इस अभ्यारण्य से बहने वाली कुछ नदियाँ जयंती, संकोश, रैदक, चुर्निया, तुरतुरी, दीमा, नोनानी, फशखवा हैं। • लुप्तप्राय भारतीय गिद्धों के प्रजनन और संरक्षण के लिए बक्सा टाइगर रिजर्व में राजाभटखवा गिद्ध प्रजनन केंद्र को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और ब्रिटिश चैरिटी रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स की मदद से दूसरे ऐसे केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था।
जैविक विविधता अधिनियम, 2002	**संदर्भ:** हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021, आयुष चिकित्सकों को जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के दायरे से छूट देता है। • ये संशोधन राष्ट्रीय हितों से समझौता किये बिना कुछ प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने और अनुसंधान, पेटेंट और वाणिज्यिक उपयोग सहित जैविक संसाधनों की शृंखला में अधिक विदेशी निवेश लाने का प्रयास करते हैं। • यह भारतीय पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र द्वारा जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच की सुविधा भी प्रदान करता है। • कानूनी विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि इस क्षेत्र के लिए मानदंडों में ढील पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक हो सकती है और स्वदेशी समुदायों के साथ वाणिज्यिक लाभ साझा करने के सिद्धांत के विरुद्ध जा सकती है। **जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021 क्या है?** • जैविक विविधता अधिनियम, 2002 जैविक विविधता के संरक्षण और जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के वाणिज्यिक उपयोग से होने वाले मौद्रिक लाभों के उचित, समान बंटवारे के लिए अधिनियमित किया गया था। • विधेयक औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन देकर वन्य (जंगली) औषधीय पौधों पर दबाव को कम करने का प्रयास करता है। • यह विधेयक अनुसंधान के अनुपथन में तीव्रता लाता है, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है, कुछ अपराधों को अपराध से मुक्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। • यह अनुसंधान की फास्ट-ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है, कुछ अपराधों को कम करता है; • विधेयक राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना जैविक संसाधनों, अनुसंधान, पेटेंट एवं वाणिज्यिक उपयोग में अधिक विदेशी निवेश लाता है।
वर्षा जल संचयन (Rain Water Harvesting)	**संदर्भ :** जल शक्ति राज्य मंत्री ने राज्य सभा को वर्षा जल संचयन के बारे में जानकारी दी। **इसके बारें में** • हालांकि जल राज्य का विषय है, केंद्र सरकार ने देश में वाटरशेड सिद्धांतों सहित वैज्ञानिक तरीके से वर्षा जल संचयन के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। • आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने राज्यों के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल उपायों को अपनाने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। • इसके अलावा, कई राज्यों ने जल संरक्षण/संग्रहण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं जैसे ○ 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान' राजस्थान में ○ 'जलयुक्तशिबर', महाराष्ट्र में ○ 'सुजलम सुफलाम अभियान' गुजरात में ○ 'मिशन काकतीय' तेलंगाना में ○ 'नीरूचेट्टू' आंध्र प्रदेश में ○ 'जल जीवन' हरियाली बिहार में

	○ 'जल ही जीवन' हरियाणा में ○ 'कुदिमारमठ योजना' तमिलनाडु में।
अल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल कछुआ (Albino Indian Flapshell Turtle)	**संदर्भ:** दिसंबर महीने (2021) में तेलंगाना के सिरनापल्ली वन में, एक अंतरराष्ट्रीय वन फोरेंसिक जांचकर्ता द्वारा 'एल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल टर्टल' (ALBINO INDIAN FLAPSHELL TURTLE)की दुर्लभ प्रजाति देखी गई। **एल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल टर्टल के बारे में** ● यह भारतीय क्षेत्र में सबसे प्रचुर मात्रा में मीठे पानी के कछुओं में से एक है, जिसकी सीमा पाकिस्तान से भारत, नेपाल, बांग्लादेश से लेकर पश्चिमी म्यांमार तक है। "फ्लैप-शेल्ड" नाम ऊरु फ्लैप की उपस्थिति से मिला है। ● जब वे अपने खोल में पीछे हटते हैं तो त्वचा के ये फ्लैप अंगों को ढँक देते हैं। ● कछुए का दुर्लभ पीला रंग, सरीसृपों में उच्च मात्रा में मौजूद रहने वाले 'टाइरोसिन' नामक वर्णक की कमी के कारण हो सकता है। ● इंडियन फ्लैपशेल कछुए, आमतौर पर केवल 9 से 14 इंच (22 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर) लंबे होते हैं, और मेंढक, घोंघे और जलीय वनस्पति खाना पसंद करते हैं। ● यह एक जन्मजात विकार है और यह टायरोसिन वर्णक की पूर्ण या आंशिक अनुपस्थिति की विशेषता है। ● **संरक्षण स्थिति :** ○ IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य ○ CITES: परिशिष्ट II ○ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I
बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर (BRT) टाइगर रिजर्व	**संदर्भ:** अगले पांच वर्षों के दौरान बीआरटी (BiligiriRangaswamy Temple (BRT) टाइगर रिजर्व और बांदीपुर में 70,000 हेक्टेयर जंगलों में फैले लैंटाना (lantana) को उखाड़ने की योजना है। ● लेकिन चिंताएं हैं कि इस तरह के पैमाने पर इसे उखाड़ने से जंगल को परेशानी होगी। **लैंटाना क्या है?** ● लैंटाना, वर्बेना परिवार में लगभग 150 प्रजातियों के बारहमासी फूलों वाले पौधों की एक प्रजाति है। ● वर्बेनासेई वे अमेरिका और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवासी हैं। ● लेकिन विशेषकर ऑस्ट्रेलियाई-प्रशांत क्षेत्र में कई क्षेत्रों में मौजूद प्रजातियों के रूप में मौजूद हैं। **लैंटाना एक समस्या क्यों है?** ● यह साइट्रस उद्योग के लिए एक गंभीर आर्थिक कीट है। ● लैंटाना अधिकांश पशुओं के चरने के लिए विषैला होता है। **BRT टाइगर रिजर्व के बारे में** ● पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बीच स्थित बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर (BRT) टाइगर रिजर्व दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ● इसका नाम रंगास्वामी मंदिर के नाम पर रखा गया है जो अभयारण्य के शीर्ष पर एक सफेद चट्टान से अलंकृत है। ● 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में इसे संरक्षित रिजर्व घोषित किया गया था। ● यह अनोखा अभयारण्य झाड़, शुष्क पर्णपाती, नम पर्णपाती, सदाबहार, अर्ध सदाबहार और शोला वनों को प्रदर्शित करता है। ● यह व्यापक रूप से मूल्यवान औषधीय पौधों सहित पौधों की कई स्थानिक प्रजातियों के लिए जाना जाता है।
ओलिव रिडले	**प्रसंग:** वैज्ञानिकों ने ओडिशा तट के साथ रुशिकुल्या रूकरी में ओलिव रिडले कछुओं की टैगिंग फिर से शुरू कर दी है। **अन्य संबंधित तथ्य** ● 'भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण' (ZSI) के शोधकर्त्ता तीन स्थानों- गहिरमाथा, देवी नदी के मुहाने और रुशिकुल्या में 'ओलिव रिडले' कछुओं की टैगिंग कर रहे हैं। ● यह उन्हें प्रवासन पथ और समुद्री सरीसृपों द्वारा मण्डली व घोंसले के शिकार के बाद जाने वाले स्थानों की पहचान करने में मदद करेगा। ● अध्ययन से ओडिशा में कछुओं के अंतर-रूकरी आंदोलन का भी पता चलेगा।

	• कछुओं पर लगे धातु के टैग गैर-संक्षारक होते हैं, जिन्हें बाद में हटाया जा सकता है और वे कछुओं के शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। • ये टैग विशिष्ट रूप से क्रमांकित होते हैं, जिनमें संगठन का नाम, देश-कोड और ईमेल पता जैसे विवरण शामिल होते हैं। **ओलिव रिडले के बारे में** • ओलिव रिडले कछुए विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे अधिक हैं। • ये मुख्य रूप से प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गर्म पानी में पाए जाते हैं। • ये कछुए अपने अद्वितीय सामूहिक घोंसले (Mass Nesting) अरीबदा (Arribada) के लिये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, अंडे देने के लिये हज़ारों मादाएँ एक ही समुद्र तट पर एक साथ यहाँ आती हैं। • ओडिशा के गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य को विश्व में समुद्री कछुओं के सबसे बड़े प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है। • **संरक्षण की स्थिति:** ○ आईयूसीएन रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable) ○ CITES: परिशिष्ट- I ○ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची- 1
वार्षिक समीक्षा: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	**A. सतत विकास लक्ष्य (SDGs)** • संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 70वें सत्र में 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर विचार किया और उन्हें अपनाया और अगले 15 वर्षों के लिए 169 लक्ष्यों को जोड़ा। 17 एसडीजी 1 जनवरी, 2016 से लागू हुए। • हालांकि कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, एसडीजी वास्तव में अंतरराष्ट्रीय दायित्व बन गए हैं और 2030 को समाप्त होने वाले दशक के दौरान देशों की घरेलू खर्च प्राथमिकताओं को पुनर्निर्देशित करने की क्षमता रखते हैं। • एसडीजी 13, 15 और 12 को मुख्य रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए निर्धारित किया गया है। **हासिल करने में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं** • एसडीजी 13 (जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव से बचाव के लिए तत्काल कार्रवाई) को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं क्योंकि 2016 में ही 2005 के स्तर के मुकाबले जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 24% की कमी हासिल कर ली गई है। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि विकसित देशों से मिलने वाला जलवायु वित्त जैसा कि पेरिस समझौते में वादा किया गया था, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहम है। • भूमि क्षरण तटस्थता और गहन वनीकरण पर देश का संकल्प देश को एसडीजी 15 (स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का सतत उपयोग और जैव विविधता हानि की रोकथाम) की ओर बढ़ने में मदद कर रही है। • प्लास्टिक में विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी को लागू करने और खतरनाक पदार्थों की निगरानी के लिए बेसल कन्वेंशन के अनुसमर्थन में देश की प्रतिबद्धता सतत उत्पादन और खपत पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए एसडीजी 12 की ओर बढ़ने में एक उल्लेखनीय कदम है। • 2030 एजेंडा ने यह भी रेखांकित किया कि प्रगति के मापन के लिए और "कोई भी पीछे नहीं छूटे" सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता, विश्वसनीय और अलग-अलग डेटा की आवश्यकता होगी। • मंत्रालय सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति की वास्तविक निगरानी के लिए अपने डेटा सिस्टम को मजबूत कर रहा है। **B. जलवायु परिवर्तन** • पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन नेट जीरो कार्यक्रम के लिए यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (United Nations Framework Convention on Climate Change -UNFCCC) के पक्षकारों के सम्मेलन (COP-26) के 26 वें सत्र में भाग लिया। o भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 2030 तक 500 GW तक पहुंच जाएगी। o भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा। • भारत अपने कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को अब से 2030 तक एक अरब टन कम कर देगा।

o भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 45 प्रतिशत तक कम कर देगा।
o 2070 तक, भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।

- विकासशील देशों द्वारा जलवायु कार्यों के कार्यान्वयन के लिए जलवायु वित्त और कम लागत वाली जलवायु प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है। विकसित देशों की जलवायु वित्त पर महत्वाकांक्षाएं वैसी नहीं रह सकतीं जैसी वे 2015 में पेरिस समझौते के समय थीं। माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के नेतृत्त्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वैश्विक परिदृश्य में हरित मानदंडों को अपनाने के लिए प्रमुख देशों के साथ बहुपक्षीय वार्ता के माध्यम से सीओपी शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में कई निर्णयों को अपनाया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, "ग्लासगो जलवायु संधि" नामक एक व्यापक निर्णय को अपनाना शामिल है जो पेरिस समझौते के लक्ष्यों के कार्यान्वयन में आए अंतर को दूर करने के लिए इस महत्त्वपूर्ण दशक में राहत, अनुकूलन और वित्त के संबंध में महत्त्वाकांक्षा और कार्रवाई को बढ़ाने की तात्कालिकता पर बल देता है।
  o यह नोट किया गया है कि 2020 तक संयुक्त रूप से प्रति वर्ष 100 बिलियन अमरीकी डालर जुटाने के लिए विकसित देशों की पार्टियों का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
  o COP-26 के परिणाम में पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए नियमों, प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों से संबंधित कार्य पूरा करना भी शामिल है, जिसमें अनुच्छेद 6 में संदर्भित सहकारी दृष्टिकोण, तंत्र और गैर-बाजार दृष्टिकोण, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions -NDC) के लिए बेहतर पारदर्शिता ढांचा और सामान्य समय-सीमा शामिल हैं। इस पर ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, बेसिक देशों, नेपाल, भूटान, मालदीव, फ्रांस, कनाडा, ब्राजील, अमेरिका, यूएई, जर्मनी, नॉर्वे, सिंगापुर, जमैका, स्वीडन और जापान के मंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई।
  o समान विचारधारा वाले विकासशील देशों के मंत्रियों और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, और हरित जलवायु कोष के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गईं।

C. परिवेश (PARIVESH)

- इस मंत्रालय के तहत मंजूरी के शीघ्र अनुदान की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए परिवेश पोर्टल को सरल बनाया गया है जिसके बाद अब मंजूरी प्रदान करने का समय घटकर 70 कार्य दिवस हो गया है।
- 'डिजिटल इंडिया' की भावना के अनुरूप और न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन के सिद्धांत को लागू करने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने परिवेश (प्रो-एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव, वर्चूअस एंड एन्वायरन्मेंटल सिंगल विंडो हब) नामक एक सिंगल-विंडो एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को स्थापित किया है। पर्यावरण, वन, वन्यजीव और CRZ मंजूरी के लिए पूर्ण ऑनलाइन, त्वरित और पारदर्शी प्रणाली के लिए परिवेश पोर्टल को विकसित किया है।
- यह सुविधा पर्यावरण मंजूरी (ईसी), वन मंजूरी (एफसी), तटीय नियामक क्षेत्र मंजूरी (सीआरजेड) के लिए आवेदनों की प्रक्रिया के लिए चालू है।
- पिछले कुछ वर्षों में, 'परिवेश' की मौजूदा प्रणाली में वैधानिक प्रावधानों और आवश्यकताओं के अनुसार कई संशोधन किए गए हैं।

D. नगर वन योजना (Nagar Van Yojana)

- **उद्देश्य:** मंत्रालय नगर वन योजना को लागू कर रहा है और अक्टूबर 2021 में 400 नगर वन और 200 नगर वाटिका विकसित करने के उद्देश्य से अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया है, जिसका उद्देश्य शहर के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के अलावा बेहतर पर्यावरण, जैव विविधता में वृद्धि और शहरी और उप-शहरी क्षेत्रों में पारिस्थितिक लाभ के लिए जंगलों के बाहर पेड़ और शहरों में हरित आवरण को अधिक बढ़ाना है।
- **स्कूल नर्सरी योजना:** मंत्रालय छात्रों को उनकी शिक्षा के हिस्से के तौर पर वृक्षारोपण की प्रक्रिया में जोड़ने और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में पौधों के महत्व को समझने और सराहना करने के लिए एक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूल नर्सरी योजना लागू कर रहा है। 'स्कूल नर्सरी योजना' को पांच साल की अवधि के लिए लागू करने का प्रस्ताव है।

E. प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA)

- तदर्थ कैम्पा के स्थान पर "राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण" (राष्ट्रीय प्राधिकरण) अस्तित्व में आया; जिस दिन प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAF) अधिनियम, 2016 और CAF नियम, 2018 लागू हुए।
- राष्ट्रीय प्राधिकरण "राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष" (राष्ट्रीय कोष) का प्रबंधन और उपयोग करता है, जिसे भारत के सार्वजनिक खाते के तहत बनाया गया है।
- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर अन्य कोष को संबंधित राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के सार्वजनिक खातों के अंतर्गत "राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष" के रूप में जाना जाता है।
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदन के विरुद्ध में एकत्र सीएएफ संबंधित राज्य कोष और राष्ट्रीय कोष के बीच 90:10 के अनुपात में वितरित किया जाता है और बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय प्राधिकरण और संबंधित राज्य प्राधिकरणों को उपलब्ध कराया जाता है।

F. वन्यजीव

- प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन शुरू किया गया है और इससे जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव भी प्रमुख अभयारण्य और वन क्षेत्रों में लुप्तप्राय प्रजातियों के स्वच्छ पर्यावरण संरक्षण के लिए मजबूत हैं।
- देश में संरक्षित क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ रहा है। संरक्षित क्षेत्रों का कवरेज जो 2014 में देश के भौगोलिक क्षेत्र का 4.90% था, अब बढ़कर 5.03% हो गया है। 2014 में 1,61,081.62 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ देश में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 740 थी, जो अब बढ़कर 1,71,921 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ 981 हो गई है।
- बाघ, एशियाई शेर, बड़े एक सींग वाले गैंडे, एशियाई हाथियों आदि जैसी कई प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हुई है। जूनोटिक रोगों की आक्रामक निगरानी के लिए वन्यजीव स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है।
- भारत ने मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ प्रवासी पक्षियों के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाई है ।
- मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 में 'वन और वन्यजीव क्षेत्रों में सतत पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए दिशानिर्देश-2021' जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश पारिस्थितिक पर्यटन गतिविधियों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी पर जोर देते हैं।

G. जैव विविधता संरक्षण

- भारत ने 2002 में जैविक विविधता (Biological Diversity-BD) अधिनियम को लागू किया, और 1994 में शुरू की गई एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से 2004 में नियमों को अधिसूचित किया। भारत जैव विविधता पर इस तरह के एक व्यापक कानून को पहले लागू करने वाले कुछ देशों में से एक है।
- अधिनियम को राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर त्रिस्तरीय संस्थागत तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority -NBA), राज्य स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा स्थापित राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय स्तर पर निर्वाचित निकायों द्वारा गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियां (Biodiversity Management Committees - BMC)।
- जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) 2022 में चीन के कुनमिंग में पार्टियों के 15वें सम्मेलन (COP 15) का दूसरा भाग आयोजित करेगा जिसमें प्रतिनिधि "2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता ढांचा" को अपनाने के लिए एक साथ आएंगे।
- प्रस्तावित ढांचे का दृष्टिकोण 2050 तक, जैव विविधता को अहम बनाने, संरक्षित करने, बहाल करने और बुद्धिमानी से उपयोग करना, पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को बनाए रखना, एक स्वस्थ ग्रह को बनाए रखना और सभी लोगों के लिए आवश्यक लाभ प्रदान करना है। 2021 को जैव विविधता कार्रवाई पर एक निर्णायक वर्ष के रूप में देखा जा रहा है। भारत प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्त्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हो गया, जो 2030 तक दुनिया की कम से कम 30 प्रतिशत भूमि और महासागर की रक्षा करने का आह्वान करता है, जहां भारत ने पहले ही लगभग 27% क्षेत्र को एची लक्ष्य 11 के तहत सीबीडी को संरक्षित करने की सूचना दी है।
- जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 को सहयोगात्मक अनुसंधान और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहित करने, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, पहुंच लगाने और स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करने के दायरे को व्यापक बनाने के लिए अनुपालन बोझ को सरल बनाने, कारगर बनाने और कम करने के लिए पेश किया जा रहा है। और जैविक विविधता और इसके नागोया प्रोटोकॉल और राष्ट्रीय हितों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के

उद्देश्यों से समझौता किए बिना, जैविक संसाधनों के आगे संरक्षण के लिए।'

- 2021 को जैव विविधता कार्रवाई पर एक निर्णायक वर्ष के रूप में देखा जा रहा है। भारत प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्त्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हो गया, जो 2030 तक दुनिया की कम से कम 30 प्रतिशत भूमि और महासागर की रक्षा करने का आह्वान करता है, जहां भारत ने पहले ही लगभग 27% क्षेत्र को एची लक्ष्य 11 के तहत सीबीडी को संरक्षित करने की सूचना दी है।
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण: जैव विविधता अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिए स्थापित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक वैधानिक निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित किया है कि अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए 28 राज्य जैव विविधता बोर्ड, 8 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषद और सभी स्थानीय निकायों में 2,76,156 जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है।

  0 BD अधिनियम वन और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों के परामर्श के माध्यम से इसके कार्यान्वयन की परिकल्पना करता है।

  0 भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र (Internationally Recognized Certificate of Compliance-IRCC) जारी करने में अग्रणी देश है जो कानूनी रूप से जैविक संसाधनों तक पहुंचने के लिए हितधारकों को मान्यता देता है।

  o इसके अलावा, 12 राज्य सरकारों द्वारा 22 जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित किया गया है और 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 159 पौधों और 175 जानवरों को संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

  0 राष्ट्रीय महत्व के सत्रह संस्थानों को जैव विविधता के वाउचर नमूनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में मान्यता दी गई है।

H. आर्द्रभूमि (Wetland)

- भारत में रामसर स्थलों (अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि) की संख्या बढ़कर 47 हो गई है, जो 10,90,230 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है, जिसमें 2019-2021 के दौरान नामित 21 नए स्थल शामिल हैं।
- भारत में दक्षिण एशिया में रामसर साइट की संख्या सबसे अधिक है।
- आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए चार सूत्रीय दृष्टिकोण के तहत 500 आर्द्रभूमियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड तैयार किए गए।

I. वियना कन्वेंशन, ओजोन के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का ओजोन सेल भारत में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय ओजोन इकाई है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत नियंत्रित पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करता है।

- नियंत्रित उपयोग के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलोन, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म को सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद, भारत अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के त्वरित फेज-आउट शेड्यूल के अनुसार हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर रहा है।

  o भारत सरकार ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन की पुष्टि की।

  o हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, एरोसोल, फोम और अन्य उत्पादों में किया जाता है, जो समताप मंडल की ओजोन परत को नष्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनमें 12 से 14,000 तक की उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता होती है।
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के अनुसार, भारत 2032 से 4 चरणों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम करने काम को पूरा करेगा। देश 2047 तक एचएफसी के उत्पादन और खपत में 85% की कमी लाएगा।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 20 साल की समयावधि के साथ कूलिंग डिमांड को कम करने, रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और बेहतर तकनीक विकल्पों को शामिल करते हुए सभी क्षेत्रों में कूलिंग की दिशा में एक एकीकृत दृष्टि प्रदान करने के लिए मार्च 2019 में इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (India Cooling Action Plan-ICAP) विकसित किया और लॉन्च किया है।

  o इमारतों में स्पेस कूलिंग सबसे महत्त्वपूर्ण है और आईसीएपी में लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है, जिसे आईसीएपी में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता दी गई है।

o 16 सितंबर 2021 को आयोजित विश्व ओजोन दिवस पर इमारतों में स्पेस कूलिंग के लिए सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कार्य बिंदुओं को अंतिम रूप दिया गया और उसे लॉन्च किया गया और उसे व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।

o परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए बहुपक्षीय कोष से धन प्राप्त करने के बाद, 2023-2030 से लागू करने के लिए HPMP के चरण- III की तैयारी शुरू कर दी गई है।

J. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जनवरी 2019 से देश के गैर-दक्षता वाले शहरों (एनएसी) में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme-NCAP) को लागू कर रहा है।
- एनसीएपी को लक्षित 132 शहरों में लागू किया गया है।
- वायु गुणवत्ता सूचकांक के आसपास की समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए संसद द्वारा एक अधिनियम के अधिनियमन के जरिये एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर एक आयोग (CAQM)) का गठन किया गया है।

K. एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग से बचना और प्लास्टिक कचरे का कुशल और प्रभावी प्रबंधन

- PWMR के प्रभावोत्पादक कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया है, जो 2022 तक पहचान की गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को भी प्रतिबंधित करता है, जिनकी उपयोगिता कम है और उनसे कूड़े फैलने की संभावना अधिक होती है।
- अधिसूचना के अनुसार, 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन सहित 12 एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, संग्रहण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
- 30 सितंबर, 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर, 2022 से 120 माइक्रोन तक कर दी गई है।
- मंत्रालय ने "एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर जागरूकता अभियान - 2021" का आयोजन किया है।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव/प्रशासक की अध्यक्षता में एक विशेष कार्य बल गठित करने का अनुरोध किया गया है। 31 कार्यबलों का गठन किया गया है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2021 को सार्वजनिक परामर्श के लिए समय-समय पर संशोधित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पर मसौदा विनियमों को अधिसूचित किया है।

L. भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे का सामना करना

- भारत 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता और 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि की बहाली के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें 2.1 करोड़ हेक्टेयर बॉन चैलेंज और स्वैच्छिक प्रतिबद्धता के रूप में 50 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त प्रतिबद्धता शामिल है।
- भारत वर्तमान में अप्रैल 2022 तक 2 वर्षों के लिए UNCCD सीओपी का अध्यक्ष है।
- माननीय प्रधानमंत्री ने 14 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर उच्च स्तरीय संवाद में भाग लिया, जिसमें भूमि क्षरण की समस्या से निपटने के लिए भारत द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डाला गया।

M. एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन

- ब्लू इकोनॉमी तटीय संसाधनों के सतत विकास के लिए सरकार के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है।
- तटीय और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा, प्रदूषण कम करने के उपायों, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन, तटीय समुदाय की सुरक्षा के साथ आजीविका वृद्धि, क्षमता निर्माण को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किए जाएंगे, जिनमें सतत विकास लक्ष्यों को भी हासिल करने की दृष्टि है।
- 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 10 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है और

	उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ बुनियादी ढांचे के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन, स्नान के पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने, आत्मनिर्भर सौर ऊर्जा आधारित अवसंरचना, समुद्री कूड़े को रोकने, स्थानीय स्तर पर आजीविका के विकल्प बढ़ाने में मदद मिली है और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है।
भारतीय पैंगोलिन	**संदर्भ:** हाल ही में सॉफ्ट रिलीज़ प्रोटोकॉल का पालन और रिलीज के बाद की निगरानी के लिये प्रावधान के बाद नंदनकानन ज़ूलॉजिकल पार्क (ओडिशा) में एक रेडियो टैग भारतीय पैंगोलिन को छोड़ा गया। **अन्य संबंधित तथ्य** ● रेडियो-टैगिंग में एक ट्रांसमीटर द्वारा किसी वन्यजीव की गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है। इससे पहले कई वन्यजीवों जैसे- बाघ, तेंदुआ और प्रवासी पक्षियों को भी टैग किया जा चुका है। ● मध्य प्रदेश के बाद, ओडिशा देश का दूसरा राज्य है जिसने रेडियो-टैग किए गए भारतीय पैंगोलिन को जंगल में छोड़ा। **भारतीय पैंगोलिन** ● इनकी त्वचा मोटी परतदार होती है। ● मांस के लिए शिकार और पारंपरिक चीनी चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। ● भारतीय पैंगोलिन एक विशाल एंटीटर है जो पीठ पर 11-13 पंक्तियों की धारियो वाले आवरण से ढका होता है। ● भारतीय पैंगोलिन की पूँछ के निचले हिस्से पर एक टर्मिनल स्केल भी मौज़ूद होता है, जो चीनी पैंगोलिन में अनुपस्थित होता है। ● विश्व में पैंगोलिन सबसे अधिक अवैध व्यापार की जाने वाली वन्यजीव प्रजातियों में से हैं। ● पैंगोलिन की आठ प्रजातियों में से भारतीय पैंगोलिन (Manis crassicaudata) और चीनी पैंगोलिन (Manis pentadactyla) भारत में पाए जाते हैं। ● इन दोनों प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I भाग I के तहत सूचीबद्ध किया गया है। ● कीटभक्षी-पैंगोलिन रात्रिचर होते हैं और इनका आहार मुख्य रूप से चीटियाँ तथा दीमक होते हैं, जिन्हें वे अपनी लंबी जीभ का उपयोग कर पकड़ लेते हैं। ● CITES: सभी पैंगोलिन प्रजातियों को 'लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन' (CITES) के परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध किया गया है। **IUCN लाल सूची** ● भारतीय पैंगोलिन: संकटापन्न ● चीनी पैंगोलिन: गंभीर रूप से संकटग्रस्त।

चक्रवात जवाद (Cyclone Jawad)	**ख़बरों में:** भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उल्लेख किया कि एक अच्छी तरह से चिह्नित निम्न दबाव का क्षेत्र वर्तमान में बंगाल की दक्षिण-पूर्वी खाड़ी के ऊपर स्थित है, और यह उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 12 घंटों के दौरान एक अवसाद में तेज होने की उम्मीद है। • इसके बाद यह दबाव उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा तथा अगले 24 घंटों में बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। • यह चक्रवाती तूफान - जिसे चक्रवात जवाद के नाम से जाना जाता है यह 4 दिसंबर की सुबह तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट पर पहुंचने की संभावना है। **चक्रवात के बारें में :** • उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हिंसक तूफान होते हैं जो महासागरों के ऊपर, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, जो बहुत भारी वर्षा और तूफानी हवाओं के कारण बड़े पैमाने पर विनाश लाते हैं। • चक्रवात में एक कम दबाव का क्षेत्र होता है जिसके चारों ओर उच्च दबाव होता है। • उष्णकटिबंधीय चक्रवात लगभग शून्य क्षैतिज तापमान प्रवणता वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को बनने और बढ़ने के लिए ट्रोपोस्फेरिक वर्टिकल शीयर के बहुत कम मूल्यों की आवश्यकता होती है। • इनका व्यास बड़ा होता है। **चक्रवातों की भविष्यवाणी कैसे की जाती है?** • पिछले कुछ वर्षों में, चक्रवातों के गठन को ट्रैक करने की भारत की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। • **रडार नेटवर्क:** देश में 21 डॉपलर मौसम रडार (doppler weather radars -DWR) (तट के किनारे 12) का एक नेटवर्क है। तूफान कहां बन रहा है, इस पर निर्भर करते हुए, ये रडार आकार और साथ ही पानी की बूंदों के चलने की गति को मापने के लिए रेडियो तरंगों के स्पंदन भेजते हैं। • **रीयल टाइम फीडबैक:** पहले की पीढ़ी के रडार वास्तविक समय में इस तरह की प्रगति को ट्रैक करने में असमर्थ थे, लेकिन डीडब्ल्यूआर जो अब मौसम रडार का आधार मानक है, आमतौर पर कम से कम चार-पांच दिन पहले संभावित तूफान का पता लगा लेता है। • **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** IMD जापान मौसम विज्ञान एजेंसी, यू.एस. नेशनल हरिकेन सेंटर, और यू.एस. सेंट्रल पैसिफिक हरिकेन सेंटर जैसे समान अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के साथ भी सहयोग करता है, और ये निकाय समुद्र के मौसम में बदलाव के बारे में लगातार चेतावनी और पूर्वानुमान भेजते हैं। • **प्रौद्योगिकियां राडार को पूरक करती हैं:** समुद्र की सतह के तापमान में परिवर्तन के साथ-साथ समर्पित मौसम संबंधी उपग्रहों को ट्रैक करने वाले महासागर-बॉय की निकट सर्वव्यापकता जल्दी पता लगाने की बाधाओं में सुधार करती है
लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना	**ख़बरों में:** केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री ने प्रतिष्ठित लोकटक झील में भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग (Inland Waterways of India -IWAI) जेट्टी का निरीक्षण किया। **लोकटक झील** • विश्व का एकमात्र तैरता हुआ कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान (Keibul Lamjao National Park) इसी झील में स्थित है। • लोकटक झील पूर्वोत्तर में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। • यह मणिपुर के मोइरंग (Moirang) शहर में स्थित है। तैरते हुए द्वीप इस झील की मुख्य विशेषता है। • एशिया के सबसे बड़े जल निकायों में से एक और इसकी सुंदरता, हरियाली, समुद्री जीवन, नीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। • लोकटक झील अपने ऊपर तैरती फुमदी के लिए प्रसिद्ध है। फुमदी मणिपुर में लोकटक झील के लिए विशेष रूप से

	मिट्टी के साथ कार्बनिक मलबे और बायोमास के संचय द्वारा गठित उलझी हुई वनस्पतियों की एक श्रृंखला है। इसकी मोटाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर दो मीटर तक होती है। • फुमडी का ह्यूमस काले रंग का और बहुत स्पंजी होता है जिसमें बड़ी संख्या में छिद्र होते हैं। यह 4/5 भाग पानी के नीचे तैरता है। • 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया है। • इसे 1993 में मॉन्ट्रो रिकॉर्ड के तहत भी सूचीबद्ध किया गया है, "रामसर साइटों का एक रिकॉर्ड जहां पारिस्थितिक चरित्र (ecological character) में परिवर्तन हुआ है।
अरब सागर में अधिक चक्रवात	**संदर्भ :** हाल के वर्षों में अरब सागर के ऊपर "बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान" की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। • हालांकि, इसने भारत के पश्चिमी तट के लिए खतरे में वृद्धि नहीं की है, क्योंकि इनमें से अधिकांश चक्रवात ओमान और यमन में पहुंच रहे थे। • 220 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा की गति बहुत गंभीर चक्रवात के रूप में परिभाषित किया गया है। यह चक्रवातों की चौथी उच्चतम श्रेणी है। • पूर्वी तट, पश्चिमी तट की तुलना में "अत्यंत गंभीर चक्रवात" के प्रति अधिक संवेदनशील रहा। • बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को मिलाकर उत्तरी हिंद महासागर (North Indian Ocean-NIO) के ऊपर बनने वाले चक्रवातों में से औसतन 60% -80% ने भूस्खलन किया, जिससे जान-माल का नुकसान हुआ। • पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के निचले तटीय क्षेत्र इन प्रणालियों के प्रभाव से अधिक प्रभावित थे।
सुपर टाइफून राय (Super Typhoon Rai)	**संदर्भ :** सुपर टाइफून राय ने फिलीपींस के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में दस्तक दी, जिससे भारी बारिश और बाढ़ आई, जिससे एक बड़े क्षेत्र में हजारों लोग विस्थापित हुए। • 'राय' वर्ष 2021 में देश में आने वाला 15वां प्रमुख मौसम विक्षोभ (weather disturbance) था। • इसे 120 मील प्रति घंटे की निरंतर हवाओं के साथ सुपर टाइफून के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसकी गति 168 मील प्रति घंटे तक थी। • फिलीपींस एक द्वीपसमूह देश है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। **आंधी (Typhoon) बारे में** • आंधी और तूफान मजबूत उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए क्षेत्रीय रूप से विशिष्ट नामों में से दो हैं। • ट्रॉपिकल साइक्लोन घूम रहे हैं, बादलों और गरज के साथ व्यवस्थित सिस्टम हैं जो उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जल से उत्पन्न होते हैं और बंद, निम्न-स्तरीय परिसंचरण होते हैं। • उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह किस महासागर के ऊपर बनता है और यह कितना भयानक है। • उत्तरी अटलांटिक, मध्य उत्तरी प्रशांत और पूर्वी उत्तरी प्रशांत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को तूफान कहा जाता है। • उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में, उन्हें आंधी के रूप में जाना जाता है। **सुपर आंधी (Super Typhoon)** • 2009 से हांगकांग ऑब्जर्वेटरी ने टाइफून को तीन अलग-अलग वर्गीकरणों में विभाजित किया है: टाइफून, गंभीर टाइफून और सुपर टाइफून। • एक तूफान की गति 118-149 किमी/घंटा होती है, एक गंभीर आंधी में कम से कम 150 किमी/घंटा और एक सुपर टाइफून की हवाएं कम से कम 190 किमी/घंटा होती हैं।
समुद्रयान परियोजना	**संदर्भ:** हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन "समुद्रयान" लॉन्च किया है। यह भारत का पहला अद्वितीय मानवयुक्त महासागर मिशन है जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिये पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। • पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (National Institute of Ocean Technology-NIOT) ने 500 मीटर पानी की गहराई रेटिंग के लिए एक मानवयुक्त पनडुब्बी प्रणाली के लिए एक 'कार्मिक क्षेत्र' विकसित और परीक्षण किया था।

	• अक्टूबर, 2021 में अनुसंधान पोत सागर निधि का उपयोग हेतु हल्के स्टील से 500 मीटर पानी की गहराई तक क्रू मॉड्यूल के रूप में उपयोग किए जाने वाले 2.1 मीटर व्यास के कार्मिक क्षेत्र को विकसित करके बंगाल की खाड़ी में 600 मीटर पानी की गहराई तक परीक्षण किया गया। • 6000 मीटर पानी की गहराई रेटिंग के लिए मानवयुक्त पनडुब्बी प्रणाली के लिए एक टाइटेनियम मिश्र धातु कर्मियों के क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। • यह 6000 करोड़ रुपए के 'डीप ओशन मिशन' का हिस्सा है। • भारत इस प्रमुख महासागर मिशन में अमेरिका, रूस, फ्राँस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ 'इलीट क्लब' में शामिल हो गया, जिनके पास ऐसी गतिविधियों के लिये विशिष्ट तकनीक और वाहन उपलब्ध हैं।
'काला नामक' चावल	**प्रसंग:** पिछले तीन वर्षों के दौरान 'कला नामक' चावल का उत्पादन उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है वर्तमान में, कला नामक चावल सिंगापुर और नेपाल जैसे देशों को निर्यात किया जा रहा है। निर्यात के अतिरिक्त , यह अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ओडीओपी ई-मार्केट जैसे ई-मार्केट प्लेस पर भी उपलब्ध है। • यह नेपाल और भारत के बेहतरीन गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक। • कला नामक चावल को भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication-GI) टैग प्रदान किया गया है। • इसका नाम काली भूसी (काला = काला; प्रत्यय 'नमक' का अर्थ है नमक) से लिया गया है। • इस चावल का इतिहास कम से कम 600 ईसा पूर्व या बुद्ध काल से है। • यह नेपाल के हिमालयी तराई अर्थात कपिलवस्तु और भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय है, और इसे उत्तर प्रदेश के सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। • इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की पुस्तक 'स्पेशलिटी राइस ऑफ द वर्ल्ड' में भी चित्रित किया गया। • यह आयरन और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर। इसलिए कहा जाता है कि इस चावल को खाने से आयरन और जिंक की कमी से होने वाली बीमारियों से बचाव होता है। • कहा जाता है कि काला नामक चावल के नियमित सेवन से अल्जाइमर रोग से बचा जा सकता है। • इसमें 11% प्रोटीन होता है जो आम चावल की किस्मों से लगभग दोगुना है। इसके अलावा इसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (49% से 52%) है जो इसे "शुगर फ्री" बनाता है और यह मधुमेह के लोगों के लिए भी उपयुक्त है। • इसमें कुपोषण से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है जो समाज के कमजोर वर्ग के पोषण की स्थिति में सुधार होता है।
चिल्लाई कलां (Chillai Kalan)	**सन्दर्भ:** कश्मीर में 40 दिन का 'चिल्ले/चिल्लाई कलां' (Chillai Kalan)' का दौर शुरू हो गया, इस दौरान क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ती है। और घाटी में सभी जगह न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे रहता है। **चिल्लाई कलां क्या है?** • 'चिल्लाई कलां' एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है 'बड़ी सर्दी'। • यह कश्मीर में कड़ाके की सर्दी के 40 दिनों की अवधि को दिया गया स्थानीय नाम है। • यह हर साल 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक कश्मीर में सबसे कठोर सर्दियों की अवधि होती है। • चिल्लाई-कलां के बाद 20 दिन की लंबी चिल्लाई खुर्द (छोटी सर्दी) और 10 दिन लंबी चिल्लई बच्चा (बेबी कोल्ड) होती है। • फेरन (कश्मीरी पोशाक) और कांगेर (Kanger) नामक पारंपरिक फायरिंग पॉट का उपयोग बढ़ जाता है। • तापमान शून्य से नीचे होने के कारण इस दौरान नल की पाइपलाइन में पानी आंशिक रूप से जम जाता है और विश्व प्रसिद्ध डल झील भी जम जाती है। ○ 40 दिनों की अवधि कश्मीरियों के लिये बहुत कठिनाइयाँ लेकर आती है क्योंकि इस दौरान तापमान में भारी गिरावट आती है, जिससे यहाँ की प्रसिद्ध डल झील सहित जलाशय जम जाते हैं।
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (NMEO-OP)	**संदर्भ:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य तेलों के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिये 11,040 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-आयल पॉम को मंजूरी दी। इसके तहत अगले पांच साल के दौरान देश में आश्ल पॉम की खेती को प्रोत्साहित किया जायेगा। • **उद्देश्य:** खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना।

	• **लक्ष्य:** घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को 10.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 18 मिलियन टन करना, वर्ष 2024-25 तक आयात निर्भरता को 60% से घटाकर 45% करना, जो 70% विकास लक्ष्य है। • किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज से लेकर प्रौद्योगिकी तक सभी आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी। • पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह मिशन हमारी अन्य पारंपरिक तिलहन फसलों की खेती का भी विस्तार करेगा। **ऐसी योजनाओं की क्या जरूरत है?** • भारत विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। • भारत का पाम तेल आयात इसके कुल वनस्पति तेल आयात का लगभग 60% है। • हाल ही में, महंगे आयात पर भारत की निर्भरता ने खुदरा तेल की कीमतों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। • भारत में, 94.1% पाम तेल का उपयोग खाद्य उत्पादों (खाना पकाने) में किया जाता है। इस प्रकार, पाम तेल भारत की खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। • तेल का उपयोग खाद्य निर्माण, सौंदर्य उत्पादों और जैव ईंधन के रूप में किया जाता है। • वर्ष 2014 में तेल फसलों से उत्पादित वैश्विक तेलों में पाम तेल का योगदान लगभग 33% था। • **शीर्ष उपभोक्ता:** भारत, चीन और यूरोपीय संघ (ईयू)। **नोट:** ताड़ के तेल की खेती के लिए किसी वन भूमि की सिफारिश नहीं की जाती है।

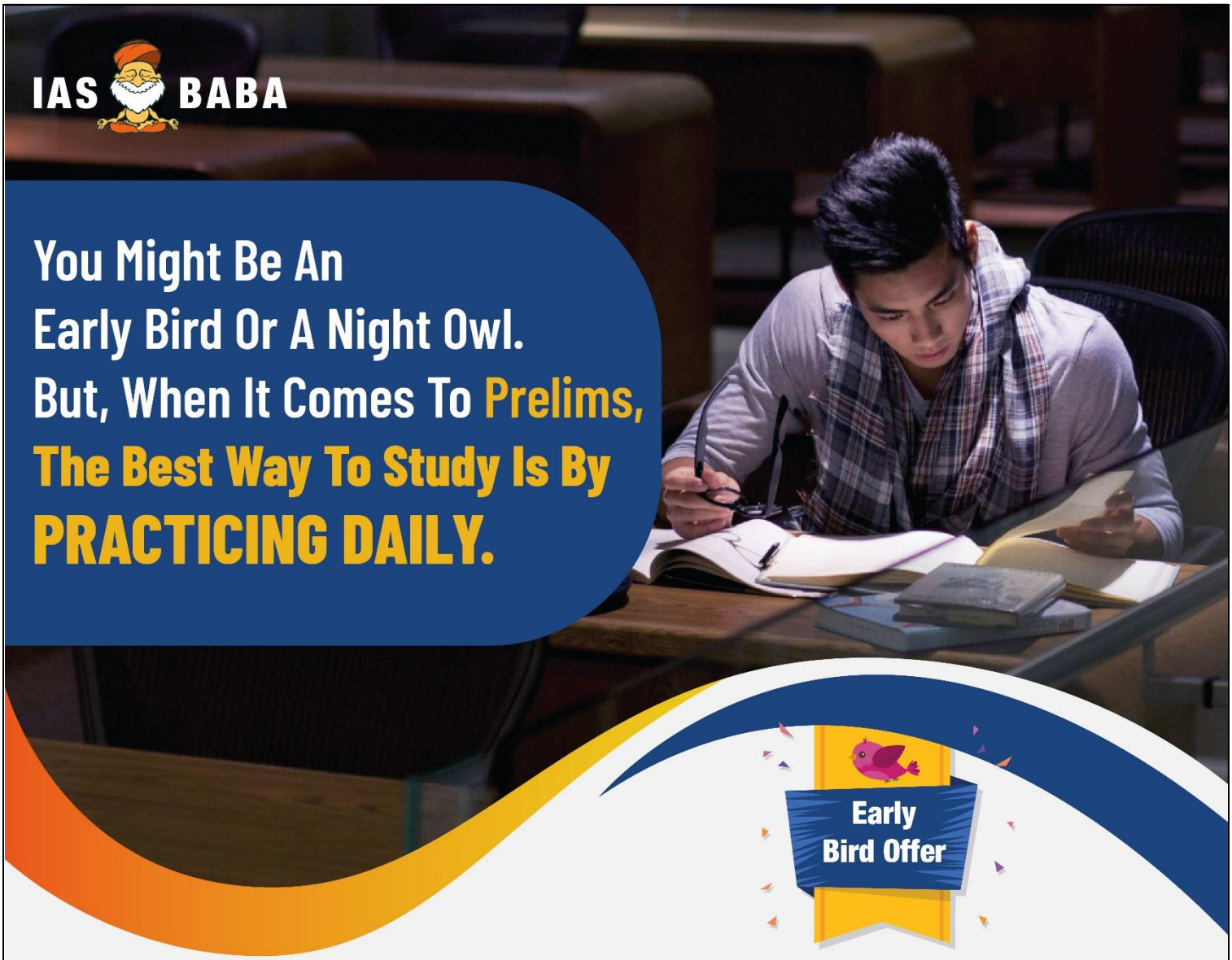

IAS BABA
You Might Be An
Early Bird Or A Night Owl.
But, When It Comes To Prelims,
The Best Way To Study Is By
PRACTICING DAILY.
Early Bird Offer
TEST
300 Hours Of Prelims Focused Classes
100+ Meticulously Prepared Practice Tests
1:1 Mentorship
Prelims Strategy Classes
Prelims Specific & Exclusive Handouts
PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAM (PEP) -2022
Crack UPSC Prelims 2022 in a Go!
REGISTER HERE
www.iasbaba.com
pep@iasbaba.com
91691 91888

ओडिशा का पाइका विद्रोह	**ख़बरों में:** हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा है कि पाइका विद्रोह (Paika Rebellion) को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता। यह भी सुझाव दिया गया है कि इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक में केस स्टडी के रूप में शामिल किया जाए। **इसके बारे में:** • संस्कृति मंत्रालय को ओडिशा के मुख्यमंत्री से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध घोषित किया जाना चाहिए। • मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के परामर्श से मामले की जांच की गई और इसके अनुसार, पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध नहीं कहा जा सकता है। • हालांकि, ऐतिहासिक दृष्टि से, यह कहा जा सकता है कि 'पाइका विद्रोह', जो मार्च 1817 में शुरू हुआ और मई 1825 तक जारी रहा, ने भारत में वर्गों के साथ-साथ बाद में जनता के लिए अनुसरण करने हेतु एक उदाहरण स्थापित किया। **पाइका विद्रोह के बारे में** • पाइका (उच्चारण 'पाइको', शाब्दिक रूप से 'पैदल सैनिक') को 16वीं शताब्दी के बाद से ओडिशा में राजाओं द्वारा विभिन्न सामाजिक समूहों से वंशानुगत कर-मुक्त भूमि (निश-कर जागीर) और उपाधियों के बदले सैन्य सेवाएं ँ प्रदान करने के लिये भर्ती किया गया वर्ग था। • 'पाइका विद्रोह' भारत में 'ब्रिटिश शासन' के खिलाफ एक 'सशस्त्र संघर्ष' था जोकि 1857 के संग्राम के लगभग 40 साल पहले 1817 में ओडिशा में हुआ था। कमोबेश इसका असर लगभग साल 1825 तक रहा। • दरअसल 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओडिशा के ज्यादातर इलाकों पर नियंत्रण कर लिया। • इससे राजा और पाइका योद्धा, दोनों की प्रतिष्ठा और शक्ति में कमी आई। ऐसे में, पाइकाओं ने 'बख्शी जगबंधु' की अगुवाई में हथियार उठा लिया और संघर्ष शुरू कर दिया। इस विद्रोह को अंग्रेजो के खिलाफ हुए प्रसिद्ध संघर्षों में गिना जाता है। • अंग्रेजों ने रुपये में राजस्व भुगतान की मांग करते हुए मुद्रा प्रणाली को बदल दिया, जिससे वंचित, सीमांत आदिवासियों पर दबाव बढ़ गया। • 1817 में, लगभग 400 कोंध बक्शी जगबंधु विद्याधर महापात्र भरमारबार राय के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में उठे, मुकुंद देव द्वितीय के सर्वोच्च रैंक वाले सैन्य जनरल और आकर्षक रोडंगा एस्टेट के पूर्व धारक थे। • पाइकाओं ने कई जगहों पर खूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन औपनिवेशिक सेना ने धीरे-धीरे विद्रोह को कुचल दिया। • बख्शी जगबंधु जंगलों में भाग गए, और 1825 तक अंग्रेजों की पहुंच से दूर रहे, जब उन्होंने अंततः बातचीत की शर्तों के तहत आत्मसमर्पण कर दिया।
महापरिनिर्वाण दिवस	**संदर्भ:** भारत में प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर पुण्यतिथि मनाई जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस भी कहते हैं। • डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर एक अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे और उन्हें 'भारतीय संविधान का पिता' कहा जाता है। • वे दलितों, महिलाओं और मजदूरों के साथ हो रहे सामाजिक भेदभाव के खिलाफ कई अभियान चलाये थे। महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों का भी समर्थन करते थे। • उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में और निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। • वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री, भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार और भारत गणराज्य के संस्थापक पिता थे।
डॉ राजेंद्र प्रसाद	**संदर्भ:** भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद (First President of India) की 137वीं जयंती। • भारत के पहले राष्ट्रपति, 1952 से 1962 तक पद पर रहे। • सम्मान से उन्हें लोग "राजेन्द्र बाबू" के नाम से भी बुलाया करते थे • डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कई किताबें लिखी थीं। इनमें से "बापू के कदमों में बाबू", "सत्याग्रह ऐट चम्पारण", "इण्डिया

	डिवाइडेड", "भारतीय संस्कृति, "गांधी जी की देन" और "खादी का अर्थशास्त्र" आदि हैं। • गौरतलब है कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद एक ही नेता है, जो दो बार देश के राष्ट्रपति रहे • 1962 में राष्ट्रपति पद से हट जाने के बाद उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। • महात्मा गांधी के समर्थक रहे प्रसाद को 1931 (नमक सत्याग्रह) और 1942 (भारत छोड़ो आंदोलन) के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने बंदी बना लिया था। • संविधान को अपनाने से पहले अपने भाषण में, डॉ राजेंद्र प्रसाद ने ठीक ही कहा था कि लोकतांत्रिक संस्थानों के सफल कामकाज के लिए दूसरों के विचारों का सम्मान करने की इच्छा और समझौता तथा समायोजन की क्षमता की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, [उद्धरण] "कई चीजें जो संविधान में नहीं लिखी जा सकती हैं, वे सम्मेलनों द्वारा की जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि हम उन क्षमताओं को दिखाएंगे और उन परंपराओं को विकसित करेंगे।" [उद्धरण] सत्तर साल बाद, हमारे पास यह मानने के कारण हैं कि राष्ट्र उनकी आशाओं पर काफी हद तक खरा उतरा है।
चेंदमंगलम हैंडलूम	**ख़बरों में:** धागे और रंगों की गंभीर कमी और गिरती हुई बिक्री ने एर्नाकुलम जिले में लोकप्रिय चेंदामंगलम हथकरघा बुनकरों की सहकारी समितियों और लगभग एक हजार बुनकरों को गंभीर वित्तीय संकट में डाल दिया है, जो अब कम से कम कुछ सहकारी समितियों के बंद होने का खतरा है। **इसके बारे में** • केरल के पारंपरिक हथकरघा बुनाई के चार मुख्य केंद्र हैं - बलरामपुरम, चेंडामंगलम, कुथमपल्ली, कन्नूर और कासरगोड है। • केरल के अन्य हिस्सों की तरह, चेंडामंगलम में बुनकर पालियम के सामंती परिवार के आधिकारिक संरक्षण में थे, जिन्होंने कोचीन के राजाओं के लिए मुख्यमंत्रियों के रूप में कार्य किया। • वास्तविक प्रक्रिया के संदर्भ में, चेंदमंगलम वस्त्र फ्रेम करघे पर बुने जाते हैं, और उनकी बनावट बलरामपुरम के समान कपड़ों की तुलना में थोड़ी भारी होती है। • साड़ी की पहचान पुलियिलकारा (इमली के पत्तों की सीमा) से होती है , जो एक पतली काली रेखा होती है जो साड़ी की सेल्वेज के बराबर चलती है। इसमें अतिरिक्त बाने वाली चट्टीकारा और अलग-अलग चौड़ाई की धारियां तथा चेक भी हैं। साड़ी एक ठेठ केरल साड़ी है और इसमें कसावु का इस्तेमाल होता है। • ये साड़ियाँ 80 - 120 की सीमा में उच्च धागे की गिनती के साथ बनाई जाती हैं और दो से चार दिनों के शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। • 2010 में, केरल सरकार ने चेंदमंगलम धोती, साड़ी/सेट मुंडू के लिए भौगोलिक संकेत के लिए आवेदन किया। भारत सरकार ने इसे वर्ष 2011 से आधिकारिक तौर पर एक भौगोलिक संकेत के रूप में मान्यता दी है।
महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग मंदिर	**मंदिर:** • **त्र्यंबकेश्वर (त्र्यंबकेश्वर):** नासिक से लगभग 28 किमी दक्षिण पश्चिम में स्थित है और यह उन चार स्थानों में से एक है जहां सिंहस्थ मेला (कुंभ मेला) आयोजित किया जाता है जो पूरे भारत के लोगों को आकर्षित करता है। नागर शैली की स्थापत्य कला में काले पत्थर से बना यह मंदिर एक विशाल प्रांगण में घिरा हुआ है • **भीमाशंकर:** महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में एक प्राचीन शिव मंदिर। यह भीमा नदी का उद्गम स्थल भी है। यह मंदिर शिव द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस का वध करने की कथा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि शिव ने भीम रूप में, देवताओं के अनुरोध पर, सह्याद्री पहाड़ियों के शिखर पर, और युद्ध के बाद उनके शरीर से निकलने वाले पसीने से भीमराथी नदी का निर्माण किया था। मंदिर नागर शैली की वास्तुकला में बनाया गया है। • **घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगम:** औरंगाबाद में स्थित इस मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई होल्कर ने करवाया था। इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। 11वीं-12वीं शताब्दी ई. पुरातात्विक पुरातनता मंदिर का नाम पुराण साहित्य में शिव पुराण और पद्म पुराण के रूप में उल्लेख किया गया है। यह लाल पत्थर से बना है और इसमें पांच स्तरीय नागर शैली का शिखर है। नंदी की मूर्ति दर्शनार्थियों की आंखों में आनंद की अनुभूति कराती है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल - एलोरा गुफाएं मंदिर से लगभग 7-10 मिनट की ड्राइव के बहुत करीब हैं। • महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में औंढा में यह ज्योर्तिलिंग मंदिर है। औंढा नागनाथ को सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग माना

	जाता है। इसे पांडवों द्वारा स्थापित पहला या 'आध्या' लिंग माना जाता है। 'नागनाथ' का मंदिर वास्तुकला की हेमाडपंती शैली में बनाया गया है और इसमें उत्कृष्ट नक्काशी है। मंदिर का निर्माण देवगिरी के यादवों ने करवाया था। मंदिर के परिसर में 12 छोटे-छोटे ज्योर्तिलिंग मंदिर भी देखने को मिलते है। ● **परली वैद्यनाथ:** इस मंदिर का जिर्णोद्धार इंदोर की राणी अहिल्यादेवी होलकर ने किया था। मंदिर का निर्माण पत्थरों से एक पहाड़ी पर किया गया है। यह मंदिर जमीनी स्तर से लगभग 75-80 फीट की ऊंचाई पर है। मंदिर के घाट पर शके 1108 का उल्लेख मिलता है। मंदिर हेमाडपंथी शैली में बना है।
दुर्गा पूजा	**संदर्भ:** अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage-ICH) की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की 16 वीं समिति ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कोलकाता में दुर्गा पूजा को अंकित किया है। ● मानवता के UNESCO आईसीएच के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एशिया में यह पहला त्योहार है। **दुर्गा पूजा के बारे में** ● दुर्गा पूजा भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू होने वाला एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो हिंदू देवी दुर्गा का सम्मान और उन्हें श्रद्धांजलि देता है। ● यह महिषासुर पर दुर्गा की जीत के कारण भी मनाया जाता है। ● यह अश्विन के भारतीय कैलेंडर माह में मनाया जाता है, जो सितंबर-अक्टूबर से शुरू होता है ● यह 10 दिवसीय उत्सव है। **यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति की सूची के बारे में** ● यह एक वार्षिक सूची है जो प्रदर्शन कला के उन रूपों पर केंद्रित है जो उत्कृष्ट मूल्य के हैं लेकिन समर्थन की कमी के कारण कमजोर हैं। ● अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन 2003 में अपनाया गया था। भारत ने 2007 में इसकी पुष्टि की। ● कुल मिलाकर, भारत के 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों को अब यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया है। ● यह सूची उन अमूर्त विरासत तत्वों से बनी है जो सांस्कृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। ● संस्कृति मंत्रालय ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की राष्ट्रीय सूची का मसौदा भी लॉन्च किया है।
मध्य भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति	**A.** ऐरण (प्राचीन एयरिकिना) बीना (प्राचीन वेनवा) नदी के बाएँ किनारे पर स्थित है जो तीन तरफ से नदी से घिरा हुआ है। ● वर्ष 2020-21 में इस स्थल पर हुई खुदाई में तांबे का सिक्का, लोहे के तीर का सिरा, टेराकोटा मनका, पत्थर के मोतियों के साथ तांबे के सिक्के, पत्थर के सेल्ट, स्टीटाइट और जैस्पर के मोती, काँच, कारेलियन, देवनागरी में शिलालेख के साथ टेराकोटा व्हील, जानवरों की मूर्तियाँ, लघु बर्तन, लोहे की वस्तुएँ, मूसल और रेड-स्लिप्ड टेराकोटा सहित कई प्राचीन वस्तुओं का पता चला है। ● सादे, पतले भूरे रंग के बर्तन भी उल्लेखनीय है। ● कुछ धातु की वस्तुओं से लोहे के उपयोग के साक्ष्य भी मिले हैं। **B.** तेवर (त्रिपुरी) गाँव जबलपुर ज़िले से 12 किमी पश्चिम में जबलपुर-भोपाल राजमार्ग पर स्थित है। ● वर्ष 2020-21 के दौरान तेवर में प्रारंभिक ऐतिहासिक उत्खनन: इस उत्खनन से सांस्कृतिक अनुक्रमों के संदर्भ में चार वंशों अर्थात् कुषाण, शुंग, सातवाहन और कलचुरी का पता चलता है। ● इस उत्खनन में पुरातात्त्विक अवशेषों में मूर्तियों के अवशेष, हॉप्सकॉच, टेराकोटा बॉल, लोहे की कील, तांबे के सिक्के, टेराकोटा के मोती, लोहे और टेराकोटा की मूर्ति के उपकरण, सिरेमिक में लाल बर्तन, काले बर्तन, हांडी के आकार के साथ लाल फिसले हुए बर्तन, नलयुक्त बर्तन, छोटा बर्तन, बड़ा ज़ार आदि शामिल है और संरचनात्मक अवशेषों में ईंट की दीवार और बलुआ पत्थर के स्तंभों की संरचना शामिल है।
ऑपरेशन विजय	**प्रसंग:** प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है क्योंकि उस दिन 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा मुक्त हुआ था। ● पुर्तगालियों ने गोवा पर 450 सालों तक राज किया।

	ऑपरेशन विजय के बारे में • 1641 में मराठा शासन से गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया और पुर्तगालियों और मराठा साम्राज्य (बिचोलिम संघर्ष) के बीच एक शांति संधि में संघर्ष समाप्त हो गया। • 1940 के दशक के अंत में गोवा के लोगों ने भी सत्याग्रह में भाग लिया। • भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार छोड़ने से इनकार कर दिया। • 1961 में जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत सरकार ने पुर्तगाली उपनिवेशों (गोवा , दमन और दीव) को मुक्त करने के लिए ऑपरेशन विजय को अपनाया। • पुर्तगालियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और तटीय राज्य ने 19 दिसंबर, 1961 को अपनी सफलता हासिल कर ली। • फिर गोवा को भारतीय संघ में मिला लिया गया और दमन तथा दीव भारत के केंद्र शासित राज्य बन गए। • गोवा 1987 तक एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहा और फिर भारत का 25वां राज्य बनकर इसे राज्य का दर्जा दिया गया।
श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती	**संदर्भ:** प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय समिति (High Level Committee-HLC) की पहली बैठक की अध्यक्षता की, जिसका गठन श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती मनाने के लिए किया गया। **अन्य संबंधित तथ्य** • समिति में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से 53 सदस्य शामिल हैं। • प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अरबिंदो के 'क्रांति' और 'विकास' के दर्शन के दो पहलू महत्वपूर्ण हैं और स्मरणोत्सव के हिस्से के रूप में इस पर जोर दिया जाना चाहिए। • श्री अरबिंदो के स्मरणोत्सव समारोह को पुडुचेरी से राष्ट्रीय युवा दिवस के उत्सव के साथ शुरू करने का प्रस्ताव था। **श्री अरबिंदो के बारे में** • श्री अरबिंदो एक भारतीय दार्शनिक, योग गुरु, महर्षि, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। • वे बंदे मातरम जैसे समाचार पत्रों का संपादन करने वाले पत्रकार भी थे। • वह 1910 तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारतीय आंदोलन में शामिल हुए और फिर एक आध्यात्मिक सुधारक बन गए। • पांडिचेरी में, श्री अरबिंदो ने एकात्म योग नामक एक साधना विकसित की।
साहित्य अकादमी	**संदर्भ:** साहित्य अकादेमी ने 20 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के लिए 2021 के लिए अपने पुरस्कारों की घोषणा की। **अन्य संबंधित तथ्य** • साहित्य समीक्षक डी. एस. नागभूषण को उनकी कृति गांधी कथा, महात्मा गांधी की जीवनी के लिए 2021 के केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। • अकादेमी (अंग्रेजी सहित) द्वारा मान्यता प्राप्त 24 प्रमुख भारतीय भाषाओं में से किसी एक में प्रकाशित साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। • साहित्य अकादमी पुरस्कार जनपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। • यह पुरस्कार एक उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका और 1,00,000/-रुपये का नकद दिया जाता है। • लेखक भारतीय राष्ट्रीयता का होना चाहिए। • भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान की गई पट्टिका के डिजाइनर हैं।

सेना के ऑफलोडिंग मॉडल में देरी	**ख़बरों में:** आर्मी बेस वर्कशॉप (Army Base Workshops-ABW) के आधुनिकीकरण और 'सरकार के स्वामित्व वाले, ठेकेदार-संचालित (GOCO)' मॉडल के कार्यान्वयन के लिए सेना की महत्वाकांक्षी योजना में देरी हो रही है। • इस प्रणाली को लागू करने की सही समय-सीमा दिसंबर 2019 में समाप्त हो गई, संसद में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General -CAG) ने पेश किये गए अपनी रिपोर्ट में कहा। **इसके बारे में** • GOCO मॉडल में, सरकार के स्वामित्व वाली संपत्ति का संचालन निजी उद्योगों द्वारा किया जाएगा। • GOCO मॉडल के अंतर्गत, निजी कंपनियों को भूमि, मशीनरी और अन्य सहायता प्रणालियों पर निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। • GOCO मॉडल लड़ाकू क्षमता बढ़ाने और रक्षा व्यय को फिर से संतुलित करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकातकर समिति की सिफारिशों में से एक था। • आर्मी बेस वर्कशॉप (ABWs) सेना के हथियारों, वाहनों और उपकरणों की मरम्मत और ओवरहाल (overhaul) करते हैं। GOCO मॉडल का उद्देश्य कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के साथ-साथ सेना के कर्मियों के रखरखाव को काम से मुक्त करना। • GOCO मॉडल का कार्यान्वयन जोखिम और परिचालन चुनौतियों से भरा है क्योंकि मौजूदा जनशक्ति का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ○ बंद स्टेशनों/स्थिर कार्यशालाओं के 1,077 प्रभावित नागरिक जनशक्ति में से 385 ख़राब हैं और ABWs में भी यही स्थिति है, अगर इन मुद्दों को गोको मॉडल को लागू करते समय संबोधित नहीं किया जाता है। • लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि रक्षा मंत्रालय GOCO कार्यान्वयन से संबंधित मौजूदा जनशक्ति की तैनाती सहित सभी जोखिमों को कम करने के लिए एक रणनीति तैयार करे, यह कैग (CAG) ने कहा।
भारत-आईटीयू संयुक्त साइबरड्रिल 2021	**ख़बरों में:** संचार मंत्रालय के तहत कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union - ITU) और दूरसंचार विभाग ने एक संयुक्त साइबर ड्रिल (Joint Cyber Drill) 2021 का आयोजन किया। • यह साइबरड्रिल भारतीय संस्थाओं विशेष रूप से क्रिटिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटरों के लिए है। यह 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक शुरू होने वाला चार दिवसीय आभासी कार्यक्रम है। **इसके बारे में:** • यह साइबरड्रिल भारतीय संस्थाओं विशेषकर क्रिटिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटरों के लिए है। • क्रिटिकल नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर वे सिस्टम, संपत्ति और नेटवर्क हैं जो किसी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। • उद्घाटन सत्र में आईटीयू, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स एंड क्राइम (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC), इंटरपोल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (National Security Council Secretariat-NSCS), भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (Indian Computer Emergency Response Team-CERT-In) और अन्य प्रतिष्ठित संगठनों के कई विशेषज्ञों ने भाग लिया। • बिजली, बीमा, वित्त, सीईआरटी-इन और सीएसआईआरटी, उद्योग, अकादमिक, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और दूरसंचार विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से 400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। • भारत ने आईटीयू ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स (Global Cybersecurity Index-GCI) में 10वां स्थान हासिल किया है। • इसका उद्देश्य भारत की साइबर सुरक्षा तैयारी में सुधार करना है। साथ ही, इसका उद्देश्य देश की सुरक्षा और घटना प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार करना है।
जायकोव-डी टीका (ZyCoV-D VACCINE)	**ख़बरों में:** केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जायडस कैडिला के कोरोना वायरस रोधी टीके जायकोव-डी का शुरुआती दौर में सात राज्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। इन राज्यों को ऐसे जिलों की पहचान करने के लिए कहा गया है जहां बड़ी संख्या में पात्र लोगों को अभी तक टीके पहली खुराक भी नहीं मिल पाई है।

	• बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ZyCoV-D की शुरुआत के लिए उन जिलों की पहचान करेंगे जहां पहली खुराक नहीं मिली है। • 'हर घर दस्तक' राष्ट्रव्यापी COVID-19 टीकाकरण अभियान के परिणामस्वरूप पहली खुराक कवरेज [30 नवंबर तक] में 5.9% की वृद्धि हुई है और अभियान के दौरान दूसरी खुराक कवरेज में 11.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। **Zycov-D के बारे में** • Zycov-D एक COVID-19 वैक्सीन है जिसे अहमदाबाद स्थित Zydus Cadilla समूह द्वारा विकसित किया गया है और यह भारत में पहला वैक्सीन है जिसे वयस्कों के साथ-साथ 12 और उससे अधिक उम्र के लोगों को भी लगाया जा सकता है। • यह दुनिया में एकमात्र डीएनए-आधारित टीका है और इसे बिना सुई के प्रशासित किया जा सकता है, जिससे प्रतिक्रियाओं की संभावना कम हो जाती है। • 'मिशन COVID सुरक्षा' के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी में वैक्सीन विकसित की गई है। • एक बार दी जाने वाली तीन-खुराक वाली वैक्सीन SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन करके एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्राप्त करती है। • प्लग-एंड-प्ले तकनीक जिस पर प्लास्मिड डीएनए प्लेटफॉर्म आधारित है, को वायरस में उत्परिवर्तन से निपटने के लिए आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि पहले से होने वाले उत्परिवर्तन। • भारत में उपयोग के लिए कोविशील्ड, कोवैक्सिन, स्पुतनिक वी और मॉडर्न के बाद यह पांचवां टीका होगा।
S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम	**ख़बरों में:** भारत ने रूस से S-400 प्रणाली की डिलीवरी के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। **S-400 ट्रायम्फ एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम क्या हैं?** • S-400 ट्रायम्फ, एक मोबाइल, सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। जो एयरक्राफ्ट, यूएवी, क्रूज मिसाइल (Cruise Missile) और बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की काबिलियत रखता है। • यह मिसाइल सिस्टम 400 किमी की रेंज में किसी भी हवाई लक्ष्य को साधने की क्षमता रखता है, खास बात ये है कि एक ही वक्त में 36 लक्ष्य एक साथ साध सकता है। • इसे सक्रिय करने में पांच मिनट का वक्त लगता है। ये रूस के पहले वाले हवाई सुरक्षा तंत्र से दोगुना ज्यादा असरदार है। और इसमें मौजूदा और भविष्य की हवाई, आर्मी और नौसेना की इकाई के साथ एकीकृत होने की क्षमता है। • एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने वाले S-400 में चार प्रकार की मिसाइल जिसमें पुराने वाले S-300 के वेरियंट भी शामिल हैं। • S-400 इलेक्ट्रॉनिक काउंटर –काउंटरमेजर्स (यानी मुकाबला करने और हमले पर दिए गए जवाब) जैसी अत्याधुनिक तकनीक के साथ आता है, जो जाम करने के प्रयासों को विफल करता है और साथ ही इसका राडार कम क्षमता वाले लक्ष्यों को पता करने की क्षमता रखता है। **CAATSA क्या है?** • प्रतिबंध अधिनियम (CAATSA) के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करने का मुख्य उद्देश्य दंडात्मक उपायों के माध्यम से ईरान, रूस और उत्तर कोरिया का मुकाबला करना है। • यह 2017 में अधिनियमित किया गया। • रूस के रक्षा और ख़ुफ़िया क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन करने वाले देशों के विरुद्ध प्रतिबंध शामिल हैं।
एस-जीन ड्रॉप आउट (S-Gene Drop Out)	**ख़बरों में:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा भारत सहित कम से कम 30 अन्य देशों में SARS-CoV-2 वायरस के ओमीक्रोन (Omicron) संस्करण की पुष्टि की गई। **एस-जीन ड्रॉप आउट क्या है?** • वैज्ञानिक जीनोम सिक्वेंसिंग के दौरान सबसे ज्यादा जिन तीन जीन का अध्ययन करते हैं ये हैं- स्पाइक (S), न्यूक्लियोकैप्सिड (N) और एनवेलप (E) • स्पाइक (S) यानी यही वो कंटीला प्रोटीन है जो हमारे शरीर के ACE2 प्रोटीन (दाईं तरफ) के साथ मिलकर कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। • इसी को वैज्ञानिक S Gene फैक्टर कह रहे हैं. सबसे ज्यादा म्यूटेशन कोरोना वायरस की इसी परत पर हुई है। • SARS-CoV-2, कई अन्य कोरोनवीरस की तरह, प्रमुख प्रोटीन-क्षेत्र हैं जो इसकी संरचना को परिभाषित करते हैं: एनवेलप प्रोटीन (E), न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन (N), मेम्ब्रेन प्रोटीन (M) और स्पाइक प्रोटीन (S)। • वायरस की सटीक पहचान करने के लिए, क्लीनिकल परीक्षण किए जाते हैं जो इन प्रोटीनों को बनाने वाले विशिष्ट जीन की पहचान करते हैं।

	• जबकि वेरिएंट को केवल जीनोम अनुक्रमण के साथ मज़बूती से पुष्टि की जाती है, WHO ने यह सिफारिश की है कि कुछ सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले COVID-19 डिटेक्शन टेस्ट, 'एस-जीन ड्रॉपआउट' क्षमताओं के साथ, एक ओमाइक्रोन संक्रमण को जल्दी से स्क्रीन करने के लिए उपयोग किया जाता है।
फूड फोर्टिफिकेशन (Rice Fortification)	**फूड फोर्टिफिकेशन क्या है?** • विश्व स्वास्थ्य संगठन फूड फोर्टिफिकेशन को भोजन में एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व (विटामिन और खनिज) की सामग्री को जानबूझकर बढ़ाने के अभ्यास के रूप में परिभाषित करता है ताकि फूड सप्लाई की पोषण गुणवत्ता में सुधार हो और स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम जोखिम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके। • उदाहरण के लिए खाने योग्य नमक में आयोडीन और आयरन मिलाना. इसी तरह दूसरे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों को चावल, गेहूं का आटा, तेल और दूध जैसे स्टेपल में शामिल किया जा सकता है। • यह ध्यान देने की बात है कि बायोफोर्टिफिकेशन (Biofortification) पारंपरिक फूड फोर्टिफिकेशन से भिन्न है। बायोफोर्टिफिकेशन का उद्देश्य फसलों के प्रसंस्करण के दौरान मैनुअल साधनों के बजाय पौधों की वृद्धि के दौरान ही फसलों में पोषक तत्त्वों के स्तर को बढ़ाना है। • बायोफोर्टिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कृषि संबंधी प्रथाओं, पारंपरिक पौधों के प्रजनन या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। **चावल को मजबूत कैसे करें?** • भारतीय खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार, 1 किलो फोर्टिफाइड चावल में आयरन (28mg-42.5mg), फोलिक एसिड (75-125 mg) और विटामिन B-12 (0.75-1.25mg) होना चाहिए। • सामान्य मिल्ड चावल में सूक्ष्म पोषक तत्व कम होते हैं क्योंकि चावल की मिलिंग और पॉलिशिंग कार्यों के दौरान इसकी पोषक तत्वों से भरपूर सतही परत को हटा दिया जाता है। इससे अनाज का स्वाद बेहतर और दिखने में आकर्षक होता है लेकिन पौष्टिक कम होता है। • आयरन, फोलिक एसिड और अन्य बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन, विटामिन ए और जिंक युक्त सूक्ष्म पोषक तत्व पाउडर मिलाकर चावल को मजबूत किया जाता है, जो फिर अनाज से चिपक जाता है। **महत्व** • कुपोषण विशेषकर बाल कुपोषण बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए एक बड़ा खतरा है। ○ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया भर में आयरन की कमी और एनीमिया का सबसे बड़ा बोझ है। ○ भारत में लगभग 59% बच्चे और 50% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं। ○ भारत के कुल रोग भार का 15% बाल और मातृ कुपोषण है। ○ लोहे की कमी से होने वाले एनीमिया के कारण देश को हर साल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1 प्रतिशत (1.35 लाख करोड़ रुपये) का नुकसान होता है। • सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी या 'छिपी हुई भूख' भी भारतीय आबादी में महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनी हुई है। • इसलिए, विशेषकर गरीब महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए चावल को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। • सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act -NFSA), 2013 के तहत कवर की गई योजनाओं में 81 करोड़ लोगों को 300 लाख टन से अधिक चावल वितरित करती है।
नई खाद्य प्रसंस्करण नीति	**संदर्भ:** खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण खंड के रूप में उभरा है और यह 2011-12 की कीमतों पर 2019-20 में क्रमशः विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में GVA का 9.9 प्रतिशत और 11.4 प्रतिशत हिस्सा है। **सेक्टर के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं-** ● आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना अंतराल ● संस्थागत अंतराल ● अपेक्षाकृत निम्न स्तर का प्रसंस्करण ● तकनीकी अंतराल ● कृषि-उत्पादन और प्रसंस्करण के बीच निर्बाध (seamless) जुड़ाव का अभाव

	• क्रेडिट उपलब्धता अंतराल **राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति का मसौदा इन चुनौतियों का समाधान करके क्षेत्र के निर्बाध विकास के लिए रणनीति निर्धारित करता है:** • क्लस्टरों का प्रचार • विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का अभिसरण • प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए केंद्रित हस्तक्षेप • भारत के अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव (Unique Selling Proposition-USP) का प्रचार • असंगठित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सुदृढ़ बनाना • वहनीय लागत पर संस्थागत ऋण तक पहुंच बढ़ाना **मसौदा नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं-** • आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विशेष रूप से खराब होने वाली प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार के लिए निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि के माध्यम से उच्च विकास प्रक्षेपवक्र प्राप्त करना; • प्रौद्योगिकी उन्नयन, अनुसंधान एवं विकास, ब्रांडिंग और खाद्य क्षेत्र में भारत की यूएसपी को मजबूत करने के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना ; • पानी, ऊर्जा के कुशल उपयोग, प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग और एफपीआई उद्योग से अपशिष्ट के उपयोग में पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाने के माध्यम दीर्घकालिक स्थिरता रखना।
विश्व स्वास्थ संगठन और ओमिक्रॉन	**प्रसंग:** विश्व स्वास्थ संगठन ने कहा है कि डेल्टा स्ट्रेन की तुलना में ओमिक्रॉन कोरोनावायरस संस्करण अधिक पारगम्य है। • यह टीके की प्रभावशीलता को कम करता है लेकिन शुरुआती आंकड़ों के अनुसार लक्षण कम गंभीर होता है। • इसका संचरण तेजी से दक्षिण अफ्रीका में देखा गया, जहां डेल्टा कम प्रचलित है, और ब्रिटेन में डेल्टा प्रमुख भयानक है। **ओमिक्रॉन के बारे में** • यह दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले पाए गए कोरोनावायरस का एक प्रकार है। • पिछले उछाल की तुलना इस प्रकार का संक्रमण में तेज दरों पर पता चला है, इससे यह सुझाव मिला कि इस तेज दर से कुछ लाभ मिला। • डब्ल्यूएचओ ने यह भी नोट किया कि वर्तमान पीसीआर परीक्षण सफलतापूर्वक वैरिएंट का पता लगाने के लिए जारी हैं। • हालांकि वैरिएंट को बेहतर ढंग से समझने से पहले चिकित्सा विशेषज्ञों ने किसी भी तरह की ओवररिएक्शन (overreaction) के खिलाफ चेतावनी दी थी, राष्ट्रों ने हवाई यात्रा को रोकने के लिए दौड़ लगाई, बाजारों में तेजी से गिरावट आई और वैज्ञानिकों ने सही जोखिमों का आकलन करने के लिए आपातकालीन बैठकें कीं।
स्टैंड-ऑफ एंटी टैंक (SANT) मिसाइल का सफल परीक्षण प्रक्षेपण	**ख़बरों में:** भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और भारतीय वायु सेना (IAF) ने पोखरण रेंज से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च स्टैंड आफ एंटी टैंक मिसाइल (Stand-off Anti-tank-SANT) का सफल परीक्षण किया। • यह मिसाइल एक अत्याधुनिक MMW तकनीक से लैस है जो सुरक्षित दूरी से दुश्मन के पसीने छुड़ाने में सक्षम है। यह मिसाइल 10 किलोमीटर तक की सीमा में लक्ष्य को बेअसर कर सकता है। • SANT मिसाइल को अनुसंधान केंद्र (RCI), हैदराबाद के साथ DRDO की प्रयोगशालाओं के समन्वय और उद्योगों की भागीदारी के साथ डिजाइन और विकसित किया गया है। • भारतीयवायु सेना को और ज्यादा सक्षम बनाते हुए लंबी दूरी मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के बाद हाल के दिनों में परीक्षण किए जाने वाले स्वदेशी स्टैंड-ऑफ हथियारों की श्रृंखला में यह तीसरी मिसाइल है। उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न विन्यासों का स्वदेशी विकास रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' की ओर एक और सार्थक कदम है।
सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड	**ख़बरों में:** रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो सिस्टम विकसित किया, जिसे ओडिशा के व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।

टॉरपीडो सिस्टम का सफल प्रक्षेपण	• यह अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित स्टैंडऑफ टॉरपीडो डिलीवरी प्रणाली है। • यह प्रणाली टॉरपीडो की पारंपरिक सीमा से कही अधिक एंटी-सबमरीन युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। • यह मिसाइल प्रणाली उन्नत टेक्नोलॉजी की है, यानी इसमें टू-स्टेज़ सॉलिड प्रोपल्सन इलैक्ट्रो-मैकेनिकल एक्चुएटर्स तथा प्रिसिजन इनर्शल नैवीगेशन हैं। • यह मिसाइल ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की गई, यह लंबी दूरी को कवर कर सकती है।
सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (AFSPA)	**संदर्भ:** हाल ही में नागालैंड के मोन जिले में 21 पैरा कमांडो यूनिट द्वारा नागालैंड के नागरिकों की हत्या के बाद, राज्य के मुख्यमंत्री नेफिउ रियो ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (AFSPA) को समाप्त करने का आह्वान किया है। **सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (AFSPA) क्या है?** • यह एक संसदीय अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों और राज्य तथा अर्धसैनिक बलों को "अशांत क्षेत्रों" के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में विशेष शक्तियां प्रदान करता है। • **उद्देश्य:** अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना • धारा (3) - यदि किसी राज्य का राज्यपाल भारत के राजपत्र में आधिकारिक अधिसूचना जारी करता है तो केंद्र सरकार के पास नागरिक अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों को तैनात करने का अधिकार है। • धारा (4) - अशांत क्षेत्रों में सेना के अधिकारियों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मारने का विशेष अधिकार। शर्त सिर्फ इतनी है कि गोली चलाने से पहले अधिकारी को चेतावनी देनी होगी। • सुरक्षा बल बिना वारंट के भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं और बिना सहमति के तलाशी ले सकते हैं। • एक बार किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद, उसे जल्द से जल्द नजदीकी पुलिस स्टेशन को सौंपना होगा। • मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के लिए ड्यूटी पर तैनात अधिकारी के अभियोजन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। **पहले भी सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (AFSPA) हटाने की मांग** • बीपी जीवन रेड्डी समिति ने 2005 में पूर्वोत्तर के संबंध में इसकी जांच की, और 2007 के दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की वीरप्पा मोइली रिपोर्ट ने सिफारिश की कि इस अधिनियम को निरस्त किया जाए। • AFSPA के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश • सम्पूर्ण असम और नागालैंड में। • मणिपुर (इंफाल नगर परिषद क्षेत्र को छोड़कर)। • अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, लोंगडिंग, तिरप जिलों • मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय से AFSPA वापस ले लिया गया है। • कश्मीर घाटी के कुछ इलाकों में।
फेफड़ों को संक्रमित करने के लिए ओमाइक्रोन धीमा: हांगकांग द्वारा अध्ययन	**संदर्भ:** हांगकांग विश्वविद्यालय में LKS फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, SARS-CoV-2 का ओमिक्रॉन वेरिएंट मानव ब्रोन्कस में डेल्टा वेरिएंट और मूल SARS-CoV-2 की तुलना में तेजी से संक्रमित और गुणा करता है। • जो यह समझा सकता है कि यह पिछले वेरिएंट की तुलना में लोगों के बीच तेज़ी से संचार क्यों करता है। **अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष** • हालांकि, यह आसानी से निचले फेफड़ों को संक्रमित नहीं करता है और यह, संभावित रूप से बताता है कि ओमाइक्रोन से जुड़े मामलों में गंभीर बीमारी के मामले आनुपातिक रूप से कम क्यों हैं। • ओमाइक्रोन ने 24 घंटों में डेल्टा संस्करण और मूल SARS-CoV-2 वायरस की तुलना में लगभग 70 गुना अधिक दोहराया। • इसके विपरीत, मूल SARS-CoV-2 वायरस की तुलना में फेफड़ों के ऊतकों में Omicron संस्करण कम कुशलता से (10 गुना कम) दोहराया गया। • बीमारी की गंभीरता न केवल वायरस प्रतिकृति द्वारा निर्धारित की जाती है, बल्कि मेजबान प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया द्वारा

	भी निर्धारित की जाती है, जिससे जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली, या साइटोकिन तूफान का विनियमन हो सकता है। • कई और लोगों को संक्रमित करके, एक बहुत ही संक्रामक वायरस अधिक गंभीर बीमारी और मृत्यु का कारण बन सकता है, भले ही वायरस स्वयं कम रोगजनक हो।
कोवोवैक्स (Covovax)	**प्रसंग:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोविड-19 महामारी से बचाव के लिये भारत निर्मित कोरोनावायरस वैक्सीन 'कोवोवैक्स' के आपात प्रयोग को स्वीकृति दे दी है। **अन्य संबंधित तथ्य** • यह वैक्सीन, नोवावैक्स कम्पनी के लाइसेंस के तहत, भारत के सीरम इन्स्टीट्यूट में निर्मित है। • 'कोवोवैक्स' वैक्सीन की दो ख़ुराक ली जाती है, और इसका भण्डारण, 2 से 8 डिग्री डिग्री सेल्सियस के बीच स्थिर, ठण्डे तापमान में किया जाता है। • कोविड-19 संक्रमण से रक्षा के लिये यह नौंवी वैक्सीन है, जिसे यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने स्वीकृति दी है। • इस वैक्सीन की मदद से निम्नतर- आय वाले देशों में टीकाकरण प्रयासों को मज़बूती प्रदान की जा सकेगी। • यूएन एजेंसी ने अब तक निम्न टीकों को आपात प्रयोग सूची में शामिल किये जाने की स्वीकृति दी है: कोवोवैक्स, मॉडर्ना, फ़ाइज़र, जैनसन, ऐस्ट्राज़ेनेका, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, सिनोफार्म, सिनोवाक। **COVAX क्या है?** • इसके मुख्य भागीदारों में WHO, यूनिसेफ (UNICEF), विश्व बैंक (World Bank) और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आदि शामिल हैं। • महामारी संबंधी तैयारी के नवाचारों का गठबंधन (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations-CEPI), महामारी के प्रसार के रोकने हेतु वैक्सीन के विकास के लिये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच की गई अभिनव वैश्विक साझेदारी है। • **उद्देश्य:** विश्व स्तर पर COVID-19 टीकों का समान वितरण सुनिश्चित करना। • इसे इतिहास का सबसे बड़ा वैक्सीन खरीद और आपूर्ति संचालन माना जाता है। • कार्यक्रम 92 एडवांस मार्केट कमिटमेंट (Advance Market Commitment -AMC) देशों में लगभग 20% आबादी का टीकाकरण करना चाहता है, जिसमें मध्यम और निम्न-आय वाले देश शामिल हैं जो COVID-19 टीकों के लिए भुगतान नहीं कर सकते हैं।
बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव (BFHI)	**संदर्भ:** द ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (Breastfeeding Promotion Network of India-BPNI), एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (Association of Healthcare Providers of India-AHPI) के सहयोग से एक विश्वव्यापी कार्यक्रम है जो अस्पतालों को "स्तनपान के अनुकूल" टैग प्राप्त करने में सक्षम करेगा। • यह पहल मातृत्व सेवाओं की भूमिका में सुधार लाने के लिए एक वैश्विक प्रयास है ताकि माताओं को बच्चों को जीवन में सबसे अच्छी शुरुआत के लिए स्तनपान कराने में सक्षम बनाया जा सके। **अन्य संबंधित तथ्य** • इस कार्यक्रम को "बेबी अनुकूल अस्पताल पहल (BFHI)" कहा जाता है। ○ BFHI, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ का एक विश्वव्यापी कार्यक्रम है। • इस कार्यक्रम के अंतर्गत चेन्नई का ब्लूम हेल्थकेयर "स्तनपान के अनुकूल" के रूप में पहचाने जाने वाला पहला अस्पताल बन गया है। • यह पहल केवल निजी अस्पतालों के लिए है और 2016 में शुरू किए गए सरकारी अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के MAA कार्यक्रम पर आधारित है। • **प्रक्रिया:** प्रमाणन प्रक्रिया में दो चरण शामिल हैं - पहले चरण में अस्पताल द्वारा स्व-मूल्यांकन शामिल है, इसके बाद एक अधिकृत मूल्यांकक द्वारा बाहरी मूल्यांकन शामिल है। **भारत में स्तनपान की स्थिति** • देश में स्तनपान की प्रारंभिक शुरूआत अभी कम है। • राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-2021) के अनुसार, जहां 88.6% इंस्टीटूशनल (institutional) जन्म

	हुए, पहले एक घंटे के भीतर केवल 41.8% शिशुओं को स्तनपान कराया गया। • वास्तव में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में पहले घंटे के भीतर स्तनपान कराने वाले बच्चों के अनुपात में गिरावट देखी गई।
भारतीय नौसेना का स्टील्थ विध्वंसक पोत मोरमुगाओ	**संदर्भ :** गोवा मुक्ति दिवस पर, भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक 'मोरमुगाओ (Mormugao)' अपने पहले समुद्री परीक्षणों के लिए गया। प्रोजेक्ट 15 बी (पी15बी) वर्ग का यह दूसरा स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक, 2022 के मध्य में चालू होने की योजना बना रहा है। **मोरमुगांव के बारे में** • मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएसएल) द्वारा निर्मित, जहाज का नाम गोवा के बंदरगाह शहर 'मोरमुगाओ' के नाम पर रखा गया है। • मोरमुगाओ भारतीय नौसेना की लड़ाकू क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि करने में मदद करेगा। • हाल ही में आईएनएस विशाखापत्तनम और चौथी पी 75 पनडुब्बी आईएनएस वेला के नवंबर 2021 में हाल ही में कमीशन के साथ, मोरमुगाओ के समुद्री परीक्षणों की शुरुआत एमडीएसएल की अत्याधुनिक क्षमताओं और आधुनिक और जीवंत भारत की मजबूत स्वदेशी जहाज निर्माण परंपरा का प्रमाण है। **P-15B के बारे में** • मेसर्स मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई में प्रोजेक्ट 15बी (P 15B) के चार गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर निर्माणाधीन हैं। इन चार जहाज़ों के निर्माण का अनुबंध वर्ष 2011 में हुआ था। • चार जहाजों का नाम देश के चारों कोनों-विशाखापत्तनम, मोरमुगाओ, इंफाल और सूरत के प्रमुख शहरों के नाम पर रखा गया है। • आईएनएस विशाखापत्तनम, परियोजना पी-15बी के तहत निर्मित पहला जहाज 21 नवंबर को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
'प्रलय' मिसाइल	**ख़बरों में:** हाल ही में 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन' (DRDO) ने एक नई स्वदेशी रूप से विकसित सतह-से-सतह पर मार करने वाली मिसाइल 'प्रलय' का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। • यह एक ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर और कई नई तकनीकों से संचालित है। • मिसाइल की रेंज 150-500 किलोमीटर है और इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। • मिसाइल गाइडेंस प्रणाली में अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल हैं। • प्रलय' भारत की पहली पारंपरिक अर्द्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है और उत्तरी या पश्चिमी सीमाओं से किसी भी पारंपरिक मिसाइल हमले का जवाब देने में सक्षम है।
आर्मी सिक्योर इंडिजेनस मैसेजिंग एप्लिकेशन (ASIGMA)	**प्रसंग:** भारतीय सेना ने 'ASIGMA' (आर्मी सिक्योर इंडीजीनियस मैसेजिंग एप्लिकेशन) नाम से एक समकालीन मैसेजिंग एप्लिकेशन लॉन्च किया है। **अन्य संबंधित तथ्य** • ASIGMA का अर्थ आर्मी सिक्योर इंडीजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन है। • यह एक नई पीढ़ी, अत्याधुनिक, वेब आधारित एप्लिकेशन है जिसे सेना के सिग्नल कोर के अधिकारियों की टीम द्वारा पूरी तरह से इन-हाउस विकसित किया गया है। • एप्लिकेशन को आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग एप्लिकेशन के प्रतिस्थापन के रूप में सेना के आंतरिक नेटवर्क पर तैनात किया जा रहा है जो पिछले 15 वर्षों से सेवा में है। • आवेदन सेना के स्वामित्व वाले हार्डवेयर पर रखा गया है। • इसमें बहु-स्तरीय सुरक्षा, संदेश प्राथमिकता और ट्रैकिंग सहित कई समकालीन विशेषताएं हैं। • यह भविष्य के लिए तैयार मैसेजिंग एप्लिकेशन सेना की रीयल टाइम डेटा ट्रांसफर और मैसेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करेगा। • ASIGMA को भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप विकसित किया गया है।
चिकित्सा की सिद्ध प्रणाली (Siddha	• स्वास्थ्य देखभाल की सबसे पुरानी संहिताबद्ध परंपराओं में से एक भारतीय उपमहाद्वीप में कई जटिल, उपन्यास

system of medicine)	चिकित्सीय हस्तक्षेपों और उपचार के तौर-तरीकों के साथ उत्पन्न हुई। • मूल बातें और सिद्धांत काफी हद तक पंचबूथम, स्वाद और तीन हास्य पर निर्भर करते हैं। • यह आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त आयुष प्रणालियों के हिस्से के रूप में राज्य संरक्षण प्राप्त है और सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के माध्यम से आबादी के काफी अनुपात को पूरा करता है। • आयुष मंत्रालय प्रत्येक वर्ष अगथियार (Agathiyar) के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सिद्ध दिवस मनाता है, जो मार्गाज़ी (Margazhi) महीने के अय्यिलम तारे के दौरान आता है।
मैग्नेटर (magnetar)	**ख़बरों में:** वैज्ञानिकों ने 1.3 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक मैग्नेटर नामक दुर्लभ श्रेणी के एक कॉम्पैक्ट तारे के बारे में पता लगाया है। इस तारे की छोटी अवधि के चमक को समझने के लिए उन्होंने पहला सुराग खोजा है। • ज्ञात सबसे तीव्र चुंबकीय क्षेत्र वाले ये कॉम्पैक्ट सितारे, जिनमें से केवल 30 हमारी आकाशगंगा में अब तक देखे गए हैं। ये प्रचंड विस्फोटों को झेलते हैं जो अभी भी उनके अप्रत्याशित स्वभाव और उनकी छोटी अवधि के कारण उनके बारे में बहुत कम जानकारी हैं। मैग्नेटर एक अत्यंत मजबूत चुंबकीय क्षेत्र वाला न्यूट्रॉन तारा है। • वैज्ञानिक लंबे समय से इस तरह के छोटे और तीव्र विस्फोटों को लेकर चिंतित हैं। इनकी सूर्य की तुलना में कई बार ऊर्जा की क्षणिक एक्स-रे कंपन और कुछ मिलीसेकंड के अंश से लेकर कुछ माइक्रो सेकंड तक की अवधि होती है। • जब 10 से 25 सौर द्रव्यमान के कुल द्रव्यमान वाले सबसे बड़े (सुपरजाइंट) तारे जैसे बड़े तारे ढह जाते हैं तो वे न्यूट्रॉन तारे बन सकते हैं। • न्यूट्रॉन सितारों के बीच, सबसे तीव्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक छोटा समूह है जिसे मैग्नेटर्स के रूप में जाना जाता है। • यह माना जाता है कि मैग्नेटर्स में विस्फोट उनके मैग्नेटोस्फीयर में अस्थिरता के कारण होता है या उनकी पपड़ी में उत्पन्न एक प्रकार के "भूकंप" ("स्टारक्वेक") के कारण हो सकता है, जो लगभग एक किलोमीटर मोटी एक कठोर और लोचदार परत होती है। • इसके चलते तारे के मैग्नेटोस्फीयर में एक प्रकार की तरंगें बन जाती हैं। ये तरंगें जो सूर्य में अच्छी तरह से जानी जाती हैं, उन्हें अल्फवेन तरंगें कहा जाता है और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के आधार पर बिंदुओं के बीच आगे-पीछे उछलते हुए, वे एक-दूसरे को नष्ट करने वाली ऊर्जा के साथ एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। • विस्फोट में पाए जाने वाले दोलन अल्फ़वेन तरंगों के बीच परस्पर क्रिया द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन के अनुरूप होते हैं, जिनकी ऊर्जा क्रस्ट द्वारा तेजी से अवशोषित होती है।
पैक्सलोविड (Paxlovid)	**संदर्भ :** हाल ही में, यूएस फार्मा जायंट फाइजर को अपने कोविड -19 एंटीवायरल उपचार पैक्सलोविड के लिए USFDA आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। **पैक्सलोविड के बारे में** • पैक्सलोविड दवा, शुरुआती COVID-19 संक्रमणों का इलाज करने का एक तेज़ तरीका है, हालांकि शुरूआती खुराक बेहद सीमित होगी। • यह एक एंटीवायरल कोविड -19 उपचार दवा है, जिसे कम खुराक वाली HIV दवा रटनवीर के संयोजन में प्रशासित किया जाता है। • पैक्सलोविड का उपयोग उन वयस्कों के इलाज के लिए किया जा सकता है, जिन्हें कोविड-19 है, जिन्हें पूर्ण ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है और जिन्हें गंभीर बीमारी के बढ़ने का खतरा है। • सौदे के तहत, इसने कोविड -19 मौखिक (oral) एंटीवायरल उपचार उम्मीदवार पैक्सलोविड के लिए एक स्वैच्छिक लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए। • योग्य जेनेरिक दवा (qualified generic medicine) निर्माताओं को उप-लाइसेंस देकर पैक्सलोविड के उत्पादन और वितरण को भी सुगम बनाया जाएगा।
DNA का उपयोग करके बनाया गया दुनिया का सबसे पुराना वंश ट्री	**संदर्भ :** हाल ही में, वैज्ञानिकों ने यूके के कॉटस्वोल्ड्स में 5,700 साल पुराने मकबरे में मानव हड्डियों से दुनिया के सबसे पुराने परिवार के ट्री को संकलित किया। • ग्लॉस्टरशायर के हेज़लटन उत्तर में नवपाषाण मकबरे, या "केयर्न" में दो एल-आकार के कक्ष हैं, जिनमें से एक उत्तर और दूसरा दक्षिण की ओर है। **अन्य संबंधित तथ्य**

	• ब्रिटेन में लोगों द्वारा खेती शुरू किए जाने के ठीक बाद मकबरा एक महत्वपूर्ण कालखंड का है। • मकबरे में रहने वालों के डीएनए से पता चला कि वहां दफन किए गए लोग एक विस्तारित परिवार की लगातार पांच पीढ़ियों से थे। • मकबरे में पाए जाने वालों में से अधिकांश चार महिलाओं के वंशज थे, जिनके एक ही पुरुष से बच्चे थे। • पहली पीढ़ी की महिलाओं का शायद इस समुदाय की यादों में सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान था। • जबकि मकबरा बहुविवाह के साक्ष्य प्रकट करता है - पुरुषों के कई महिलाओं के साथ बच्चे हैं - यह भी दर्शाता है कि बहुपतित्व भी व्यापक था (एकाधिक पुरुषों के साथ बच्चे वाली महिलाएं)। • **महत्व:** यह कार्य शोधकर्ताओं को इन पाषाण युग के लोगों के बीच परिवार की गतिशीलता को समझने और उनकी संस्कृति के बारे में अधिक जानने में मदद करेगा।
राज्य स्वास्थ्य सूचकांक	संदर्भ: नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया। "स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत" शीर्षक वाली रिपोर्ट राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में साल-दर-साल वृद्धिशील प्रदर्शन के साथ-साथ उनकी समग्र स्थिति के आधार पर रैंक प्रदान करती है। • इस सूचकांक के माध्यम से न केवल राज्यों के ऐतिहासिक प्रदर्शन बल्कि उनके वृद्धिशील प्रदर्शन को भी देखना है। • यह सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा एवं क्रॉस-लर्निंग को प्रोत्साहित करता है। • इस रिपोर्ट का उद्देश्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण और सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रेरित करना है। • रिपोर्ट का चौथा दौर वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 की अवधि में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के समग्र प्रदर्शन और वृद्धिशील सुधार को मापने और उजागर करने पर केंद्रित है।. • राज्य स्वास्थ्य सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिये एक वार्षिक उपकरण है, जिसे वर्ष 2017 में संकलित और प्रकाशित किया गया है। • यह 'स्वास्थ्य परिणामों', 'शासन और सूचना' तथा 'प्रमुख इनपुट/प्रक्रियाओं' के डोमेन के तहत समूहीकृत 24 संकेतकों पर आधारित एक भारित समग्र सूचकांक है • परिणाम संकेतकों के लिए उच्च स्कोर के साथ प्रत्येक डोमेन को उसके महत्व के आधार पर महत्व दिया गया है। • समान संस्थाओं के बीच तुलना सुनिश्चित करने के लिए, रैंकिंग को 'बड़े राज्यों', 'छोटे राज्यों' और 'केंद्र शासित प्रदेशों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। **परिणाम:** • 'बड़े राज्यों' में, वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में, उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना शीर्ष तीन रैंकिंग वाले राज्य हैं। • 'छोटे राज्यों' में मिजोरम और मेघालय ने अधिकतम वार्षिक वृद्धिशील प्रगति दर्ज की। • केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली के बाद जम्मू और कश्मीर ने सबसे अच्छा वृद्धिशील प्रदर्शन दिखाया है।
वार्षिक समीक्षा-2021- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**संदर्भ:** वर्ष 2021 मानव जाति के लिए कुछ अभूतपूर्व चुनौतियाँ लेकर आया। DST और उसके स्वायत्त संस्थानों ने चुनौतियों से निपटने में भारत की मदद करने के लिए खुद को तैयार किया। विभाग ने पिछले साल COVID-19 महामारी के माध्यम से सीखे गए सबक को STI समाधानों के साथ दुनिया तक पहुंचाने के लिए लागू किया, जो हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाए, चाहे वह स्वास्थ्य सेवा, स्थिरता, ऊर्जा दक्षता, जलवायु परिवर्तन, खाद्य उत्पादन या यहां तक कि संदर्भ में भी हो। जिस तरह से हम काम करते हैं। • ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (Global Innovation Index-GII) के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 50 नवीन अर्थव्यवस्थाओं में 46वें स्थान पर पहुंच गया है। • राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन (National Super-Computer Mission-NSM) के तहत, 4 नए सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं। • हाल ही में घोषित वैज्ञानिक और तकनीकी अवसंरचना (Scientific and Technological Infrastructure-

STUTI) का उपयोग करते हुए सहक्रियात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम नामक एक नए कार्यक्रम की परिकल्पना देश भर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना तक खुली पहुंच के माध्यम से मानव संसाधन और इसकी क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए की गई है।

- विश्वविद्यालय शोध और वैज्ञानिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहन " (Promotion of University Research and Scientific Excellence"-PURSE) योजना के अंतर्गत देशभर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों के अनुसंधान एवं विकास आधार को मजबूत करने में सहायता के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के महिला विज्ञान कार्यक्रम ने महिला विश्व विद्यालयों में नवाचार एवं उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय शोध -यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन वूमेन यूनिवर्सिटीज – क्यूरी- सीयूआरआईई) कार्यक्रम के तहत महिला स्नातकोत्तर कॉलेजों को सहायता देने के लिए एक नई पहल शुरू की है और इसके लिए प्रस्ताव भी आमंत्रित किए हैं।
- इसके अलावा, 30 संस्थानों ने आधिकारिक तौर पर इस साल गति-जीएटीआई (जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस) का पायलट प्रोग्राम शुरू किया।
- भारत और जर्मनी के बीच संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में महिला शोधकर्ताओं के लिए पार्श्व प्रवेश (लेटरल इंट्री) के लिए अपनी तरह का पहला कार्यक्रम शुरू किया गया था।
- सामुदायिक स्तर पर विभिन्न अनिश्चितताओं के खिलाफ बेहतर वापसी , विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) सामर्थ्य और अन्य क्षमताओं के निर्माण के लिए सामुदायिक कोविड लचीलापन संसाधन केंद्र (CCRRCs) स्थापित करने की पहल की थी।
    - भोजन में साल्मोनेला, स्टैफिलोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रीडियम परफिरिंगेंस, कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी और कैम्पिलोबैक्टर कोलाई संदूषण का पता लगाने के लिए पॉइंट-ऑफ-केयर, लागत प्रभावी, आसानी से निष्पादित नैदानिक टूलकिट विकसित किए गए।
    - स्क्रब टाइफस का रोगी के स्थान पर ही (ऑनसाइट) पता लगाने के लिए एक पेन ड्राइव आकार का एंड्रॉइड ऐप सक्षम उपयोगकर्ता के अनुकूल डीएनए सेंसर विकसित किया गया।
    - रेशमकीट पालन के लिए रंगीन कृत्रिम आहार का एक गुलदस्ता प्राकृतिक रूप से रंगीन कोकून का उत्पादन करने के लिए विकसित किया गया।
- नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच (NECTAR) के माध्यम से पूर्वोत्तर में दक्षिण सिक्किम के यांगंग गांव में पहली बार केसर की सफल खेती देखी गई।
- भारतीय अनुसंधान समुदाय इंटेल इंडिया के सहयोग से विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) द्वारा लॉन्च किए गए 'औद्योगिक अनुसंधान अनुप्रयोगों के लिए कोष (एफआईआरई) के माध्यम से जल्द ही गहन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में ऐसे उद्योग-प्रासंगिक अनुसंधान के अवसरों का अनुसरण करने में सक्षम होगा जो अनूठे एवं परिवर्तनकारी हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। इंटेल इंडिया के सहयोग से साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड (Science and Engineering Research Board -SERB) द्वारा लॉन्च किया गया।
- DST समर्थित मेक इन इंडिया के तहत कई स्वदेशी स्मार्ट, कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों के साथ आत्मानिर्भर भारत की ओर अग्रसर
- नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (National Innovation Foundation-NIF) के साथ डीएसटी ने कई जमीनी नवाचारों का समर्थन किया है जैसे एटिकोप्पका खिलौने बनाने की पारंपरिक विधि, लक्ष्मी आसू मेकिंग मशीन जिसने पोचमपल्ली रेशम की बुनाई में क्रांति ला दी, और व्यवसाय में शामिल हजारों बुनकरों की मेहनत को भी कम कर दिया है। डेयरी मवेशियों की एक संक्रामक बीमारी, मास्टिटिस के इलाज के लिए पॉलीहर्बल और

किफ़ायती दवा के रूप में।

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) से सहायता प्राप्त अनुसंधान सभी के लिए लाभकारी लागत पर स्वास्थ्य और कल्याण की ओर बढ़ने में सहायक है।

  o शोधकर्ताओं ने " 6बायो (बीआईओ) " नामक एक यौगिक विकसित किया है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) के इलाज के लिए एक बेहतर तरीका प्रदान करता है।

  o जवाहर लाल नेहरु उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (जेएनसीएएसआर) के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जिसके माध्यम से अल्जाइमर रोग (Alzheimer's disease-AD) में न्यूरॉन्स निष्क्रिय होकरने वाले तन्त्र को बाधित किया जाता है।

  o DNA संशोधनों को मापने के लिए एक नई तकनीक कई बीमारियों के शीघ्र निदान में मदद करती है।

  o देश में पहला राष्ट्रीय हृदय विफलता बायोबैंक (National Heart Failure Biobank-NHFB) जो भविष्य के उपचारों के लिए एक गाइड के रूप में रक्त, बायोप्सी और क्लीनिकल डेटा एकत्र करेगा, का उद्घाटन किया गया।

- DST समर्थित अनुसंधान राज्य स्तर की भेद्यता, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के अन्य प्रभावों का आकलन करता है-

  0 शोधकर्ताओं ने पाया है कि बच्चों में कुल संक्रामक रोगों के मामलों में जलवायु मानकों का योगदान 9-18% है।

  0 एक अन्य शोध में पाया गया है कि खनिज धूल, जैव-अपशिष्टों (पराली आदि- बायोमास) का जलना, द्वितीयक सल्फेट, उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान से द्वितीयक नाइट्रेट, दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर, थार रेगिस्तान और अरब सागर क्षेत्र, मध्य और लंबी दूरी तक पहुँच सकने वाले समुद्री मिश्रित एरोसोल इसके मुख्य स्रोत हैं।

  - भारत के उत्तर-पश्चिमी, मध्य हिमालय क्षेत्र में एरोसोल और आगे दक्षिण-मध्य क्षेत्र को पिछली आधी शताब्दी में तीव्र लू (हीटवेव) की घटनाओं का नया हॉटस्पॉट पाया गया, जिसमें तीन हीटवेव हॉटस्पॉट क्षेत्रों में निवासियों के बीच विभिन्न कमजोरियों से निपटने के लिए प्रभावी गर्मी कार्ययोजना (हीट एक्शन प्लान) विकसित करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया।
  - शोधकर्ताओं ने फोटोवोल्टिक और रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों से सौर ऊर्जा उत्पादन को कम करने वाले एरोसोल, धूल और बादलों के आर्थिक प्रभाव की भी गणना की है, पिछले चार दशकों में उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में गंभीर चक्रवाती तूफानों में वृद्धि हुई है, और पाया है कि भूकंप रोधी भवनों के निर्माण का भविष्य थर्मोकोल की सामग्री हो सकती है।

- **बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए:** असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित हिमेबस्ती गांव में भूकंप का पहला ऐसा भूवैज्ञानिक प्रमाण मिला, जिसे इतिहासकारों ने इतिहास में सदिया भूकंप के रूप में प्रलेखित किया, जिसे इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विनाश के लिए दर्ज किया गया है। और इसने लगभग 1697 ईस्वी में शहर को लगभग नष्ट कर दिया था । यह खोज पूर्वी हिमालय के भूकंपीय खतरे के नक्शे में योगदान कर सकती है, जो इस क्षेत्र में निर्माण और योजना की सुविधा प्रदान करती है। दूसरी ओर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतिम भाग की मिशमी पर्वतमाला (MR) जिसने अरुणाचल प्रदेश के कमलांग नगर शहर में हिमालय में दर्ज किए गए अब तक के सबसे बड़े भूकंप के निशान देखे हैं, भारत में व्यापक रूप से वितरित भूकंप पैटर्न है, जबकि इसके विपरीत पश्चिमी और मध्य हिमालय जहां भूकम्पों का पैटर्न सिंधु सुतुरे क्षेत्र (आईएसजेड) के दक्षिण में यूरेशियन और भारतीय प्लेट्स के बीच मार्जिन में लगभग 30 किमी चौड़ा 10 - 20 किमी गहराई पर केंद्रित है ।

- सभी के लिए स्वच्छ और पीने योग्य पानी तक पहुंच में सहायता करना

  0 10 किलो लीटर/दिन की दर से घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए औद्योगिक डाई अपशिष्ट जल के पूर्ण पुन: उपयोग के लिए शून्य निर्वहन जल प्रबंधन प्रणाली को लक्षित करने वाली एक उन्नत उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रिया (AOP) तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

  o यूवी-फोटोकैटलिसिस का उपयोग करने वाली एक नई तकनीक नगरपालिका सीवेज और अत्यधिक प्रदूषणकारी

औद्योगिक अपशिष्ट जल धाराओं का इलाज कर सकती है।

- किसान की आय को दोगुना करने के लिए मूलभूत (जमीनी) स्तर से लेकर प्रयोगशाला तक कृषि प्रौद्योगिकियों में सहायता करना : मूलभूत (ग्रासरूट) प्रौद्योगिकियों जैसे आम की एक किस्म जिसे सदाबहार कहा जाता है, जो कि अधिकांश प्रमुख बीमारियों और आम में सामान्य विकारों के लिए प्रतिरोधी है, काजू के पेड़ों में ताना छेदक कीट (बोरर) के प्रकोप और चक्रवाती तूफानों से बचाने के लिए समर्थन जड़ों को विकसित करने की प्रथा एवं सेब की स्व-परागण वाली किस्म जिसे लंबे समय तक द्रुतशीतन घंटों की आवश्यकता नहीं होती है , की सहायता की गई। वैज्ञानिकों द्वारा परिरक्षकों से भरी हुई कार्बन (ग्राफीन ऑक्साइड) से बना एक मिश्रित कागज विकसित किया गया है जिसे फलों के शेल्फ जीवन को बढ़ाने में मदद करने के लिए रैपर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
- अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकियां कचरे से धन की ओर बढ़ने में मदद करती हैं:

  o दीर्घकालीन पूर्व-उपचार प्रक्रिया के साथ एकीकृत एक अनूठी उच्च प्रदर्शन जैवप्रक्रिया (बायोरिएक्टर) प्रणाली दुग्ध (डेयरी) उद्योग से निकलने वाले जटिल वसा युक्त कीचड़ के अवायवीय (एनैरोबिक) पाचन को सक्षम बनाती है।

  o शोधकर्ताओं ने भवन निर्माण और उनके विध्वंस जनित अपशिष्ट और क्षार-सक्रिय योजकों (बाइंडरों) का उपयोग करके ऊर्जा-कुशल दीवार सामग्री का उत्पादन करने के लिए एक तकनीक विकसित की है।

  o सीवेज और कार्बनिक ठोस अपशिष्ट और बायोगैस और जैव खाद के सहवर्ती उत्पादन के एकीकृत उपचार के लिए एक नई उच्च दर बायोमेथेनेशन तकनीक भूजल और अपशिष्ट जल का उपचार कर सकती है और इसे पीने योग्य पानी में परिवर्तित करती है।

  o एक कम लागत वाली, एकीकृत कंपोस्टिंग तकनीक, जिसमें माइक्रोब-एडेड वर्मिस्टैबिलाइजेशन शामिल है, कम समय में कपड़ा उद्योग से निकलने वाले जहरीले कीचड़ को प्लांट प्रोबायोटिक्स में बदल सकती है।
- **कई नई तकनीकों को विकसित करने में मदद की:**

  o नैनो-सामग्री से एक अत्यधिक स्थिर और गैर-विषाक्त सुरक्षा स्याही जो अपने अद्वितीय रासायनिक गुणों के कारण स्वचालित रूप से प्रकाश (ल्यूमिनसेंट) उत्सर्जित करती है अब ब्रांडेड उपभोक्ता वस्तुओं , बैंक-नोट्स, दवाएं , प्रमाण पत्र, मुद्रा की जालसाजी का प्रतिकार करती है।

  o नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएनएसटी) के वैज्ञानिकों ने उच्च तीव्र गतिशीलता (अल्ट्रा-हाई मोबिलिटी) के साथ इलेक्ट्रॉन गैस का उत्पादन किया है, जो एक उपकरण (डिवाइस) के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में क्वांटम सूचना और सिग्नल के हस्तांतरण को तेज कर सकता है और डेटा संग्रहण एवं स्मृति (स्टोरेज एंड मेमोरी) को बढ़ाता है।

  o डीप लर्निंग (Deep Learning-DL) नेटवर्क पर आधारित एक वर्गीकरण पद्धति स्तन कैंसर के पूर्वानुमान के लिए हार्मोन की स्थिति का मूल्यांकन करती है।

  o आरआरआई के शोधकर्ताओं ने एक ऐसे वातावरण के संपर्क में सामग्री की एक नई विचित्र स्थिति की खोज की है जो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अपने भौतिक गुणों को बदल देती है, जिससे ऐसी बेहतर क्वांटम प्रौद्योगिकियों की प्राप्ति होती है, जिसे उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्देशित और नियंत्रित करने योग्य बनाती हैं।
- लद्दाख में लेह के पास हनले में स्थित भारतीय खगोल भौतिकी (इंडियन इन्स्तित्यूट ऑफ़ एस्ट्रोफिजिक्स –आईएए) की भारतीय खगोलीय वेधशाला (आईएओ) विश्व स्तर पर संभावित वेधशाला स्थलों में से एक बन रही है।
    - अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी करने की एक तेज विधि की पहचान एक प्रकार के सौर रेडियो विस्फोट (सोलर रेडियो बर्स्ट - एसआरबी) में की गई है, जिसे कैलिस्टो नामक सौर रेडियो दूरबीनों के वैश्विक नेटवर्क का उपयोग करते हुए देखा गया है, जो पृथ्वी पर कम मात्र में पाए जाने वाले तत्व लिथियम की उच्च बहुतायत के पीछे के रहस्य का एक संकेत भी है। जब एक सक्रिय आकाशगंगा सामान्य से 10 गुना

	अधिक एक्स-रे उत्सर्जन के साथ ऐसी बहुत प्रकाशित अवस्था में पाई जाती है, जो 10 खरब से अधिक सूर्यों के बराबर होती है तथा 5 अरब प्रकाश-वर्ष दूर स्थित होती है, तो इससे जांच में यह सहायता मिल सकती है कि कण तीव्र गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश की गति से त्वरण के अंतर्गत कैसे व्यवहार करते हैं। ○ पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रदूषण को कम करके एक्सोप्लैनेट से प्राप्त डेटा की सटीकता को बढ़ा सकने और उपकरणों के प्रभावों तथा अन्य कारकों के कारण होने वाले व्यवधानों के समाधान के लिए एक प्रक्रिया (एल्गोरिथम) को विकसित किया गया है वहीं सौरमंडल से परे (एक्स्ट्रासोलर) ग्रहों के वातावरण को समझने के लिए एक नई विधि भी विकसित की गई है। ○ इसके अलावा, अब हमारे पास सौर ज्वालाओं के रहस्य के संकेत भी हैं जो सूर्य पर अशांत चुंबकीय क्षेत्र वाले क्षेत्रों में कोरोनल मॉस इजेक्शन (सीएमई) सौर मौसम की भविष्यवाणियों को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।
वार्षिक समीक्षा-2021- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	● गहरे सागर अभियान को गहरे-समुद्री संसाधनों का पता लगाने, उनका दोहन करने तथा भारत सरकार की नील अर्थव्यवस्था पहल का समर्थन करने की भारत की महत्वाकांक्षी योजना को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया। केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने गहरे सागर अभियान के तहत, भारतीय मानवयुक्त महासागर मिशन, समुद्रयान का शुभारंभ नवंबर 2021 में किया गया। ○ पानी के नीचे खनन प्रणाली को ओआरवी सागर निधि से तैनात किया गया था और पानी के नीचे खनन प्रणाली (वराह- I और II) के प्रायोगिक अंडरकैरिएज सिस्टम के सीबेड लोकोमोशन परीक्षणों को मध्य हिंद महासागर में (सीआईओ) मार्च-अप्रैल 2021 के दौरान 5270 मीटर की गहराई पर 120 मीटर की दूरी पर पानी से संतृप्त नरम मिट्टी पर सफलतापूर्वक किया गया। ○ ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्र (ओएमजेड) की अस्थायी और स्थानिक परिवर्तनशीलता को विशेष रूप से समझने पर बल देने के साथ गहरे समुद्र के भौतिक और जैव-रासायनिक मापदंडों की निगरानी के लिए बंगाल की खाड़ी में दो ग्लाइडर तैनात किए गए। ● पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल (ईएसएसडीपी) को शुभारंभ किया गया। ईएसएसडीपी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत वर्षों तक एकत्र और रखरखाव किए गए डेटा के लगभग 1050 मेटाडेटा रिकॉर्ड रखता है और उन्हें संबंधित डेटा केंद्रों से जोड़ता है। ● उष्णकटिबंधीय चक्रवात तौकाते, यास, गुलाब और शाहीन की आपदा प्रबंधन एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से जमीनी स्तर पर बेहतर समन्वय सटीक और समय पर दिए गए पूर्वानुमानों ने हजारों देशवासियों के मूल्यवान जीवन को बचाने में मदद की। ○ 0 उष्णकटिबंधीय चक्रवात, भारी वर्षा, कोहरा, प्रचंड गर्मी, शीत लहर, गरज के तूफान सहित गंभीर मौसम की घटनाओं के संबंध में पूर्वानुमानों की सटीकता में महत्वपूर्ण रूप से 20 से 40 प्रतिशत तक सुधार किए गए। ○ मुक्तेश्वर, उत्तराखंड और कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में तीन डॉपलर मौसम रडार संचालित किए गए। ○ वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण खुले क्षेत्र में स्थापित एक वेधशाला है जो 100 एकड़ भूमि (मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में भोपाल के उत्तर-पश्चिम में 50 किमी) में फैली हुई है, इस वेधशाला में रडार, विंड प्रोफाइलर, यूएवी आदि जैसी अत्याधुनिक अवलोकन प्रणालियों का उपयोग करके मुख्य मानसून क्षेत्र में मानसून की चाल और भूमि-वायुमंडल को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं पर बेहतर समझ के साथ कार्य किया जाता है। वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह एक अनूठी सुविधा है। प्रमुख मानसून क्षेत्र में विस्तृत वर्षा प्रक्रिया अध्ययन के लिए हाल ही में उपरोक्त सुविधा में एक डुअल-पोलरिमेट्रिक सी-बैंड डॉपलर मौसम रडार को भी संचालित किया गया। ○ लाइटनिंग लोकेशन नेटवर्क के तहत, देश भर में 83 सेंसर स्थापित किए गए हैं। ○ आईआईटीएम ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए उन्नत वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए स्वदेशी निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित की है। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग (NCMRWF) में डेटा एसिमिलेशन (DA) सिस्टम को और अधिक नए

उपग्रह अवलोकनों को आत्मसात करने के लिए अद्यतन किया गया है। आईएमडी की नाउकास्टिंग गतिविधियों का समर्थन करने के लिए एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन रैपिड रिफ्रेश (एचआरआरआर) प्रणाली भी लागू की गई।

- अगले 12 घंटों के लिए पूर्वानुमान उत्पन्न करने के लिए हाई रेजोल्यूशन रैपिड रिफ्रेश (High Resolution Rapid Refresh-HRRR) मॉडल विकसित किया गया।
- पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के क्षेत्र में बहु-विषयक कार्यक्रमों के माध्यम से डोमेन का विस्तार करने के लिए आईआईटीएम पुणे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) / मशीन लर्निंग (एमएल) / डीप लर्निंग (डीएल) पर एक वर्चुअल सेंटर स्थापित किया गया है।
- वर्ष के दौरान, संभावित कोरल ब्लीचिंग पर कई परामर्श (88 नंबर) प्रदान किए गए थे जिनमें दो-सप्ताह में एसएसटी विसंगतियों का उपयोग करते हुए हॉट स्पॉट (एचएस) के स्थल और डिग्री ऑफ हीटिंग वीक्स (डीएचडब्ल्यू) शामिल थी।
- राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (National Centre for Coastal Research -NCCR) द्वारा पुडुचेरी के तटीय जल में (तट से ~1.5 किमी) 10 मीटर की गहराई पर स्थापित किए गए एक जल गुणवत्ता बॉय को 28.07.2021 को तैनात किया गया है। यह पानी की गुणवत्ता और तटीय जल की उत्पादकता में भिन्नता की निगरानी के लिए सेंसर से सुसज्जित एक स्वचालित जल गुणवत्ता वाला बॉय है।
- रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड इन्वेंटराइजेशन सिस्टम (आरईआईएस) कार्यक्रम के तहत भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के भीतर ऑन-बोर्ड एफओआरवी सागर संपदा में एकत्र किए गए नमूनों के टैक्सोनॉमिक अध्ययन से डिकैपोड क्रस्टेशियंस की छह नई प्रजातियां, पॉलीचीट की एक नई प्रजाति और डीप्स ईल की दो प्रजातियां मिलीं।
- एनआईओटी और पीएमईएल-एनओएए के साथ संयुक्त रूप से विकसित संयुक्त ओएमएनआई-आरएएमए हिंद महासागर डेटा पोर्टल का 9 अगस्त 2021 को शुभारंभ किया गया। यह डेटा प्रदर्शन और वितरण के लिए सीधी पहुंच के साथ मौसम विज्ञान और समुद्र संबंधी डेटा सेट की बड़ी जानकारी को प्रदर्शित करेगा।
- देश के अधिकांश हिस्सों में एम: 3.0 या इससे अधिक के किसी भी भूकंप का पता लगाने के लिए परिचालन क्षमता में सुधार करने के लिए 35 नई भूकंपीय वेधशालाओं के साथ मौजूदा राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क को अब 150 स्टेशनों तक सक्षम बनाया गया है।
- भूकंपीय माइक्रोज़ोनेशन कार्य शुरू कर दिया गया है और विभिन्न भूभौतिकीय और भू-तकनीकी सर्वेक्षण प्रगति पर हैं।
- कोयना इंट्राप्लेट भूकंपीय क्षेत्र में कोयना सीस्मोजेनिक क्षेत्र में गहरे पानी के रिसाव को जानने के लिए स्थापित किया गया हैं, जिसमें भौतिक आधार और रॉक संरचनाओं के मैकेनिकल संघटकों के आधार पर कोयना पायलट बोरहोल में 2 से 3 किमी के बीच के कई नुकसान वाले क्षेत्रों को चित्रित किया गया है।
- राष्ट्रीय नेटवर्क परियोजना के तहत, पनडुब्बी भूजल निर्वहन (एसजीडी), राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (एनसीईएसएस) ने एक्वीफर मॉडलिंग तकनीक के माध्यम से भारत के दक्षिण-पश्चिम तटीय क्षेत्र के तीन तटीय क्षेत्रों से एसजीडी प्रवाह का अनुमान लगाया है। एसजीडी विशेषताओं से युक्त एसडब्ल्यू तटीय क्षेत्र में सर्वेक्षण किए गए 640 किमी में से 106.5 किमी की कुल तटीय लंबाई के साथ नौ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।
- अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान (40-आईएसईए) और अंटार्कटिका के लिए 41वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान 2021 में राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा से शुरू किया गया।
  o 41वें अभियान के दो प्रमुख कार्यक्रम हैं। पहले कार्यक्रम में भारती स्टेशन पर अमेरी आइस शेल्फ का भूवैज्ञानिक अन्वेषण शामिल है। इससे अतीत में भारत और अंटार्कटिका के बीच की कड़ी का पता लगाने में मदद मिलेगी।
  o दूसरे कार्यक्रम में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण और नॉर्वेजियन पोलर इंस्टीट्यूट के सहयोग से मैत्री के पास 500 मीटर बर्फ कोर की ड्रिलिंग के लिए टोही सर्वेक्षण और प्रारंभिक कार्य शामिल है। यह पिछले 10,000 वर्षों से अंटार्कटिक जलवायु, पश्चिमी हवाओं, समुद्री-बर्फ और ग्रीनहाउस गैसों की जलवायु स्थिति की समझ में सुधार करने में सहायता प्रदान करेगा।
- इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओश्नोग्राफी (ITCOocean) की स्थापना आईएनसीओआईएस, हैदराबाद में एक यूनेस्को श्रेणी 2 के केंद्र में हुई थी, जिसमें अब तक 95 देशों के प्रशिक्षु रहे हैं। महामारी के कारण

	ऑनलाइन प्रशिक्षण मोड ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिंद महासागर रिम देशों की भागीदारी को बढ़ाने में मदद की है। • "अफ्रीकी-एशियाई-ऑस्ट्रेलियाई मानसून विश्लेषण और भविष्यवाणी (RAMA) के लिए अनुसंधान मूर्ड ऐरे के विकास में तकनीकी सहयोग और उत्तरी हिंद महासागर (OMNI) में मौसम और मानसून पूर्वानुमानों में सुधार के लिए महासागर मूर्ड बॉय नेटवर्क" पर एक कार्यान्वयन समझौता के रूप में एक वर्चुअल कार्यक्रम में हस्ताक्षर किए। • भारत और वियतनाम ने समुद्री विज्ञान और पारिस्थितिकी में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। • नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (एनआईओटी) द्वारा "स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक एप्लीकेशन के लिए रिकॉम्बिनेंट एक्टोइन डीप सी बैक्टीरिया" और पर्यावरणीय सफाई तथा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समुद्री बैक्टीरिया से बायो-सर्फैक्टेंट पर विकसित नवीन प्रौद्योगिकियां विकसित की। • गोवा सरकार के साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान भारती द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ 2021) के सातवें संस्करण का 10-13 दिसंबर, 2021 के दौरान गोवा में आयोजन किया गया। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के दी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च (एनसीपीओआर) आईआईएसएफ 2021 के आयोजन के लिए नोडल एजेंसी थी। आईआईएसएफ 2021 का विषय 'विज्ञान में रचनात्मकता का महोत्सव' था। महोत्सव में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रदर्शन सहित कुल 12 कार्यक्रम थे।

G20 'ट्रोइका' (G20's TROIKA)	**ख़बरों में:** हाल ही में भारत G20 'ट्रोइका' में शामिल हो गया है। • इस कदम के साथ, भारत ने अगले साल G20 की अध्यक्षता संभालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। **अन्य संबंधित तथ्य** • यह G20 के भीतर एक शीर्ष समूह को संदर्भित करता है जिसमें वर्तमान, पिछला और आगामी अध्यक्ष देश यानी इंडोनेशिया, इटली और भारत शामिल हैं। • भारत 1 दिसंबर, 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और वर्ष 2023 में भारत में पहली बार G20 लीडर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। • इटली ने 30-31 अक्तूबर, 2021 के दौरान G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जहाँ भारत ने तालिबान द्वारा अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान के भविष्य के मुद्दे को उठाया था। • इंडोनेशिया ने 2 दिसंबर, 2021 को G20 की अध्यक्षता संभाली। अगले साल के शिखर सम्मेलन का आयोजन "रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रांगर" के समग्र विषय के साथ आयोजित किया जाएगा । • ट्रोइका सदस्य के रूप में भारत G20 के एजेंडे की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर काम करेगा।
G7 (सात आर्थिक शक्तियों के समूह)	**संदर्भ :** सात आर्थिक शक्तियों के समूह (G7) ने रूस को यूक्रेनी सीमा के पास अपने सैन्य निर्माण को कम करने के लिए कहा, चेतावनी दी कि एक आक्रमण के बड़े पैमाने पर परिणाम होंगे और मास्को पर गंभीर आर्थिक कष्ट होगा। **G7 के बारे में** • G7 का अर्थ "सात का समूह" औद्योगिक राष्ट्र है। • इसे 2014 तक G8 (आठ का समूह) के रूप में जाना जाता था, जब रूस को यूक्रेन से क्रीमिया के विलय के कारण बाहर रखा गया था। • **देश:** संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा, जापान, फ्रांस और इटली। • G7 का कोई औपचारिक संविधान या कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है। • यह एक अनौपचारिक ब्लॉक है और वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय गैर-बाध्यकारी होते हैं। • आम तौर पर हर सदस्य देश हर 7 साल में एक बार शिखर सम्मेलन की इसकी मेजबानी करते है।
बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार	**प्रसंग:** हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने औपचारिक रूप से चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड, विशेष रूप से चल रहे उइगर दुरुपयोग के जवाब में आगामी 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की। • राजयनिक बहिष्कार वह होता है जिसमें सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई राजनयिक बड़ी अंतरराष्ट्रीय सभाओं और प्रमुख शिखर सम्मेलनों में या इस तरह के बड़े आयोजनों में शामिल नहीं होते हैं। • यह खेलों का पूरी तरह बहिष्कार नहीं है, क्योंकि अधिकारियों के नहीं रहने के बावजूद खिलाड़ियों का खेल प्रभावित नहीं होगा, जितना कि एक एथलीट के बहिष्कार करने से होता। **शीतकालीन ओलंपिक के बारे में** • शीतकालीन ओलंपिक बर्फ पर खेले जाने वाला खेल है, यह हर चार साल में एक बार आयोजित होने वाला एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन है। • पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल 1924 में फ्रांस के शैमॉनिक्स में आयोजित किया गया था। • ओलंपिक शीतकालीन खेलों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा नियुक्त किया गया था। **उइगरों के बारे में** • उइगर, एक अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह हैं जो मध्य और पूर्वी एशिया के सामान्य क्षेत्र से उत्पन्न और सांस्कृतिक रूप से संबद्ध हैं। • उइगर लोगों को चीन जनवादी गणराज्य के झिंजियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र के मूल निवासी के रूप में मान्यता प्राप्त है। • चीन उनके स्वदेशी समूह होने के विचार को खारिज करता है।

	• अनुमान है कि 2016 के बाद से शिनजियांग के पुनर्शिक्षा शिविरों में दस लाख से अधिक उइगरों को हिरासत में लिया।
पांच मध्य एशियाई नेताओं को आर-डे के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया	**प्रसंग:** भारत ने सभी पांच मध्य एशियाई देशों के नेताओं को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। • अगर वे स्वीकार करते हैं, तो यह पहली बार होगा जब सभी पांच देश गणतंत्र दिवस परेड में एक साथ शामिल होंगे **भारत और मध्य एशिया** • गणतंत्र दिवस की बैठक चाबहार और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से भारत की पहल को मजबूत करने में मदद करेगी। • यह निमंत्रण पूर्व सोवियत राज्यों तक भारत की पहुंच का हिस्सा है, जो 2015 से तेज हो गया। • 2017 में, भारत शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में शामिल हो गया, जिसमें तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर सभी मध्य एशियाई देश सदस्य हैं। • भारत-मध्य एशिया संवाद 2019 में शुरू किया गया था, और जुलाई 2021 में, विदेश मंत्री ने उज्बेकिस्तान में मध्य एशिया-दक्षिण एशिया लिंकेज सम्मेलन में भाग लिया। **क्या आप जानते हैं?** • मध्य एशिया एशिया का एक क्षेत्र है जो पश्चिम में कैस्पियन सागर से लेकर पूर्व में चीन और मंगोलिया तक तथा दक्षिण में अफगानिस्तान और ईरान से लेकर उत्तर में रूस तक फैला हुआ है। • इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान के पूर्व सोवियत गणराज्य शामिल हैं।
पैनेक्स-21 (PANEX-21)	**संदर्भ :** हाल ही में नई दिल्ली में बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (बिम्सटेक) देशों के लिये बंगाल की खाड़ी पहल के सदस्य देशों के लिये पैनेक्स-21 नामक एक कर्टन रेज़र इवेंट आयोजित किया गया था। **अन्य संबंधित तथ्य** • यह अभ्यास 20 से 22 दिसंबर 2021 तक पुणे में आयोजित करने की योजना है। • और इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका तथा थाईलैंड के विषय विशेषज्ञों एवं प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। **बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक)** • यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में स्थित सात सदस्य राज्य शामिल हैं। • यह संगठन 1997 में बैंकाक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। • **सदस्य राज्य:** बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड।
UNSC ने अफगान सहायता को	**संदर्भ:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council -UNSC) ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए तालिबान के खिलाफ प्रतिबंधों को हटाने की अनुमति दी। **अन्य संबंधित तथ्य**

आसान बनाने के लिए संकल्प अपनाया	• इस नक्काशी में अफ़ग़ानिस्तान में आवश्यक मानवीय सहायता और अन्य गतिविधियों को शामिल किया गया है जो बुनियादी मानवीय ज़रूरतों का समर्थन करती हैं। • संकल्प (2615) में हर छह महीने में नक्काशी की समीक्षा अनिवार्य है। • यह भी अनुरोध है कि एक आपातकालीन राहत समन्वयक सहायता के वितरण और कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं के बारे में हर छह महीने में UNSC को जानकारी दे। • यह मानवाधिकारों का सम्मान करने और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने के लिए "सभी पक्षों से आह्वान" भी करता है। **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में** • UNSC संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है। • इस पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का आरोप है। • **स्थायी सदस्य (P5):** रूस, यूके, फ्रांस, चीन और यूएसए। • सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य भी हैं, जिन्हें क्षेत्रीय आधार पर दो साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। • इस निकाय की अध्यक्षता 15 सदस्यों के बीच महीने के रूप में होती है।
मिशन सागर	**संदर्भ:** मिशन सागर के अंतर्गत मई 2020 से भारतीय नौसेना द्वारा की गई तैनाती के हिस्से के रूप में, भारतीय नौसेना के जहाज केसरी ने हाल ही में मापुटो, मोजाम्बिक के बंदरगाह में प्रवेश किया। **अन्य सम्बन्धित तथ्य** • वर्तमान में जारी सूखे और महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए मोजाम्बिक सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए आईएनएस केसरी द्वारा 500 टन खाद्य सहायता भेजी गई। • भारत ने मोज़ाम्बिक को दो तेज़ इंटरसेप्टर क्राफ्ट और आत्मरक्षा सैन्य उपकरण भी दिये हैं। **मिशन सागर के बारे में:** • मई 2020 में शुरू किया गया 'मिशन सागर' हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों में देशों को कोविड-19 संबंधित सहायता प्रदान करने हेतु भारत की पहल थी। इसके तहत मालदीव, मॉरीशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स जैसे देश शामिल थे। • इसके बाद नवंबर में मिशन सागर II और दिसंबर 2020 में मिशन सागर III द्वारा किया गया। • मिशन सागर 1- भारत ने मई 2020 में आईएनएस केसरी को खाद्य पदार्थों, दवाओं और चिकित्सा सहायता टीमों के साथ मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस और ला रीयूनियन भेजा। • मिशन सागर 2- नवंबर 2020 में, आईएनएस ऐरावत सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया में भोजन पहुंचा रहा था। • मिशन सागर 3- दिसंबर 2020 में, आईएनएस किल्टन ने वियतनाम और कंबोडिया में विनाशकारी बाढ़ के बाद आपदा राहत के लिए 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) लेकर कंबोडिया और वियतनाम को भेजा गया। • मिशन सागर 4- मार्च 2021 में, आईएनएस जलाश्व द्वीप राष्ट्र को 1000 मीट्रिक टन चावल पहुंचाने के लिए पोर्ट अंजुआन, कोमोरोस पहुंचा। **क्या आप जानते हैं?** • एक लैंडिंग शिप टैंक (बड़ा) आईएनएस केसरी ने मई-जून 2020 में मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को मानवीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए इसी तरह का मिशन शुरू किया था, जिसमें विभिन्न स्थानों पर भारतीय नौसेना की चिकित्सा सहायता टीमों की तैनाती भी शामिल थी। • मई 2020 से, भारतीय नौसेना ने सागर मिशन के तहत 15 मित्र देशों में जहाजों को तैनात किया।
UNSC की आतंकवाद निरोधी समिति	**संदर्भ :** भारत 10 साल बाद जनवरी 2022 में UNSC की आतंकवाद-रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। **अन्य संबंधित तथ्य** • काउंटर-टेररिज्म कमेटी की स्थापना सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 द्वारा की गई थी, जिसे सर्वसम्मति से 28 सितंबर 2001 को अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमलों के मद्देनजर अपनाया गया था।

	• समिति को संकल्प 1373 के कार्यान्वयन की निगरानी करने का काम सौंपा गया था, जिसमें देशों से घरेलू और दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए अपनी कानूनी और संस्थागत क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से कई उपायों को लागू करने का अनुरोध किया गया था। • यह भी शामिल है: ○ आतंकवाद के वित्तपोषण के अपराधीकरण के लिए कदम उठाना ○ आतंकवाद के कृत्यों में शामिल व्यक्तियों से संबंधित किसी भी फंड को फ्रीज करना ○ आतंकवादी समूहों के लिए सभी प्रकार की वित्तीय सहायता से इनकार करना ○ सुरक्षित आश्रय के प्रावधान को दबाने ○ आतंकवादियों का भरण-पोषण या समर्थन करना और आतंकवादी कृत्यों का अभ्यास करने वाले या योजना बनाने वाले किसी भी समूह पर अन्य सरकारों के साथ जानकारी साझा करना शामिल है। • इसके अलावा, समिति आतंकवादी कृत्यों में शामिल लोगों की जांच, पता लगाने, गिरफ्तारी, प्रत्यर्पण और अभियोजन में अन्य सरकारों के साथ सहयोग करने के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी करती है और आतंकवाद के लिए सक्रिय और निष्क्रिय सहायता को अपराध बनाती है।
भारत, ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम मुक्त व्यापार समझौता	**संदर्भ:** भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अंतरिम मुक्त व्यापार समझौते (free trade agreement-FTA) के लिए जल्द ही बातचीत पूरी होने की उम्मीद है। **अन्य संबंधित तथ्य** • इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है। • अंतिम समझौता, जिसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) के रूप में जाना जाता है, के 2022 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। • इस समझौते में सामान, सेवाएं, निवेश, उत्पत्ति के नियम, सीमा शुल्क सुविधा, कानूनी और संस्थागत मुद्दे जैसे क्षेत्र शामिल हैं। • संयुक्त अरब अमीरात के साथ इसी तरह के समझौते पर मार्च 2022 में हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। • इस नए रणनीतिक आर्थिक समझौते से हस्ताक्षरित समझौते के पांच वर्षों के भीतर सामान में द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने और सेवाओं में व्यापार को 15 अरब डॉलर तक बढ़ाने की उम्मीद है।

विविध

विश्व एड्स दिवस	• पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को 'विश्व एड्स दिवस' (World AIDS Day) मनाया जाता है। • एड्स, 'ह्यूमन इम्यूनो वायरस' (एचआईवी) के संक्रमण के कारण होने वाली एक महामारी है, जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है। • वायरस का एक मुख्य कारण संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने, ब्लड चढ़ाने के दौरान शरीर में एचआईवी संक्रमित रक्त के चढ़ जाने से, एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति पर इस्तेमाल की गई इंजेक्शन की सुई का इस्तेमाल करने से फ़ैल सकता है। • एड्स के लक्षणों में वजन कम होना, बुखार या रात को पसीना आना, थकान और बार-बार होने वाले संक्रमण शामिल हैं। • एड्स एक जानलेवा बीमारी है। इस रोग का अभी तक कोई समुचित इलाज उपलब्ध नहीं है। इस रोग से दूर रहने के लिए बचाव ही एकमात्र बेहतरीन उपाय है। • वर्ष 2021 की थीम: असमानता को समाप्त कर एड्स का अंत करें (End inequalities. End AIDS)। **भारत द्वारा पहल** • भारत का अनूठा एचआईवी रोकथाम मॉडल 'सामाजिक अनुबंध' की अवधारणा के आसपास केंद्रित है जिसके माध्यम से 'लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम' लागू किया जाता है। • एचआईवी और एड्स रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 2017, संक्रमित और प्रभावित आबादी के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक कानूनी और सक्षम ढांचा प्रदान करता है। • भारत 14 लाख के करीब लोगों को मुफ्त एंटी-रेट्रो-वायरल उपचार प्रदान कर रहा है। • **प्रोजेक्ट सनराइज:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (2016) द्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों में बढ़ते एचआईवी प्रसार से निपटने के लिए शुरू किया गया। • **लाल रिबन:** रिबन पहनना विश्व एड्स दिवस से पहले और उसके दौरान जागरूकता बढ़ाने का एक तरीका है। • एड्स, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक कोष (जीएफएटीएम): इसे महामारी के रूप में एड्स, तपेदिक और मलेरिया के अंत में तेजी लाने के लिए बनाया गया है। **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम** • **द्वारा शुरू किया गया:** राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) 1992-1999 में शुरू किया गया। • नाको (NACO) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रभाग है। • भारत धीरे-धीरे एचआईवी के साथ जी रहे लोगों को डोलटेग्रेविर (एक सुरक्षित और प्रभावोत्पादक एंटी-रेट्रो-वायरल दवा आहार) में परिवर्तित कर रहा है।
लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन (Summit for Democracy)	**संदर्भ:** हाल ही में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित किया गया था। **मुख्य तथ्य** • भारत ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया को सोशल मीडिया और क्रिप्टोकरेंसी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानदंडों को भी संयुक्त रूप से आकार देना चाहिए। • संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने डेमोक्रेटिक नवीनीकरण के लिए राष्ट्रपति की पहल की स्थापना की घोषणा की। ○ इसके अंतर्गत, प्रशासन ने मुक्त मीडिया का समर्थन करने, भ्रष्टाचार से लड़ने, लोकतांत्रिक सुधारों को मजबूत करने, प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए $424.4 मिलियन प्रदान करने की योजना बनाई।
आत्मानिर्भर हस्तशिल्पकार योजना का शुभारंभ	• **द्वारा:** उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (North Eastern Development Finance Corporation Ltd. (NEDFi), उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है। • इस योजना के तहत, NEDFi उत्तर पूर्व क्षेत्र के जमीनी स्तर के कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। • **उद्देश्य:** आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना के तहत उत्तर पूर्व क्षेत्र के कारीगरों को सावधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता मिलेगी। यह सावधि ऋण कारीगर क्षेत्र की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण/कार्यशील पूंजी की आवश्यकता तथा अन्य गतिविधियों के लिए आय सृजन गतिविधियों के लिए दिया जाएगा।
सी. राजगोपालाचारी	• सी. राजगोपालाचारी (1878-1972) एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, गांधी के सहयोगी और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे।

(1878-1972)	• राजगोपालाचारी ने 1957 में जिस रास्ते पर चल रहे थे, उससे मोह भंग होने के बाद कांग्रेस से अलग हो गए। • उन्होंने 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, जो शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांतों और मुक्त उद्यम की पछधर थी। • चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जिन्हें लोकप्रिय रूप से सी आर या राजाजी के नाम से जाना जाता है। • उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
स्वर्णिम विजय पर्व	**ख़बरों में:** हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत और भारत-बांग्लादेश मित्रता के 50 साल पूरे होने के मौके पर इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया। • स्वर्णिम विजय पर्व समारोह 2 दिनों तक चलेगा।
घरेलू पीएनजी के लिए नया गैस स्टोव	**संदर्भ :** हाल ही में पेट्रोलियम संरक्षण और अनुसंधान संघ (पीसीआरए) ने देहरादून स्थित पेट्रोलियम संस्थान के साथ मिलकर उन घरों के लिए कम ऊर्जा खपत वाला पीएनजी बर्नर/गैस स्टोव विकसित किया है, जहां पाइप के जरिए गैस की आपूर्ति की जाती है। इससे पीएनजी के लिए संशोधित एलपीजी स्टोव की तुलना में गैस की बचत होगी। **अन्य संबंधित तथ्य** • यह देश में अपनी तरह का पहला उत्पाद है। • चूल्हे को उत्कृष्ट ताप दक्षता के लिए अपग्रेड किया गया है। • नवनिर्मित पीएनजी संशोधित एलपीजी स्टोव के 40% की अधिकतम दक्षता की तुलना में लगभग 55% की थर्मल दक्षता पर अच्छी तरह से काम करता है। • इसकी कीमत लगभग सामान्य एलपीजी स्टोव के समान है। **इस तरह करेगा गैस की बचत** • पीएनजी बर्नर युक्त चूल्हे में मिक्सिंग ट्यूब में बदलाव किया गया है। (एल्यूमिनियम एलॉय की ट्यूब बर्नर के पीछे के हिस्से पर अटैच होती है) • चूल्हे के बटन के पास लगने वाले जेट को भी ऊर्जा संरक्षण के लिहाज से बनाया गया। • बर्नर के छेद के डायामीटर इस तरह रखा गया है, ताकि गैस की बचत हो सके। • लोडिंग टॉप (बर्तन रखने वाली जगह) को अन्य चूल्हे की अपेक्षा थोड़ा ऊंचा रखा गया है।
फिन का बुनकर पक्षी (Finn's weaver bird) 	**ख़बरों में :** फिन बुनकर पक्षी (Finn's weaver bird), वैज्ञानिक नाम: प्लोसियस मेगरिंचस (Ploceus megarhynchus), की संख्या भारत में 500 से कम बची है। • यह पक्षी अब तक 'अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण' (IUCN) की रेड लिस्ट में "संवेदनशील" (Vulnerable) के रूप में सूचीबद्ध था। इसे अब, "लुप्तप्राय" (Endangered) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। • यह पक्षी मुख्य रूप से उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई घास के मैदानों, और इसके अलावा असम में कुछ इलाकों में में पाया जाता है।
श्री रमना काली मंदिर	**प्रसंग :** हाल ही में 17 दिसंबर, 2021 को, भारत के राष्ट्रपति द्वारा ढाका में स्थित • श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया गया। जिसे 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना द्वारा विध्वंस कर दिया गया था। **अन्य संबंधित तथ्य** • रमना काली मंदिर ढाका में स्थित एक मंदिर है, जो मुगल काल में निर्मित हुआ था। • यह मंदिर हिंदू देवी माता काली को समर्पित है। • इसे रमना कालीबारी के नाम से भी जाना जाता है। • यह मंदिर उत्तर भारत में प्रचलित नागर शैली में निर्मित है। • भारत सरकार के द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया है। • 50वें विजय दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है।
संभावित सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा	• परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों को मंजूरी महाराष्ट्र के जैतापुर में एक साइट को दी गई है जो इसे भारत में 9,900 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बनाएगा।

उत्पादन स्थल	• वर्तमान में, मेसर्स के साथ परियोजना प्रस्ताव पर तकनीकी-व्यावसायिक चर्चा होनी है। • भारत में वर्तमान में स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 6780 मेगावाट है और भारत में कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा वर्ष 2020-2021 में लगभग 3.1 प्रतिशत है।
ड्रुक ग्यालपो (Druk Gyalpo) का आदेश	• भूटान ने अपने राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो' से सम्मानित किया। • इसे "नगदग पेल जी खोरलो" के नाम से भी जाना जाता है। • पुरस्कार की घोषणा भूटान के 114वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर की गई। • यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है तथा भूटान साम्राज्य और वहाँ के आम लोगों की सेवा करने हेतु सम्मानित किया जाता है।
तमिल थाई वज़्थु (Tamil Thai Vaazhthu)	• तमिलनाडु सरकार ने 'तमिल थाई वज़्थु (Tamil Thaai Vaazhthu)', तमिल माँ की स्तुति में गाए जाने वाले एक प्रार्थना गीत को राजकीय गीत घोषित किया है। • इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दिव्यांगों को छोड़कर सभी को 55 सेकेंड का लंबा गीत गाते समय खड़ा रहना चाहिए। • मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने कहा कि दो सप्ताह से भी कम समय में सरकारी आदेश आया है कि "कोई वैधानिक या कार्यकारी आदेश नहीं है जिसमें उपस्थित लोगों को तमिल थाई वज़्थु गाए जाने पर खड़े होने की आवश्यकता हो।"
बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान 'कपिला	**इसके लिए अभियान शुरू किया गया है** • बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम या KAPILA शिक्षा मंत्रालय द्वारा पेटेंट जागरूकता बढ़ाना। • इस अभियान के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को अपने आविष्कार को पेटेंट कराने हेतु आवेदन प्रक्रिया की सही जानकारी प्राप्त होगी और वे अपने अधिकारों के विषय में जागरूक होंगे। • इस पहल के तहत, आईपी क्लिनिक, केस स्टडीज / नवाचार और बौद्धिक संपदा के संबंध में लेख और ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह (एनआईपीएलडब्ल्यू) जैसी गतिविधियां आयोजित की गई हैं। • कपिला (KAPILA) जागरूकता कार्यक्रमों के लिए 46,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है। इस उद्देश्य के लिए एक कपिला पोर्टल भी शुरू किया गया है।
नई मंजिल योजना (Nai Manzil Scheme)	**संदर्भ:** यह योजना मुख्य रूप से 17 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है। वे स्कूल छोड़ने वाले और मदरसों जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षित युवा हैं। चयनित युवाओं को 'नई मंजिल योजना' के तहत प्रमाणन के साथ कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। • इस योजना में अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए 30% सीट आरक्षित है। • यह योजना युवाओं को संगठित क्षेत्र में बेहतर रोजगार तलाशने में मदद करती है। • इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विकलांग व्यक्तियों के लिए लाभार्थी सीटों का 5%। • यह योजना लाभार्थियों को बेहतर रोजगार और आजीविका प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए औपचारिक शिक्षा (कक्षा आठवीं या दसवीं) और कौशल का एक संयोजन प्रदान करती है। **नई रोशनी योजना** • इस योजना का उद्देश्य छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों यानी सिख, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई और पारसी से संबंधित महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए ज्ञान, उपकरण और तकनीक प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाना और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना है। • यह 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु वर्ग के बीच अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है; महिलाओं के लिए कार्यक्रम, स्वास्थ्य और स्वच्छता, महिलाओं के कानूनी अधिकार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत, जीवन कौशल, और सामाजिक तथा व्यवहार परिवर्तन के लिए एडवोकेसी

	(Advocacy) से संबंधित क्षेत्रों को कवर करना।
भारत में डिजिटल लेनदेन	• पिछले 3 वर्षों के दौरान वर्ष 2018-19 से डिजिटल लेनदेन की मात्रा में 88% की वृद्धि हुई है। • भारत का अपना भुगतान प्लेटफॉर्म, UPI देश के पसंदीदा डिजिटल भुगतान विकल्प के रूप में उभरा है, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 22 बिलियन से अधिक लेनदेन पंजीकृत हैं, जो पिछले 3 वर्षों में 4 गुना वृद्धि दर्शाता है। • PMJDY खाताधारकों को 31.17 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए।
डेसमंड टूटू (Desmond Tutu)	**संदर्भ :** देश में नस्ली भेदभाव से लड़ने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद संघर्ष के प्रतीक आर्चबिशप डेसमंड टूटू का निधन हो गया। • वह 90 वर्ष के थे। • डेसमंड टूटू ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के विरोध के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। **अन्य संबंधित तथ्य** • रंगभेद विरोधी प्रतीक नेल्सन मंडेला के समकालीन, वह 1948 से 1991 तक दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत बहुमत के खिलाफ श्वेत अल्पसंख्यक सरकार द्वारा लागू नस्लीय अलगाव और भेदभाव की नीति को समाप्त करने के लिए आंदोलन के पीछे प्रेरक शक्तियों में से एक थे। • नोबेल समिति ने उन्हें 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया, क्योंकि वह "दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समस्या को हल करने के अभियान में एक एकीकृत नेता थे।
ईरान का नया अंतरिक्ष प्रक्षेपण	**संदर्भ:** ईरान ने घोषणा की कि उसने एक नया अंतरिक्ष प्रक्षेपण किया है। • सिमोर्ग (फीनिक्स) उपग्रह लांचर ने अंतरिक्ष में तीन शोध कार्गो को ले गया। • 2015 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231, परमाणु समझौते का समर्थन करते हुए, ईरानी रॉकेट या मिसाइल प्रक्षेपण पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया।

राजव्यवस्था और शासन

सहकारी क्षेत्र सुधार

सन्दर्भ: 'सहयोग विफल हो गया है, लेकिन सहयोग अवश्य ही सफल होना चाहिए,' अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने 1954 में लिखा था।

- यह फैसला 1904 के पहले सहकारी कानून के पांच दशक बाद आया है। मद्रास प्रेसीडेंसी के गवर्नर लॉर्ड वेनलॉक ने भारत में यूरोपीय सहकारी समितियों की नकल करने का गंभीरता से प्रयास किया था।
- इस प्रयोग के लिए मद्रास आदर्श था क्योंकि इसकी निधियों में समान संस्थान थे।

यूरोपीय सहकारिता

- फ्रेडरिक राइफ़ेसेन, जिन्होंने जर्मनी में हमवतन शुल्ज़े-डेलित्ज़्च और इटली के लुज़ाट्टी के साथ मिलकर यूरोप में सहकारी समितियों का बीड़ा उठाया।
- रायफीसेन ने उन्हें स्व-सहायता, स्व-शासन और स्व-जिम्मेदारी के सिद्धांतों पर आधारित किया।
- वित्तीय संकटों के खिलाफ अपनी विश्वसनीयता और लचीलेपन के लिए जाने जाने वाले, अधिकांश को राइफेनबैंक के रूप में जाना जाता था, जो यूरोप और अमेरिका के अन्य हिस्सों में फैल रहा था।

भारत सहकारिता और चुनौतियां

- औपनिवेशिक शासकों ने 23 अक्टूबर, 1903 को सहकारी समितियां विधेयक पेश करते हुए कहा था कि इस विधेयक में 'छोटे और साधारण लोगों के लिए छोटी और सरल साख समितियां बनाने की मांग की गई है, जिनकी साधारण जरूरतें और केवल छोटी रकम की आवश्यकता है'।
- इस बात पर जोर दिया गया था कि 'सहकारिता का निर्माण नीचे से होना चाहिए, ऊपर से नहीं'।
- हालांकि, भारत के पास जो कुछ था वह एक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक नीति थी। यह यूरोप के विपरीत 'केंद्र सरकार के प्रस्तावों' द्वारा बनाया गया था।
- पिछले कुछ वर्षों में सहयोग पर सरकारी पकड़ ढीली करने की चुनौती थी। लेकिन, राजनीतिक तटस्थता के मूल सहकारी सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए, सरकारी नियंत्रण केवल बढ़ा है। यह राजनीतिक वर्ग की सामूहिक विफलता को दर्शाता है।
- आजादी के बाद सहकारी संस्थाएं योजना और राज्य कार्रवाई का एक साधन बन गईं।
- आश्चर्य नहीं कि अमूल, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) और कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (KRIBHCO) जैसी सबसे सफल भारतीय सहकारी समितियां सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं।
- वैश्विक स्तर पर, परिसंपत्ति आकार के हिसाब से शीर्ष 10 सहकारी समितियों में से सात वित्तीय क्षेत्र से हैं। भारतीय वित्तीय क्षेत्र संपत्ति के आकार की तस्वीर में कहीं नहीं है।
- जब कोई सहकारी बैंक बड़ा होता है, तो उसकी सहकारिता बनाए रखना एक चुनौती होती है। सहकारी समितियां भी नियामक मध्यस्थता, उधार देने और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों को दरकिनार करने के लिए रास्ते बन गई हैं।
- सहकारी बैंकिंग को ऊपर से नीचे की गुणवत्ता का सामना करना पड़ा। शहरी सहकारी समितियों के लिए एक छत्र संगठन और केंद्र में एक नया सहकारिता मंत्रालय जैसी हालिया पहल सुरक्षा उपायों के अभाव में इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की धमकी देती है।

अपनाए जाने वाले उपाय

1. सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) की शक्तियों को कम करने की आवश्यकता है-

- एक ब्रिटिश भारतीय नवाचार, यह एक सूत्रधार की अपनी मूल भूमिका पर टिके रहने में विफल रहा: एक मित्र, दार्शनिक, और सहकारी समितियों के लिए मार्गदर्शक।
- लगभग सभी राज्यों में, आरसीएस निरीक्षण और प्रभुत्व का एक साधन बन गया है, जो एक समान उप-नियमों को लागू करता है, और जब व्यक्तिगत समाज लाइन में नहीं आते हैं तो उन्हें संशोधित करता है।
- RCS को स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छूट प्रदान करने का अधिकार था। लेकिन, 1919 में मोंटेग्यू-

	चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स द्वारा प्रांतों के तहत सहयोग रखने के बाद भी स्थिति जारी रही। स्वतंत्रता के बाद भी RCS का प्रभाव जारी रहा। • कुछ राज्य सहकारी बोर्डों के समग्र अधिग्रहण का भी प्रावधान करते हैं। • RCS से सहकारी संघों को काम हस्तांतरित करने की आवश्यकता है - जैसा कि सिंगापुर में है। **2. ग्रामीण-शहरी विरोधाभास से छुटकारा पाएं** • सहकारी समितियों के नियामक व्यवहार में ग्रामीण-शहरी विरोधाभास विशिष्ट और पुराना है। • यह संचालन की प्रकृति और जनसंख्या के आकार के आधार पर सदियों पुराने विभाजन को स्थिर रखता है। • जब विनियमन संगठनों की सहकारी प्रकृति पर आधारित हो तो ऐसे मतभेद महत्वहीन होते हैं। **3. सुव्यवस्थित विनियमन** • सहकारी बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण को शहरी बैंकों के लिए आरबीआई से और ग्रामीण बैंकों के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से एक नए निकाय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। • आरबीआई के साथ पर्यवेक्षी शक्तियों के संयोजन के तर्क सहकारी संस्थाओं के लिए सही नहीं हैं। • इसके अलावा, नया नियामक निकाय इन संस्थानों के विनियमन पर नए सिरे से विचार करना सुनिश्चित करेगा, जिन पर बेसल समिति जैसे कड़े नियमों को लागू करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। • जहां तक नाबार्ड का सवाल है, ग्रामीण सहकारी समितियों (और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) का निरीक्षण करने का बोझ संसाधनों की बर्बादी के अलावा, अपने मूल अधिदेश से ध्यान भटकाने वाला है। • भारत में, बहु-एजेंसी दृष्टिकोण अपनाने, विशेष रूप से बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद, वाणिज्यिक और सहकारी दोनों बैंकों की दक्षता को प्रभावित किया है।
आंगनबाड़ियों को फिर से खोलने की जरूरत	**ख़बरों में:** अप्रैल 2020-लॉकडाउन के बाद से बंद होने के कारण, आंगनवाड़ी धीरे-धीरे फिर से खुल रही हैं। **आंगनबाड़ियों का क्या महत्व है?** • एकीकृत बाल विकास सेवाओं (Integrated Child Development Services -ICDS) के हिस्से के रूप में, आंगनबाड़ियां बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं प्रदान करके परिवारों, विशेष रूप से निम्न-आय वाले परिवारों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। • विश्व में सबसे बड़ा, ICDS भारत में 0-6 वर्ष की आयु के लगभग 88 मिलियन बच्चों को कवर करता है। • उनके बंद होने से सेवा वितरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और एक सामाजिक सुरक्षा जाल कमजोर हुआ। • आंगनवाड़ियों के फिर से शुरू होने के बावजूद, बंद होने से चाइल्डकैअर केंद्रों के रूप में काम करने की उनकी क्षमता प्रभावित हुई है। **आंगनबाड़ियों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?** • पोषण पर प्राथमिक सूचना-स्रोत होने के बावजूद, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास महत्वपूर्ण ज्ञान की कमी हो सकती है। • 2018-19 में किए गए सर्वेक्षणों में पाया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सूचीबद्ध माताओं में, पूरक आहार (54%) और हाथ धोने (49%) जैसे प्रमुख स्वास्थ्य व्यवहारों के बारे में ज्ञान कम था। • आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास बचपन की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) प्रदान करने के लिए अक्सर समर्थन या प्रशिक्षण नहीं होता है। • प्रशासनिक जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण समय लगता है, और प्री-स्कूल शिक्षा जैसी मुख्य सेवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। o एक सामान्य कार्यकर्ता अपने अनुशंसित दैनिक 120 मिनट की तुलना में अपने समय का अनुमानित 10% - प्रति दिन 28 मिनट - पूर्व-विद्यालय शिक्षा पर खर्च करता है। • आंगनबाड़ियों में अधिकतर पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव होता है। नीति आयोग ने पाया कि केवल 59% आंगनवाड़ियों में बच्चों और कार्यकर्ताओं के लिए पर्याप्त बैठने की जगह थी, और आधे से अधिक अस्वच्छ थे।

	• NFHS-4 के आंकड़ों के अनुसार, आंगनवाड़ियों में प्रारंभिक चाइल्डकैअर सेवाओं का उपयोग केवल 28% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 42% है। **आगे की राह** • आंगनवाड़ियों के फिर से खुलने पर, हमें सफलता के प्रदर्शित इतिहास के साथ हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देनी चाहिए और नए का मूल्यांकन करना चाहिए। • ओडिशा और आंध्र प्रदेश (और विश्व स्तर पर) में किए गए अध्ययनों में पाया गया है कि घर के दौरे, जहां स्वयंसेवक बच्चों और देखभाल करने वालों के साथ काम करते हैं, ने बौनेपन को कम करते हुए संज्ञान, भाषा, मोटर विकास और पोषण सेवन में काफी सुधार किया है। • कई राज्यों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कॅरियर प्रोत्साहन और पारिश्रमिक में सुधार करना होगा। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि उनके पास अधिक समय आंगनवाड़ियों में अतिरिक्त कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना है। • नीति निर्माताओं ने आंगनवाड़ियों और प्राथमिक विद्यालयों को जोड़ने का प्रयास किया है ताकि अभिसरण को मजबूत और आंगनवाड़ियों में डेकेयर की अवधि का विस्तार किया जा सके। • गर्भावस्था के दौरान महिलाओं तक पहुंचने से उनके बच्चों द्वारा आईसीडीएस सेवाओं का उपयोग करने की संभावना बढ़ सकती है। **निष्कर्ष** • बचपन की सेवाओं के दुनिया के सबसे बड़े प्रदाता के रूप में, आंगनवाड़ी पूरे भारत में बच्चों के जीवन परिणामों में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन परिणामों में सुधार करने के लिए, हमें आंगनवाड़ियों में और अधिक महत्वपूर्ण निवेश करने की आवश्यकता है, और सिद्ध नवीन हस्तक्षेपों को रोल आउट करना होगा।
AFSPA और पूर्वोत्तर	**संदर्भ:** हाल ही में नागालैंड कैबिनेट ने राज्य के मोन जिले में हुई घटना के बाद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA), 1958 को राज्य से निरस्त करने की सिफारिश की थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने 13 नागरिकों को मार गिराया था। • उत्तर पूर्वी राज्यों में यह लंबे समय से मांग की जा रही है। फायरिंग के बाद, नागालैंड और मेघालय के सीएम दोनों ने AFSPA को निरस्त करने का आह्वान किया है **AFSPA क्या है?** • **औपनिवेशिक विरासत जारी रहना :** 1942 में यह अधिनियम अपने मूल रूप में भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में अंग्रेजों द्वारा प्रख्यापित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद, सरकार ने अधिनियम को बनाए रखने का निर्णय लिया, जिसे पहले एक आयुध के रूप में लाया गया और फिर 1958 में एक अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया। • **लागू करने की शक्ति:** AFSPA को धारा 3 के तहत "अशांत" घोषित किए जाने के बाद, केंद्र राज्य के उसके कुछ हिस्सों पर लगाया जाता है। अधिनियम इन्हें ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करता है जो "अशांत" हैं। खतरनाक स्थिति है कि नागरिक शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है"। • **सशस्त्र बलों को विशेष शक्ति:** इस अधिनियम को जटिल कहा गया है, यह सशस्त्र बलों को व्यापक अधिकार देता है। यह उन्हें कानून का उल्लंघन करने वाले या हथियार और गोला-बारूद ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ 'गोलीबारी' करने की अनुमति देता है, यहां तक कि मौत का कारण भी बन सकता है। यह उन्हें "उचित संदेह" के आधार पर वारंट के बिना व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और वारंट के बिना परिसर की तलाशी लेने की शक्ति देता है। • **सशस्त्र कार्मिकों को उन्मुक्ति:** अधिनियम इस तरह के कार्यों में शामिल सुरक्षा कर्मियों को पूरी तरह से दण्ड से मुक्ति प्रदान करता है: केंद्र की पूर्व स्वीकृति के बिना उनके खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है। • **संचालन के क्षेत्र:** आतंकवाद के समय पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब पर AFSPA लगाया गया है। पंजाब पहला राज्य था जहां से इसे निरस्त किया गया था, इसके बाद त्रिपुरा और मेघालय थे। यह मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है। **सुरक्षा जाल क्या हैं?** • **पूर्व चेतावनी:** जबकि अधिनियम सुरक्षा बलों को गोली चलाने की शक्ति देता है, यह संदिग्ध को पूर्व चेतावनी दिए बिना नहीं किया जा सकता है। o हाल ही में नागालैंड में हुई गोलीबारी चर्चा का विषय रहा है कि क्या सुरक्षा बलों ने कोयला खनिकों को ले जा रहे

वाहन पर और बाद में हिंसक भीड़ पर गोलियां चलाने से पहले पूर्व चेतावनी दी थी।

- **स्थानीय पुलिस को सौंपना:** अधिनियम में आगे कहा गया है कि सुरक्षा बलों द्वारा पकड़े गए किसी भी संदिग्ध को 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाना चाहिए।
- **जिला प्रशासन के साथ समन्वय करना :** यह कहता है कि सशस्त्र बलों को जिला प्रशासन के सहयोग से कार्य करना चाहिए न कि एक स्वतंत्र निकाय के रूप में। हाल के नागालैंड ऑपरेशन में, स्थानीय कानून-प्रवर्तन एजेंसियों ने कहा है कि वे इस ऑपरेशन से अनजान थे।

AFSPA की आलोचनाएँ क्या हैं?

- **सामाजिक नतीजा:** 1950 के दशक में नागालैंड और मिजोरम को AFSPA का खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसमें भारतीय सेना द्वारा हवाई हमले और बम विस्फोट शामिल थे। सुरक्षा बलों पर सामूहिक हत्या और बलात्कार के आरोप लगाए गए हैं।
  o 2000 में मालोम हत्याकांड, और थांगजाम मनोरमा की हत्या तथा कथित बलात्कार के कारण इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र से AFSPA को बाद में निरस्त कर दिया गया।
  o 2012 में, मणिपुर के एक्स्ट्राजुडिशियल एक्ज़ीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज़ एसोसिएशन ने 1979 और 2012 के बीच 1,528 फ़र्ज़ी मुठभेड़ों का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किया।
- **दण्ड से मुक्ति की संस्कृति:** कार्यकर्ता ध्यान दें कि AFSPA राज्य एजेंसियों जैसे मणिपुर पुलिस और उनके मणिपुर कमांडो के बीच भी दण्ड से मुक्ति का माहौल बनाता है, जिन्हें राज्य में अधिकांश मुठभेड़ों के लिए जिम्मेदार माना जाता है, उनमें से कुछ संयुक्त रूप से असम राइफल्स के साथ हैं।
- **अधिनियम के बावजूद उग्रवादी समूहों का प्रसार:** जब राज्य को अधिनियम के तहत लाया गया तो मणिपुर में दो समूह थे। आज, मणिपुर में ऐसे 20 से अधिक समूह हैं, असम में पंद्रह से कम नहीं हैं, मेघालय में पांच और अन्य राज्यों में अधिक समूह हैं।
- **अधिनियम का दुरुपयोग:** मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा है कि स्थानीय मुखबिरों द्वारा सुरक्षा बलों को प्रदान की गई झूठी टिप-ऑफ़ के साथ, संपत्ति विवाद जैसे निजी स्कोर को निपटाने के लिए अधिकतर अधिनियम का उपयोग किया जाता है।
- **संघीय मुद्दे:** तत्कालीन राज्य सरकार के विरोध के बावजूद केंद्र ने 1972 में त्रिपुरा में AFSPA भी लगाया था। केंद्र राज्य सरकार से सिफारिश मिलने के बाद AFSPA को खत्म करने का फैसला ले सकता है। हालांकि, नागालैंड, जिसने हाल ही में निरसन की सिफारिश की है, ने सफलता के बिना, पहले भी मांग उठाई थी।
- **शांति प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना :** श्री आर. एन. रवि, पूर्वोत्तर के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख, रिकॉर्ड में हैं कि AFSPA क्षेत्र में शांति के लिए सबसे बड़ी बाधा है। पूर्व गृह सचिव श्री जी.के.पिल्लई अधिनियम के खिलाफ खुलकर सामने आए। ये बयान उन व्यक्तियों के आते हैं जिन्होंने व्यवस्था में काम किया है और अधिनियम की गतिशीलता और सरकार चलाने के बारे में जानते हैं।

AFSPA को निरस्त करने के लिए पूर्व में क्या प्रयास किए गए हैं?

- 2000 में, मणिपुर की कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने AFSPA के खिलाफ भूख-हड़ताल शुरू की, जो 16 साल तक जारी रही।
- 2004 में, यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश के अधीन पांच सदस्यीय समिति का गठन किया। 2005 में न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि AFSPA उत्पीड़न का प्रतीक बन गया है और इसे निरस्त करने की सिफारिश कर रहा है।
- वीरपामोइली की अध्यक्षता वाले दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने जीवन रेड्डी आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया।
- पूर्व गृह सचिव जी के पिल्लई ने भी AFSPA को निरस्त करने का समर्थन किया था, और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने एक बार कहा था कि यदि अधिनियम को निरस्त नहीं किया जाता है, तो कम से कम संशोधन किया जाना चाहिए। लेकिन रक्षा मंत्रालय के विरोध ने किसी भी संभावित निर्णय को रोक दिया।

निष्कर्ष

- उत्तर पूर्व और कश्मीर में समस्याओं को एक राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, न कि ऐसे कानून के माध्यम से जो लोगों के जीवन और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन करता है।

	बिंदुओं को कनेक्ट करना ● विषम संघवाद ● नागा शांति प्रक्रिया
संविधान सभा में नागरिकता पर बहस	**संदर्भ:** विवादास्पद कृषि कानूनों के निरस्त होने के साथ, चर्चा हाल के समय के दूसरे सबसे अधिक राजनीतिक और कानूनी रूप से विरोध किए गए कानून, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की ओर मुड़ जाती है। **संविधान सभा में नागरिकता** ● नागरिकता का प्रश्न मसौदा समिति द्वारा सामना किए जाने वाले सबसे कठिन कार्यों में से एक था, जैसा कि डॉ बी.आर. अम्बेडकर ने स्वीकार किया था, जिन्होंने कहा था कि आम सहमति पर पहुंचने से पहले कई ड्राफ्ट तैयार और नष्ट कर दिए गए थे, जो अधिकांश लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। ● प्रस्तावित मसौदे के धर्मनिरपेक्ष और उदार प्रावधानों तथा आधिकारिक संशोधनों का संविधान सभा के पटल पर धार्मिक, जातीय और अति-राष्ट्रवादी विचारों पर जमकर विरोध किया गया था। ● भारत के नागरिक कौन होगा (संविधान के लागू होने की तारीख के अनुसार) के संबंध में धार्मिक आधार पर विशिष्ट और अधिमान्य प्रावधानों की कमी के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 की आलोचना की गई थी। o मध्य प्रांत और बरार (Berar) के डॉ. पी.एस.देशमुख ने मसौदे के अनुच्छेद 5 में बदलाव का प्रस्ताव करते हुए सार्वभौमिक रूप से सम्मानित "जस सोली (jus soli)" सिद्धांत को एक धार्मिक उपांग के साथ अर्हता प्राप्त करके प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव दिया कि "हर व्यक्ति जो धर्म से हिंदू या सिख है और किसी अन्य राज्य का नागरिक नहीं है, वह जहां भी रहता है, भारत का नागरिक होने का हकदार होगा।" ● मसौदे के अनुच्छेद 5ए (भारत के संविधान का अनुच्छेद 7) को इस आधार पर हटा दिया गया था कि इसके प्रावधान में पाकिस्तान के उन प्रवासियों को नागरिकता का अधिकार देने की मांग की गई थी जो भारतीय अधिकारियों द्वारा दिए गए पुनर्वास के लिए एक परमिट के तहत भारत लौट आए थे। **रक्षक** ● सी.पी. से आर.के.सिधवा और बरार ने प्रतिवाद किया कि कुछ समुदायों के नाम का उल्लेख करने से अन्य समुदायों को लगेगा कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। ● जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौम (गैर-धार्मिक) आधार पर नागरिकता और धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा के मसौदे का स्पष्ट शब्दों में समर्थन किया। ● नेहरू ने शब्दों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जब उन्होंने कहा कि "आपके पास हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए नियम नहीं हो सकते हैं। यह उसके चेहरे पर हास्यास्पद है "। ● अनुच्छेद 5ए के मसौदे के संबंध में, नेहरू ने गैर-हिंदुओं और गैर-सिखों सहित प्रवास की दूसरी लहर की संभावना पर भी प्रभाव डाला, जो पहली लहर प्रवाह का हिस्सा थे। इसलिए, उनके विचार में, कुछ लोगों की आमद के डर से दरवाजे बंद करना दूसरों को अपनी पसंद का प्रयोग करने से वंचित कर सकता है। ● बिहार के एक सदस्य ब्रजेश्वर प्रसाद ने यह कहते हुए आगे कहा कि "मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि इस देश के नागरिक को इस संविधान के प्रारंभ में अपनी नागरिकता से वंचित क्यों किया जाना चाहिए, खासकर जब हम उन हिंदुओं को आमंत्रित कर रहे हैं जो इस देश के नागरिक बनने के लिए पाकिस्तान से भारत आएं। सरहद का मुसलमान ऐसा क्यों नहीं हो सकता जबकि हम हमेशा कहा है कि हम एक हैं?" ● महबूब अली बेग ने डॉ. देशमुख के प्रस्ताव को "हास्यास्पद" बताते हुए एक कदम आगे बढ़ाया क्योंकि इसमें केवल हिंदुओं और सिखों को नागरिकता का अधिकार देने पर विचार किया गया था। ● अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा, "हम किसी भी नस्ल या धार्मिक या अन्य आधार पर एक प्रकार के व्यक्तियों और दूसरे, या एक संप्रदाय के व्यक्तियों और व्यक्तियों के दूसरे संप्रदाय के बीच भेद नहीं कर सकते हैं, जो हमारी प्रतिबद्धताओं और विभिन्न अवसरों पर हमारी नीति के निर्माण के संबंध में है। **अभी चुनौती देना** ● डॉ. देशमुख का यह दावा कि "केवल इस तथ्य से कि वह एक हिंदू या सिख है, उसे भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए" आज 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में प्रतिध्वनित होती है कि केवल कुछ धर्मों के लोग ही उत्पीड़न के शिकार होते हैं और हिंसा तथा देश के दरवाजे उत्पीड़न और जातीय हिंसा के किसी भी अन्य उदाहरण के

	लिए वैध रूप से बंद किए जा सकते हैं। **नागरिकता बहस का अंतिम परिणाम** • नागरिकता को हिंदुओं और सिखों के अधिकार के मामले में नागरिकता बनाने के लिए अनुच्छेद 5 को संशोधित करने वाले डॉ देशमुख द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 164 को अस्वीकार कर दिया गया था। • नागरिकता पर संविधान सभा की बहस ने दिखाया कि जातीयता और अविश्वास की भावनाओं का उपयोग करते हुए, दूरदर्शिता और परिपक्वता का वर्चस्व था, जिससे धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** • नागरिकता संशोधन के खिलाफ विरोध (बिल चरण के दौरान) • सीएए, 2019 के परिणाम
ईडब्ल्यूएस को परिभाषित करना	**ख़बरों में:** हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण के मानदंडों पर फिर से विचार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की है। समिति में पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, सदस्य सचिव आईसीएसएसआर प्रो वीके मल्होत्रा और भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल शामिल है। **पृष्ठभूमि** • यह जुलाई में जारी सरकारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद आया है, जो NEET प्रवेश में 10% EWS कोटा प्रदान किया। **ईडब्ल्यूएस कोटा पर केंद्र सरकार द्वारा जारी एक ज्ञापन के अनुसार** – • केवल वे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में है। इस आय में सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से होने वाली आय भी शामिल है। • ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार के पास कम पांच एकड़ कृषि भूमि, या कम से कम 1,000 वर्ग फुट का आवासीय फ्लैट है उन्हें इस आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है। **समिति** • समिति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहचान के लिए देश में अब तक अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच करेगी। यह अगले तीन सप्ताह में अपनी सिफारिशें केंद्र को भी भेजेगी। • संयुक्त सचिव आरपी मीणा द्वारा हस्ताक्षरित मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि समिति का गठन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के निर्धारण के मानदंडों पर फिर से विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को दी गई "प्रतिबद्धता के अनुसार" किया जा रहा है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 15 के स्पष्टीकरण के प्रावधान" है। • पिछले हफ्ते, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत किया था कि वह आरक्षण लाभ के लिए पात्र होने के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपये वार्षिक आय मानदंड पर फिर से विचार करेगी। **क्या आप जानते हैं?** • यह 103वां संविधान संशोधन अधिनियम था जिसने सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षा (अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर) में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया था। • इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को सम्मिलित किया जो इन आरक्षणों का प्रावधान करता है। • संविधान का अनुच्छेद 46 (DPSP) कहता है कि राज्य लोगों के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देगा।
जॉन रॉल के न्याय के दो सिद्धांत	**संदर्भ:** जॉन रॉल्स पिछली सदी के एक अत्यधिक प्रभावशाली अमेरिकी उदारवादी राजनीतिक दार्शनिक थे। • हावर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक रहते हुए जॉन रॉल्स ने अपनी न्याय की संकल्पना को विस्तृत आधार प्रदान करके 1971 में अपनी प्रथम पुस्तक 'A Theory of Justice' 1971 ई0 में प्रकाशित कराई। इस पुस्तक में उसने न्याय पर आधारित एक आदर्श समाज की विवेकपूर्ण तथा तर्कसंगत सरंचना प्रस्तुत की। • न्याय के इस सिद्धांत ने अधिक से अधिक आर्थिक पुनर्वितरण प्राप्त करने पर दार्शनिक बहस को मौलिक रूप से फिर

	से परिभाषित किया है। ● पुस्तक में विस्तृत अन्य अवधारणाएं - एक सुव्यवस्थित समाज की मूल संरचना, मूल स्थिति, अज्ञानता का पर्दा और प्राथमिक सामान - न्याय के समग्र भवन के निर्माण खंड हैं। **जॉन रॉल के न्याय के दो सिद्धांत क्या हैं?** ● **समानता सिद्धांत:** रॉल्स के दो सिद्धांतों में से पहला यह है कि समान बुनियादी स्वतंत्रता की योजना के लिए प्रत्येक नागरिक का समान दावा है, जो हर दूसरे नागरिक के साथ भी संगत होना चाहिए। ● यहाँ समान स्वतंत्रता को उदारवादी लोकतांत्रिक शासन.प्रणालियों के सुविदित अधिकारों के रूप में साकार किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं - राजनीतिक भागीदारी हेतु समान अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, कानून के समक्ष स्वतंत्रता, इत्यादि। ● **अंतर सिद्धांत:** रॉल्स के दो सिद्धांतों में से दूसरा सामाजिक और आर्थिक संस्थानों की अंतर्निहित असमानताओं से जूझता है। रॉल्स का मानना है कि नैतिक रूप से रक्षात्मक होने के लिए, इन संस्थानों को दो शर्तों को पूरा करना होगा। o सबसे पहले, उन्हें सार्वजनिक पद और रोजगार के पदों पर प्रतिस्पर्धा के अवसरों की उचित समानता की गारंटी देनी चाहिए। o दूसरा, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वे समाज के कम से कम सुविधा प्राप्त सदस्यों के सबसे बड़े लाभ के लिए काम करें। **न्याय के दो सिद्धांतों का महत्व क्या है?** ● रॉल्स के न्याय के दो सिद्धांतों का राजनीतिक महत्व उनके द्वारा उनके विभिन्न घटकों को प्रदान की गई प्रधानता से आता है। ● उनके बीच, पहले सिद्धांत को दूसरे पर पूर्ण प्राथमिकता दी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक लोकतांत्रिक समाज में नागरिकों की समान बुनियादी स्वतंत्रता की प्रधानता गैर-परक्राम्य है। ● विभिन्न स्वतंत्रताओं के लिए प्रत्येक का अधिकार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वे सार्वभौमिक और गैर-भेदभावपूर्ण हैं। ● दूसरे सिद्धांत के अंदर, पहले भाग को दूसरे पर वरीयता दी जाती है। दूसरे शब्दों में, सार्वजनिक संस्थान नागरिकों की नजर में तब तक वैध नहीं लगा सकते जब तक कि हर कोई उचित रूप से अवसरों की निष्पक्ष समानता के फल का आनंद लेने की उम्मीद नहीं कर सकता। ● रॉल्स ने तर्क दिया कि न्याय के दो सिद्धांत निष्पक्ष होंगे क्योंकि ये ठीक वही हैं जिन्हें तर्कसंगत, स्वतंत्र और समान नागरिकों द्वारा निष्पक्ष रूप से चुना जाएगा, यदि उन्हें जीवन में अपने स्वयं के व्यक्तिगत या सामाजिक परिस्थितियों का ज्ञान नहीं था। **निष्कर्ष** ● रॉल के न्याय के सिद्धांत में न्याय की अवधारणा की तुलना में अधिक समर्थन और स्वीकृति है, जो समग्र कल्याण या खुशी को अधिक करने को प्राथमिकता देता है, लेकिन लाभ कैसे वितरित किया जाता है और विशेष व्यक्तियों पर बोझ कैसे लगाया जाता है, इस अंतर को नजरअंदाज कर दिया।
लिंगानुपात	**ख़बरों में:** नवीनतम राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), तथ्यों की चादरों को हाल ही में जारी किया गया, ने भारत के लिंगानुपात में सकारात्मक वृद्धि का संकेत दिया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) अंतर्राष्ट्रीय संस्थान फॉर जनसंख्या विज्ञान (आईआईपीएस) द्वारा लाया गया है, और देश में लोगों की जनसांख्यिकीय, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर कुछ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। **संख्याएँ** संख्याएं इंगित करती हैं कि भारत को अब "लापता महिलाओं (missing women)" का देश नहीं कहा जा सकता है, 1990 के निबंध में न्यू यॉर्क समीक्षा में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक वाक्यांश। जैसा कि एनएचएफएस -5 डेटा से देखा गया है, आजादी के बाद पहली बार, भारत में महिलाओं की संख्या ने पुरुषों की संख्या को पार कर लिया है, जो अभूतपूर्व है। ● राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 (NFHS-5) के हालिया सर्वेक्षण में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं को दिखाया गया है। ● 2005-06 में आयोजित NFHS-3 के दौरान, लिंगानुपात 1000: 1000 था और 2015-16 में किए गए NFHS-4

	में यह 991: 1000 तक पहुंच गया। ● NFHS-5 आंकड़ों ने यह भी दिखाया है कि जन्म में लिंगानुपात 2015-16 में 9 19 से 9 -20 में 929 में सुधार हुआ था। ● साथ ही ये पहली बार हुआ है जब महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक हुई है। इसके अलावा बताए गए सर्वेक्षण के मुताबिक, 1,000 से अधिक (female population) का लिंगानुपात अनिवार्य रूप से सिर्फ विकसित देशों में ही देखा गया है। ● गर्भनिरोधक: गर्भनिरोधक का उपयोग 53.5% से 66.7% तक सुधार हुआ। ● नसबंदी: मादा नसबंदी में वृद्धि हुई तथा पुरुष नसबंदी में निरंतर ठहराव हुआ। इससे पता चलता है कि परिवार की योजना अभी भी महिलाओं के साथ निहित है। ● एनएफएचएस -5 से पता चलता है कि इंस्टीटूशनल जन्म (institutional births) देश भर में 79 प्रतिशत से 89 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। इंस्टीटूशनल जन्मों का मतलब है कि गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को उचित चिकित्सा ध्यान दिया जाता है और यह देश में मातृ और बाल स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देता है। इसके अलावा, अधिक महिलाएं सी-सेक्शन (C-section) डिलीवरी का चयन कर रही हैं। ● एनएफएचएस -5 से पता चलता है कि 18-49 वर्षीय आयु वर्ग में विवाहित महिलाओं का प्रतिशत 2014-15 में 20.6 प्रतिशत से बढ़कर 44.5 प्रतिशत प्रति हो गई है। व्यथित रूप से, 30 प्रतिशत महिलाओं ने सर्वेक्षण किया कि उनके पति को उन्हें मारने में उचित ठहराया गया था। ● भारत के कम SRB को गहरे पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो लड़कियों का सामना करते हैं। लड़कियों के विपरीत, जो दहेज के कारण माता-पिता पर आर्थिक बोझ के रूप में देखा जाता है, उनमें बेटों को प्राथमिकता दी जाती है। परिवार एक लड़के के जन्म का जश्न मनाते हैं, एक लड़की के आगमन पर शोक की लहर आ जाती है। देश में प्री-नेटल सेक्स स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर भी महिला भ्रूणहत्या जारी है क्योंकि भारत के निम्न एसआरबी में परिलक्षित होता है। **रिपोर्ट के लिए आलोचना** ● जनसांख्यिकी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह फिर से जुड़ने का समय नहीं है क्योंकि आंकड़े भारत के लिंग अनुपात की सटीक डेटा नहीं देते हैं। एनएफएचएस -5 में लिंग अनुपात (1,000 पुरुषों की महिलाओं की संख्या) की अधिकतर दो प्रमुख कारणों से हुई थी। ● सबसे पहले, फैक्टशीट में उल्लिखित लिंगानुपात वास्तविक गणना पर आधारित था, जिसका अर्थ है कि सर्वेक्षण की आखिरी रात में घर में मौजूद पुरुषों और महिलाओं की संख्या। ● पिछले 30 वर्षों के दौरान भारत में लिंगानुपात में दूसरा कारण एक महत्वपूर्ण सुधार था। ● एनएफएचएस -5 के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1,000 पुरुष पर प्रति 1,037 महिलाएं हैं, जो एक नया रिकॉर्ड है। लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक, प्रवासी ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं को अपने घरों से दूर होने की संभावना डी फैक्टो गणना की आखिरी रात को अस्वीकार नहीं किया जाता है। **आगे की राह** ● जबकि ऊपर उद्धृत आंकड़े भारत की सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय परिवर्तन कहानी में एक वाटरशेड क्षण हैं, एनएफएचएस के अन्य निष्कर्ष भी इसी तरह के संदेश को व्यक्त करते हैं। भारत के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी, और कुछ रूढ़िवाद और राजनीतिक मान्यताओं (जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानूनों के साथ राजनीतिक जुनून) के साथ निपटाया जाना चाहिए जो सार्वजनिक प्रवचन पर हावी होने की आवश्यकता होगी। ● तथ्य यह है कि अब हम एक उम्र बढ़ने वाली आबादी का सुझाव देते हैं कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हमारे दृष्टिकोण को केवल एक के बजाय अधिक समग्र जीवन चक्र दृश्य की आवश्यकता है जो केवल प्रजनन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है। ● 2019-20 में अधिक महिलाओं ने पहले की तुलना में दस साल की स्कूली शिक्षा पूरी की है, महिला श्रम बल भागीदारी में गिरावट के साथ भारत के श्रम बाजार में महत्वपूर्ण संरचनात्मक चुनौतियों के कारण। अगर भारत प्रगति करना है तो इनकी जरूरतों को तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है

	● प्रजनन की गिरावट पर निष्कर्ष मातृ और शिशु स्वास्थ्य और पोषण के परिणामों के लिए अच्छी खबरें हैं। हालांकि, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के उच्च प्रजनन-उच्च भूमिगत राज्यों को अभी भी प्रजनन की कटौती पर अधिक प्रगति देखने की जरूरत है - राज्यों में अधिक बोझ को सुधार हेतु परिणामों के लिए अखिल भारतीय औसत को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक हैं। **ध्यान देना :** **राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण (National Health Family Survey-NHFS) क्या है?** ● राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey- NFHS) बड़े पैमाने पर किया जाने वाला एक बहु-स्तरीय सर्वेक्षण है जो पूरे भारत में परिवारों के प्रतिनिधि नमूने के आधार पर किया जाता है। ● भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare- MoHFW) ने इस सर्वेक्षण के लिये समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (International Institute for Population Sciences- IIPS) को नोडल एजेंसी के रूप में गठित किया है। ○ IIPS सर्वेक्षण के कार्यान्वयन के लिये कई फील्ड संगठनों (Field Organizations- FO) के साथ सहयोग करता है। ● सर्वेक्षण में भारत के राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान की गई है: ○ प्रजनन क्षमता ○ शिशु और बाल मृत्यु दर ○ परिवार नियोजन की प्रथा ○ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य ○ प्रजनन स्वास्थ्य ○ पोषण ○ एनीमिया ○ स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग और गुणवत्ता ● NFHS के प्रत्येक क्रमिक चरण के दो विशिष्ट लक्ष्य हैं: ○ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों द्वारा नीति निर्माण व कार्यक्रम के अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर अपेक्षित आवश्यक डेटा प्रदान करना। ○ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी प्रदान करना। ● NFHS के विभिन्न चरणों का वित्तपोषण USAID, बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनिसेफ, UNFPA तथा MoHFW (भारत सरकार) द्वारा किया गया है। **NFHS परिणाम क्यों महत्वपूर्ण हैं?** ● **साक्ष्य आधारित नीति बनाना:** एनएफएचएस डेटाबेस संभवतः सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल अनुसंधान की जरूरतों को खिलाता (feeds) है बल्कि केंद्रीय और राज्य स्तरीय नीतिगत दोनों के लिए भी केंद्रीय है। ● **अंतर्राष्ट्रीय तुलना:** एनएफएचएस सर्वेक्षण परिणाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय परिणाम भी प्रदान करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रश्न और पद्धति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। इस प्रकार, यह वैश्विक संदर्भ में बिहार में बाल कुपोषण के रुझानों का कहना है। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं?** **1.** एनएफएचएस -5 सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो गई है लेकिन मिसोगीनी मजबूत बनी हुई है। चर्चा कीजिए।
कानूनी आयु विवाह (Legal Age of Marriage)	**संदर्भ:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व समता पार्टी के प्रमुख जया जेटली के नेतृत्व में गठित चार सदस्यीय कार्य बल की सिफारिशों पर लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी आयु बढ़ा दी है। **विवाह के लिये न्यूनतम आयु के कानूनी ढांचे के बारे में:** ● व्यक्तिगत कानून जो विवाह और समुदायों के लिए अन्य व्यक्तिगत प्रथाओं को नियंत्रित करते हैं, दुल्हन और दूल्हे की आयु सहित विवाह के लिए कुछ मानदंड निर्धारित करते हैं।

	• बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006 और अन्य पर्सनल लॉ में संशोधन कर महिलाओं की विवाह की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल की जाएगी। • भारत में विवाह की न्यूनतम आयु पहली बार शारदा अधिनियम, 1929 द्वारा निर्धारित की गई थी। बाद में इसका नाम परिवर्तित कर बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम (CMRA), 1929 कर दिया गया। • यह स्थिति बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006 नामक नए कानून में भी बनी हुई है, जिसने CMRA, 1929 को प्रतिस्थापित किया। **विभिन्न धर्मों में विवाह की न्यूनतम आयु:** • हिंदुओं के लिये, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित करता है। • इस्लाम में युवावस्था प्राप्त कर चुके नाबालिग की शादी को वैध माना जाता है। • विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 भी क्रमशः महिलाओं और पुरुषों के लिये विवाह की न्यूनतम आयु 18 और 21 वर्ष निर्धारित करते हैं। • विवाह की नई उम्र लागू करने के लिये इन कानूनों में संशोधन की संभावना है। **महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के लाभ:** • महिला एवं बाल कल्याण: माता का गरीब होना उसके बच्चे और कुपोषण के संबंध में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। • विवाह की कम उम्र और इसके परिणामस्वरूप जल्दी गर्भधारण भी माताओं और उनके बच्चों के पोषण स्तर एवं उनके समग्र स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।. • **महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता:** बच्चे के जन्म के समय माँ की उम्र उसके शैक्षिक स्तर, रह-सहन और स्वास्थ्य स्थिति, महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करती है। • **बाल विवाह की समस्या का समाधान:** वैश्विक स्तर पर भारत में सबसे अधिक कम उम्र में विवाह होते हैं। यह कानून बाल विवाह के खतरे को रोकने में मदद करेगा। • **बड़ी संख्या में विवाहों का अपराधीकरण:** यह परिवर्तन उन भारतीय महिलाओं के विशाल बहुमत को छोड़ देगा, जिन्होंने 21 वर्ष की आयु से पहले शादी की है, बिना कानूनी सुरक्षा के जो उनके परिवारों को आपराधिक बना देगा। • **शिक्षा की कमी एक बड़ी समस्या है:** यूएनएफपीए द्वारा 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट' 2020 के अनुसार, भारत में, बिना शिक्षा वाली 51% युवा महिलाओं और केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वालों में से 47% ने 18 साल की उम्र में शादी कर ली थी। **आगे की राह** • **शिक्षा को बढ़ावा देना:** कार्यकर्त्ताओं का कहना है कि बाल विवाह में देरी का जवाब शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने में है क्योंकि यह प्रथा एक सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है। • स्कूलों में स्किल और बिज़नेस ट्रेनिंग और सेक्स एजुकेशन से भी मदद मिलेगी। • **स्कूलों तक पहुँच बढ़ाना:** सरकार को दूर-दराज़ के क्षेत्रों से लड़कियों की स्कूलों और कॉलेजों तक पहुँच बढ़ाने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। • **जन जागरूकता कार्यक्रम:** विवाह की उम्र में वृद्धि पर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान की आवश्यकता है और नए कानून की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
स्व-सहायता समूहों को पुनः प्राप्त करना (SHGS)	**संदर्भ:** एसएचजी वित्तीय पहुंच प्रदान करने और धीरे-धीरे दुनिया के सबसे बड़े माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम में रूपांतरित करने के लिए बनाए गए थे, जहां कई एजेंसियां, गैर सरकारी संगठन, सरकारें, बैंक यूनिसन में काम करते हैं। • पहला एसएचजी कर्नाटक के कोलार जिले के कोष बैंक की बंगारपेट शाखा द्वारा जोड़ा गया था। • आरबीआई ने अनौपचारिक महिलाओं के समूहों को औपचारिक बैंकों को जोड़ने का यह अपरंपरागत विचार बनाया। **एक अच्छे SHGS की मुख्य विशेषताएं हैं** ○ समरूपता ○ नियमित बैठकें

	○ बचत ○ बुक-रखरखाव ○ बैंक क्रेडिट तक पहुंच (आमतौर पर उनकी बचत 4-बार) ○ अंतर उधार और समय-समय पर पुनर्भुगतान। **SHGS की प्रगति** ● शेड्स ने 1992 में पॉलिसी के इरादे से बैंकों को 500 एसएचजी लिंक करने के लिए एक लंबा सफर तय किया। अब, लगभग 1.2 करोड़ एसएचजी हैं। ● उनकी बचत जमा लगभग 37,500 करोड़ और बकाया क्रेडिट 1,03,000 करोड़ रुपये है। ● लेकिन, लगभग 1.80 लाख पर प्रति वर्ष बकाया औसत ऋण और लगभग 50 प्रतिशत पर गैर-क्रेडिट लिंक्ड एसएचजी का प्रतिशत लगभग समान रहा है। ● एसएचजी और क्षमता निर्माण के माध्यम से सामुदायिक आंदोलन में काफी निवेश के परिणामस्वरूप सामाजिक पूंजी, महिला सशक्तिकरण और क्रेडिट अनुशासन के रूप में प्रकट हुई। **माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) और एसएचजी के बीच संबंध** ● 2000 के दशक की शुरुआत में एमएफआई ने दक्षिणी भारत में परिचालन शुरू किया। एमएफआईएस में एनबीएफसी-एमएफआई, एनबीएफसी, एसएफबीएस, बैंक और अन्य शामिल हैं जो सूक्ष्म ऋण प्रदान करते हैं। लगभग 200 ऐसी संस्थाएं मौजूद हैं। ● वर्तमान में उनके पास लगभग 10 करोड़ ऋण खाते हैं जो लगभग 2,47,000 करोड़ रुपये का ऋण हैं। प्रति सदस्य ऋण लगभग 40,000 है। ● एसएचजी सबसे गरीब ग्रामीण ग्राहकों और एमएफआईएस आमतौर पर पेरी-शहरी (peri-urban) को पूरा करते हैं। ● एसएचजी बैंकों से ऋण लेने वाले सदस्यों को उधार देते हैं। एमएफआई संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) के माध्यम से ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है, जिसमें लगभग पांच सदस्य शामिल हैं। वे ऋण चुकौती के लिए संयुक्त और गंभीर रूप से जिम्मेदार होते हैं। ● एसएचजी और एमएफआई के ग्राहक मुख्य रूप से महिलाओं हैं। ● एमएफआई सामाजिक क्षेत्र में काम करता है लेकिन लाभ उन्मुख हैं जबकि एसएचजी सदस्यों के बीच समूह ऋण से लाभ साझा करते हैं। ● इन दोनों कार्यक्रमों में एनपीए स्तर 4-5 प्रतिशत पर लगभग समान है। ● दिलचस्प रूप से एमएफआई के मौजूदा ऋण पोर्टफोलियो का लगभग 70 प्रतिशत दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में है जहां राज्य संरक्षण के कारण एसएचजी मूवमेंट मजबूत है। इस क्षेत्र में एसएचजी को बकाया ऋण लगभग 50 प्रतिशत है। ● एमएफआई वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में ऋण प्रदान करने के लिए लागत प्रभावी वाहन हैं जिनके पास थोक ऋण प्रदान करने में लाभ है। **आगे की राह** ● कई ग्रामीण बैंक शाखाएं माइक्रो ऋण भी प्रदान करती हैं जब वे अपने मौजूदा योग्य ग्राहकों को ऋण प्रदान करके व्यवसाय बढ़ाने के लिए रणनीति रखते हैं। ● आगे, यदि बैंक ऋण सीमा को ठीक करने के क्रेडिट कार्ड मॉडल का उपयोग करते हैं, तो माइक्रो क्रेडिट के रूप में अच्छे के लिए बदला जाएगा। ● यदि, एनजीओ और कॉर्पोरेट बैंकिंग संवाददाता, खुद को मध्यस्थ में बदलते हैं; हैंड होल्डिंग एसएचजी, वित्तीय साक्षरता प्रदान करते हुए (providing financial literacy), सूक्ष्म उद्यमों के साथ उन्हें मार्गदर्शन करते हुए, क्रेडिट के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करना, विपणन सहायता और पुनर्भुगतान, आजीविका में सुधार होगा। ● यदि बैंकों के लिए पहली हानि डिफ़ॉल्ट गारंटी भी प्रदान की जाती है तो यह अद्भुत होगा।
चुनाव आयोग की निष्पक्षता	**संदर्भ:** मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्रा ने 16 नवंबर को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा से मुलाकात की, जहां उनके "उपस्थित होने की उम्मीद थी।" ● कानून मंत्रालय, जो आयोग का प्रशासनिक मंत्रालय है, के एक आधिकारिक संचार ने कहा कि चुनावी सुधारों पर

चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी।

- साथ ही, मंत्रालय ने दावा किया कि सीईसी और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तथा अनूप चंद्र पांडे के साथ सत्र एक "अनौपचारिक बातचीत" थी।

यह आयोग के कामकाज के बारे में मुद्दे क्यों उठाता है?

- पीएमओ के "निर्देश" ने आयोग के स्वतंत्र कामकाज के बारे में चिंता जताई है, जिसकी स्वायत्तता के बाद सीईसी ने उत्साहपूर्वक रक्षा करने की मांग की है।
- प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के साथ सीईसी और दो अन्य चुनाव आयुक्तों की "अनौपचारिक बातचीत" ने आयोग की तटस्थता पर सवाल उठाए हैं, खासकर जब महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव नजदीक हैं।
- चुनाव आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है जिसकी जिम्मेदारियां और शक्तियां भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत निर्धारित हैं। अपने कार्यों के प्रदर्शन में, चुनाव आयोग कार्यकारी हस्तक्षेप से अछूता रहता है।
- यह भारत का चुनाव आयोग है जो चुनावों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, चाहे आम चुनाव हो या उप-चुनाव।
- फिर से, यह आयोग ही मतदान केंद्रों के स्थान, मतदान केंद्रों के लिए मतदाताओं के असाइनमेंट, मतगणना केंद्रों के स्थान और उसके आसपास की जाने वाली व्यवस्था और सभी संबद्ध मामलों पर निर्णय लेता है।
- आयोग के निर्णयों को उपयुक्त याचिकाओं द्वारा उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है।
- लंबे समय से चली आ रही परंपरा और कई न्यायिक घोषणाओं से, एक बार चुनाव की वास्तविक प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, न्यायपालिका चुनावों के वास्तविक संचालन में हस्तक्षेप नहीं करती है।

कानून मंत्रालय की ओर से चुनाव आयोग को लिखे पत्र में क्या गलत था?

- तीन चुनाव आयोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यपालिका से दूरी बनाए रखें - आयोग को बाहरी दबाव से बचाने और इसे एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में जारी रखने की अनुमति देने के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा।
- चुनाव के मामलों में सरकार के साथ चुनाव आयोग का संचार नौकरशाही के माध्यम से होता है - या तो इसके प्रशासनिक मंत्रालय - कानून मंत्रालय या गृह मंत्रालय के साथ चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए।
- ऐसे मामलों में, गृह सचिव को अक्सर एक पूर्ण आयोग के सामने आमंत्रित किया जाता है जहां तीन आयुक्त भी मौजूद होते हैं। कानून मंत्रालय देश के लिए कानून पर बारीक छाप छोड़ता है और उम्मीद की जाती है कि वह आयोग की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन नहीं करेगा।
- पूर्व सीईसी एम.एस. गिल ने तत्कालीन पीएम वाजपेयी को पत्र लिखकर पूर्व सीईसी एस.वाई. कानून मंत्रालय, चुनाव आयुक्तों द्वारा ईवीएम के भुगतान में देरी पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को कुरैशी का पत्र समय-समय पर प्रधानमंत्रियों को लिखा गया है।
- हालांकि इस मामले में कानून मंत्रालय से पत्र मिलने के बाद सीईसी ने अपनी नाराजगी जाहिर की और उस बैठक से दूर रहे, जिसमें उनके अधीनस्थ अधिकारी मौजूद थे।
- हालांकि, तीनों आयुक्तों ने बाद में प्रमुख सचिव श्री मिश्रा के साथ बातचीत के लिए खुद को उपलब्ध कराया।
- पिछले कुछ वर्षों में, आयोग की कई कार्रवाइयों और चूकों की आलोचना हुई है।
- उदाहरण के लिए, 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी, जिन्होंने लातूर में एक चुनावी रैली में सशस्त्र बलों की ओर से एक अपील के साथ अपने अभियान का हवाला दिया था।
- भारत के चुनाव आयोग ने यह विचार किया कि श्री मोदी ने अपनी नियम पुस्तिका का उल्लंघन नहीं किया। ऐसा करते हुए, आयोग ने जिला चुनाव अधिकारियों की राय को यह कहकर खारिज कर दिया कि श्री मोदी ने बालाकोट हवाई हमले का आह्वान करके वोट नहीं मांगा।
- 2021 में, एक भयंकर महामारी के बीच चुनाव अभियानों पर प्रतिबंध लगाने में आयोग के देरी से निर्णय ने भौंहें उठाईं। आखिरकार, जब उन्होंने 500 से अधिक लोगों की रैलियों और जनसभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, तो यह निर्णय श्री मोदी द्वारा अपनी चार निर्धारित रैलियों को रद्द करने के एक दिन बाद आया।
- लगभग 66 पूर्व नौकरशाहों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र में, 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श

	आचार संहिता के विभिन्न उल्लंघनों का हवाला देते हुए, चुनाव आयोग के कामकाज पर अपनी चिंता व्यक्त की, जो उन्हें लगा कि एक विश्वसनीयता संकट से पीड़ित है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ● चुनावी सुधार ● चुनावी बांड योजना
बेलागवी सीमा विवाद	**संदर्भ:** बेलागवी का सीमावर्ती शहर कर्नाटक का एक हिस्सा रहा है क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत भाषाई आधार पर सीमाओं का सीमांकन किया गया था। लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच अंतर-राज्य सीमा विवाद हर बार छिड़ जाता है। ● बेलगाम या बेलागवी वर्तमान में कर्नाटक राज्य का हिस्सा है लेकिन महाराष्ट्र द्वारा इस पर अपना दावा किया जाता है। **बेलागवी सीमा विवाद के बारे में:** ● वर्ष 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के कार्यान्वयन से आहत महाराष्ट्र ने कर्नाटक के साथ अपनी सीमा के पुन: समायोजन की मांग की। ● महाराष्ट्र ने अधिनियम की धारा 21 (2) (b) को लागू किया और कर्नाटक में मराठी भाषी क्षेत्रों को जोड़ने पर अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा। ● महाराष्ट्र द्वारा 2,806 वर्ग मील के क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें 814 गाँव शामिल थे और लगभग 6.7 लाख की कुल आबादी के साथ बेलागवी, कारवार और निप्पनी की तीन शहरी बस्तियाँ। स्वतंत्रता से पहले ये सभी मुंबई प्रेसीडेंसी का हिस्सा थे। ● ये गाँव उत्तर-पश्चिमी कर्नाटक के बेलागवी, उत्तर कन्नड़ और उत्तर-पूर्वी कर्नाटक के बीदर और गुलबर्गा ज़िलों में फैले हुए हैं जो सभी महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं। **समस्या के समाधान** ● वर्ष 1960 में दोनों राज्य प्रत्येक राज्य के दो प्रतिनिधियों के साथ एक चार सदस्यीय समिति गठित करने पर सहमत हुए। निकटता के मुद्दे को छोड़कर समिति एक सर्वसम्मत निर्णय पर नहीं पहुँच सकी। ● 1960 और 1980 के दशक के बीच कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने इस उलझे हुए मुद्दे का समाधान खोजने के लिये कई बार मुलाकात की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। **केंद्र सरकार** ● केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने के लिये वर्ष 1966 में महाजन समिति का गठन किया। दोनों पक्षों, महाराष्ट्र और तत्कालीन मैसूर राज्य के प्रतिनिधि समिति का हिस्सा थे। ● 1967 में समिति ने सिफारिश की कि कर्नाटक के कारवार, हलियाल और सुपर्णा तालुका के कुछ गाँव महाराष्ट्र को दे दिये जाएँ लेकिन बेलागवी को दक्षिणी राज्य के साथ छोड़ दिया। **सर्वोच्च न्यायालय का जवाब:** ● 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस मुद्दे को आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिये और भाषायी मानदंड पर विचार नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे अधिक व्यावहारिक समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। इस मामले की सुनवाई अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ● अंतरराज्यीय परिषद ● नदी जल विवाद

IAS BABA

Kickstart your *IAS/UPSC 2023* Journey with

Baba's Foundation Course

(Baba's FC) - 2023

The Most Comprehensive CLASSROOM & MENTORSHIP Based Program for Fresher's

OFFLINE Classes begin at

Bengaluru

Admissions Open

ENROLL NOW

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888

मल्टिमीलिओनाइरेस (Multimillionaires) पर वैश्विक संपत्ति कर

संदर्भ: 2021 में वैश्विक अरबपति संपत्ति वैश्विक घरेलू धन का 3.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है।

- इसके अलावा, शीर्ष 0.01 प्रतिशत का हिस्सा 1995 में वैश्विक संपत्ति के 7 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 11 प्रतिशत हो गया, जो नवीनतम विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के निष्कर्षों के अनुसार दिखाया गया।

धन की एकाग्रता

- रिपोर्ट में कहा गया है कि 1990 के दशक के मध्य से, सबसे अमीर 1 प्रतिशत ने वैश्विक स्तर पर 38 प्रतिशत धन वृद्धि पर कब्जा कर लिया था।
- रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अमीर 10 प्रतिशत लगभग 60-80 प्रतिशत धन के मालिक हैं, और सबसे गरीब आधा 5 प्रतिशत से भी कम है।
- वैश्विक आबादी का निचला 50% धन का केवल 2% और आय का 8 प्रतिशत है, जबकि शीर्ष 10 प्रतिशत आबादी कुल घरेलू संपत्ति का 76 प्रतिशत है और 2021 में कुल आय का 52 प्रतिशत पर कब्जा कर लिया गया है रिपोर्ट के अनुसार।
- यह कहा गया है कि सामाजिक हस्तक्षेप सामाजिक और कर नीतियों के साथ असमानता से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है।

समाधान

- अर्थशास्त्री थॉमस पिक्टी ने स्वामित्व वाली संपत्ति की कुल राशि के मूल्य के अनुसार कर दरों के साथ संपत्ति कर की प्रगतिशील दर सहित मल्टिमीलिओनाइरेस (Multimillionaires) पर संपत्ति कराधान के नए रूपों को विकसित करने का सुझाव दिया है।
- जो हो रहा है वह धन की एक हायर कंसंट्रेशन (higher concentration) है, अधिक संपत्ति असमानता और दुनिया के अधिकांश देशों में अब तक हमारे कर प्रणालियों ने इसे अनुकूलित नहीं किया है।
- ऐसे नए कर भी समझ में आता है, खासकर जब सरकारें कॉविड टाइम्स के दौरान बढ़ी हुई ऋण चुकाने के लिए पैसे की तलाश में हैं।

वैश्विक संपत्ति कर की आवश्यकता क्यों?

- बहुमूल्य रूप से वैश्विक संपत्ति कर का एक प्रस्ताव है, जो लोग दस लाख डॉलर या यूरो से अधिक हैं और इस प्रस्ताव में यह कर प्रगतिशील है, जिसका अर्थ है कि दरों की कुल राशि के मूल्य के अनुसार दरें हैं जिसका एक मालिक है।
- देशों में, जहां धन अत्यधिक केंद्रित है, बहुत अमीर व्यक्तियों की संपत्ति के स्टॉक पर अधिक दरें राजस्व की उच्च मात्रा प्रदान करती हैं।
- विश्व स्तर पर शीर्ष 10 प्रतिशत की ओर बढ़ने वाली वैश्विक आय का हिस्सा 1820 और 2020 के बीच 50-60 प्रतिशत (1820 में 50 प्रतिशत, 1910 में 60 प्रतिशत, 1980 में 56 प्रतिशत, 2000 में 61प्रतिशत, 2020 में 55 प्रतिशत में उतार-चढ़ाव हुआ है।
- हालांकि, 50 प्रतिशत की सबसे कम आय के निचले हिस्से में जाने वाला हिस्सा आमतौर पर लगभग 10 प्रतिशत (1820 में 14 प्रतिशत, 1910 में 7 प्रतिशत, 19 80 में 5 प्रतिशत, 2000 में 6 प्रतिशत, 2020 में 7 प्रति प्रतिशत)।
- वैश्विक आबादी का शीर्ष 0.1 प्रतिशत पूरे नीचे 50 प्रतिशत की तुलना में अधिक आय को कैप्चर करता है।
- 1995 से 2021 के बीच आबादी के सबसे गरीब आधे हिस्से में औसत वार्षिक संपत्ति वृद्धि दर प्रति वर्ष 3 प्रतिशत और 4 प्रतिशत के बीच थी।
- दुनिया की सबसे गरीब आधी आबादी ने 1995 से कुल धन वृद्धि का 2.3 प्रतिशत कब्जा कर लिया था।
- शीर्ष 1 प्रतिशत उच्च वृद्धि दर से लाभान्वित हुआ (प्रति वर्ष 3 प्रतिशत से 9 प्रतिशत)। इस समूह ने 1995 और 2021 के बीच कुल संपत्ति वृद्धि का 38 प्रतिशत कब्जा कर लिया।
- 1995 में दुनिया के अरबपति द्वारा ली गई संपत्ति का हिस्सा कुल घरेलू संपत्ति का 1 प्रतिशत से बढ़कर 3.5 प्रतिशत हो गया।

	लैंगिक शर्तों में आय असमानता • लैंगिक शर्तों में, आय असमानता तेज है, महिला श्रमिकों के साथ कुल श्रम आय का केवल एक तिहाईहै। • आज दुनिया में महिलाओं को सभी श्रम आय का केवल एक-तिहाई मिलता है जबकि लैंगिक समानता का मतलब यह होगा कि उन्हें आधा मिल जाएगा। • लेकिन वर्तमान में महिलाएं काम से सभी आय में से एक तिहाई कमाती हैं और 1 990 के दशक से स्थिति में वृद्धि हुई है लेकिन बहुत धीमी दर पर। यदि हम इस दर पर जारी रखते हैं, तो हमें कम से कम एक शताब्दी को लैंगिक समानता तक पहुंचने की आवश्यकता है।
एक मिश्रित मोड दृष्टिकोण के साथ जनगणना 2021	**संदर्भ:** कोविड -19 महामारी के प्रकोप के कारण, जनगणना 2021 और संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया। • यह पहली डिजिटल जनगणना होगी। • विभिन्न जनगणना संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए डेटा संग्रह तथा जनगणना पोर्टल के लिए मोबाइल ऐप विकसित किया गया। • बिहार, महाराष्ट्र और ओडिशा की राज्य सरकारों ने जाति के विवरण एकत्र करने का अनुरोध किया है। • मातृभाषा के नाम और प्रवीणता के क्रम में जाने वाली दो अन्य भाषाओं को दर्ज किया जाना है। • आत्म-गणना के लिए एक प्रावधान है। आत्म-गणना उत्तरदाताओं द्वारा जनगणना सर्वेक्षण प्रश्नावली को पूरा करने के लिए संदर्भित करती है। **जनगणना क्या है?** • जनगणना (दशक की जनगणना) में, डेटा जनसांख्यिकीय और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मानकों जैसे शिक्षा, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, धर्म, भाषा, विवाह, प्रजनन क्षमता, विकलांगता, व्यवसाय और व्यक्तियों के प्रवासन पर एकत्र किया जाता है। • रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय के तहत भारत, भारत सरकार जनगणना को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। • यह आकार, वितरण और सामाजिक-आर्थिक, जनसांख्यिकीय और देश की आबादी की अन्य विशेषताओं पर जानकारी प्रदान करता है। • भारत में पहली सिंक्रोनस जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी। तब से, हर दस साल में एक बार सेंसस को निर्बाध रूप से किया गया है। • आधिकारिक राजपत्र के अनुसार, जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जनगणना में एकत्रित व्यक्तिगत आंकड़ों को अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक नहीं किया जाता है। • व्यक्तिगत डेटा का उपयोग किसी अन्य डेटाबेस की तैयारी के लिए नहीं किया जाता है, जिसमें नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर शामिल हैं। • विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर केवल समेकित जनगणना डेटा जारी किया जाता है। • जनगणना 2021-22 अनुसूचित भाषाओं (8 वें अनुसूची के तहत) और अंग्रेजी से 18 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, जबकि जनगणना 2011 उस समय घोषित 22 अनुसूचित भाषाओं में से 16 थी। • जनगणना डेटा वर्ष 2024-25 तक उपलब्ध होगा क्योंकि पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से आयोजित की जाएगी और डेटा क्रंचिंग तेज होगी। **जनगणना अधिनियम 1948** जनगणना अधिनियम 1948, जैसा कि 1994 में संशोधित अधिनियम को इस प्रकार परिभाषित करता है: इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक नहीं है - (A) "परिसर" का अर्थ किसी भी भूमि, भवन या इमारत का हिस्सा है और इसमें एक झोपड़ी, शेड या अन्य संरचना या उसके किसी भी हिस्से को शामिल किया गया है; (B) "निर्धारित" का अर्थ इस अधिनियम के तहत किए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया गया है; (C) "वाहन" का मतलब सड़क परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी वाहन का उपयोग किया जाता है, चाहे

	यांत्रिक शक्ति या अन्यथा प्रस्तावित किया गया हो **भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त क्या है?** • भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त की स्थापना 1961 में भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी। • **भूमिका:** भारत की जनगणना और भारत के भाषाई सर्वेक्षण सहित भारत के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों के परिणामों की व्यवस्था, संचालन और विश्लेषण करना। • रजिस्ट्रार की स्थिति आमतौर पर संयुक्त सचिव के पद को धारण करने वाले सिविल सेवक द्वारा आयोजित की जाती है। **सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) क्या है?** • सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), जिसने 1931 से जाति पर पहला आंकड़े एकत्र किए, जाति की गणना का सबसे बड़ा अभ्यास है। • एसईसीसी आवास, शैक्षिक स्थिति, लैंडहोल्डिंग, अलग-अलग एबिल्ड, कब्जे, संपत्ति के कब्जे, एससी / एसटी परिवारों, आय आदि के आधार पर परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को अलग करने के लिए डेटा की आपूर्ति करता है। • जनगणना इस प्रकार भारतीय आबादी का एक चित्र प्रदान करती है, जबकि एसईसीसी राज्य समर्थन के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए एक उपकरण है।
बहुआयामी गरीबी	**संदर्भ:** 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प ने 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की स्थापना की। एसडीजी 1 अपनी संपूर्णता में ("हर जगह अपने सभी रूपों में गरीबी समाप्त करें") प्रकृति और परिभाषा में बहुआयामी है। जबकि लक्ष्य 1.1 अत्यधिक गरीबी को मिटाने का प्रयास करता है - जिसे 1.25 डॉलर प्रति दिन से कम पर जीने वाले लोगों के रूप में मापा जाता है (बाद में 1.90 डॉलर प्रति दिन तक बढ़ाया गया), लक्ष्य 1.2 का उद्देश्य बहुआयामी गरीबी को कम करना है, जैसा कि राष्ट्रीय परिभाषाओं द्वारा परिभाषित किया गया है। **ख़बरों में:** हाल ही में नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) जारी किया है। **तथ्य** • वैश्विक MPI 2021 के अनुसार, 109 देशों में भारत की रैंक 66वीं है। • इससे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशिएटिव (OPHI) द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया था। • राष्ट्रीय MPI परियोजना का उद्देश्य वैश्विक MPI रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार के लक्ष्य के साथ व्यापक सुधार संबंधी कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिये विश्व स्तर पर गठबंधन के साथ-साथ भारत के लिये एक व्यवस्थित एमपीआई सुनिश्चित करना है। **कार्यप्रणाली और डेटा:** • राष्ट्रीय एमपीआई के मापन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशिएटिव (OPHI) द्वारा विकसित विश्व स्तर पर स्वीकृत एवं मज़बूत कार्यप्रणाली का उपयोग किया जाता है। • राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बेसलाइन रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (NFHS-4) पर आधारित है, जिसे वर्ष 2015-16 में लागू किया गया था। **सूचकांक के निष्कर्ष:** • बिहार राज्य की आबादी में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है, इसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश का स्थान है जहाँ बहुआयामी गरीबी का स्तर पाया जाता है। • केरल राज्य की जनसंख्या में सबसे कम गरीबी स्तर दर्ज किया गया, इसके बाद पुदुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा और सिक्किम का स्थान है। **कुपोषित लोग:** • बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़

	का स्थान है। **सूचकांक का महत्त्व:** ● सूचकांक का विकास एक सार्वजनिक नीति उपकरण स्थापित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है जो बहुआयामी गरीबी का निरीक्षण करता है, साक्ष्य-आधारित और केंद्रित हस्तक्षेपों को सूचित करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास की दौड़ में कोई भी पीछे न छूटे। ● यह देश में गरीबी की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है, साथ ही उन क्षेत्रों - राज्य या ज़िलों, एवं विशिष्ट क्षेत्रों का और अधिक गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है जो मौजूदा मौद्रिक गरीबी आंकड़ों के लिये एक पूरक के रूप में कार्य करता है। ● यह सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals-SDGs) के लक्ष्य-2 की प्रगति को मापने की दिशा में योगदान देता है, जिसका उद्देश्य गरीबी में जीवन यापन करने वाले सभी उम्र के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अनुपात को कम-से-कम आधा करना है। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?** **1.** भारत में गरीबी का अनुपात अभी भी उच्च है, इसका मतलब है कि विकास अपने आप में गरीबी को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। समालोचनात्मक विश्लेषण करें। **2.** गरीबी किस प्रकार मानव विकास को बाधित करती है? क्या गरीबी उपशमन उपायों से अवरुद्ध मानव विकास की समस्या का समाधान हो सकता है? समालोचनात्मक जाँच करें।
कनेक्टेड लेंडिंग	**ख़बरों में:** हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़े औद्योगिक समूहों को बैंकिंग लाइसेंस जारी करने के लिए एक आंतरिक कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिश के कार्यान्वयन को रोकने का निर्णय लिया है। कई लोग आरबीआई के फैसले को वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए एक विवेकपूर्ण कदम के रूप में देखते हैं। **यह क्या है?** ● नवंबर 2020 में पी.के. मोहंती ने सिफारिश की, आरबीआई बड़े औद्योगिक समूहों को बैंक स्थापित करने की अनुमति देता है। ● समूह की सिफारिश को विश्लेषकों ने बैंकिंग प्रणाली में अधिक निजी पूंजी लाने और उधार बढ़ाने में मदद करने के प्रयास के रूप में देखा। ● आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य सहित कई विशेषज्ञों ने इस प्रस्ताव की आलोचना की थी। ● दुनिया भर के कई देश या तो औद्योगिक समूहों को बैंकों के मालिक होने से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देते हैं। ● आरबीआई पिछले एक साल से कार्य समूह की सिफारिशों पर विचार कर रहा है और इसकी कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। हालांकि, इसने औद्योगिक समूहों को बैंकों के स्वामित्व और संचालन की अनुमति देने की प्रमुख सिफारिश पर रोक लगाने का फैसला किया है। **बड़े औद्योगिक समूहों को बैंक स्थापित करने की अनुमति देने में क्या समस्या है?** ● कार्यकारी समूह के प्रस्ताव के आलोचकों का तर्क है कि अंबानी, अदानी और टाटा जैसे बड़े उद्योगपतियों को बैंकों के स्वामित्व और संचालन का लाइसेंस देने से पूंजी का गलत आवंटन होगा। ● विपक्ष के पीछे तर्क यह है कि इससे जुड़े उधार को जन्म मिल सकता है, एक ऐसी प्रणाली जहां बैंक का मालिक अपनी कंपनी या संबंधित पक्षों (उसके दोस्तों और परिवारों) को कम ब्याज दर पर ऋण देता है। मूल रूप से, यदि आप एक बैंक के मालिक हैं, तो आप जोखिम भरे प्रोजेक्ट के लिए कम ब्याज दर पर खुद को पैसा उधार दे सकते हैं। o उदाहरण के लिए, अंबानी के स्वामित्व वाला एक बैंक उन कंपनियों को उधार देना पसंद कर सकता है जो टाटा या अदानी के स्वामित्व वाली कंपनियों के बजाय रिलायंस समूह के अंतर्गत आती हैं। ● आलोचकों का मानना है कि एक निश्चित औद्योगिक समूह के स्वामित्व वाला बैंक भी अपनी सहयोगी कंपनियों को ऋण देने के लिए अधिक इच्छुक हो सकता है, भले ही वे क्रेडिट मानकों को पूरा न करें। ऐसे ऋणों के खराब संपत्ति में बदलने और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए खतरा होने की अधिक संभावना है। ● आलोचकों का यह भी मानना है कि भारत में इस तरह के खतरनाक जुड़े उधार को रोकने के लिए नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी है।

	• अतीत में कई निजी बैंकों की विफलता को खराब उधार निर्णयों के कारण भी बड़े औद्योगिक समूहों के बैंकिंग में प्रवेश करने के विचार का विरोध करने के लिए एक कारण के रूप में उद्धृत किया गया है। • हालांकि निजी बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता बनाए रखते हैं, फिर भी आलोचकों को डर है कि निजी बैंक खराब ऋण निर्णय लेने के लिए अधिक प्रवण हो सकते हैं। **क्या आलोचक सही हैं?** • औद्योगिक समूहों को बैंक लाइसेंस प्रदान करने से इन समूहों को पूंजी तक आसानी से पहुंच प्राप्त होगी। • इसलिए, एक औद्योगिक समूह जो एक बैंक का मालिक है, अपने बैंकिंग विंग से ऋण की प्रचुर आपूर्ति की उम्मीद कर सकता है। यह संभावित रूप से गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, भारी नुकसान झेल रहा एक औद्योगिक समूह लंबे समय तक खुद को बचाए रखने के लिए अपने बैंकिंग विंग का उपयोग कर सकता है। • लेकिन अगर बैंक प्रबंधन समझता है कि बुरे के बाद अच्छा पैसा फेंकना एक बुद्धिमान निर्णय नहीं है, तो प्रति से जुड़ा हुआ उधार खतरनाक नहीं होना चाहिए। • यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आम तौर पर बैंक विफलताओं और जमाकर्ताओं की रक्षा करने की इच्छा से उत्पन्न प्रणालीगत जोखिमों का हवाला देते हुए आरबीआई द्वारा आम तौर पर बैंकों को दिवालिया होने से बचाया जाता है। • हालांकि, इस तरह की सुरक्षा स्वयं नैतिक खतरे का जोखिम उठाती है क्योंकि यह बैंकों को परिणामों की चिंता किए बिना खराब उधार प्रथाओं में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करती है। • भले ही IWG स्पष्ट रूप से कहता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में आवश्यक संशोधनों के बाद ही बड़े व्यापारिक समूहों को बैंकों के प्रमोटर के रूप में अनुमति दी जाएगी, RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का मानना है कि यदि भारतीय बैंकिंग प्रणाली विनियमन पर इतनी मजबूत थी, तो क्षेत्र एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) और बैड लोन की इतनी बड़ी समस्या नहीं होती।
9.5 फीसदी विकास दर हासिल करने की चुनौती	**संदर्भ:** राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए Q2 GVA और GDP संख्या जारी की, जो दो COVID-19 तरंगों के बाद भारत में आर्थिक सुधार की गति को दर्शाता है। **एनएसओ के प्रमुख निष्कर्ष** • 2020-21 की पहली तिमाही में संकुचन सबसे अधिक था, जो बाद की तिमाहियों में धीरे-धीरे कम हुआ। • 2021-22 की पहली तिमाही में आधार प्रभाव सबसे मजबूत था, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और जीवीए की वृद्धि दर क्रमशः 20.1% और 18.8% थी। o दूसरी तिमाही में आधार प्रभाव कमजोर हुआ, जिसमें जीडीपी और जीवीए की वृद्धि दर क्रमशः 8.4% और 8.5% रही। 0 2021-22 की तीसरी और चौथी तिमाही में आधार प्रभाव और कमजोर होने की संभावना है। • 2021-22 की पहली छमाही के लिए वास्तविक जीवीए 2019-20 की पहली छमाही के स्तर से (-) 3.7% नीचे रहा है। • 2021-22 की पहली छमाही के लिए वास्तविक जीडीपी- यह अंतर सकल घरेलू उत्पाद के लिए और भी बड़ा है जो 2019-20 में इसी स्तर से (-) 4.4% कम है। • इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत विकास गति की आवश्यकता होगी कि इस वित्तीय वर्ष के अंत में जीवीए और जीडीपी वास्तविक रूप से 2019-20 के अपने पूर्व-सीओवीआईडी -19 स्तरों से अधिक हो। • सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) - जीएफसीएफ ने वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में 1.5% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है, जो कि 2019-20 में इसी स्तर से अधिक है। फिर भी 2021-22 की पहली छमाही में जीएफसीएफ 2019-20 में अपने संबंधित स्तर से नीचे बना हुआ है। • निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) - एच1 2021-22 , 2019-20 में अपने संबंधित स्तर से नीचे बना हुआ है। यह इंगित करता है कि निवेश के साथ-साथ खपत की मांग को Q3 और Q4 में मजबूती से उठाना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अर्थव्यवस्था अपने पूर्व-सीओवीआईडी -19 स्तर की तुलना में 2021-22 के अंत तक सकारात्मक पक्ष पर उभरा है। **किन क्षेत्रों ने विकास को गति दी है?**

	• 2021-22 की पहली छमाही में, आठ जीवीए क्षेत्रों में से केवल चार ने 2019-20 में अपने संबंधित स्तरों को पार किया है। ये ○ कृषि ○ बिजली, गैस और अन्य। ○ खनन और उत्खनन ○ लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं। (Q1 5.8% और Q2 17.4%) • 2021-22 की दूसरी तिमाही में लोक प्रशासन, रक्षा क्षेत्र के विकास में उछाल केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय पर जोर देने के कारण है, जिसने हाल के महीनों में गति प्राप्त करना शुरू कर दिया है। **क्या उपाय आवश्यक हैं?** • सरकारी पूंजीगत व्यय के रूप में एक मजबूत वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। यह वर्तमान में 2021-22 के H1 में 64.2% की वृद्धि दर वाले उत्साही केंद्र के सकल कर राजस्व द्वारा सुगम बनाया जा रहा है। ○ वित्त वर्ष 2012 की पहली छमाही में 23.9% की मामूली जीडीपी वृद्धि और 9.0% पर निहित मूल्य अपस्फीति-आधारित मुद्रास्फीति, कर राजस्व में उछाल का प्रमुख कारण है। • अतिरिक्त उधार सीमा के माध्यम से राज्य के पूंजीगत व्यय के केंद्र के प्रोत्साहन से भी इस संबंध में मदद मिलेगी। • उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पहली तिमाही में 11 राज्यों और दूसरी तिमाही में सात राज्यों ने इस विंडो के तहत अतिरिक्त किश्त जारी करने के लिए अर्हता प्राप्त की। **आगे की चुनौतियां** • व्यय में वृद्धि खाद्य और उर्वरक सब्सिडी, मनरेगा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार के कारण हुई है। • गैर-कर और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में कुछ कमी के साथ सरकारी पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ - राजकोषीय घाटे का लक्ष्य दबाव में आ सकता है। • इन दबावों के बावजूद, केंद्र के लिए यह उचित होगा कि वह बुनियादी ढांचे पर खर्च जारी रखे। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** • राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन • राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन
भारत में जैव ईंधन उद्योग	**संदर्भ:** पीएम मोदी ने COP26 में अपने संबोधन में, पांच प्रमुख घोषणाओं के रूप में भारत के अद्यतन NDCs को जारी किया। इनमें से सबसे प्रमुख में 2030 तक 500 GW अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करने का भारत का लक्ष्य और 2070 तक शुद्ध-शून्य प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य शामिल था। **वैश्विक स्थिति** • वैश्विक ऊर्जा मांग लगातार बढ़ रही है, जिसके अगले दशक में तेल के बराबर 17 अरब टन तक पहुंचने का अनुमान है। बीपी एनर्जी आउटलुक 2019 के अनुसार, वैश्विक ऊर्जा मांग में भारत की हिस्सेदारी 2040 तक 11 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। • चूंकि कोयला, तेल और गैसोलीन जैसे उत्सर्जन-भारी ईंधन राष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति में 69 प्रतिशत का योगदान करते हैं, यह भारी मांग स्वाभाविक रूप से प्रतिकूल जलवायु प्रभाव के साथ-साथ विषम आयात निर्भरता लाएगी। • जीवाश्म आधारित ईंधनों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से उत्पन्न मानवजनित जलवायु खतरे और जीवाश्म भंडार के घटने के बढ़ते डर के बीच, जैव ईंधन कई लाभों के साथ एक विकल्प होने का वादा करता है। **एक सतत ऊर्जा प्रणाली के रूप में जैव ईंधन** • जैव ईंधन एक स्थायी ऊर्जा प्रणाली प्रदान करता है जो अक्षय, पर्यावरण के अनुकूल और स्वदेशी कच्चे माल का उपयोग करने में सक्षम है। जैव ईंधन उत्पादन के लिए सबसे अधिक नियोजित विधि में किण्वन शामिल है, एक प्रक्रिया जिसमें रोगाणु विभिन्न जैव रासायनिक मार्गों द्वारा ग्लूकोज जैसे सरल शर्करा को मूल्य वर्धित रसायनों में परिवर्तित करते हैं। • जैव ईंधन का उत्पादन रासायनिक तरीकों (>500°C की आवश्यकता) के विपरीत 25-45°C के बीच हल्के

तापमान पर किया जाता है, जो पूरी प्रक्रिया को ऊर्जा कुशल बनाता है।

- जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा की तुलना में, जैव ईंधन से न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है बल्कि कच्चे माल की आत्मनिर्भरता भी सुनिश्चित होती है।

एकीकृत बायोरिफ़ाइनरी

- एकीकृत बायोरिफ़ाइनरी एक ऐसी सुविधा है जिसके ज़रिए जैव संसाधनों को मूल्य-वर्धित उत्पादों में बदला जाता है। साथ ही इस क़वायद से अधिकतम ऊर्जा भी हासिल की जाती है।
- COP26 के दौरान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने मिशन "एकीकृत बायोरिफ़ाइनरी" का आग़ाज़ किया। भारत और नीदरलैंड के बीच आपसी गठजोड़ से इस पहल की शुरुआत की गई है।
- मिशन इनोवेशन के तहत आने वाले इस कार्यक्रम का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत विकसित करना है। दरअसल एकीकृत बायोरिफ़ाइनरी एक ऐसी सुविधा है जिसके ज़रिए जैव संसाधनों को मूल्य-वर्धित उत्पादों में बदला जाता है।
- पिछले कुछ सालों में भारत में जैव ईंधन से जुड़े उद्योग में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम शुरू किए जा चुके है।
- अगले दशक में विश्व में ऊर्जा की मांग 17 अरब टन तेल के बराबर हो जाएगी। •बीपी एनर्जी आउटलुक 2019, के अनुसार वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कुल मांग में भारत का हिस्सा 2040 तक बढ़कर 11 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।
- भारत की राष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति में कोयला, तेल और गैसोलीन जैसे कार्बन उत्सर्जनकारी ईंधनों का योगदान 69 फ़ीसदी है।

टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था के तौर पर जैव-ईंधन

- निश्चित रूप से जैव-ईंधन हमें ऊर्जा का एक टिकाऊ तंत्र मुहैया कराता है. ये नवीकरणीय और पर्यावरण के अनुकूल है।
- जैव ईंधन के उत्पादन के लिए आम तौर पर फ़र्मेंटेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है।
- जैव-ईंधन के उत्पादन की प्रक्रिया सामान्य तापमान (25-45 डिग्री सेल्सियस) में पूरी की जा सकती है. जबकि रासायनिक तरीक़ों से ऊर्जा के उत्पादन में 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान की आवश्यकता होती है।

भारत और जैव-ईंधन: हालिया नीतिगत पहल

- भारत सरकार जैव ईंधन उत्पादन के लिए घरेलू फ़ीडस्टॉक की क्षमताओं को स्वीकार किया है।
- 2018 में जैव ईंधन से जुड़ी राष्ट्रीय नीति में "भारत के एनर्जी बास्केट में जैव ईंधनों के सामरिक महत्व" को रेखांकित किया गया है।
- सरकार की नीतियां बायोइथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित हैं. इसके लिए शर्करा-युक्त (मीठे चुकंदर, मीठे ज्वार आदि) और स्टार्च-युक्त पदार्थों (मक्का, सड़े या नष्ट हुए अनाज आदि) का इस्तेमाल किया जाता है।
- दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल बायोरिफ़ाइनरियों के लिए 5000 करोड़ रु की व्यवहार्यता फ़ंडिंग गैप स्कीम का प्रावधान किया है. भारत ने 2023-24 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने (blending) का लक्ष्य भी रखा है।

'आत्म निर्भरता के लिए जैव ईंधन'

- हालांकि जैवईंधनों से भारत की ऊर्जा से जुड़ी मांग के बहुत बड़े हिस्से की पूर्ति नहीं हो सकेगी।
- जैव ईंधन से भारत के ईंधन आयात से जुड़ी ज़रूरतों और निर्भरताओं में कमी लाई जा सकती है।
- नीति आयोग की विशेषज्ञ समिति के मुताबिक 2025 तक 20 फ़ीसदी इथेनॉल मिलाने (blending) से जुड़ा लक्ष्य हासिल कर लेने पर भारत में सालाना 4 अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत होने लगेगी।

निष्कर्ष

आत्मनिर्भरता के लिए जैव ईंधन उत्पादन स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित करने और शिक्षित करने और उनके कचरे की धन-सृजन क्षमता के बारे में अपशिष्ट पृथक्करण द्वारा एक वास्तविकता बन सकता है। भारत को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, उद्योग और समाज के बीच अधिक से अधिक जुड़ाव को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं?

1. एक स्थायी ऊर्जा संसाधन के रूप में जैव ईंधन की संभावित और संबद्ध चुनौतियों का परीक्षण करें।

वाणिज्य विभाग , वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की वर्षांत समीक्षा	**1.2021-22 में व्यापारिक वस्तुओं के लिये 400 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात लक्ष्य** **2. निर्यात प्रदर्शन** **व्यापारिक वस्तुएं** • पिछले 8 महीनों में भारत निर्यात के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और चालू वित्त वर्ष में लगातार 8वें महीने निर्यात 30 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक रहा है। • अप्रैल-नवंबर 2020 अवधि के 174.16 अरब अमरीकी डॉलर की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान निर्यात का कुल मूल्य 263.57 अरब अमरीकी डॉलर अनुमानित किया गया है, जो 51.34 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि है। **सेवायें** • भारत से सेवाओं का निर्यात महामारी को लेकर अपेक्षाकृत लचीला रहा, जिसने 2020 में वाणिज्यिक सेवाओं में विश्व व्यापार को प्रभावित किया। विश्व भर के वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2019 की 3.5 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 4.1 प्रतिशत हो गयी, जिससे वाणिज्यिक सेवाओं के प्रमुख निर्यातकों में भारत का स्थान 8वें से सुधर कर 2020 में 7वां हो गया। **3. आजादी का अमृत महोत्सव (ऐकेएएम)** • आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए, वाणिज्य विभाग ने 20 से 26 सितंबर, 2021 तक 'वाणिज्य सप्ताह' का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य यह दर्शाना था कि कैसे भारत अंतरराष्ट्रीय कारोबारी इकोसिस्टम में शामिल प्रत्येक हितधारक को गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने के लिए सशक्त बना रहा है जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा - मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड में खड़े हो सकते हैं। • सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम में विषयों और आकांक्षी लक्ष्यों जैसे (अ) आत्मनिर्भरता बढ़ाने की ओर (ब) शोकेसिंग इंडिया: ए राइजिंग इकोनॉमिक फोर्स (स) ग्रीन और स्वच्छ एसईजेड (द) वाणिज्य उत्सव (य) फार्म से विदेश तक आदि को लेकर कई गतिविधियां आयोजित की गयीं। • आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित कार्यक्रम व्यापार और उत्सव का एक मिला जुला रुप था। सभी आयोजनों में न केवल व्यापार के प्राथमिक हितधारक अर्थात निर्यातक शामिल हुए साथ ही पूरे देश के लगभग 700 जिलों को शामिल करते हुए राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योगों, व्यापारियों, उत्पादकों, बागान श्रमिकों, एमएसएमई और अन्य हितधारकों द्वारा व्यापक रूप से और उत्साहपूर्वक भाग लिया गया। **4.कारोबार करने में सुगमता** • महामारी की अवधि के दौरान नीतियों में स्थिरता प्रदान करने के लिए, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 को वर्ष 2021-22 के लिए यानि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया। • एडवांस ऑथराइजेशन (एए)/ईपीसीजी, ईओयू योजना के तहत एकीकृत माल और सेवा कर और कंपन्सेशन सेस से छूट 31 मार्च 2022 तक बढ़ायी गयी। • निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं पर सामुदायिक भागीदारों के साथ एपीआई आधारित संदेशों के आदान-प्रदान के साथ डीजीएफटी की आईटी प्रणालियों को नया रूप दिया गया। • सामान्य ईसीओओ पोर्टल का विस्तार नॉन-प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजन को जारी करने के लिए भी किया गया है। **5.आरओडीटीईपी योजना का कार्यान्वयन** • निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट के लिए योजना (आरओडीटीईपी) को 1 जनवरी 2021 से निर्यात पर अधिसूचित किया गया है। • आरओडीटीईपी योजना लगभग 8555 एचएस लाइनों को कवर करती है, जिसमें छूट की दर 0.01% से 4.3% तक होती है। • आरओडीटीईपी योजना एंड टू एंड डिजिटलीकरण के साथ संचालित होती है और आरओडीटीईपी लाभों का दावा करने के लिए कोई अलग आवेदन दायर करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), वित्त मंत्रालय इस योजना को लागू कर रहा है।

6.वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एसईआईएस योजना की अधिसूचना

- वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदान की गई सेवाओं के लिये, भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) को अधिसूचना संख्या 29 दिनांक 23.09.2021 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था, जिसमें पात्र सेवा श्रेणियों और दरों की सूची शामिल थी।
- भारत और मॉरीशस ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (सीईसीपीए) पर हस्ताक्षर किये
- भारत और मॉरीशस ने 22 फरवरी 2021 को व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (सीईसीपीए) पर हस्ताक्षर किए जो 1 अप्रैल 2021 को लागू हुआ।
- सीईसीपीए अफ्रीका में किसी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है।
- भारत-मॉरीशस सीईसीपीए दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और सुधारने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।

7.भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) वार्ता

- भारत-यूएई सीईपीए वार्ता 22 सितंबर 2021 को यूएई प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दौरान शुरू की गयी थी।
- इस रणनीतिक आर्थिक समझौते से अनुमान है कि हस्ताक्षर होने के पांच वर्षों के अंदर वस्तुओं में व्यापार 100 अरब डॉलर और सेवाओं में व्यापार 15 अरब डॉलर तक बढ़ेगा।

8.भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) वार्ता

- अंतिम समझौता 2022 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। वार्ता के प्रमुख विषयों में वस्तुओं, सेवाओं में कारोबार, निवेश, उत्पत्ति के नियम, सीमा शुल्क सुविधा, कानूनी और संस्थागत मुद्दों आदि हैं।

9.16 से 18 अगस्त 2021 के दौरान ब्रिक्स व्यापार मेला 2021 (वर्चुअल)

- वाणिज्य विभाग की एक पहल, और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम ब्रिक्स व्यापार मेला, भारत की अध्यक्षता में 16 से 18 अगस्त, 2021 तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था।
- व्यापार मेले में व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा 8000 से अधिक वर्चुअल बूथ का दौरा भी किया गया, जिससे 2000 से अधिक व्यापारिक स्तर की बातचीत भी हुई।

10.सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम): खुली और पारदर्शी खरीद

- जीईएम पर कुल 31.8 लाख विक्रेता जुड़े हुए हैं, जिनमें से 7.39 लाख एमएसएमई हैं, जो विक्रेता आधार का लगभग 23% हिस्सा हैं और जीईएम पर संचयी सकल व्यापारिक मूल्य का 57% से अधिक

पर्यावरण

पश्चिमी घाट में कस्तूरीरंगन समिति

ख़बरों में: 4 दिसंबर को, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने केंद्र को सूचित किया कि राज्य पश्चिमी घाट पर कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट का विरोध कर रहा है।

- उन्होंने कहा कि पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने से क्षेत्र के लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- हालांकि, विशेषज्ञों ने राज्य के विपक्ष को पारिस्थितिक रूप से नाजुक (fragile) पश्चिमी घाट के लिए विनाशकारी बताया।

कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें क्या हैं?

- कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल का 37 प्रतिशत, जो लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर है, को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) घोषित करने का प्रस्ताव है।
- इसमें से 20,668 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कर्नाटक में पड़ता है, जो 1,576 गांवों को कवर करता है।
- रिपोर्ट में खनन, उत्खनन, रेड श्रेणी के उद्योगों की स्थापना और ताप विद्युत परियोजनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई।
- यह भी कहा गया है कि इन गतिविधियों के लिए अनुमति दिए जाने से पहले वन और वन्य जीवन पर ढांचागत परियोजनाओं के प्रभाव का अध्ययन किया जाना चाहिए।

- यह भी कहा गया है कि यूनेस्को विरासत टैग पश्चिमी घाट में मौजूद विशाल प्राकृतिक संपदा की वैश्विक और घरेलू मान्यता बनाने का एक अवसर है।

  o 39 स्थल पश्चिमी घाट में स्थित हैं और (केरल 19), कर्नाटक (10), तमिलनाडु (6) और महाराष्ट्र (4) राज्यों में वितरित किए गए।

  0 अधिकांश मामलों में स्थलों की सीमा कानूनी रूप से सीमांकित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों, बाघ अभयारण्यों और वन प्रभागों की सीमाएँ हैं इसलिए उनको पहले से ही उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई हैं।

  0 समिति द्वारा किया गया इको-सेंसिटिव एरिया मैपिंग और सीमांकन भी इंगित करता है कि सभी साइट इस क्षेत्र के भीतर हैं।
- राज्य सरकारों को इस विकास को देखना चाहिए और क्षेत्र के संसाधनों और अवसरों के संरक्षण और मूल्य के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए।
- कर्नाटक राज्य में ईएसए- 46.50 प्रतिशत का उच्चतम प्रतिशत है।

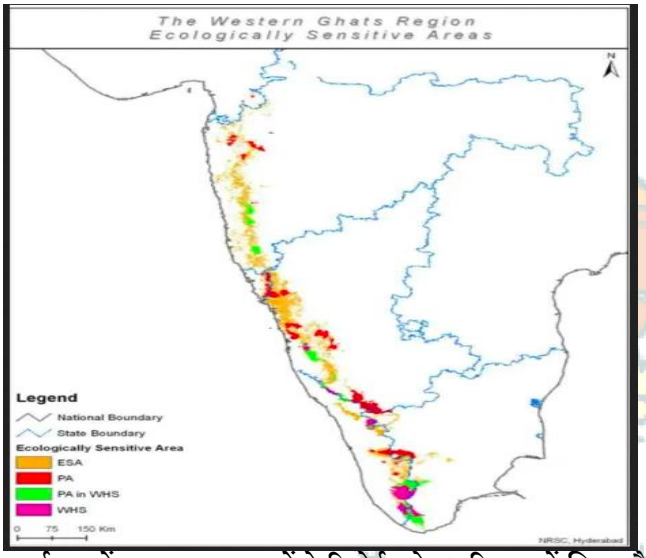

कर्नाटक में लगातार सरकारों ने रिपोर्ट को खारिज क्यों किया है?

- राज्य सरकार का मानना है कि रिपोर्ट के लागू होने से क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियां ठप हो जाएंगी।
- सरकार ने कहा है कि कर्नाटक को व्यापक वनावरण वाले राज्यों में से एक होने का गौरव प्राप्त है और सरकार ने पश्चिमी घाट की जैव विविधता की रक्षा करने का ध्यान रखा है।
- उपग्रह चित्रों के आधार पर कस्तूरीरंगन रिपोर्ट तैयार की गई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। क्षेत्र के लोगों ने कृषि और बागवानी गतिविधियों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अपनाया है।
- वन संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। इस पृष्ठभूमि में स्थानीय लोगों की आजीविका को प्रभावित करने वाला एक और कानून लाना उचित नहीं है।
- 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने पश्चिमी घाट में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को अंतिम रूप देने के लिए कर्नाटक सरकार को कई मसौदा अधिसूचनाएं जारी की हैं, लेकिन सरकार रिपोर्ट के कार्यान्वयन को खारिज करने में दृढ़ रही है।

रिपोर्ट को लागू न करने से पश्चिमी घाट पर क्या असर पड़ेगा?

- जलवायु में परिवर्तन (आवर्ती बाढ़, सूखा, भूस्खलन, बढ़ते तापमान, आदि से स्पष्ट) को ध्यान में रखते हुए, जो सभी लोगों (गरीब या अमीर की परवाह किए बिना) की आजीविका को प्रभावित करेगा और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा, नाजुक संरक्षण के लिए पारिस्थितिक तंत्र विवेकपूर्ण है।
- विशेषज्ञ सरकार रिपोर्ट को स्वीकार करने और लागू करने का सुझाव देते हैं।
- विश्व चरम जलवायु घटनाओं की चपेट में है, जो प्रकृति और लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। फिर भी, सरकार प्रशंसित शोधकर्ताओं के मूल्यवान सुझावों पर आपत्ति जताती रही है।
- अगर सरकार सही मायने में पश्चिमी घाटों में रहने वाले 22 करोड़ लोगों के कल्याण की परवाह करती है, तो वह

	कस्तूरीरंगन समिति की कम से कम 85 प्रतिशत सिफारिशों को स्वीकार करेगी। नहीं तो यह लोगों की पीड़ा का कारण होगा। **कर्नाटक में मानित वन भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है?** ● जबकि कर्नाटक में वनों के अतिक्रमण पर चिंता बढ़ रही है, राज्य सरकार ने मानित वन क्षेत्र को 3,30,186.938 हेक्टेयर से घटाकर 2 लाख हेक्टेयर करने की योजना बनाई है। ● गोदावर्मन थिरुमुलपद बनाम भारत संघ और अन्य रिट याचिका में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 12 दिसंबर, 1996 के आदेश में, शब्दकोश अर्थ के अनुसार वन शब्द और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज वनों को व्यापक परिभाषा में शामिल किया जाना था। ● राज्य विशेषज्ञ समिति ने 1997 में 10 लाख हेक्टेयर मानित वन क्षेत्र की पहचान की थी, जो वर्षों से लगातार सरकारों द्वारा कम किया गया था। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ● पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) ● सतत विकास लक्ष्यों
जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (ZBNF) पर जोर	**संदर्भ:** शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) सरकार के कृषि एजेंडे में शीर्ष पर है, गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रीय सम्मेलन में रासायनिक खाद वाली खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती करने पर जोर दिया। ● केंद्र ने इस वर्ष आठ राज्यों में चार लाख अतिरिक्त हेक्टेयर फसल भूमि को जेडबीएनएफ तकनीकों का उपयोग करने के लिए परिवर्तित करने हेत समर्थन को मंजूरी दी है। यह उनके लाभों के लिए एक प्रदर्शन प्रदान करने के लिए है, हालांकि विधि पर वैज्ञानिक अध्ययन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। **यह क्या है और यह कैसे आया?** ● शून्य बजट प्राकृतिक खेती पारंपरिक भारतीय प्रथाओं से रासायनिक मुक्त कृषि की एक विधि है। ● यह मूल रूप से कृषक और पद्म श्री प्राप्तकर्ता सुभाष पालेकर द्वारा प्रचारित किया गया था, जिन्होंने इसे 1990 के दशक के मध्य में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अधिक सिंचाई द्वारा संचालित हरित क्रांति के तरीकों के विकल्प के रूप में विकसित किया था। ● उन्होंने तर्क दिया कि इन बाहरी आदानों की बढ़ती लागत किसानों के बीच ऋण और आत्महत्या का एक प्रमुख कारण था, जबकि पर्यावरण और दीर्घकालिक प्रजनन क्षमता पर रसायनों का प्रभाव विनाशकारी था। ● इन आदानों पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता के बिना - या उन्हें खरीदने के लिए ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है - उत्पादन की लागत को कम किया जा सकता है और खेती को "शून्य बजट" में बनाया जा सकता है, जिससे कई छोटे किसानों के ऋण चक्र को तोड़ दिया जा सकता है। ● पालेकर कहते हैं, ZBNF के "चार पहिये" 'जीवामृत (Jiwamrita)', 'बिजमृत (Bijamrita)', 'मल्चिंग (Mulching)' और 'वापसा (Waaphasa) ' हैं।

जीवामृत	● यह ताजा गोबर और वृद्ध गोमूत्र, गुड़, दाल का आटा, पानी और मिट्टी का मिश्रण है। ● यह एक किण्वित माइक्रोबियल संस्कृति है जो मिट्टी में पोषक तत्वों को जोड़ती है और मिट्टी में सूक्ष्मजीवों और केंचुओं की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करती है। ● लगभग 200 लीटर जीवामृत का छिड़काव महीने में दो बार प्रति एकड़ जमीन पर करना चाहिए। ● 30 एकड़ भूमि के लिए केवल एक गाय की आवश्यकता है, श्री पालेकर के अनुसार, इस शर्त के साथ कि यह एक स्थानीय भारतीय नस्ल होनी चाहिए - आयातित जर्सी या होल्स्टीन नहीं।
बीजामृत	● यह देसी गाय के गोबर और मूत्र, पानी, बांध मिट्टी और चूने का मिश्रण है जिसे बुवाई से पहले बीज उपचार समाधान के रूप में उपयोग किया जाता है।

मल्चिंग	● यह पौधों को सूखे भूसे या गिरे हुए पत्तों की एक परत के साथ कवर करता है, जिसका उद्देश्य मिट्टी की नमी को संरक्षित करना और जड़ों के आसपास का तापमान 25-32 डिग्री सेल्सियस पर बनाये रखना, जो सूक्ष्मजीवों को अपना काम करने की अनुमति देता है।
वापसा	● यह आवश्यक नमी-वायु संतुलन बनाए रखने के लिए पानी प्रदान करता है, और उद्देश्य को प्राप्त भी करता है।
	● श्री पालेकर वर्मीकम्पोस्टिंग के खिलाफ हैं, जो कि विशिष्ट जैविक खेती का मुख्य आधार है, क्योंकि यह भारतीय मिट्टी में सबसे आम कंपोस्टिंग वर्म, यूरोपीय रेड विग्लर (आइसेनिया फेटिडा) का परिचय देता है। उनका दावा है कि ये कीड़े जहरीली धातुओं को अवशोषित करते हैं और भूजल और मिट्टी को जहर देते हैं।

जीरो बजट प्राकृतिक खेती के क्या फायदे हैं?

- **बेहतर कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना:** ZBNF पद्धति मिट्टी के वायु संचारण, न्यूनतम पानी, अंतरफसल, बांध और ऊपरी मिट्टी की मल्चिंग को बढ़ावा देती है और गहन सिंचाई तथा डीपली जुताई को हतोत्साहित करती है।
- **छोटे किसान हितैषी:** एक सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यक्रम दोनों के रूप में, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खेती विशेष रूप से छोटी जोत वाली खेती - कृषि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाकर आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो।
- **किसानों के लिए लागत कम करना :** बाहरी आदानों को समाप्त करके और मिट्टी को फिर से जीवंत करने के लिए इन-सीटू संसाधनों का उपयोग करके, किसानों की लागत कम हो जाती है, साथ ही साथ आय में वृद्धि होती है, और विविध, बहुस्तरीय फसल प्रणालियों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बहाल किया जाता है।
- **गाय के गोबर का कुशल उपयोग करना :** स्थानीय गायों का गोबर मिट्टी की उर्वरता और पोषक मूल्य को पुनर्जीवित करने के लिए एक चमत्कारी इलाज साबित हुआ है।
- माना जाता है कि एक ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ के बीच लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी पर सूखे बायोमास को विघटित कर देते हैं और इसे पौधों के लिए तैयार पोषक तत्वों में बदल देते हैं।
- **पर्यावरण के अनुकूल:** शून्य बजट प्राकृतिक खेती के लिए रासायनिक और जैविक खेती की तुलना में केवल 10 प्रतिशत पानी और 10 प्रतिशत बिजली की आवश्यकता होती है। ZBNF जलवायु परिस्थितियों को विकसित करने के लिए अनुकूल होने और उत्पादित होने के लिए फसलों की क्षमता में सुधार करता है।

क्या यह प्रभावी है?

- आंध्र प्रदेश में 2017 के एक सीमित अध्ययन ने इनपुट लागत में तेज गिरावट और पैदावार में सुधार का दावा किया।
- हालांकि, रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि श्री पालेकर के मूल महाराष्ट्र सहित कई किसान, कुछ वर्षों के बाद अपने ZBNF रिटर्न में गिरावट देखने के बाद पारंपरिक खेती में वापस आ गए, बदले में किसानों की आय बढ़ाने में विधि की प्रभावकारिता के बारे में संदेह पैदा हुई।
- ZBNF के आलोचक, जिनमें केंद्रीय नीति और योजना थिंक टैंक NITI Aayog के कुछ विशेषज्ञ शामिल हैं, ध्यान दें कि आत्मनिर्भर बनने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत को हरित क्रांति की आवश्यकता है।
- सिक्किम, जिसने जैविक खेती में परिवर्तन के बाद पैदावार में कुछ गिरावट देखी है, का उपयोग रासायनिक उर्वरकों को छोड़ने के नुकसान के बारे में एक चेतावनी के रूप में किया जाता है।
- 2019 में, जब प्रधानमंत्री ने मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए ZBNF की प्रशंसा की, तो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी ने श्री मोदी को पत्र लिखकर इसके दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्याप्त शोध के बिना विधि को बढ़ावा देने के खिलाफ चेतावनी दी।

बड़ी योजनाओं वाले राज्य कौन से हैं?

- इस साल केंद्र ने परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत आठ राज्यों के समर्थन के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
- इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश की एक लाख अतिरिक्त हेक्टेयर भूमि को ZBNF के तहत लाने की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में 85,000 अतिरिक्त हेक्टेयर और गुजरात में 71,000 अतिरिक्त हेक्टेयर भूमि है।

	• सरकार ने कहा है कि इस योजना के तहत लागू किए जा रहे प्रस्तावों का उपयोग इस पद्धति के लाभों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा। **आगे क्या छिपा है?** • प्रधानमंत्री ZBNF के लाभों को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं और प्राकृतिक खेती पर ध्यान देने के साथ, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में इसे लागू करने के लिए रणनीतियों पर अधिक विवरण प्रदान करने के लिए तैयार हैं, जो कि आनंद गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 5,000 से अधिक किसानों के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की उम्मीद है। • जहां तक वैज्ञानिक सत्यापन का संबंध है, सभी की निगाहें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पर केंद्रित हैं, जो मोदीपुरम (उत्तर प्रदेश), लुधियाना (पंजाब), पंतनगर (उत्तराखंड) में बासमती और गेहूं किसानों द्वारा अपनाई गई जेडबीएनएफ विधियों पर अध्ययन कर रही है। और कुरुक्षेत्र (हरियाणा), मिट्टी आर्गेनिक कार्बन और मिट्टी की उर्वरता सहित उत्पादकता, इकोनॉमिक्स और मिट्टी के स्वास्थ्य पर प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है। • कृषि सचिव ने कहा कि इस तरह के अध्ययनों को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कम से कम तीन साल की जरूरत है।
भारत ने जलवायु कार्रवाई से जुड़े UNSC के प्रस्ताव के खिलाफ किया	**संदर्भ:** 13 दिसंबर को, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक मसौदा प्रस्ताव का विरोध करने में रूस के साथ शामिल हो गया, जो प्रभावी रूप से सुरक्षा परिषद के दायरे में जलवायु परिवर्तन लाएगा। • इससे UNSC को ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के अपने वादों के लिए देशों को जवाबदेह ठहराने और लागू करने की अनुमति मिलती। • यह प्रस्ताव आयरलैंड और नाइजर द्वारा सह-प्रायोजित था और इसे पहली बार जर्मनी द्वारा वर्ष 2020 में 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' में प्रस्तावित किया गया था। इसे 113 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों (कुल 193 में से) का समर्थन प्राप्त था, जिसमें 15 में से 12 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्य शामिल हैं। • हालांकि, एक गर्म बहस (heated debate) और भारत द्वारा एक मजबूत जवाब के बाद, रूस द्वारा प्रस्ताव को वीटो कर दिया गया, और यूएनएससी ने 12 पक्ष में, 2 के खिलाफ और चीन से परहेज़ दर्ज किया। **प्रायोजक जलवायु परिवर्तन को यूएनएससी में शामिल करने के इच्छुक क्यों हैं?** • 2007 से यूएनएससी में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई है, और यूएनएससी के कई बयान संघर्षों पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का संदर्भ देते हैं। • नाइजर और आयरलैंड दोनों ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों में लोग भी आतंकवादी समूहों और हिंसा के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं, दोनों को शांति स्थापना पर यूएनएससी के जनादेश से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। • उन्होंने कहा कि कृषि योग्य भूमि, खाद्य सुरक्षा, मरुस्थलीकरण और जबरन प्रवास पर जलवायु संबंधी संघर्ष, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु शरणार्थियों में वृद्धि उन संघर्षों को जन्म देगी जिन पर यूएनएससी को ध्यान देने की आवश्यकता है। • पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट एसआईपीआरआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के 21 शांति अभियानों में से 10 ऐसे देशों में स्थित हैं, जहां जलवायु परिवर्तन सबसे अधिक प्रभावित है। • इसके पक्ष में कुछ टिप्पणीकारों ने कहा कि केवल 2000 के बाद जब यूएनएससी ने महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर संकल्प 1325 पारित किया था कि संघर्ष में लैंगिक हिंसा बहस में शामिल हुई और आशा व्यक्त की कि वे जलवायु के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं। • नाइजर के प्रतिनिधि ने कहा कि अगर सुरक्षा परिषद COVID-19 महामारी और स्वास्थ्य सुरक्षा (UNSCR 2565 (2021)) पर एक प्रस्ताव पारित करती है, तो वहां जलवायु सुरक्षा पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा सकता? **भारत ने रूस के साथ वोट क्यों किया?** • इस प्रस्ताव पर भारत का रुख इस इच्छा के अनुरूप है कि यूएनएससी को "हस्तक्षेप" करने और संप्रभु मुद्दों पर अतिरेक के लिए एक व्यापक जनादेश की अनुमति नहीं दी जाए। • जबकि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी), जिसने ग्लासगो में सीओपी 26 का आयोजन किया, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए देशों के स्वैच्छिक योगदान को समेटे

	हुए है, भारत का मानना है कि ये ऐसे मुद्दे नहीं हैं जहां यूएनएससी को हस्तक्षेप करना चाहिए। • भारत ने दोहराया कि वह अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को निभाने और जलवायु न्याय के लिए लड़ने में "किसी से कम नहीं" है, दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के चश्मे के माध्यम से संघर्षों को देखना "भ्रामक" होगा। • भारत ने यहां तक सुझाव दिया कि वह एक अधिक सीमित मसौदे का समर्थन करेगा जो विशेष रूप से उत्तरी अफ्रीका के साहेल क्षेत्र पर केंद्रित है, जहां शुष्क क्षेत्रों का मरुस्थलीकरण सीधे पानी से संबंधित संघर्ष को जन्म दे रहा है, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया, और भारत ने अपना पहला नकारात्मक वोट दर्ज किया। • चीनी प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि UNSC को केवल "देश-दर-देश या स्थिति-दर-स्थिति" विश्लेषण के आधार पर, जलवायु परिवर्तन से प्रेरित सुरक्षा जोखिमों पर विचार करना चाहिए। **क्या जलवायु सुरक्षा प्रस्ताव की समीक्षा की जाएगी और उसे पुन: प्रस्तुत किया जाएगा?** • प्रस्ताव को मिले मजबूत समर्थन और वर्तमान में यूएनएससी में रूस और भारत के कम विरोध को देखते हुए, यह संभावना नहीं है कि यह मुद्दा दूर हो जाएगा, और यह केवल अमेरिकी, यूरोपीय, अफ्रीकी और समय की बात है। लैटिन अमेरिकी देश सुरक्षा परिषद के जनादेश में जलवायु परिवर्तन को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। • वर्तमान प्रस्ताव जर्मनी द्वारा प्रस्तावित एक मसौदे का संशोधित संस्करण है जिसका 2020 में यूएनएससी में विरोध किया गया था। • इसके समर्थकों के अनुसार, वास्तविक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि UNSC जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के साथ-साथ संघर्षों के अन्य कारणों पर भी विचार कर रहा है, जिस पर वह बहस करता है। • हालांकि, इसका विरोध करने वालों, जिनमें लगभग 80 देश शामिल हैं, का कहना है कि जलवायु परिवर्तन को पहले से ही ध्रुवीकृत सुरक्षा परिषद में लाना, जो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस बनाम रूस और चीन के बीच उखड़ा (torn) हुआ है, केवल एक ऐसे मुद्दे पर विभाजन को गहरा करेगा जो संपूर्ण चिंता का विषय है। ग्लोब और एक अविभाजित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। **निष्कर्ष** • वर्तमान में यूएनएससी में सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक के रूप में, और एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए, जो स्वयं जलवायु परिवर्तन के जोखिमों से अत्यधिक प्रभावित है, भारत की आवाज जलवायु परिवर्तन को सुरक्षित और वैश्विक शांति स्थापना निकाय को सुनिश्चित करने के बीच बहस को तय करने में महत्वपूर्ण होगी। यह अपने जनादेश से आगे नहीं बढ़ रहा है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** • सीओपी 26 जलवायु सम्मेलन • चीन की जलवायु प्रतिबद्धताएं • पेरिस समझौता

भूगोल

बांध सुरक्षा विधेयक और तमिलनाडु की आपत्ति	**संदर्भ:** संसद ने देश भर में सभी निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के लिए बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 (Dam Safety Bill, 2019) को मंजूरी दे दी है। • विधेयक बांध टूटने, मौसमी आपदाओं को रोकने और उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करने का प्रयास करता है। • इस बिल को लोकसभा ने अगस्त, 2019 में पारित किया था। राज्यसभा ने गुरुवार को विधेयक को मंजूरी दी। **बांध सुरक्षा विधेयक क्या है?** • विधेयक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समान बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद करने का प्रस्ताव है। • इसका उद्देश्य "बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव प्रदान करना, और उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र तथा उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए प्रदान करना है।" • तीन साल के कार्यकाल के साथ बांध सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति, जिसमें शामिल हैं

	o केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष o संयुक्त सचिव के पद पर केंद्र सरकार के अधिकतम 10 प्रतिनिधि o राज्य सरकारों के अधिकतम सात प्रतिनिधि o तीन विशेषज्ञ • एक राज्य बांध सुरक्षा संगठन भी बनाया जाएगा, जो बांध सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। • इन संगठनों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत बांधों, जलाशयों और संलग्न संरचनाओं के डिजाइन, निर्माण, मरम्मत और विस्तार की विभिन्न विशेषताओं की उचित समीक्षा और अध्ययन के लिए आवश्यक डेटा की जांच और संग्रह करने का अधिकार है। ○ प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी बांध की विफलता की घटना की सूचना राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को देनी होगी। यह भी आवश्यक है कि उनके अधिकार क्षेत्र के तहत प्रत्येक निर्दिष्ट बांधों की प्रमुख बांध घटनाओं के रिकॉर्ड को बनाए रखा जाए। • राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा, अधिनियम के तहत गठित किया जाएगा। ○ बिल केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका नेतृत्व भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा। इसके पास बांध इंजीनियरिंग और बांध सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त योग्यता, अनुभव और क्षमता है। **बांध सुरक्षा विधेयक का संदर्भ क्या है?** • भारत में अधिकांश बांधों का निर्माण और रखरखाव राज्यों द्वारा किया जाता है, जबकि कुछ बड़े बांधों का प्रबंधन दामोदर घाटी निगम या भाखड़ा-नंगल परियोजना के भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड जैसे स्वायत्त निकायों द्वारा किया जाता है। • केंद्र ने भारत में 5,200 से अधिक बड़े बांधों और अभी निर्माणाधीन लगभग 450 बांधों की पृष्ठभूमि में बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 प्रस्तुत किया है। • भारत में बांध सुरक्षा के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे की कमी के कारण, बांध सुरक्षा चिंता का विषय है। असुरक्षित बांध एक खतरा हैं और बांध टूटने से आपदाएं हो सकती हैं, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है। • हालांकि, विधेयक पर राज्यों से प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए 2016 में केंद्र द्वारा विचार-विमर्श के दौरान, तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता ने विधेयक पर सवाल उठाए थे। **तमिलनाडु को आपत्ति क्या हैं ?** • तमिलनाडु ने तर्क दिया है कि विधेयक संघीय सिद्धांतों और राज्य सरकारों की शक्तियों के लिए हानिकारक था। • तमिलनाडु का आरोप है कि इसमें ऐसे खंड शामिल हैं जो राज्य के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, खासकर पड़ोसी राज्यों में इसके द्वारा बनाए गए बांधों के संबंध में रखरखाव और संचालन में समस्याएं पैदा करेंगे। • राज्य की मुख्य चिंता बांधों को नियंत्रित करने, स्वायत्तता और संपत्ति के स्वामित्व में अपनी शक्ति को बनाए रखने के बारे में है। • तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह कदम सत्तावाद के अलावा और कुछ नहीं था और लोकतांत्रिक-संसदीय लोकाचार या भारत के संविधान की परवाह किए बिना राज्य सरकारों के अधिकारों को हड़प लिया। **निष्कर्ष** • ऐसे देश में जहां अधिकांश बांध राज्य सरकारों द्वारा बनाए, संचालित, रखरखाव और स्वामित्व में हैं, लंबे समय से लंबित विवाद होने पर अधिनियम का प्रभाव देखा जाना बाकी है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** • पनबिजली बनाम सौर ऊर्जा • हिमालय में जलविद्युत परियोजनाएं

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

हाइपरसोनिक हथियारों की	**ख़बरों में:** चीन ने अगस्त 2021 में एक परमाणु-सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले दुनिया की परिक्रमा की, एक उन्नत अंतरिक्ष क्षमता का प्रदर्शन किया जिसने अमेरिकी खुफिया को आश्चर्यचकित

नवीन दौड़	कर दिया। ● हालांकि, चीन ने इस बात से इनकार किया है कि वह परमाणु सक्षम था। **हाइपरसोनिक हथियार क्या हैं?** ● वे युद्धाभ्यास योग्य हथियार हैं हाइपरसोनिक मिसाइलों की गति ध्वनि से पांच गुना अधिक यानी पांच मैक होती है। ● मिसाइलों की गति को मैक में प्रदर्शित करते हैं। एक मैक की गति का मतलब ध्वनि की गति के बराबर चाल है। ● बैलिस्टिक मिसाइलें, हालांकि बहुत तेज होती हैं, एक निश्चित प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करती हैं और केवल निकट प्रभाव में फिर से प्रवेश करने के लिए वातावरण के बाहर यात्रा करती हैं। ● इसके विपरीत, हाइपरसोनिक हथियार वातावरण के भीतर यात्रा करते हैं और बीच में ही पैंतरेबाज़ी कर सकते हैं। ● उपरोक्त क्षमताएं उनकी उच्च गति के साथ मिलकर उनकी पहचान और अवरोधन को अत्यंत जटिल बनाती हैं। ● इसका मतलब यह है कि रडार और वायु रक्षा उन्हें तब तक नहीं पहचान सकते जब तक कि वे बहुत करीब न हों और प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत कम समय हो। **हाइपरसोनिक हथियारों के दो वर्ग हैं:** ○ **हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन (HGV):** ये मिसाइलें लक्ष्य की ओर लॉन्च होने से पूर्व एक पारंपरिक रॉकेट के माध्यम से पहले वायुमंडल में जाती हैं। ○ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल (HCM): ये वे मिसाइलें हैं, जो अपनी उड़ान के दौरान रॉकेट या जेट प्रणोदक का उपयोग करती हैं और इन्हें मौजूदा क्रूज़ मिसाइलों का तीव्र संस्करण माना जाता है। ● हाइपरसोनिक मिसाइलें खतरे का एक नया वर्ग हैं क्योंकि वे युद्धाभ्यास और 5,000 किमी प्रति घंटे से अधिक तेज उड़ान भरने में सक्षम हैं, ऐसी मिसाइलों को अधिकांश मिसाइल रक्षा में घुसने और हमले के तहत राष्ट्र द्वारा प्रतिक्रिया के लिए समय सीमा को और कम करने में सक्षम बनाती हैं। **चीनी और रूसी कार्यक्रमों की स्थिति क्या है और यू.एस. कहां खड़ा है?** ● अक्टूबर 2021 की शुरुआत में, रूस ने घोषणा की कि उसने बेरिंट सागर से एक त्सिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो 350 किलोमीटर दूर एक लक्ष्य को मार गिराया। ● नवंबर में परीक्षण की बात करते हुए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि परीक्षण लगभग पूरे हो चुके हैं और रूसी नौसेना 2022 में उन्हें शामिल किया जायेगा। ● जबकि यू.एस. के पास सक्रिय हाइपरसोनिक विकास कार्यक्रम हैं, लेकिन यह चीन और रूस से पिछड़ रहा था क्योंकि रूस और चीन के विपरीत, अधिकांश अमेरिकी हाइपरसोनिक हथियारों को परमाणु हथियार के साथ उपयोग के लिए डिज़ाइन नहीं किया। ● नतीजतन, अमेरिकी हाइपरसोनिक हथियारों को अधिक सटीकता की आवश्यकता होगी और परमाणु-सशस्त्र चीनी और रूसी प्रणालियों की तुलना में विकसित करने के लिए तकनीकी रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। ● यू.एस. अब अपने स्वयं के कार्यक्रमों में तेजी लाने की सोच रहा है, हालांकि 2023 से पहले एक परिचालन प्रणाली को लागू करने की संभावना नहीं है। ● वित्तीय वर्ष 2022 में हाइपरसोनिक अनुसंधान के लिए पेंटागन का बजट $3.8 बिलियन है, जो एक साल पहले प्रस्तावित किए गए $3.2 बिलियन से अधिक है। मिसाइल रक्षा एजेंसी ने भी हाइपरसोनिक रक्षा के लिए $247.9 मिलियन का प्रस्तावित किया। **अन्य देशों द्वारा विकास की स्थिति क्या है?** ● ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, जर्मनी और जापान सहित कई अन्य देश भी हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकी विकसित कर रहे हैं। ● भारत लगभग 12 हाइपरसोनिक पवन सुरंगों का संचालन करता है और 13 मैक तक की गति का परीक्षण करने में सक्षम है। ● हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) ने 'हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल' (Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle- HSTDV) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह विमान ध्वनि की गति से 6 गुना अर्थात् मैक-6 के वेग से अपने इच्छित उड़ान पथ पर यात्रा कर सकता है।

	o **स्क्रैमजेट (Scramjet):** स्क्रैमजेट इंजन रैमजेट इंजन का ही एक अपडेटेड रूप है क्योंकि यह हाइपरसोनिक गति में कुशलता से संचालित होता है और सुपरसोनिक दहन की अनुमति देता है। o इस सफल प्रदर्शन के साथ, कई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां जैसे कि हाइपरसोनिक युद्धाभ्यास के वायुगतिकीय विन्यास, इग्निशन के लिए स्क्रैमजेट प्रणोदन का उपयोग और हाइपरसोनिक प्रवाह पर निरंतर दहन, उच्च तापमान सामग्री के थर्मो-संरचनात्मक लक्षण वर्णन और हाइपरसोनिक वेगों पर पृथक्करण तंत्र को मान्य किया गया है। **क्या हाइपरसोनिक हथियारों की दौड़ में गेम चेंजर है?** ● हाइपरसोनिक हथियारों के बारे में कुछ दावों को खारिज करते हुए, भौतिक विज्ञानी डेविड राइट और कैमरन ट्रेसी ने तर्क दिया कि हाइपरसोनिक हथियारों के "कुछ परिदृश्यों में फायदे होते हैं, लेकिन किसी भी तरह से वे एक क्रांति का गठन नहीं करते हैं।" ● इन भौतिकविदों के अनुसार, हाइपरसोनिक हथियारों के बारे में कई दावे अतिरंजित या केवल झूठे हैं। ● फिर भी व्यापक धारणा है कि हाइपरसोनिक हथियार एक गेम-चेंजर हैं, ने यू.एस., रूस और चीन के बीच तनाव बढ़ा दिया है, एक नई हथियारों की दौड़ चला रहा है और संघर्ष की संभावना बढ़ रही है। **निष्कर्ष** ● यू.एस., चीन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के साथ-साथ दुनिया भर में बिगड़ती भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, हाइपरसोनिक हथियारों का ध्यान केवल अधिक देशों को उनके डिजाइन और विकास में महत्वपूर्ण संसाधनों का निवेश करने हेतु गति प्रदान करने के लिए निर्धारित है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ● भारत का एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम ● स्क्रैमजेट इंजन ● इसरो द्वारा क्रायोजेनिक इंजन
सेमीकंडक्टर्स और उद्योग 4.0	**संदर्भ:** हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्थायी सेमीकंडक्टर्स और प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। ● भारत में सेमीकंडक्टर्स के विकास और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के कार्यक्रम की मंजूरी से 76,000 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है। ● कुल मिलाकर, भारत सरकार ने रु. 2,30,000 करोड़ (30 बिलियन अमरीकी डालर) भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अर्धचालक के साथ आधारभूत बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में। **क्षेत्र का महत्व** ● सेमीकंडक्टर चिप्स पावर ट्रेन, चेसिस, सुरक्षा प्रणालियों, उन्नत चालक सहायता प्रणालियों और ऑटोमोबाइल के अन्य भागों के अभिन्न अंग हैं। ● वाणिज्यिक वाहनों या दोपहिया वाहनों की तुलना में यात्री वाहनों में इनका अधिक उपयोग किया जाता है। ● इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने से चिप्स की मांग में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, आमतौर पर फोर्ड फोकस लगभग 300 चिप्स का उपयोग करता है, जबकि फोर्ड के नए इलेक्ट्रिक वाहनों में से एक में 3,000 चिप्स तक होते हैं। ● सेमीकंडक्टर चिप्स की आपूर्ति धीमी होने से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। **सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम** ● यह प्रोग्राम सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ डिजाइन में कंपनियों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में एक नए युग की शुरुआत करेगा। ● सामरिक महत्व और आर्थिक आत्मनिर्भरता के इन क्षेत्रों में भारत के तकनीकी नेतृत्व का मार्ग प्रशस्त करना। ● सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव हैं जो उद्योग 4.0 के तहत डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण को चला रहे हैं। ● सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग बहुत जटिल और प्रौद्योगिकी-गहन क्षेत्र है जिसमें भारी पूंजी निवेश, उच्च जोखिम, लंबी अवधि और पे बैक अवधि, और प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव शामिल हैं, जिसके लिए महत्वपूर्ण और निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है। ● पूंजी समर्थन और तकनीकी सहयोग को सुगम बनाकर सेमीकंडक्टर और प्रदर्शन निर्माण को प्रोत्साहन देना।

	सेमी-कंडक्टर की कमी ● सेमीकंडक्टर चिप्स की वैश्विक कमी थी जिसने भारत में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था। ● आपूर्ति करने वाले देशों में, विशेष रूप से एशिया में, कोविड -19 मामलों में वृद्धि के कारण उत्पादन में व्यवधान (कारखानों का बंद होना) हुआ, जिससे वर्तमान कमी हुई। ● टेक्सास में एक भयानक सर्दियों के तूफान ने अर्धचालक कारखानों को बंद कर दिया, और जापान में एक संयंत्र में आग लगने से भी इसी तरह की देरी हुई। ● इसके अलावा, सब्सट्रेट निर्माण (Substrate manufacturing) के अपेक्षाकृत कम मार्जिन ने इसके निवेश को कम कर दिया है और वैश्विक चिप की कमी को जोड़ा। ○ सबस्ट्रेट्स चिप्स को सर्किट बोर्ड से जोड़ कर उन्हें पर्सनल कंप्यूटर और अन्य उपकरणों में रखते हैं। ○ राल (resin) में सैंडविच किए गए पतले तांबे के तार से बने, सबस्ट्रेट्स उपयोगकर्ता के निर्देशों को कंप्यूटर के चिप्स तक पहुंचाने में मदद करते हैं और उसके जबाब को रिले करते हैं। ○ वे आवश्यक हैं क्योंकि चिप्स से निकलने वाली अल्ट्राथिन वायरिंग एक सर्किट बोर्ड से सीधे सोल्डर किए गए कनेक्शन को सहन नहीं कर सकती है इसलिए सब्सट्रेट निर्माण को वैश्विक चिप आपूर्ति श्रृंखला के बैकवाटर के रूप में देखा जाता है। ○ सबस्ट्रेट्स की आपूर्ति बहुत तंग है और इस कम निवेश वाले क्षेत्र में छोटा व्यवधान चिप निर्माताओं के लिए बड़ी चिंता का कारण बना है। ● इंटेल और आईबीएम दोनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने हाल ही में कहा है कि चिप की कमी दो साल तक रह सकती है। **ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर चिप की कमी के परिणाम:** ● लंबे समय तक चलने के कारण - ऑर्डर देने और शिपमेंट की डिलीवरी के बीच का समय - ऑटोमोबाइल क्षेत्र को अपने उत्पादन में कटौती करने के लिए मजबूर किया गया है। ● बड़े ऑटोमोटिव प्लेयर्स द्वारा उत्पादन धीमा करने से एमएसएमई विक्रेताओं (जो पुर्जों की आपूर्ति करते हैं) को दिए जा रहे नए ऑर्डर में कमी आई है। ● एमएसएमई जो ऑटोमोबाइल उद्योग के विक्रेता और उप-विक्रेता हैं, वे अब सामान्य रूप से 12 घंटे के बजाय केवल 8 घंटे काम कर रहे हैं। इससे न केवल उनकी कमाई प्रभावित हुई है बल्कि वे दूसरे क्षेत्रों में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ● जबकि स्थानीय एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र कोविड -19 की दूसरी लहर के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो रहा था, कच्चे माल की उच्च कीमत और कम ऑर्डर से वसूली में बाधा उत्पन्न हुई है। **निष्कर्ष** ● ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अर्धचालकों की कमी का सामना कर रही है, विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम देश को इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के अलावा नौकरियों के सृजन और दुनिया भर की शीर्ष फर्मों से निवेश आकर्षित करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं?** 1. स्वीकृत कार्यक्रम भारत को अपनी अर्धचालक क्षमताओं को बढ़ाने में कैसे मदद करेगा? चर्चा कीजिए। 2. वित्तीय सहायता के बावजूद व्यावहारिक चुनौतियों और भारत को सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए प्रेरित करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहयोग की गणना करें।
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप	**संदर्भ:** जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) को 25 दिसंबर को फ्रेंच गुयाना (French Guiana) से एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। टेलिस्कोप पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर अपने कक्षीय बिंदु की ओर बढ़ रहा है। ● टेलिस्कोप की इन्फ्रारेड टेक्निक इसे 13.5 अरब साल पहले बने पहले सितारों और आकाशगंगाओं को देखने में मदद करता है। ● जेम्स वेब टेलीस्कोप एक नई तरह का स्पेस टेलीस्कोप है। जो हबल का सक्सेसर है, वो इंफ्रारेड लाइट के जरिए अंतरिक्ष के छिपे हुए हिस्सों को दिखाएगा।

- 9.7 बिलियन डॉलर की लागत से, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA), ESA (यूरोपीय स्पेस एजेंसी) और कैनेडियन स्पेस एजेंसी की इस संयुक्त परियोजना को अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप के रूप में बिल किया गया है।
- इस टेलीस्कोप की मदद से हम ग्रह प्रणालियों को मापने और वहां संभावित जीवन की तलाश करने में सक्षम होंगे। साथ ही तारों के निर्माण और आकाशगंगाओं में हो रहे बदलावों पर भी नजर रख पाएंगे।
- अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद, 18 दूरबीन दर्पण खंडों को त्रुटिपूर्ण रूप से संरेखित करना होगा। इसके बाद हफ्तों का परीक्षण और अंशांकन होगा।
- टेलीस्कोप से पहली छवि कम से कम छह महीने दूर है।

सबसे जटिल अंतरिक्ष लेबोरेटरी

- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक निर्मित सबसे जटिल अंतरिक्ष लेबोरेटरी है।
- इसका निर्माण सिलिकान वैली में नासा की विशेषज्ञता के महत्वपूर्ण योगदान से संभव हुआ है।
- इस टेलीस्कोप के जरिए वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के उन हिस्सों का पता लगाने में मदद मिलेगी जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया।
- यह पहली लेबोरेटरी है जो सबसे शुरुआती आकाशगंगाओं की खोज करने में सक्षम है और ब्रह्मांड की हमारी समझ को बदल सकती है।
- यह टेलीस्कोप अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के वातावरण का भी अध्ययन करेगा और हमारे अपने सौर मंडल के भीतर चंद्रमा, ग्रह, धूमकेतु और अन्य वस्तुओं का निरीक्षण करेगा।
- यह डेटा दूर के ग्रहों पर मौजूद अणुओं और तत्वों को दर्शाएगा।

अंतरिक्ष में टेलीस्कोप क्यों हैं?

- पृथ्वी के वायुमंडल की ऊष्मीय अशांति ब्रह्मांड के दूरबीन अवलोकन में बाधा डालती है।
- तारे टिमटिमाते हैं, घने निचले वायुमंडल द्वारा अवशोषित फीकी तारकीय वस्तुओं से प्रकाश, और स्पेक्ट्रम का हिस्सा, जैसे कि अंतरिक्ष से अवरक्त किरणें, मुश्किल से जमीन तक पहुंचती हैं।
- दूरबीनों को ऊँचे पहाड़ की चोटी पर रखने से हम जितना हो सके वातावरण से बचते हैं। फिर भी वायुमंडलीय अशांति अंतरिक्ष में वस्तुओं की अति-तीक्ष्ण छवियों में बाधा डालती है।
- अंतरिक्ष में टेलीस्कोप पूरी तरह से वायुमंडलीय अशांति से बचते हैं और हमें ब्रह्मांड के सबसे दूर तक पहुंचने के लिए एक स्पष्ट, तेज और अधिक गहन दृष्टि प्रदान करते हैं।
- जबकि सबसे विशाल भू-आधारित दूरबीनों ने 5 अरब प्रकाश-वर्ष दूर आकाशगंगाओं का खुलासा किया, हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने सबसे दूर ज्ञात आकाशगंगा की पहचान की है जो 13.4 अरब वर्ष पूर्व में स्थित है।

JWST एक इन्फ्रारेड टेलीस्कोप क्यों है?

- JWST पर लगा टेलिस्कोप एक इन्फ्रारेड टेलीस्कोप है।
- हमारे टीवी रिमोट में चैनल बदलने वाली अदृश्य मैजिशियन किरणें इन्फ्रारेड हैं।
- वे दृश्य प्रकाश और रेडियो तरंगों की तरह हैं, जो विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम का हिस्सा हैं, लेकिन विभिन्न तरंग दैर्ध्य के हैं।
- दृश्यमान स्पेक्ट्रम को देखने वाली दूरबीन के बजाय एक अवरक्त दूरबीन क्यों लें? इसका उत्तर बिग बैंग में है।
- बिग बैंग के बाद आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों का विकास हुआ। ब्रह्मांड लगातार विस्तार की स्थिति में रहा है। जैसे-जैसे ब्रह्मांड फैलता है, अंतरिक्ष फैलता है। जैसे-जैसे प्रकाश अंतरिक्ष में दूर तक जाता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ता जाता है। प्रारंभिक विशाल युवा सितारें और नई आकाशगंगा का प्रकाश मुख्य रूप से दृश्यमान और पराबैंगनी था।
- हालांकि, विस्तारित अंतरिक्ष के विशाल हिस्सों को पार करते हुए, वे पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इन्फ्रारेड किरणों में बदल जाते हैं। एक इन्फ्रारेड टेलीस्कोप प्राचीन, प्रारंभिक ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिए उपयुक्त है, जो कि जेडब्लूएसटी का शुरुआती लक्ष्य है।

क्या JWST हबल से बेहतर देखेगा?

- मान लीजिए हम दो टब खुले में रखते हैं, एक छोटी त्रिज्या और दूसरी बड़ी त्रिज्या। बारिश के दौरान, बड़ा टब एक

	निश्चित समय के दौरान छोटे टब की तुलना में बहुत अधिक वर्षा जल एकत्र करेगा। ● इसी तरह, JWST दूरबीन का 6.5 मीटर व्यास हबल के 2.4 मीटर दर्पण की तुलना में अधिक फोटॉन एकत्र करेगा। ● JWST में हबल की तुलना में लगभग सात गुना अधिक प्रकाश-संग्रहण क्षमता होगी। इसलिए, JWST धुंधली तारकीय वस्तुओं का निरीक्षण करेगा जिनका हबल पता नहीं लगा सकता है। बात जितनी दूर होती है, उतनी ही फीकी रहती है। ● JWST ब्रह्मांड में हबल की तुलना में बड़े संग्रह क्षेत्र के साथ वस्तुओं को बहुत दूर तक देखेगा। जेडब्लूएसटी अपनी पैनी नजर से 40 किलोमीटर की दूरी पर रखे पच्चीस पैसे के सिक्के (पैसा) का विवरण देख सकता है। ● चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने का औसत समय लगभग 1.282 सेकंड है। इसका मतलब है कि चमकता हुआ चंद्रमा 1.282 सेकंड पुराना है। चूंकि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग आठ मिनट लगते हैं, सूर्य की जो छवि हम देखते हैं वह लगभग आठ मिनट पुरानी है। दूर से देखने पर हम समय को पीछे मुड़कर देखते हैं। **JWST अतीत में कितनी दूर तक जा सकता है?** ● आइए हम बिग बैंग से लेकर अब तक के समय को एक साल के कैलेंडर के रूप में देखें। इस ब्रह्मांडीय कैलेंडर में, बिग बैंग ठीक 1 जनवरी की आधी रात को हुआ था। इस समयरेखा में, अभी 31 दिसंबर की आधी रात है। ● JWST हमें ब्रह्मांड को वैसे ही देखने देगा जैसे यह 6 जनवरी तक था। यही वह समय था जब सबसे पुराने तारे चमकने लगे थे। वस्तुतः, JWST हमें अकल्पनीय प्राचीन अतीत की यात्रा पर ले जाएगा। ● दूरबीन किसी वस्तु का पता लगा कर दिखा सकती है कि वह कैसी दिखती है। ● स्पेक्ट्रोस्कोप, टेलीस्कोप पर लगा एक प्रमुख उपकरण, प्रकाश किरणों का विश्लेषण करता है और हमें बता सकता है कि वहां क्या है। वर्णक्रमीय छवि से, हम मौलिक संरचना, तारकीय वस्तु का तापमान और बहुत कुछ समझ सकते हैं। ● हबल के विपरीत, JWST में स्पेक्ट्रास्कोप होता है, जिससे प्रारंभिक सितारों और आकाशगंगाओं की मौलिक संरचना को जानने की उम्मीद की जाती है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

परमाणु क्षमता पर ईरान-अमेरिका गतिरोध	**संदर्भ:** पांच महीने के अंतराल के बाद, ईरान, रूस, चीन और यूरोपीय देशों ने 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए वियना में बातचीत फिर से शुरू की, जिसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) के रूप में जाना जाता है, जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को प्रतिबंधित करने की मांग की थी। ● चूंकि ईरान ने यू.एस. के साथ सीधी बातचीत करने से इनकार कर दिया, यूरोपीय अधिकारी ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडलों के बीच आवागमन और बातचीत के बिंदुओं का आदान-प्रदान किये। **परमाणु समझौते की शर्तें क्या थीं?** ● 2015 के समझौते में आर्थिक प्रतिबंधों को उठाने के बदले में ईरान को परमाणु बम के संभावित रास्ते से काटने की मांग की गई थी। ● ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, यह दावा कई अंतरराष्ट्रीय शक्तियों द्वारा विवादित है। ● समझौते के समय, ईरान के पास दो परमाणु संवर्द्धन संयंत्र थे- नटांज और फोर्डो - ये दोनों संयंत्र एक नागरिक कार्यक्रम के लिए आवश्यक से अधिक शुद्धता पर यूरेनियम को समृद्ध कर रहे थे जो लगभग 20,000 सेंट्रीफ्यूज था ● परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विखंडनीय समस्थानिक U-235 के 5% से कम सांद्रता वाले यूरेनियम का उपयोग, अनुसंधान रिएक्टरों में 20% और अधिक शुद्धता वाले यूरेनियम का उपयोग, 90% शुद्धता वाले ईंधन का उपयोग परमाणु बमों में, यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए सेंट्रीफ्यूज का उपयोग किया जाता है। ● **शुद्धता और भंडार कम करना :** 2015 के सौदे के अनुसार, ईरान समृद्ध यूरेनियम के अपने भंडार को 98% से 300 किलोग्राम तक कम करने और उन्हें 3.67% के निम्न शुद्धता स्तर पर रखने पर सहमत हुआ। ● **निरीक्षण के लिए खुला:** सेंट्रीफ्यूज की संख्या पर प्रतिबंध लगाए गए थे और ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के निरीक्षण के लिए अपनी सभी सुविधाओं को खोलने के लिए सहमत हो गया था। ● इन उपायों का मतलब था कि भले ही ईरान वादों से मुकर गया और बम बनाने का फैसला किया, लेकिन ऐसा करने के लिए पर्याप्त उच्च समृद्ध यूरेनियम तथा सेंट्रीफ्यूज के निर्माण में कम से कम एक वर्ष (ब्रेकआउट अवधि) लगेगा।

- ईरान द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने के एवज में, ओबामा के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन ने ईरान पर से प्रतिबंध हटा लिए।

मौजूदा संकट की वजह क्या है?

- **समझौते से अमेरिका का हटना:** मई 2018 में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, बराक ओबामा के उत्तराधिकारी, ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमाणीकरण के बावजूद कि ईरान समझौते की सभी शर्तों का पालन कर रहा था तथा परमाणु समझौते से अमेरिका को एकतरफा आकर्षित कर लिया।
- **अपर्याप्त उपायों की आलोचना:** संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ-साथ सऊदी अरब और इज़राइल में सौदे के आलोचकों ने तर्क दिया कि यह समझौता इस क्षेत्र में ईरान के बढ़ते प्रभाव को संबोधित करने के लिए अपर्याप्त था।
- **ईरान के उदय का दायरा:** समझौते के आलोचकों ने तर्क दिया कि प्रतिबंधों को हटाने से ईरान आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और इसकी भू-राजनीतिक प्रोफ़ाइल बढ़ जाएगी, जो पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगियों के लिए नई चुनौतियां पेश करेगी।
- **वार्ता में नए मदों के लिए अमेरिका की आवश्यकता:** ट्रम्प प्रशासन भी एक नए समझौते के हिस्से के रूप में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर बातचीत करना चाहता था।
- समझौते का टूटना और यथास्थिति की वापसी: JCPOA से बाहर निकलने के बाद, अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध फिर से लगाए और ईरान को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। दूसरी तरफ ईरान ने न सिर्फ ट्रंप प्रशासन से बात करने से इनकार कर दिया, बल्कि अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू कर दिया।

अब बातचीत कहाँ रुकती है?

- जो बाइडेन ने अभियान के दौरान परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने का वादा किया था। अपने यहाँ चुनाव के बाद, उन्होंने ईरान के लिए एक विशेष दूत नियुक्त किया।
- यूरोपीय लोगों के माध्यम से ईरान के साथ परोक्ष वार्ता शीघ्र शुरू हुई। लेकिन वियना में छह राउंड के बाद भी कोई समझौता नहीं हुआ।
- ईरान में सरकार बदलने से मामले और भी जटिल हो गए। अब, राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की नई सरकार द्वारा नियुक्त ईरानी प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए आगे आया है, जिससे सफलता की उम्मीद जगी है। लेकिन अभी भी कई कांटेदार मुद्दे हैं।
  - o ईरान ने 2019 के बाद से अपनी परमाणु गतिविधियों को काफी हद तक बढ़ा दिया है। इसने अपने संयंत्रों में 1,000 से अधिक उन्नत सेंट्रीफ्यूज स्थापित किए हैं, जो यूरेनियम को अधिक तेज़ी से समृद्ध कर सकते हैं।
  - o ईरान ने भी यूरेनियम को 20% या उससे अधिक शुद्धता के लिए समृद्ध करना शुरू कर दिया है, जो कि हथियार ग्रेड स्तर से एक तकनीकी कदम दूर है।
  - o फरवरी में, ईरान ने अपने परमाणु स्थलों की IAEA की निगरानी को विफल कर दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग उपकरणों को रखने के लिए सहमत हो गया जो एजेंसी को संयंत्रों की निगरानी जारी रखने की अनुमति देगा।
  - o हाल के महीनों में, ईरान ने तेहरान के बाहर कराज (Karaj) में एक कारखाने से IAEA कैमरा हटा दिया, जो सेंट्रीफ्यूज के लिए उपकरण बनाता है।
  - o कुछ रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम में जो प्रगति की है, उसने मौजूदा ब्रेकआउट समय (परमाणु बम बनाने के लिए) को एक महीने से कम कर दिया है, जब यह सौदा अलाइव (जीवित) था।

वार्ता में भविष्य की क्या संभावनाएं हैं?

- बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि वह प्रतिबंधों को हटाने सहित जेसीपीओए को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन वह चाहता है कि ईरान पहले समझौते पर लौट आए - जिसका अर्थ है
  - ईरान को यूरेनियम का संवर्धन बंद करना चाहिए
  - अत्यधिक समृद्ध ईंधन के साथ-साथ सेंट्रीफ्यूज को शिप करना
  - अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण के लिए परमाणु स्थलों को खोलना।
- ईरान यह भी कहता है कि वह समझौते पर लौटने के लिए तैयार है, लेकिन वह चाहता है कि अमेरिका पहले सभी प्रतिबंधों को हटा कर ईरान को आश्वासन दे कि भविष्य का अमेरिकी नेता वादों से पीछे नहीं हटेगा जैसा कि श्री ट्रम्प ने किया था।

	• परिणामस्वरूप, वार्ता गतिरोध पर पहुंच गई है। • विएना में चुनौती कुछ साझा आधार तलाशने की है ताकि कम से कम सौदे को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हो सके। ईरान के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ने वाले सभी दलों के लिए समय समाप्त हो रहा है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** • पेरिस समझौते से अमेरिका का हटना और उसमें शामिल होना • अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी • अन्य क्वाड (यूएसए-इंडिया-इज़राइल-यूएई) • क्वाड (भारत-ऑस्ट्रेलिया-जापान-अमेरिका) • औकुस
बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की स्वर्ण जयंती "ऑपरेशन सर्चलाइट - द अनटोल्ड स्टोरी"	26 मार्च को बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की शुरुआत के 50 साल पूरे हो गए हैं, नौ महीने का एक खूनी अभियान जिसकी परिणति 16 दिसंबर, 1971 को देश की स्वतंत्रता में हुई। यह एक हिंसक जन्म था, जिसकी जड़ें भारत के 1947 के विभाजन में थीं - जब पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में बनाया गया था। **पृष्ठभूमि** • जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य ने उपमहाद्वीप छोड़ा, विभाजन से जुड़ी सांप्रदायिक हिंसा में अनुमानित 200,000 से 1.5 मिलियन लोग मारे गए और 10 मिलियन से 15 मिलियन लोग जबरन स्थान्तरण हुए। • नव स्वतंत्र पाकिस्तान में दो अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्र शामिल थे जो एक हजार मील से अधिक भारतीय भूभाग से अलग थे। जबकि दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी शामिल थी, पश्चिमी पाकिस्तान बड़े पैमाने पर पंजाबी, पश्तून, सिंधी, बलूच और अन्य छोटे जातीय समूहों से बना था। इसके विपरीत, पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या, जो आधुनिक बांग्लादेश बन गई, मुख्यतः जातीय रूप से बंगाली थी, क्योंकि यह क्षेत्र पूर्व में बंगाल के भारतीय क्षेत्र का हिस्सा था। • इनमें से प्रत्येक कारक - विशेष रूप से भाषा और राजनीतिक तथा आर्थिक असमानताओं में अंतर - ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। **पूर्वी पाकिस्तान के सामने चुनौतियां** • **जिन्ना की उद्घोषणा:** पाकिस्तान के अस्तित्व में सिर्फ आठ महीने बाद जिन्ना ढाका पहुंचे थे और दो रैलियों को संबोधित किया था। • उन्होंने उर्दू को पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान की राजभाषा घोषित किया। वह भूल गए कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग उर्दू नहीं बोलते - वे बांग्ला बोलते थे। बांग्ला भाषा आंदोलन के बीज - साथ ही बांग्लादेश मुक्ति युद्ध - जिन्ना की उद्घोषणा के लिए खोजे जाते हैं। • केवल उर्दू नीति का उद्देश्य एक समान धर्म - इस्लाम द्वारा संयुक्त रूप से दो सांस्कृतिक रूप से भिन्न क्षेत्रों में से एक पहचान बनाना है। मोटे तौर पर, इसका उद्देश्य हाल ही में स्वतंत्र पाकिस्तान की राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना था। • पूर्वी पाकिस्तान में, बंगाली नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली पुस्तकों, गीतों और कविता पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद किया गया था। • शिक्षा के माध्यम के रूप में बांग्ला भाषा और शिक्षा की प्राथमिक विधा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। • डाक टिकटों और रेलवे टिकटों सहित सभी मुद्रा और आधिकारिक दस्तावेज उर्दू में छपे थे। • इसका एक प्रमुख कारण दोनों क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण आर्थिक विषमताएं भी थीं। • पश्चिमी पाकिस्तान ने देश के उद्योग और वाणिज्य को नियंत्रित किया, जबकि पूर्वी पाकिस्तान मुख्य रूप से कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता था, जिससे असमान विनिमय की स्थिति पैदा हुई। • पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान को एक से अधिक क्षेत्रों में वंचित और विवश किया। • पूर्वी पाकिस्तान में खेती की जाने वाली जूट और अन्य फसलों की कीमतें पश्चिमी पाकिस्तान में निर्धारित की गई थीं; मुनाफे का महज आधा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान को वापस मिल गया। • पश्चिमी पाकिस्तान में उत्पादित सेब, अंगूर या ऊनी वस्त्र पूर्वी पाकिस्तान में 10 गुना कीमत पर बेचे गए।

- भेदभाव ऐसा था कि थोड़ी सी भी असहमति किसी को पाकिस्तान या इस्लाम का दुश्मन बना देती थी।
- उत्पीड़न, गिरफ़्तारी, क़ैद करना यही दिन का क्रम था।
- 1959-60 में पश्चिमी पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति आय पूर्वी पाकिस्तान की तुलना में 32% अधिक थी। 1969-70 तक पश्चिमी पाकिस्तान में यह 81% अधिक था।
- शैक्षिक बुनियादी ढांचे सहित निवेश नीतियों ने लगातार पश्चिम पाकिस्तान का पक्ष लिया।
- पूर्वी पाकिस्तानियों की केंद्र सरकार तक पहुंच बहुत कम थी, जो पश्चिमी पाकिस्तानी शहर इस्लामाबाद में स्थित थी। राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम था।
- पश्चिमी पाकिस्तानी राजनीतिक नेतृत्व ने बंगालियों को "असली" मुसलमानों के रूप में नहीं देखा। दोनों राजनीतिक हलकों में और सामाजिक रूप से, बंगाली सांस्कृतिक प्रथाओं को निम्न सामाजिक स्थिति के रूप में माना जाता था।
- उर्दू के माध्यम से पूर्वी पाकिस्तानियों को "इस्लाम" करने और "हिंदू प्रभावों" से बंगाली संस्कृति को "पवित्र करना" के प्रयासों के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर अहिंसक प्रदर्शन और हमले हुए।

मुक्ति के बीज (The seeds of Liberation)

- **भाषा आंदोलन:** 21 फरवरी, 1952 को, छात्रों और अन्य कार्यकर्ताओं ने "भाषा आंदोलन" नामक एक आंदोलन शुरू किया, जिसने बांग्ला को पूर्वी पाकिस्तान के लिए राज्य भाषा के रूप में मान्यता देने की मांग की। हजारों स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन करते हुए विरोध किया, जिसने पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने और सार्वजनिक सभाओं को प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद हुई कार्रवाई ने कई लोगों की जान ले ली। 1950 से 1969 तक इसने पूर्वी पाकिस्तान में स्वायत्तता के लिए एक बढ़ते आंदोलन को भी गति दी।
- **1969 का विद्रोह:** 1969 में एक जन विद्रोह को पुलिस ने बेरहमी से दबा दिया और मार्शल लॉ लागू कर दिया।
- **भोला चक्रवात (Cyclone Bhola):** 1970 में, पूर्वी पाकिस्तान में "भोला" नामक एक विनाशकारी चक्रवात ने 300,000 से 500,000 लोगों की जान ले ली। पश्चिमी पाकिस्तान सरकार की उदासीन प्रतिक्रिया ने तनाव को और बढ़ा दिया।
- **शेख मुजीबुर रहमान ने राष्ट्रीय चुनाव जीता:** उसी वर्ष एक बड़ा मोड़ आया जब पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली राजनेता शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एकमात्र बहुमत वाले राजनीतिक दल ने राष्ट्रीय चुनावों में शानदार जीत हासिल की। पाकिस्तानी नेतृत्व परिणामों को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि एक पूर्वी पाकिस्तानी राजनीतिक दल संघीय सरकार का नेतृत्व करे। इसके परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई।
- **ऑपरेशन सर्चलाइट का शुभारंभ:** जैसे-जैसे बंगाली स्वायत्तता की मांग बढ़ी, पाकिस्तानी सरकार ने उभरते आंदोलन को कुचलने के लिए एक सैन्य अभियान ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। पत्रकार रॉबर्ट पायने के अनुसार, इसने एक ही रात में कम से कम 7,000 बंगाली नागरिकों - हिंदू और मुस्लिम दोनों को मार डाला।
- 26 मार्च को बांग्लादेश को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और मुक्ति संग्राम शुरू हो गया।

बांग्लादेश का उदय

- 25 मार्च की आधी रात को पाकिस्तान ने बांग्लादेश में नरसंहार किया। वहां के शरणार्थी भारत में स्थान्तरित हुए। 3 दिसंबर को, भारत ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश की ओर से युद्ध में भाग लिया।
- जैसे-जैसे पाकिस्तान के अत्याचार बढ़े, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कार्रवाई करने का फैसला किया और भारतीय सेना को पाकिस्तान के खिलाफ एक आक्रामक अभियान शुरू करने का आदेश दिया और उसके बाद अपने पड़ोसी के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू किया।
- भारतीय सेना ने लगभग 13 दिनों तक चले युद्ध के साथ लगभग 15,000 किलोमीटर पाक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और ढाका के पतन तथा पाक सेना के सार्वजनिक आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ।
- 16 दिसंबर, 1971 को, पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, इसे बांग्लादेश के विजय दिवस के रूप में चिह्नित किया।25-26 मार्च की रात को शुरू हुए नरसंहार को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है।

क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?

	1. 1971 में बांग्लादेश के निर्माण ने भारत की भू-राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। स्पष्ट करें। **2.** भारत और बंगादेश के बीच जल संसाधनों से संबंधित मुद्दे। **3.** अगर भारत-बांग्लादेश संबंधों को "नई ऊंचाइयों" पर ले जाना है, तो अनसुलझे मुद्दों से जल्द ही निपटना होगा। चर्चा कीजिए।
भारत-रूस सैन्य गठबंधन	**संदर्भ:** भारत-रूस संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और राष्ट्रीय हितों की लगातार बदलती प्रकृति का सामना कर रहे हैं। वास्तविक राजनीति की चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच संबंध समय के साथ गहरे हुए हैं। • यह असाधारण लचीलापन सामरिक राष्ट्रीय हित की मजबूत नींव और भू-राजनीति का तालमेल है। • शीत युद्ध के बाद के युग में, भारत आज की वैश्विक बहस में एक आर्थिक महाशक्ति और एक प्रमुख हितधारक के रूप में उभरा है, चाहे वह जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या आतंकवाद का खतरा हो। • रूस अपनी वैश्विक स्थिति और उपस्थिति के साथ गहन सहयोग के लिए एक जीत की स्थिति प्रस्तुत करता है। दोनों देशों के बीच यह संबंध समय के साथ विकसित हुआ है, एकीकरण को गहरा संबंध को मजबूत करता है। **भारत-रूस की हालिया बैठक** • हाल ही में आयोजित सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की 20वीं बैठक में चार समझौतों, अनुबंधों और एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। • जहां तीन दस्तावेजों पर दोनों पक्षों के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए, वहीं प्रोटोकॉल पर दोनों रक्षा मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। • इसमें भारत के उत्तर प्रदेश (अमेठी) में संयुक्त उद्यम के माध्यम से 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों के निर्माण के लिए एक समझौता और 2031 तक सैन्य सहयोग पर समझौते का नवीनीकरण शामिल है। **दोनों देशों के बीच रक्षा व्यापार की क्या स्थिति है?** • **भारत की भारी सैन्य निर्भरता:** 2000 के बाद से रूस द्वारा भारत को सबसे बड़ी डिलीवरी में टी-90एस टैंक, विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य, क्रिवाक श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट, सुखोई-30एमकेआई लड़ाकू विमान का लाइसेंस उत्पादन, स्मर्च मल्टीपल की आपूर्ति और लाइसेंस प्राप्त रॉकेट लांचर और एमआई-17वी-5 हेलीकॉप्टर सहित अन्य उत्पादन शामिल हैं। • **क्रेता-विक्रेता संबंधों से आगे बढ़ना:** रूस भारत के सबसे बड़े रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में से है और दोनों पक्ष अब लाइसेंस निर्माण से संयुक्त अनुसंधान तथा रक्षा उपकरणों के सह-विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं। • **बड़े सैन्य सौदे:** रूस ने भारत को लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली एस-400 ट्रायम्फ की डिलीवरी शुरू कर दी। पहला डिवीजन 2021 के अंत तक दिया जाएगा। o 5.43 अरब डॉलर के एस-400 और अन्य बड़े सौदों के साथ, 2018 से भारत और रूस के बीच रक्षा व्यापार 15 अरब डॉलर को पार कर गया। भारत के साथ रूस की बिक्री कुल हथियारों के निर्यात का लगभग 25% है। • **भावी सौदों में स्वदेशीकरण योजनाएं:** 21 मिग-29 और 12 सुखोई-30एमकेआई लड़ाकू विमान, इग्ला-एस शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और भारत में 200 के-226टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के निर्माण के लिए लंबे समय से विलंबित सौदे हैं। जहां स्वदेशीकरण योजना के आसपास के मुद्दों को हल किया जाना बाकी है। **रक्षा बिक्री के अलावा सहयोग के अन्य रास्ते क्या हैं?** • **रसद विनिमय समझौता:** व्यापक सैन्य सहयोग पर, एक द्विपक्षीय रसद समर्थन समझौता, रसद समझौते का पारस्परिक आदान-प्रदान (आरईएलओएस), साथ ही नौसेना से नौसेना सहयोग समझौता ज्ञापन निष्कर्ष के उन्नत चरण में हैं। • **आर्कटिक तक एक्सेस:** RELOS भारत को आर्कटिक क्षेत्र में रूसी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है, जो नए शिपिंग मार्गों के खुलने और पृष्ठभूमि में, रूसी सुदूर भारत के अपने निवेश के रूप में बढ़ी हुई वैश्विक गतिविधि को देख रहा है। • दोनों पक्ष अब द्विपक्षीय अभ्यासों के प्रारूप का विस्तार करने पर विचार कर रहे हैं ताकि वास्तविक समय की युद्ध स्थितियों, तत्काल अभ्यास, आधुनिक युद्ध पर साइबर और ड्रोन प्रौद्योगिकी के प्रभाव के संबंध में अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए उन्हें और अधिक जटिल, अधिक परिष्कृत बनाया जा सके।

	• इसके अलावा, दोनों देश मध्य एशिया में भारत-रूस सहयोग के विस्तार और त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय अभ्यासों के साथ द्विपक्षीय अभ्यासों के पूरक की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं। **रक्षा सहयोग का भविष्य प्रक्षेपवक्र क्या है?** • **सेवाओं में तेजी लाने के लिए संयुक्त उद्यम की स्थापना:** भारतीय सेना के साथ सेवा में रूसी हार्डवेयर की बड़ी सूची के लिए पुर्जों की समय पर आपूर्ति और समर्थन भारत की ओर से एक प्रमुख मुद्दा रहा है। इसे संबोधित करने के लिए, रूस ने 2019 में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी समझौते के बाद इसे संबोधित करने के लिए अपनी कंपनियों को भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति देते हुए विधायी परिवर्तन किए हैं। यह लागू होने की प्रक्रिया में है। • **समय पर डिलीवरी के लिए मजबूर करने वाली प्रतिस्पर्धा:** यू.एस., फ्रांस, इज़राइल और अन्य लोगों से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के साथ, जिन्होंने हाल के वर्षों में प्रमुख सौदे हासिल किए, रूस भी समय पर डिलीवरी और आजीवन समर्थन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। • **आत्मनिर्भर भारत के साथ तालमेल बिठाने के लिए सह-उत्पादन:** वर्तमान में भारत की खोज के अनुरूप आत्मनिर्भरता के लिए साझेदारी, संयुक्त अनुसंधान और विकास, सह-विकास तथा उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के संयुक्त उत्पादन के लिए पुन: उन्मुख हो रही है। o आज रूस और भारत 100 से अधिक आशाजनक विषयों पर संयुक्त शोध कार्य कर रहे हैं, भविष्य में दोनों देशों में उच्च तकनीक उद्योग के विकास के लिए विशाल आधार तैयार कर रहे हैं। • **निर्यात के लिए सहउत्पादन:** उपरोक्त उद्देश्यों के अनुरूप, दोनों देश चर्चा कर रहे हैं कि वे तीसरे देशों को रूसी मूल के उपकरण और सेवाओं के निर्यात के लिए भारत को उत्पादन आधार के रूप में उपयोग करने में कैसे सहयोग कर सकते हैं। **भारत-रूस संबंधों के लिए आगे की राह** • **त्रिपक्षीय रूपरेखा का अन्वेषण करना :** भारत और रूस को त्रिपक्षीय तरीके से या अन्य लचीले ढांचे का उपयोग करके विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उनका बढ़ता सहयोग स्थिरता की ताकत हो सकता है और बहुपक्षवाद को मजबूत करते हुए इस क्षेत्र में अधिक विविधता ला सकता है। • **सार्वजनिक कूटनीति का लाभ उठाना:** दूसरे, दोनों देशों को लोगों की शक्ति-युवाओं के आदान-प्रदान के साथ-साथ खेल, संस्कृति, आध्यात्मिक और धार्मिक अध्ययन सहित विभिन्न क्षेत्रों में गहरे संबंधों को देखने की जरूरत है। • **सांस्कृतिक एकरूपता में टैप करना :** अंत में, बौद्ध धर्म एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां दोनों देश अपनी बातचीत का विस्तार कर सकते हैं, जहां शांति और स्थिरता इस अशांत दुनिया में एक बाम के रूप में कार्य करती है।
विश्व असमानता रिपोर्ट: भारत में अमीर-गरीब की खाई	**ख़बरों में:** विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत एक "गरीब और बहुत असमान देश, एक समृद्ध अभिजात वर्ग के साथ" के रूप में खड़ा है, जबकि शीर्ष 10 प्रतिशत और शीर्ष 1 प्रतिशत की कुल राष्ट्रीय आय का क्रमशः 57 प्रतिशत और 22 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि नीचे का 50 प्रतिशत हिस्सा गिरकर 13 प्रतिशत हो गया है। **भारत के लिए प्रमुख निष्कर्ष** • **गरीब मध्यम वर्ग की संपत्ति:** भारत एक संपन्न अभिजात वर्ग के साथ एक गरीब और बहुत असमान देश के रूप में खड़ा है, "रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का मध्यम वर्ग अपेक्षाकृत गरीब है, जिसकी औसत संपत्ति केवल 7,23,930 रुपये या कुल राष्ट्रीय आय का 29.5 प्रतिशत है, जबकि शीर्ष 10 प्रतिशत और 1 प्रतिशत जिनके पास 65 प्रतिशत (रु. 63,54,070) और 33 प्रतिशत (3,24,49,360 रुपये), क्रमशः। • **औसत आय में असमानता:** भारतीय वयस्क आबादी की औसत वार्षिक राष्ट्रीय आय 2021 में 2,04,200 रुपये है। नीचे के 50 प्रतिशत ने 53,610 रुपये कमाए, जबकि शीर्ष 10 प्रतिशत ने 20 गुना अधिक (11,66,520 रुपये) कमाए। • **औसत घरेलू संपत्ति में असमानता:** भारत में औसत घरेलू संपत्ति 9,83,010 रुपये है, जिसमें नीचे के 50 प्रतिशत के पास लगभग कुछ भी नहीं है, कुल 66,280 रुपये में से 6 प्रतिशत की औसत संपत्ति है। • **बहुआयामी गरीबी:** नीति आयोग द्वारा हाल ही में तैयार किए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के अनुसार, भारत में हर चार में से एक व्यक्ति बहुआयामी गरीब था। बिहार में बहुआयामी गरीब लोगों (राज्य की

आबादी का 51.91 प्रतिशत) का उच्चतम अनुपात है, इसके बाद झारखंड में 42.16 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 37.79 प्रतिशत है।

- **सरकारी स्रोतों से खराब डेटा:** सरकार द्वारा जारी असमानता के आंकड़ों की गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब हो गई है, जिससे हाल के असमानता परिवर्तनों का आकलन करना विशेष रूप से कठिन हो गया है, रिपोर्ट कहती है।

महामारी का क्या प्रभाव है?

- **आय में गिरावट:** महामारी का प्रभाव वैश्विक आय में गिरावट में परिलक्षित हुआ, जो भारत के कारण महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुआ।
- **निजी हाथों में धन:** साथ ही, पिछले 40 वर्षों में जैसे-जैसे देश अमीर हुए हैं, उनकी सरकारें काफी गरीब होती गई हैं, एक प्रवृत्ति जो महामारी के कारण बढ़ गई है।
- सार्वजनिक अभिनेताओं के पास धन का हिस्सा अमीर देशों में शून्य या नकारात्मक के करीब है, जिसका अर्थ है कि धन की समग्रता निजी हाथों में है।
- **सरकारी उधारी का बढ़ना :** निजी क्षेत्र में धन के संकेंद्रण की प्रवृत्ति को कोविड संकट ने बढ़ा दिया है, जिसके दौरान सरकारों ने सकल घरेलू उत्पाद के 10-20 प्रतिशत के बराबर उधार लिया, निश्चित रूप से निजी क्षेत्र में।
- **धन वितरण में वैश्विक असमानता:** निजी संपत्ति में वृद्धि भी देशों और विश्व स्तर पर असमान रही है। 1990 के दशक के मध्य से, वैश्विक स्तर पर शीर्ष 1% ने संचित सभी अतिरिक्त धन का 38% लिया, जबकि नीचे के 50 प्रतिशत ने केवल 2% पर कब्जा कर लिया।
- पृथ्वी पर सबसे धनी व्यक्तियों की संपत्ति में 1995 से 6 से 9% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई है, जबकि औसत संपत्ति 3.2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी है। यह वृद्धि COVID महामारी के दौरान तेज हो गई थी।

वैश्विक, क्षेत्रीय रुझान (Global, regional trends)

- रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक आबादी के सबसे गरीब आधे के पास "मुश्किल से कोई संपत्ति है", जो कुल का सिर्फ 2% है, जबकि सबसे अमीर 10% के पास 76% है। सबसे अमीर 10% वर्तमान में वैश्विक आय का 52% लेता है, और सबसे गरीब केवल 8% कमाता है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) दुनिया के सबसे असमान क्षेत्र हैं, जबकि यूरोप में असमानता का स्तर सबसे कम है। यूरोप में, शीर्ष 10% की आय का हिस्सा लगभग 36% है, और MENA में, यह 58% है; पूर्वी एशिया में यह 43% और लैटिन अमेरिका में 55% है।
- वैश्विक संपत्ति 2020 में लगभग 510 ट्रिलियन यूरो या राष्ट्रीय आय का लगभग 600% के बराबर थी। कुल संपत्ति और कुल आय का अनुपात 1990 के दशक की शुरुआत में लगभग 450% से बढ़कर आज लगभग 600% हो गया है।
- 1970 में, अधिक आय वाले देशों में निजी धन-राष्ट्रीय आय अनुपात 200-400% के बीच था। 2008 में जब वैश्विक वित्तीय संकट शुरू हुआ, इन अनुपातों का औसत 550% था।
- चीन और भारत जैसी बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने साम्यवाद (चीन और रूस में) या एक उच्च विनियमित आर्थिक प्रणाली (भारत में) से संक्रमण के बाद धनी देशों की तुलना में तेजी से वृद्धि का अनुभव किया। भारत में, निजी संपत्ति 1980 में 290% से बढ़कर 2020 में 560% हो गई।
- धन की असमानताएं पारिस्थितिक असमानताओं से भी मजबूती से जुड़ी हुई हैं। शीर्ष 10% उत्सर्जक सभी उत्सर्जन के करीब 50% के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि नीचे का 50% 12% योगदान है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक असमानताएं आज भी उतनी ही बड़ी लगती हैं जितनी 20वीं सदी की शुरुआत में पश्चिमी साम्राज्यवाद के चरम पर थीं।

अगर अमीरों पर कर लगाया जाता है तो ?

- रिपोर्ट में करोड़पतियों पर मामूली प्रगतिशील संपत्ति कर लगाने का सुझाव दिया गया है।
- 2021 में, 62.2 मिलियन लोग थे जिनके पास 1 मिलियन डॉलर (बाजार विनिमय दरों पर मापा गया) से अधिक का स्वामित्व था। उनकी औसत संपत्ति 2.8 मिलियन डॉलर थी, जो कुल 174 ट्रिलियन डॉलर थी।
- 1.8 मिलियन से अधिक व्यक्ति (शीर्ष 0.04%) के पास $10 मिलियन से अधिक, 76,500 (0.001%) के पास $100 मिलियन से अधिक, और 2,750 (0.00005%) के पास एक बिलियन डॉलर से अधिक का स्वामित्व है।

	अरबपतियों के पास 13 ट्रिलियन डॉलर या वैश्विक संपत्ति का 3.5% से अधिक का स्वामित्व है। ● 1 मिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति के लिए 1.2% की वैश्विक प्रभावी संपत्ति कर दर वैश्विक आय का 2.1% राजस्व उत्पन्न कर सकती है।
यूरोप का ग्लोबल गेटवे	**संदर्भ:** हाल ही में, यूरोपीय आयोग ने ग्लोबल गेटवे पहल शुरू की। **यूरोपीय संघ की ग्लोबल गेटवे पहल क्या है?** ● यह डिजिटल, ऊर्जा और परिवहन में स्मार्ट, स्वच्छ और सुरक्षित लिंक को बढ़ावा देने और दुनिया भर में स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एक नई यूरोपीय रणनीति है। ● यह अनिवार्य रूप से पहले से मौजूद यूरोपीय संघ और सदस्य देशों के वैश्विक बुनियादी ढांचा निवेश कार्यक्रमों को सिंक्रनाइज़ करने के लिए एक छत्र रणनीति है। ● ग्लोबल गेटवे का लक्ष्य डिजिटल वर्ष 2027 तक दुनिया भर में सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे में निवेश हेतु 300 अरब यूरो (EURO 300 billion) जुटाने से संबंधित है। ● छोटे यूरोपीय संघ अनुदानों के अलावा, ग्लोबल गेटवे वित्तीय संस्थानों और विकास बैंकों से राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ के संसाधनों में टैप करता है, इस उम्मीद में कि संस्थागत खर्च महत्वपूर्ण निजी पूंजी को भी अनलॉक करेगा। ● ग्लोबल गेटवे, यूरोपीय संघ, यूरोप देशों के दृष्टिकोण के साथ तत्काल ज़रूरतों के लिये प्रतिक्रिया की पेशकश करेगा जिसमें शामिल है: ○ टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल, जलवायु, ऊर्जा और परिवहन बुनियादी ढांचे का विकास करना। ○ दुनिया भर में स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान प्रणालियों को मज़बूत करना। ● परियोजना के वित्तपोषण के लिये यूरोपीय संघ अपने यूरोपीय कोष का उपयोग सतत् विकास प्लस हेतु करेगा। ○ इसके तहत 40 अरब यूरो उपलब्ध कराए जाते हैं और बाहरी सहायता कार्यक्रमों से 18 अरब यूरो तक के अनुदान की पेशकश की जाएगी। ○ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये योजना को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और निजी क्षेत्र से वित्तपोषण की आवश्यकता होगी। ○ ऋण संकट के जोखिम को सीमित करने हेतु उचित और अनुकूल शर्तों के तहत वित्तपोषण किया जाएगा। **ग्लोबल गेटवे के गुण** ● इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। BRI पहल चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्त्वाकांक्षी आधारभूत ढाँचा विकास एवं संपर्क परियोजना है जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल एवं जलमार्गों के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है। ● यह कनेक्टिविटी पर केंद्रित चीन की एक रणनीति है, जिसके माध्यम से सड़कों, रेल, बंदरगाह, पाइपलाइनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को ज़मीन एवं समुद्र के माध्यम से एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। ● वर्ष 2013 से 2020 के मध्य तक चीन का कुल निवेश लगभग 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। ● चीन का तर्क है कि वह संयुक्त परियोजनाओं को लाभ पहुँचाने वाले ऋण प्रदान करते हुए अपने भागीदारों की संप्रभुता का सम्मान करता है, जबकि आलोचकों का कहना है कि बीजिंग की संविदात्मक शर्तें मानव, श्रम और पर्यावरण अधिकारों का हनन करती हैं। ● **दुनिया के साथ यूरोपीय संघ के संबंधों को मजबूत करना :** यूरोपीय संघ के निवेश ने विकासशील दुनिया के साथ-साथ मध्यम आय वाले देशों में जमीन पर ठोस अंतर पैदा किया है। यह एशिया, अफ्रीका और, महत्वपूर्ण रूप से, पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र के साथ संबंधों को मजबूत करता है, और यह पर्यावरण, लोकतंत्र और मानवाधिकार मानकों को बढ़ाता है। ● यूरोपीय मॉडल डिजिटल, जलवायु और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान में स्थायी निवेश के साथ-साथ एक समान वातावरण की गारंटी देने वाले एक सक्षम वातावरण में हार्ड और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में निवेश करने के बारे में है। ● **मूल्य प्रेरित मॉडल:** यूरोपीय संघ न केवल भागीदारों के लिए ठोस वित्तीय स्थितियों की पेशकश करेगा, ऋण

	स्थिरता में सुधार के लिए अनुदान, अनुकूल ऋण और बजटीय गारंटी लाएगा - बल्कि उच्चतम पर्यावरणीय, सामाजिक और रणनीतिक प्रबंधन मानकों को भी बढ़ावा देगा। ● **अमेरिकी पहल का पूरक:** वैश्विक निवेश अंतर को कम करने में यह यूरोप का योगदान है। साथ ही, ग्लोबल गेटवे और यूएस की पहल बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड एक दूसरे को परस्पर सुदृढ़ करेगी। **ग्लोबल गेटवे की आलोचनाएं/चुनौतियां** ● **मौजूदा परियोजनाओं की पुन: पैकिंग:** ग्लोबल गेटवे ज्यादातर मौजूदा कार्यक्रमों (इन्वेस्टईयू, हमारे शोध कार्यक्रम, होराइजन यूरोप और कनेक्टिंग यूरोप फैसिलिटी) को फिर से तैयार कर रहा है और यह भी कि निवेश राशि चीन द्वारा जुटाई गई राशि का एक भाग है। ● **भू-राजनीतिक प्रभाव:** विदेशी अवसंरचना निवेश हमेशा आंशिक रूप से भू-राजनीतिक होते हैं, दूसरों के लिए स्थान को कम करने की कोशिश करते हुए निवेश करने वाले देश के अपने प्रभाव को बढ़ाने की मांग करते हैं। यूरोपीय संघ अलग नहीं है और स्वाभाविक रूप से अपने हितों और प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। ● चीन नहीं बल्कि जापान सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा निवेशक है, जो शांति और निर्बाध रूप से सस्ती अच्छी गुणवत्ता वाली परियोजनाओं को लागू कर रहा है, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया में। ● **यूरोपीय संघ का मूल्य प्रेरित एजेंडा:** जबकि यूरोप उच्च मानकों को पूरा करता है और विश्वसनीयता तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, यह धारणा कि चीन त्रुटिपूर्ण नहीं है। कई मध्यम और निम्न-आय वाले देश चीन के निवेश की मांग कर रहे हैं जो कि पश्चिमी निवेश के विपरीत मूल्य-संचालित एजेंडा के साथ नहीं आता है, जो हमेशा लोकतंत्र और मानवाधिकारों से जुड़ा होता है। ● **चीन आलोचनाओं को अपना रहा है:** बीआरआई को चीन की ऋण जाल नीति के एक भाग के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें चीन जान-बूझकर किसी अन्य देश को कर्जदार बनाने तथा आर्थिक या राजनीतिक रियायतें प्राप्त करने के इरादे से अत्यधिक ऋण देता है। पश्चिमी देश इसे चीन के लिये गरीब देशों को प्रभावित करने के एक उपकरण के रूप में देखते हैं। वे उभरती अर्थव्यवस्थाओं को बहुत अधिक कर्ज लेने के लिये उकसाने हेतु चीन की आलोचना करते हैं और आरोप लगाते हैं कि चीन की निविदा प्रक्रिया भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। ● एशियाई विकास बैंक का अनुमान है कि 2030 तक एशिया को 26 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, भले ही चीन बीआरआई के निवेश की मात्रा को दोगुना कर दे, फिर भी 10 ग्लोबल गेटवे के लिए जगह होगी। ● **निजी पूंजी जुटाने में चुनौतियां:** जबकि बीआरआई राज्य के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक और नीति बैंकों को जुटाता है, यह स्पष्ट नहीं है कि यूरोपीय संघ वास्तव में निजी पूंजी में टैप करने में सक्षम होगा या नहीं। बुनियादी ढांचा परियोजनाएं महंगी हैं और अनिश्चित रिटर्न देती हैं। **निष्कर्ष** ● प्रत्येक चीज को द्विआधारी प्रतिस्पर्धा के नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है, और बीजिंग जो कुछ भी करता है वह वास्तव में सिर्फ इसलिए बुरा नहीं है क्योंकि बीजिंग करता है। ● ग्लोबल गेटवे एक उत्कृष्ट और सार्थक रणनीति है। लेकिन चीन को पछाड़ने और निम्न मानकों पर विलाप करने की कोशिश करने के बजाय, यूरोपीय संघ उदाहरण स्थापित करके, धीरे-धीरे सभी के लिए बार बढ़ाकर एक अंतर बना सकता है। ● यूरोप को विभिन्न राष्ट्रीय और अति-राष्ट्रीय परियोजनाओं के समन्वय और तालमेल के तरीके खोजने चाहिए और सर्वोत्तम प्रथाओं तथा सूचनाओं को साझा करना चाहिए। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ● G-7 बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड ● चीन की बेल्ट एंड रोड पहल ● एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर
रूस-यूक्रेन तनाव	**ख़बरों में:** रूस, यूक्रेनी सीमा के करीब अपने सैन्य बलों का तैनाती कर रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, रूस ने पूर्वी यूक्रेन के साथ रूसी सीमा से लगभग 300 किलोमीटर दूर 92,000 से अधिक सैनिकों को जमा किया है। ● यह क्षेत्र एक संघर्ष क्षेत्र है जहां यूक्रेन रूस समर्थित अलगाववादियों से जूझ रहा है। ● जबकि यूक्रेन और पश्चिम ने रूस पर आक्रमण की तैयारी करने का आरोप लगाया है, रूस ने बदले में, पश्चिम पर 'रूस

विरोधी' एजेंडे का आरोप लगाया है।

रूसी सेना का निर्माण क्यों?

- अधिकांश रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक आक्रमण की संभावना नहीं है।
- बल्कि, यह कदम यूक्रेन पर लागत लगाने के गंभीर इरादे का संकेत देने के उद्देश्य से प्रतीत होता है यदि मास्को की सुरक्षा चिंताओं के बारे में कुछ 'रेड लाइन ' पार की जाती है।
- यूक्रेन की तुलना में रूस की हालिया वृद्धि की पृष्ठभूमि अमेरिका के नेतृत्व वाले उत्तरी अटलांटिक संगठन (नाटो) के पूर्व की ओर स्थिर विस्तार के साथ उसकी बेचैनी है।
- तत्कालीन सोवियत संघ के पूर्व घटक जैसे लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के नाटो सदस्य बनने के साथ, रूस, बेलारूस और यूक्रेन जैसे बड़े पड़ोसियों के मामले में अपने प्रभाव क्षेत्र की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
- रूस नाटो के सदस्य देशों से यूक्रेन में सैन्य सहायता के क्रमिक विस्तार से चिंतित है, जिसका कथित तौर पर डोनबास क्षेत्र (पूर्वी यूक्रेन) में रूस समर्थित अलगाववादियों के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है।
- इस संदर्भ में, सेना के निर्माण को नाटो गतिविधियों या यूक्रेन में उपस्थिति को बढ़ाने की किसी भी योजना के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी के रूप में व्याख्या की जा सकती है।

रूस की लामबंदी पर यूक्रेन ने कैसे प्रतिक्रिया दी है?

- यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि उन्हें अपदस्थ करने के लिए तख्तापलट की साजिश रची गई है। इतने अधिक शब्दों में कहे बिना उन्होंने संकेत दिया है कि साजिश के पीछे रूस का हाथ था।
- रूस ने कथित तख्तापलट के प्रयास में किसी भी भूमिका से इनकार किया है।
- जब से रूस ने मार्च 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को जब्त किया और एक महीने बाद पूर्वी यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया, दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए हैं।
- रूस ने क्रीमिया की राजधानी सेवस्तोपोल में अपने नौसैनिक अड्डे की रक्षा के लिए क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण काला सागर के अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक था।

क्या मिन्स्क प्रोटोकॉल का वर्तमान परिदृश्य पर कोई प्रभाव है?

- मिन्स्क प्रोटोकॉल यूक्रेन, रूस, ओएससीई (सुरक्षा और सहयोग संगठन) के प्रतिनिधियों और दो अलगाववादी समूहों के तत्कालीन प्रमुखों द्वारा डोनबास क्षेत्र में युद्ध को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षरित एक समझौता था।
- यह यूक्रेन को डोनबास क्षेत्र में स्थानीय सरकारों - संभवतः अलगाववादी समूहों द्वारा नियंत्रित - को और अधिक शक्तियाँ हस्तांतरित करने का आदेश देता है।
- यूक्रेन, जिसने समझौते को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, का मानना है कि ऐसा करने से रूस को अपने आंतरिक मामलों में बहुत अधिक अधिकार मिलेगा।
- दूसरी ओर, रूस मिन्स्क प्रोटोकॉल को स्थायी शांति का आधार मानता है।

बड़े भू-राजनीतिक प्रभाव क्या हैं?

- शीत युद्ध की समाप्ति के साथ, वारसॉ संधि का विघटन, और सोवियत संघ का पतन, नाटो का मूल उद्देश्य - पूर्व से पश्चिमी यूरोप पर आक्रमण को विफल करना - प्राप्त किया गया था।
- लेकिन नाटो ने विघटित होने के बजाय अमेरिकी रणनीतिक प्रभुत्व के वाहन के रूप में खुद को फिर से स्थापित किया। तेजी से क्लिप पर नए सदस्यों को प्राप्त करते हुए, इसका विस्तार करना शुरू हुआ।
- हाल ही में, अमेरिका द्वारा रूस के बजाय चीन को अपने प्राथमिक सुरक्षा खतरे के रूप में देखने के साथ, अमेरिकी रणनीतिक ध्यान एशिया-प्रशांत थिएटर में स्थानांतरित हो रहा है।
- कुछ विश्लेषकों का मानना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फैसला किया कि यह नाटो (और यू.एस.) की रणनीतिक इच्छाशक्ति का परीक्षण करने का एक अच्छा समय था, ताकि यूक्रेन में हालात बिगड़ने पर इसमें शामिल हो सकें।

आगे की राह

- रूस के वास्तव में यूक्रेन पर आक्रमण करने की स्थिति में, यह संदेहास्पद है कि नाटो यूक्रेन की रक्षा के लिए सैन्य हस्तक्षेप करेगा, जो वर्तमान में एक सदस्य नहीं है। साथ ही, इसे अप्रभावी के रूप में नहीं देखा जाना चाहेगा।

	● कम से कम, रूस जो पहले से ही क्रीमिया के आक्रमण से उत्पन्न आर्थिक प्रतिबंधों की एक श्रृंखला का सामना कर रहा है, संभवतः नॉर्ड स्टीम -2 पाइपलाइन के खिलाफ अधिक दर्दनाक लोगों के साथ समाप्त हो सकता है, जो सीधे जर्मनी को रूसी गैस वितरित करता है।
डेयरी क्षेत्र और मुक्त व्यापार का विरोध	**संदर्भ:** कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) से भारत का हटना किसान संगठनों, ट्रेड यूनियनों, छोटे और मध्यम औद्योगिक उत्पादकों के संघों के लिये एक बड़ी जीत है। ● भारतीय किसान संघ ने कहा कि वह डेयरी प्रतिबद्धताओं के कारण क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी वार्ता के खिलाफ है और उन्हीं कारकों के कारण भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए का विरोध करेगा। ● क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) से भारत की वापसी किसान संगठनों, ट्रेड यूनियनों, छोटे और मध्यम औद्योगिक उत्पादकों के संघों और नागरिक समाज समूहों के लिए एक बड़ी जीत है, जिन्होंने मुक्त व्यापार समझौते के खिलाफ व्यापक आंदोलन आयोजित किए थे। भारत सरकार ने उनकी मांगों के आगे घुटने टेक दिए और आरसीईपी में शामिल होने से इनकार कर दिया। **RCEP में शामिल होना भारत के डेयरी क्षेत्र के लिए आत्मघाती क्यों साबित होता?** **1. टैरिफ का डर** ● डेयरी क्षेत्र का मुख्य डर यह था कि आरसीईपी में कृषि के लिए टैरिफ क्लॉज मौजूदा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) समझौते की तुलना में बहुत अधिक गंभीर हैं। ● जबकि विश्व व्यापार संगठन किसी देश को दी गई कमोडिटी लाइन के लिए एक निश्चित अधिकतम, या टैरिफ तय करने की अनुमति देता है, आरसीईपी देशों को अगले 15 वर्षों के भीतर उस स्तर को शून्य करने के लिए बाध्य करता है। ● वर्तमान में, डेयरी उत्पादों के लिए भारत का औसत बाध्य शुल्क लगभग 63.8% है जबकि इसका औसत लागू शुल्क 34.8% है। **2. एक आत्मनिर्भर क्षेत्र** ● भारत का डेयरी क्षेत्र लगभग 70 मिलियन परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। ● भारत के डेयरी क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता छोटे उत्पादकों की प्रधानता है। ● 2017 में, यदि डेयरी फार्म में औसत झुंड का आकार यू.एस. में 191, ओशिनिया में 355, यूके में 148 और डेनमार्क में 160 था, तो यह भारत में सिर्फ 2 था। ● फिर भी, 1960 के दशक के बाद ऑपरेशन फ्लड के कारण, विश्व दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान 1970 में 5% से बढ़कर 2018 में 20% हो गया। आज, भारत दूध उत्पादन में काफी हद तक आत्मनिर्भर है। यह किसी भी महत्वपूर्ण मात्रा में दूध का आयात या निर्यात नहीं करता है। ● अगर हम वैश्विक दुग्ध व्यापार पर विचार करें, तो विकसित देशों का दूध के कुल विश्व निर्यात का 79% हिस्सा है। प्रमुख देश यू.एस., यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हैं। o न्यूजीलैंड देश अपने दूध उत्पादन का 93% निर्यात करता है। ● दूसरी ओर, विकासशील देशों का दुनिया के कुल दूध आयात का 80% हिस्सा है। o हालांकि भारत दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर है, चीन अपनी आवश्यकता का लगभग 30% दूध का आयात करता है। ● इस प्रकार, वैश्विक दुग्ध व्यापार में कुछ प्रमुख देश आरसीईपी क्षेत्र में हैं। दूध के वैश्विक व्यापार का लगभग 51%, स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी) के वैश्विक व्यापार का 45%, मक्खन तेल के वैश्विक व्यापार का 38%, पनीर के वैश्विक व्यापार का 35% और वैश्विक व्यापार का 31% मक्खन आरसीईपी क्षेत्र में है। ● यही कारण है कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) की समाप्ति के बाद अमेरिका में आकर्षक बाजारों से वंचित ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आरसीईपी समझौते में गहरी दिलचस्पी रही है। **3. बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास** ● पिछले 25 वर्षों में, भारतीय नीति ने निजी दुग्ध कंपनियों के विकास को सही रूप से प्रोत्साहित किया है। ऑपरेशन फ्लड के दौरान प्रमुख भूमिका निभाने वाली दुग्ध सहकारी समितियों को अब विकास के इंजन के रूप में नहीं देखा

जाता है।

- नीति ने संयुक्त उद्यमों, विलय और अधिग्रहण के माध्यम से भारतीय डेयरी क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय डेयरी निगमों के प्रवेश का भी समर्थन किया है।
- बहुराष्ट्रीय दुग्ध फर्मों ने भारत में इस उम्मीद में दुकान खोली है कि भारतीय डेयरी क्षेत्र जल्द ही खुल जाएगा।
  o उदाहरण के लिए, स्विस फर्म नेस्ले 2019 में भारत में दूध का सबसे बड़ा निजी खरीदार था। फ्रांसीसी दूध फर्म लैक्टालिस ने 2014 में भारत में प्रवेश किया और हैदराबाद में तिरुमाला मिल्क प्रोडक्ट्स, इंदौर में अनिक इंडस्ट्रीज और प्रभात डेयरी को अपने कब्जे में ले लिया।
  o एक अन्य फ्रांसीसी फर्म, डैनोन ने दही ब्रांड एपिगैमिया में 182 करोड़ रुपए का निवेश किया है। न्यूजीलैंड की फोंटेरा डेयरी का किशोर बियानी के फ्यूचर कंज्यूमर उत्पादों के साथ 50:50 का संयुक्त उद्यम है।
- दूसरे शब्दों में, बहुराष्ट्रीय डेयरी कंपनियां आरसीईपी वार्ता से पहले से ही भारत में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही थीं। फिलहाल ये कंपनियां भारतीय किसानों से दूध खरीदने को मजबूर हैं।
- यही कारण है कि भारत में डेयरी उत्पादों के लिए लागू टैरिफ लगभग 35% है।
- यदि आरसीईपी लागू होता तो बाध्य टैरिफ शून्य हो जाता। तब फर्मों के लिए भारतीय किसानों से दूध खरीदने के बजाय न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया से दूध आयात करना कहीं अधिक लाभदायक होता। भारतीय किसानों को मिलने वाले दूध का बिक्री मूल्य तेजी से गिर जाता।
- न्यूजीलैंड से एसएमपी का निर्यात मूल्य लगभग 150 रुपए प्रति किलोग्राम है।
- भारत में एसएमपी की घरेलू कीमत लगभग 300 रुपए प्रति किलोग्राम है।
- भारत में एक औसत डेयरी किसान को ₹30 प्रति लीटर दूध मिलता है। अमूल द्वारा किए गए अनुमानों के अनुसार, यदि न्यूजीलैंड से एसएमपी के मुफ्त आयात की अनुमति दी जाती है, तो एक भारतीय डेयरी किसान द्वारा प्राप्त दूध की औसत कीमत गिरकर ₹19 प्रति लीटर हो जाएगी।

4. झूठे तर्क

- भारत द्वारा RCEP पर हस्ताक्षर करने के पक्ष में दो तर्क दिए गए।
- सबसे पहले, यह तर्क दिया गया कि भारत जल्द ही दूध की कमी वाला देश बन कर आयात करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि भारत बाद के बजाय आज ही आरसीईपी में शामिल हो जाए।
  o नीति आयोग के पूर्वानुमान बताते हैं कि यह तर्क गलत है। 2033 में, भारत का दूध उत्पादन बढ़कर 330 MMT हो जाएगा, जबकि इसकी दूध की मांग 292 MMT होगी। इस प्रकार, भारत के 2033 तक दुग्ध-अधिशेष देश होने की संभावना है।
- दूसरा, यह तर्क दिया गया कि न्यूजीलैंड से भारत में दूध के आयात की मात्रा उनके कुल निर्यात के 5% से अधिक होने की संभावना नहीं है। परिणामस्वरूप, भारतीय कीमतों पर इसका प्रभाव नगण्य होगा। यह भी झूठा तर्क है।
  o जैसा कि अमूल द्वारा एक साथ रखे गए आंकड़ों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में न्यूजीलैंड के निर्यात का 5% भारत के घरेलू बाजार में बाढ़ लाने के लिए पर्याप्त है।
  दूध पाउडर के लिए भारतीय बाजार का 30%, पनीर के लिए भारतीय बाजार का 40% और मक्खन तेल के लिए भारतीय बाजार का 21% हिस्सा पर्याप्त है। ये संख्या महत्वपूर्ण है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय डेयरी की कीमतें गिरें।
- अगर भारत में 70 मिलियन परिवार डेयरी पर निर्भर हैं, तो न्यूजीलैंड में यह संख्या सिर्फ 10,000 और ऑस्ट्रेलिया में 6,300 है। तार्किक विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के RCEP समझौते का एक पक्ष बनने की सामाजिक-आर्थिक लागत क्या है।

न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से दूध की कीमत इतनी कम कैसे हो गई?

- न्यूजीलैंड जैसे देशों में व्यापक चराई भूमि (जो फ़ीड लागत को कम करती है), मशीनीकृत संचालन और बड़े पैमाने पर उत्पादन की अर्थव्यवस्थाओं के फायदे, और दुधारू पशुओं की उच्च उत्पादकता (लगभग 30) के कारण दूध उत्पादन की इकाई लागत अपेक्षाकृत कम है।
- इसके अलावा, न्यूजीलैंड सरकार की नीति ने सही रूप से अपनी प्रमुख कंपनी, फोनटेरा को डेयरी की दिग्गज कंपनी बनने में मदद की है।

	• फोनटेरा, जो न्यूजीलैंड के दूध बाजार के 90% और दूध के विश्व व्यापार के एक तिहाई हिस्से को नियंत्रित करता है, यहां तक कि बड़ी अमेरिकी और यूरोपीय डेयरी फर्मों को भी डर लगता है। • टीपीपी वार्ता के दौरान अमेरिकी डेयरी फर्मों की एक प्रमुख मांग यह थी कि न्यूजीलैंड को फॉन्टेरा के एकाधिकार को समाप्त कर देना चाहिए। **निष्कर्ष** • भारत के किसान संगठनों ने इस बार सरकार को छोटे पट्टे पर रखने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। अपनी ओर से, सरकार को भविष्य में ऐसे मुक्त व्यापार समझौतों में शामिल होने के प्रलोभनों से बचना चाहिए। इसे मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों के असंतुलन को ठीक करने पर भी काम शुरू करना चाहिए।

प्रैक्टिस MCQs

Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के नियमों को अधिसूचित करने के बाद, लगभग 1 लाख लोग नागरिकता त्याग कर अपने देश वापस आ गए।
2. 2019 में, ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार, भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आया, जब उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति (HNI) देश छोड़ दिए थे।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारत विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
2. भारत का पाम तेल आयात इसके कुल वनस्पति तेल आयात का लगभग 60% है।
3. सरकार ने पाम तेल की खेती को बढ़ावा देने और अन्य पारंपरिक तिलहन फसलों की खेती का विस्तार करने के उद्देश्य से खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) शुरू किया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 3
d) 1, 2 और 3

Q.3) अधिकतर खबरों में रहने वाले नटांज (Natanz) और फोर्डो (Fordow) निम्नलिखित में से किस देश से जुड़े हैं?

a) पाकिस्तान
b) अफगानिस्तान
c) उत्तर कोरिया
d) ईरान

Q.4) G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. ट्रोइका G20 के भीतर शीर्ष समूह को संदर्भित करता है जिसमें G20 की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।
2. 1 दिसंबर, 2022 को भारत इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2023 में पहली बार G20 लीडर्स समिट का आयोजन भारत में होगा।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.5) ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव (GFEI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और नीति आयोग के बीच एक सहयोग है।
2. GFEI का उद्देश्य 2050 तक दुनिया भर में वाहन ईंधन दक्षता में 50% सुधार के माध्यम से वैश्विक लाइट ड्यूटी वाहन बेड़े से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को स्थिर करने में मदद करना।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.6) हाल ही में समाचारों में देखे गए प्रज्ञाता दिशानिर्देश (Pragyata guidelines) निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं?

a) जल पर संघीय सहयोग
a) स्वास्थ्य
b) डिजिटल शिक्षा
c) पुलिस सुधार

Q.7) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में संसद के अधिनियम, 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956' के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।

2. यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.8) फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह स्वाद और खाना पकाने के गुणों पर न्यूनतम प्रभाव डालता है जबकि कई कमियों को ठीक करने के लिए कई पोषक तत्व जोड़ता है।
2. चावल, नमक, खाद्य तेल, दूध और गेहूं के बाद सरकार की मजबूती के लिए पांचवां आइटम है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.9) चेन्दमंगलम हथकरघा (Chendamangalam Handloom) भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?

a) तमिलनाडु
b) केरल
c) आंध्र प्रदेश
d) कर्नाटक

Q.10) निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे बड़े खारे जल निकाय हैं?

a) चिल्का झील
b) कच्छ नमक मार्शो
c) पुलिकट झील
d) केरल बैकवाटर्स

Q.11) AFSPA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है?

a) AFSPA की धारा (3) निर्दिष्ट करती है कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल भारत के राजपत्र में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करता है तो केंद्र सरकार के पास नागरिक अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों को तैनात करने का अधिकार है।
b) अधिनियम की धारा (4) अशांत क्षेत्रों में सेना के अधिकारियों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मारने का विशेष अधिकार देती है।
c) सुरक्षा बल बिना वारंट के भी किसी को गिरफ्तार कर बिना सहमति के तलाशी ले सकते हैं।
d) मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के लिए ड्यूटी पर तैनात अधिकारी के अभियोजन के लिए उस विशेष राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

Q.12) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण एक स्वतंत्र प्राधिकरण है जिसकी स्थापना प्रतिपूरक वनीकरण कोष (सीएएफ) अधिनियम 2016 के तहत की गई है।
2. निधि के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले नियम निर्दिष्ट करते हैं कि धन का उपयोग वेतन, यात्रा भत्ते के भुगतान के लिए भी किया जाता है।

निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.13) कोन्याक (Konyaks) भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रमुख जातीय समूहों में से एक हैं?

a) छत्तीसगढ़
b) असम
c) ओडिशा
d) नागालैंड

Q.14) निम्नलिखित में से कौन बिम्सटेक का सदस्य देश नहीं है?

a) दक्षिण अफ्रीका
b) बांग्लादेश
c) भूटान
d) भारत

Q.15) निम्नलिखित में से कौन सा किला प्रारंभिक यूरोपीय लोगों को 'पूर्व के जिब्राल्टर' के रूप में जाना जाता था?

a) रायगढ़ का किला
b) अंबर का किला
c) जैसलमेर का किला
d) लाल किला

Q.16) केन नदी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है?

a) मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तरप्रदेश
b) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
c) मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान
d) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र

Q.17) भारत के विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है?

a) यह भारत सरकार के एक आदेश द्वारा स्थापित एक कार्यकारी निकाय है।
b) इसकी अध्यक्षता आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
c) इसका कार्यकाल 3 वर्ष है
d) सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं।

Q.18) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सीडीएस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है जिसमें तीन सेवा प्रमुख सदस्य होते हैं
2. वह सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) के प्रमुख भी हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.19) चक्रवात के केंद्र में शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है?

a) उपरिकेंद्र (Epicentre)
b) फोकस
c) लैंडफॉल
d) आँख (Eye)

Q.20) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान द्वारा निम्नलिखित में से कौन से लाभ प्राप्त हैं?

a) कार्यात्मक स्वायत्तता
b) वित्त पोषण में वृद्धि
c) राजनीतिक कार्यपालिका का न्यूनतम हस्तक्षेप
d) उपरोक्त सभी

Q.21) पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक माइक्रो-क्रेडिट सुविधा है जो स्ट्रीट वेंडर्स को एक वर्ष की अवधि के लिए कम ब्याज दरों के साथ 10,000 रुपये का संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करती है।
2. यह योजना आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एक हिस्सा है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.22) बिटकॉइन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है?

a) प्लास्टिक मनी
b) फिएट करेंसी
c) गैर-फिएट क्रिप्टोकुरेंसी
d) फिएट क्रिप्टोकरेंसी

Q.23) बेटी बचाओ बेटी पढाओ (BBBP) योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है?

a) गृह मंत्रालय
b) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
c) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
d) नीति आयोग

Q.24) पराली जलाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1) पराली जलाना फसल के अवशेषों में आग लगाकर अगली फसल बोने के लिए खेत से निकालने की क्रिया है।
2) दक्षिणी इनिडा में सर्दियों की बुवाई के लिए खेतों को तैयार करने के लिए चावल की भूसी को साफ करना एक पारंपरिक प्रथा है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.25) IPC की धारा 124A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) सेडिशन (Sedition)
b) बाल विवाह
c) तीन तलाक
d) मनी लॉन्ड्रिंग

Q.26) निम्नलिखित में से कौन G7 का हिस्सा नहीं है?

a) यूएसए
b) यूके
c) रूस
d) जापान

Q.27) शहरी सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1) एक वाणिज्यिक बैंक में, उसके शेयरधारकों और उसके उधारकर्ताओं के बीच एक स्पष्ट अंतर होता है जबकि एक यूसीबी में, उधारकर्ता शेयरधारकों के रूप में दोगुना भी कर सकते हैं।
2) यूसीबी के बैंकिंग संचालन को आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लेकिन संकट के मामले में उनका प्रबंधन और समाधान राज्य या केंद्र सरकार के तहत सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.28) हाल ही में फिन के बुनकर पक्षी को IUCN द्वारा निम्नलिखित में से किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया?

a) कमजोर
b) विलुप्त
c) संकटापन्न
d) गंभीर रूप से संकटग्रस्त

Q.29) निम्नलिखित में से कौन मध्य एशियाई राष्ट्र नहीं है?

a) तुर्कमेनिस्तान
b) अफगानिस्तान
c) उजाबेकिस्तान
d) किर्गिस्तान

Q.30) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1) लोकपाल अधिनियम में लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को देखने के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

2) लोकपाल चयन समिति की अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं और इसमें लोकसभा अध्यक्ष, निचले सदन में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित शीर्ष अदालत के न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं। राष्ट्रपति या किसी अन्य सदस्य द्वारा मनोनीत किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.31) मानवता के यूनेस्को ICH के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला त्योहार कौन सा है?

a) ताइवान लैंटर्न महोत्सव (Taiwan Lantern Festival)
b) फी ता खोनो (Phi Ta Khon)
c) आइस एंड स्नो फेस्टिवल
d) दुर्गा पूजा

Q.32) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसकी उत्तरी सीमा भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है।
2. यह अत्यधिक स्थानिक इंडो-मलय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
3. रिजर्व के जंगल को नम उष्णकटिबंधीय वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
4. लुप्तप्राय भारतीय गिद्धों के प्रजनन और संरक्षण के लिए राजभटखवा गिद्ध प्रजनन केंद्र भारत में दूसरे ऐसे केंद्र के रूप में स्थापित किया गया।

निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य का वर्णन ऊपर किया जा रहा है?

a) नमदाफा टाइगर रिजर्व
b) मानस टाइगर रिजर्व
c) बक्सा टाइगर रिजर्व\
d) वाल्मीकि टाइगर रिजर्व

Q.33) छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रों की सूची।
b) राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान।
c) अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान।
d) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान।

Q.34) 'वनियार' भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के सबसे बड़े और समेकित पिछड़े समुदायों में से एक है?

a) तमिलनाडु
b) आंध्र प्रदेश
c) केरल
d) कर्नाटक

Q.35) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आंधी और तूफान मजबूत उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए क्षेत्रीय रूप से विशिष्ट नामों में से दो हैं।
2. उत्तरी अटलांटिक, मध्य उत्तरी प्रशांत और पूर्वी उत्तरी प्रशांत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है।

निम्नलिखित में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.36) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. जब कोई वायरस नहीं बदलता है तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है।
2. एक या एक से अधिक नए उत्परिवर्तन वाले वायरस को मूल वायरस के "संस्करण" के रूप में जाना जाता है।

निम्नलिखित में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.37) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक संवैधानिक निकाय है।
2. यह पूरे देश में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
3. यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 6 सदस्यों से बना है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.38) हाल ही में कोवोवैक्स वैक्सीन को WHO द्वारा आपातकालीन मंजूरी दी गई। यह निम्नलिखित में से किस देश द्वारा निर्मित है?

a) यूएसए
b) यूके
c) भारत
d) चीन

Q.39) काला नामक चावल पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह किस्म बौद्ध काल (600 ईसा पूर्व) से खेती में है।
2. यह नेपाल के हिमालयी तराई और भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय है, और इसे उत्तर प्रदेश के सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.40) 'ऑपरेशन विजय' निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) गोवा, दमन और दीव की मुक्ति
b) नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन
c) अफगानिस्तान से हिंदुओं और सिखों को भगाने में मदद करना
d) कश्मीर से आतंकवादियों को खदेड़ना

Q.41) बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव (BFHI) निम्नलिखित में से किसका विश्वव्यापी कार्यक्रम है?

a) डब्ल्यूएचओ
b) यूनिसेफ
c) आसियान
d) दोनों (a) और (b)

Q.42) विशाखापत्तनम, मोरमुगाओ, इंफाल और सूरत स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित हैं?

a) परियोजना 15B
b) प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बी
c) परियोजना 18
d) परियोजना 15A

Q.43) भगोड़े आर्थिक अपराधी (FEO) को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो:

1. जिसने 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि के अपराध किए हैं।
2. आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत से भाग गया हो।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.44) निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग का प्रशासनिक मंत्रालय है?

a) गृह मंत्रालय
b) कानून मंत्रालय
c) सामाजिक न्याय मंत्रालय
d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.45) तेलंगाना में 'मिशन काकतीय' निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है?

a) बाल श्रम का उन्मूलन
b) प्रदूषण को कम करना
c) रोजगार
d) वर्षा जल संचयन

Q.46) 'स्थायी' समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक अस्थायी और नियमित समिति है जिसका गठन संसद के एक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
2. वित्तीय समितियां और विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समितियां (डीआरएससी) स्थायी समितियों के प्रकार हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.47) 'चिल्लाई कला' निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) चावल की बुवाई का मौसम
b) कश्मीर का सबसे कठोर शीतकाल
c) शिया समुदाय का शोक महीना
d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.48) निम्नलिखित में से कौन कृषि में ड्रोन के संभावित उपयोग हैं?

a) इसका उपयोग कृषि क्षेत्र के कई क्षेत्रों में किया जाता है जैसे कि फसल के स्ट्रेस की निगरानी, पौधों की वृद्धि, पैदावार की भविष्यवाणी करना और सहारा देना।
b) ड्रोन का उपयोग किसी भी वनस्पति या फसल के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए किया जाता है, जो कि खरपतवार से प्रभावित क्षेत्र हैं।

c) ड्रोन का उपयोग पॉड्स को शूट करने के लिए किया जाता है जो फसल प्रबंधन की स्थिरता और दक्षता को बढ़ाता है।
d) उपरोक्त सभी

Q.49) एल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल टर्टल (Albino Indian Flapshell Turtle) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह दक्षिण एशिया में पाए जाने वाले कछुए की मीठे पानी की प्रजाति है।
2. इसकी IUCN स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.50) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

a) रक्षा मंत्रालय
b) कानून और न्याय मंत्रालय
c) गृह मंत्रालय
d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.51) अनिश्चित काल के लिए स्थगन का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है?

a) राष्ट्रपति
b) विपक्ष के नेता
c) सदन के पीठासीन अधिकारी
d) प्रधानमंत्री

Q.52) ओलिव रिडले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह सबसे छोटा समुद्री कछुआ है।
2. ओलिव रिडले ज्यादातर मांसाहारी होते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.53) बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर (BRT) टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?

a) तमिलनाडु
b) आंध्र प्रदेश
c) तेलंगाना
d) कर्नाटक

Q.54) ASIGMA, हाल ही में खबरों में रहा, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) भारतीय सेना का मैसेजिंग एप्लिकेशन
b) हाल ही में खोजा गया बौना ग्रह
c) कृषि उत्पादकता के लिए स्वदेशी ड्रोन
d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.55) आवश्यक वस्तु (ईसी) अधिनियम, 1955 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने और उनकी समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था ताकि सामान्य जीवन प्रभावित न हो।
2. इसमें केवल खाद्य पदार्थ शामिल हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.56) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है?

a) यह एक वैधानिक निकाय है।
b) यह वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
c) यह देश के आदिवासी लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम करता है।
d) इसे देश की सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के सहकारी निकाय के रूप में पंजीकृत किया गया है।

Q.57) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

a) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
b) गृह मंत्रालय
c) शहरी मामलों के मंत्रालय
d) सामाजिक न्याय मंत्रालय

Q.58) विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग - अटल सुरंग कहाँ स्थित है?

a) हिमाचल प्रदेश
b) लद्दाख
c) शिमला
d) दोनों (a) और (b)

Q.59) निम्नलिखित में से कौन सा डंपिंग रोधी शुल्क के बारे में गलत है?

a) एंटी-डंपिंग शुल्क एक संरक्षणवादी टैरिफ है जो एक घरेलू सरकार विदेशी आयातों पर लगाती है जिसे वह मानता है कि डंप किया गया है।

b) विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की अनुमति नहीं है।
c) इसका उद्देश्य निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करना है।
d) इन शुल्कों से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए उच्च कीमतें भी होती हैं।

Q.60) मिशन सागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) AFSPA को वापस लेना
b) हिंद महासागर के देशों को भारतीय सहायता
c) जम्मू-कश्मीर में विद्रोहियों को मारना
d) सभी महिला नौसेना बेड़े

Q61.) UNSC की आतंकवाद विरोधी समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 10 साल बाद भारत जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की आतंकवाद-रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा।
2. आतंकवाद विरोधी समिति की स्थापना सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 द्वारा की गई थी, जिसे अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमलों के मद्देनजर 28 सितंबर 2001 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.62) फ्लेक्स-फ्यूल इंजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है?

a) यह एक आंतरिक दहन इंजन है जो एक से अधिक प्रकार के ईंधन और मिश्रण पर भी चलता है।
b) आमतौर पर, पेट्रोल और इथेनॉल या मेथनॉल के मिश्रण का उपयोग किया जाता है।
c) इंजन किसी भी अनुपात के लिए स्वचालित रूप से समायोजित करने में सक्षम है।
d) फ्लेक्स-ईंधन इंजन अभी भी प्रायोगिक चरण में हैं और किसी भी देश में उपलब्ध नहीं हैं।

Q.63) विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

a) विदेश मंत्रालय
b) गृह मंत्रालय
c) वित्त मंत्रालय
d) वाणिज्य मंत्रालय

Q.64) हाल ही में भारत में स्वीकृत टीकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई द्वारा बनाया जाने वाला कॉर्बेवैक्स एक नैनोपार्टिकल-आधारित वैक्सीन है।
2. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे द्वारा निर्मित कोवोवैक्स एक प्रोटीन सबयूनिट वैक्सीन है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.65) निम्नलिखित में से कौन सेबी का कार्य है?

a) मसौदा विनियम
b) निर्णय और आदेश पारित करना
c) जांच और प्रवर्तन कार्रवाई करना
d) उपरोक्त सभी

Q.66) ई-श्रम पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

a) श्रम और रोजगार मंत्रालय
b) गृह मंत्रालय
c) वित्त मंत्रालय
d) वाणिज्य मंत्रालय

Q.67) भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया (INSACOG) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह MoH&FW, ICMR, और CSIR के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा समन्वित है।
2. इसका उद्देश्य बहु-प्रयोगशाला नेटवर्क के माध्यम से नियमित आधार पर SARS-CoV-2 में जीनोमिक विविधताओं की निगरानी करना है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.68) न्यू डेवलपमेंट बैंक निम्नलिखित में से किसकी वित्तीय संरचना का घटक है?

a) ब्रिक्स
b) आसियान
c) बिम्सटेक
d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.69) इनोवेशन अचीवमेंट्स (ARIIA) पर संस्थानों की अटल रैंकिंग निम्नलिखित में से किसकी पहल है?

a) नीति आयोग
b) शिक्षा मंत्रालय
c) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)
d) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)

Q.70) साहित्य अकादमी पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त चौबीस प्रमुख भारतीय भाषाओं में से किसी एक में प्रकाशित साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
2. साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.71) भारतीय पैंगोलिन की IUCN स्थिति क्या है?

a) संकटापन्न
b) गंभीर रूप से संकटग्रस्त
c) थ्रीटेनेड (Threatened)
d) विलुप्त

उत्तर कुंजी

1. B
2. D
3. D
4. B
5.B
6. C
7. C
8. C
9. B
10. A
11. D
12. A
13. D
14. A
15. A
16. B
17. D
18. C
19.D
20. D
21. C
22. C
23. B
24. A
25. A
26. C
27. C
28. C
29. B
30. C
31. D
32. C
33. D
34. A
35. A
36. B
37. B
38. C
39. C
40. A
41. D
42. A
43. B
44. B
45. D
46. C
47. B
48. D
49. A
50. C
51. C
52. C
53. D
54. A
55. A
56. B
57. C
58. D
59. B
60. B
61. C
62. D
63. B
64. D
65. D
66. A
67. C
68. A
69. B
70. A
71. A

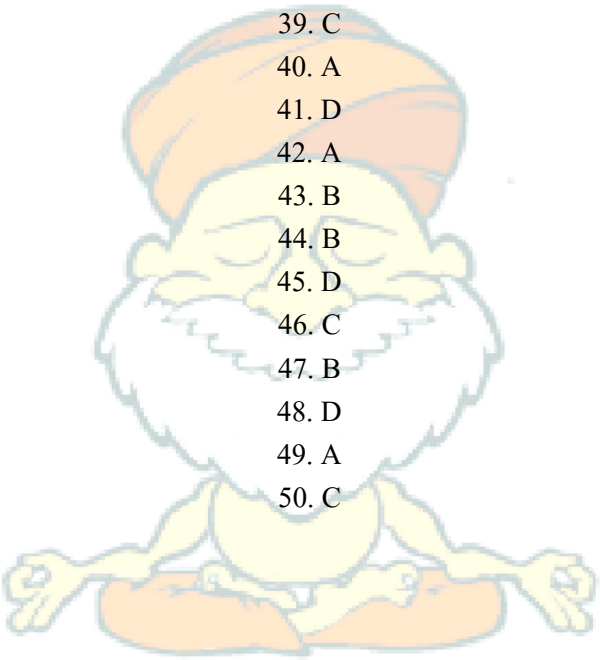

IAS BABA

Beat The Odds In UPSC Preparation With

TLP CONNECT

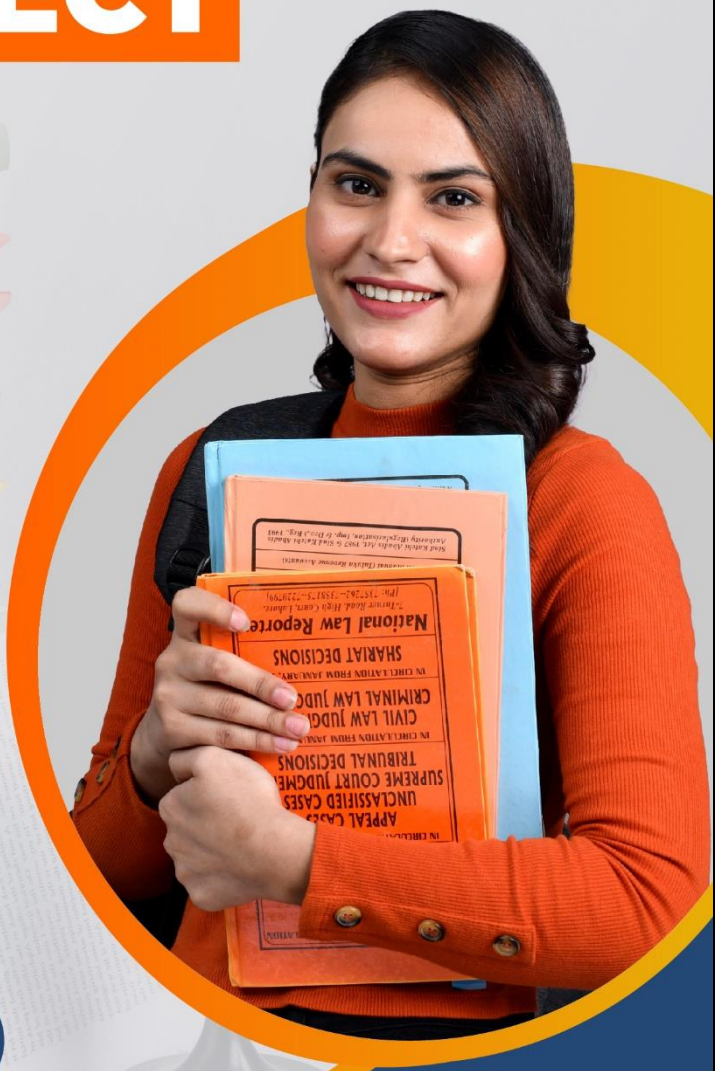

- 30 Mains Tests
- 50 Prelims Tests
- 1:1 Mentorship
- Discussion classes after Every Test
- Babapedia (for Current Affairs)
- Approach Paper, Enriched Synopsis & Ranking

15% Discount!

Only Few Seats Left!

REGISTER NOW